

आधुनिक भारत में

मुस्लिम राजनीतिक विचारक

लेखक

एम० एस० जैन

एम० ए०, पी.एच० डॉ.

रीडर,

इतिहास एवं संस्कृति विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



राजस्थान हिन्दी यन्थ अंकादभी
जयपुर

“शिक्षा तथा सामूजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित।”

प्रथम संस्करण : १९७३

मूल्य : ₹ २००

© सर्वोधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
ए-२६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक नगर,
जयपुर-६


मुद्रा :

जयपुर मान ग्रिन्टर्स,
भारतामीं वा बरवाना, दौड़ा रास्ता
जयपुर-३

प्रस्तावना

भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। मैं इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-मुस्तकों उपलब्ध नहीं माध्यम-न्यरिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिमापिक शब्दावली स्थापना की थी। इस योजना के अन्तर्गत पीछे सन् १९६६ में पांच प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्राप्त: सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट का निर्माण करवा रही है। अकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त से भी अधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं; इसी ऋम में तैयार करवाई गई है। हमें आशा है कि यह अपने वियोगदान करेगी।



विषय-सूची

प्राक्षयन

i-vi

१. १८५७-१९० से पूर्व का राजनीतिक चिन्तन-	१
२. सर संयद अहमद साँ और अलीगढ़ विचार पढ़ति (१८१७-१८६८) १३	
३. अलीगढ़ विचार पढ़ति का विस्तार (१८६८-१८०६) ५२	
४. मौलाना मोहम्मद अली (१८७८-१९३१) ७१	
५. शेख मोहम्मद इकबाल (१८७३-१९३८) १०१	
६. मबुल कलाम आजाद (१८८८-१९५८) १२७	
७. मोहम्मद अली जिन्ना (१८७६-१९४८) १४६	
८. आधुनिक मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र विन्दु सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची १७७	
मनुक्रमणिका १८१	

प्राक्कथन

जिस प्रकार आधुनिक भारत के इनिहास में अंग्रेजों की नीति को भसी-भाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन स्तरों और ग्रन्थों के आधार पर ही अपनी धारणाएं बनाएं जो अंग्रेज अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों द्वारा लिखे गए हैं उमी प्रकार भारतीय नेताओं के चिन्तन को समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम उन नेताओं के भाषणों तथा पत्रों और लेखों के आधार पर ही उनके विचारों का प्रतिपादन करें। नीति-निर्माणार्थी तथा विचारकों के वास्तविक उद्देश्यों को केवल उन्हीं के लेखों और भाषणों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, अन्य व्यक्तियों अथवा आलोचकों द्वारा सिखे गए लेखों में प्रशंसात्मक, आलोचनात्मक अथवा व्यक्तिगत भावनाओं का मिश्रण हो जाता है।

इतिहास के निर्माण में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्वों का योगदान महत्वपूर्ण तो होता है जिन्हें वे तत्व किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व भी विद्यमान रहते हैं और विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष पहने से उपस्थित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वह निर्णय जो एक समय पर वास्तव में लिया गया थथ्या वह दिशा जिस और किसी समुदाय का विकास हुआ पहले में स्पष्ट थी? यदि नहीं, तब उन परिस्थितियों की निर्णायिकता किस प्रकार निश्चित कर सकें? यह ध्यान रखने योग्य बात है कि परिस्थितियों और आर्थिक तत्वों को किसी दिशा में मोड़ने का निर्णय परिस्थितियाँ स्वयं नहीं करती। वास्तविकता यह है कि सामाजिक और आर्थिक तत्व मानव समाज के गमक प्रत्येक अवमर पर विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते रहते हैं। उन विकल्पों में से कौन-सा विकल्प स्वीकृत हुआ और क्यों? स्वीकृत निर्णय के ज्ञान उपनब्ध हो जाने के पश्चात् भले ही हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ सामाजिक और आर्थिक तत्वों में ढूँढ़ लें जिन्हें पहले में उम निर्णय की भविष्यवाणी कर पाना अत्यन्त कठिन (प्रायः असम्भव) है। यदि किसी सीमा तक उन सामाजिक और आर्थिक तत्वों का जिनके निर्णायिक होने की सम्भावना हो सकती है तथन किया भी जा सके तो यह केवल नेताओं के चिन्तन के लक्ष्यों की जानकारी के आधार पर ही सम्भव है। किसी भी समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और नेताओं के चिन्तन का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात हो जाना है कि वे सामाजिक और आर्थिक तत्वों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में से किस विकल्प की पुष्टि करेंगे अथवा किसे ग्रहण करेंगे।

आधुनिक भारत के विकास के समझने में भारतीय चिन्तन का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह समझ लिया जाता है कि अंग्रेजों शासकों द्वारा स्थापित नीति का अध्ययन ही आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए पर्याप्त है। निःसन्देह वह नीति आधुनिक भारतीय इतिहास का एक आवश्यक अंग है किन्तु केवल एक अंग भाव है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में भारतीय नेताओं के चिन्तन तथा भारत की सामाजिक और आधिक परिस्थितियों का योगदान भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय नेताओं के चिन्तन की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस चिन्तन के अध्ययन के बिना यह समझ में नहीं आता कि भारत के विभिन्न सम्प्रदाय आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सके? यह प्रश्न उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम यह स्मरण रखें कि भारत के विभिन्न सम्प्रदाय एक-सी आधिक और राजनीतिक परिस्थितियों में रहते थे। ये सम्प्रदाय अलग-अलग धर्मावलम्बी होते हुए भी सामाजिक हृष्टि में अलग-अलग कहाँ में विभक्त नहीं थे। भारत के विभिन्न नगरों और गाँवों में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग घुल-मिलकर रहते थे और धर्म का सम्बन्ध अधिकाशया व्यक्तिगत और निजी क्षेत्र से था। यह बात दूसरी है कि किसी सम्प्रदाय के नेताओं ने अपने प्रभाव को अधिक विस्तृत बनाने के लिए धर्म और धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग किया हो।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रीय जागरण भारम्भ हुआ था किन्तु भारतीय मुसलमानों के प्रभावशाली नेता मुसलमानों के राजनीतिक अस्तित्व के विषय में बहुत पहले से जागरूक थे। शाह बलीउल्लाह और हाबी ज़रियत उल्लाह के चिन्तन के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। इस पुस्तक में आधुनिक भारत में मुसलमानों का राजनीतिक चिन्तन शाह बलीउल्लाह में ही भारम्भ किया गया है। भारम्भ में इस राजनीतिक चिन्तन के समय प्रमुख समस्या मुसलमानों की उस प्रधानता को बनाए रखने की थी जो मुसलमानों की १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारत में उपलब्ध थी। जब इस प्रधानता की उपलब्धि तथा रक्षणा की ममता सम्भावनाएँ १६ वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्त हो गई और भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित हो गया तब भारतीय मुसलमान राजनीतिक विचारकों द्वारा सद्य अंग्रेजों से मता दीना नहीं था। १६ वीं शताब्दी के पन्तिम दशकों में भारत में प्रजातात्त्विक प्रगति ग्रामाली की माँग भारम्भ हुई। इस समय भारतीय राष्ट्रीय नेता अंग्रेजी नियन्त्रण ब्रिटेन करने की चलना नहीं करते थे।

वे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर शासन कर सके ।

यह एक मात्र लक्ष्य विभिन्न प्रभावशाली मुसलमान राजनीतिक विचारकों के चिन्तन का स्रोत रहा है । इसलिए उनमें से अधिकांश ने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रश्न उठाया था किन्तु ये हित आर्थिक, सामाजिक अथवा धार्मिक न होकर केवल राजनीतिक ही थे । इसलिए वे सब प्रयत्न जो विभिन्न मुस्लिम विचारकों के चिन्तन को आर्थिक अथवा शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ मानते हैं मुस्लिम पृथक्ता को भलि-भाँति समझाने में असमर्थ रह जाते हैं । आधुनिक युग में शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर सहयोग के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं किन्तु इस युग में राजनीति के क्षेत्र में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । खिलाफत आन्दोलन ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जबकि दोनों सम्प्रदायों ने व्यापक रूप से मिलकर कार्य किया था । इस आन्दोलन के वास्तविक लक्ष्य एवं स्वरूप पर मीलाना भोजनमद अली के अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश ढाला गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य मुसलमानों को राजनीतिक हिटि से शिक्षित तथा संगठित करना था ।

राजनीतिक क्षेत्र में भारत के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के मध्य व्यापक सहयोग अधिक समय तक क्यों नहीं हो सका ? यह प्रश्न १९२७ ई० से भारतीय नेताओं और इतिहासकारों के समक्ष प्रमुख बना रहा है । १९२७ ई० से १९४७ ई० तक अधिकांश राष्ट्रीय नेता इस असहयोग तथा पृथक्ता को अप्रेज़ साम्राज्यवादियों की 'एक दिन कहते रहे । इस तर्क पर विश्वास कर लेना भी सरल था क्योंकि अप्रेज़ साम्राज्य-वांदियों का लंदण राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय एकता के प्रयत्नों को दुर्बल बनाना था । मुसलमान राजनीतिज्ञ भी इसी प्रकार के तर्कों को कभी-कभी दोहरा देते थे जिससे राष्ट्रवादी नेताओं के कथन तथा सन्देश की पुष्टि होती रहती थी । राष्ट्रवादी नेताओं ने इस सम्बन्ध में मुसलमान नेताओं के विचारों का कम अध्ययन किया था । उन्होंने उनके मामस्त विचारों के स्थान पर उनके कुछ वाक्यों को तथा अपनी मान्यताओं को अधिक महत्वपूर्ण माना था । राष्ट्रवादियों के समक्ष बार-बार ऐसे अवसर उपलब्ध हुए जब मुसलमान राजनीतिज्ञों ने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया था । किन्तु राष्ट्रवादियों ने वास्तविकता में साझाकार को सदा टाल दिया और वे हमें यह विश्वास करते रहे कि वास्तविकता वह थी जिसे 'उन्होंने मान रखा था । इस तथ्य के परीक्षण का भवसर उस समय उपलब्ध हुआ जब १९३७ ई० में पहली बार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए निर्वाचन हुए थे । राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त को छोड़कर अन्य भारतीय प्रान्तों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने में प्रायः असफल रही थी । उन समय भी वास्तविकता से मूँह मोड़कर राष्ट्रीय नेता पालियामेन्टरी प्रणाली की गुत्थियों में उत्तम गए ।

अप्रेज़ इतिहासकारों, कूटनीतिज्ञों एवं प्रशासकों का यह प्रयत्न रहा कि वे यह सिद्ध कर दें कि भारत के दोनों बड़े सम्प्रदायों में आपस में अत्यधिक मतभेद था इसलिए

यदि ये दोनों सम्प्रदाय समुदायिक हृष्टि से सम्मिलित होकर राजनीतिक कार्य नहीं कर सके तो इसका दोप इन दोनों सम्प्रदायों के दो पृथक् सामाजिक अस्तित्वों में था। इसके लिए किसी सीसरे पथ अथवा किसी बाह्य कारण को ढूँढ़ने का प्रयत्न निरर्थक था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी विभिन्न अंगें इतिहासकार अंगें जी साम्राज्यवाद को निर्दोष सिद्ध करने में लगे हुए हैं। बास्तव में अंगें जी साम्राज्यवादियों ने साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ाने में पर्याप्त योगदान दिया है। साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड, १९३२) से प्रारम्भ होकर भारत विभाजन तक की घटनाओं के क्रम में तो यह योगदान अत्यधिक उभर कर सामने आता है। जहाँ एक और इस योगदान की उपेक्षा करना असम्भव है वहाँ दूसरी ओर केवल इसी पर हृष्टि केन्द्रित किए रखना भी अपर्याप्त है। यह ध्यान रखने की बात है कि किसी भी बाह्य तत्त्व का प्रभाव एक समुदाय के हितों के लिए उसी समय निर्णायक तथा स्थायी हो सकता है जबकि उस समुदाय के बास्तविक लक्ष्यों को उस बाह्य तत्त्व ने भली-भौति समझ लिया हो। इसलिए केवल अंगें जी साम्राज्यवादियों की भेद-नीति के आधार पर ही अपनी धारणाएँ बना लेना महत्वपूर्ण एतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करने के समान होगा।

भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की स्थापना की गई है। इसलिए स्वतन्त्रता पूर्व के मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन के अध्ययन की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तथा मुसलमान विचारकों के आनंदोलन को आधिक और शैक्षणिक पिछ़ड़ेपन से जोड़ दिया जाए। ऐसे सब, प्रयत्न इस तथ्य के समक्ष असफल हो जाते हैं कि मुसलमानों के पृथक् हितों की दुहाई देने, बाले आनंदोलन, का प्रभाव मुश्यतः उन प्रान्तों में अधिक रहा था जिनमें मुसलमान आधिक स्थिति, राजकीय सेवाओं अथवा शिक्षा की हृष्टि से पिछड़ हुए नहीं थे।

पिछले दो वर्षों में बगला देश के स्वतन्त्र गठन से विभिन्न विद्वान तथा राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि जिन्होंने के दो राष्ट्र सिद्धान्त का अन्त हो गया है। यह उन अर्थों में उचित प्रतीत होता है जिनके अनुसार भारत-विभाजन धार्मिक मतभेदों के आधार पर हुआ माना जाता है। किन्तु मुस्लिम राजनीतिक विचारकों के चिन्तन के इतिहास का अध्ययन करने पर धर्म का योगदान गोण दिखाई पड़ता है। जिन्होंने “दो राष्ट्र सिद्धान्त” तो पाकिस्तान की माँग का एक औचित्य मात्र था उसका कारण नहीं था। भारत-विभाजन का बास्तविक कारण मुस्लिम राजनीतिक विचारकों की मुसलमानों के विशिष्ट हितों की वह कल्पना रही है जिसके अनुसार वे एक समुदाय के रूप में हिन्दूओं के बराबर अधिकार उपलब्ध करना चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण से उन्हें इस समानता की उपलब्धि का एक अवसर मिला था। (प्रामाणिक रूप में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पाकिस्तान की समस्त विदेश नीति का नक्श भारत के साथ समानता प्राप्त करना रहा)

है) इन राजनीतिक विचारकों की मांगें उन परिस्थितियों के अनुसार बढ़ती रही थी जिन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता अद्वेजो से सपर्य करके प्राप्त करते रहे थे।

धर्म का योगदान इम राजनीतिक चिन्तन में अपेक्षाकृत कम रहा या यद्यपि अधिकांश मुस्लिम विचारक कुरान से प्रेरणा लेते रहे थे और कई नेताओं ने कुरान के अध्यों की नवी व्याख्या भी की थी। कुरान को अपने प्रोप्राम का आधार बना लेने से मुसलमान राजनीतिक नेता अपने प्रोप्राम की लोकप्रियता और स्वीकृति के विषय में निश्चिन्त हो जाते थे। कुरान की सहायता से उन्हें एक साधन उपलब्ध हो जाता था जिसके द्वारा कुछ मुसलमान राजनीतिक विचारकों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया था। घटनाओं का कम कुछ इस प्रकार से चला और १९३७-३८ के पश्चात् कुछ राजनीतिक नेताओं ने राजनीति और धर्म को इस प्रकार धुला-मिला दिया कि दोनों के प्रयत्न योगदान का मूल्यांकन करना कठिन हो गया। भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के २५ वर्ष पश्चात् भारत-विभाजन के लिए उत्तरदायी एक पक्ष के राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन निष्पक्षता के द्वारा वरण में सरलता से किया जा सकता है। यह प्रयत्न राष्ट्रीय एकता के हित को बढ़ाने की हृषि से ही किया जा रहा है जिससे हम उस राजनीतिक तत्व को पहचान सकें जो देश विभाजन में निष्पक्षिक योगदान दे सका है। उस तत्व को धर्म के साथ जोड़कर भ्रान्ति में न पड़ें।

कुछ लेखकों ने इम बात का प्रयत्न किया है कि वे मुसलमान राजनीतिक नेताओं के पृथक्तावादी विचारों के लिए राष्ट्रवादी नेताओं को ही उत्तरदायी ठहरा दें क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न नेता परस्पर विरोधी विचार रखते थे, उनमें लक्ष्य की एकता नहीं थी। कुछ स्थानों पर जहाँ मुसलमान राजनीतिक विचारकों के पृथक्तावादी चिन्तन के लिए राष्ट्रवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता वहीं ऐसे लेखकों ने उन राजनीतिक विचारकों के चिन्तन में अन्तर्विरोध बताकर उन्हें दोष से मुक्त करने का प्रयत्न किया है।

यद्यपि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि कुछ महाव विचारकों के चिन्तन में कही-कही अन्तर्विरोध हो सकता है किन्तु जब किसी लेखक द्वारा कई नेताओं के चिन्तन में बहुधा अन्तर्विरोध दिखाया जाए जैसा मुस्लिम राजनीतिक विचारकों के सम्बन्ध में दताया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस लेखक ने उन नेताओं के समझने में अंदरश्य कुछ गलती की है। इस कठिनाई को हल करने के लिए मैंने अधिकाशतः विचारकों के चिन्तन को उनके शब्दों में ही व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। अपनी भाषा में उनके विचारों को लिखने में यह सम्भव था कि भाषा और वर्णन अधिक रुचिकर हो जाता सेकिन साय ही यह भय भी था कि कही वह वर्णन व्यक्ति-निष्ठ न समझ निया जाए। विचारकों के वाक्यों को उयों का त्यों रखने में पुस्तक की भाषा प्रवाह की शैली में भी कुछ अन्तर पड़ गया है। आशा है पाठ्यगण इस दोष पर अधिक ध्यान नहीं देंगे।

पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे उन स्रोत ग्रन्थों का बरेंन किया गया है जहाँ से उन वाक्यों को लिया गया है। इन स्रोत ग्रन्थों का संदर्भ बताने से मेरा अभिप्राय यह है कि राजनीतिक विचार सम्बन्धी विवरण प्रमाणिक है। प्रायः समस्त स्रोत ग्रन्थ उद्दृ भाषा में हैं इसलिए पुस्तक में उद्दृ भाषा के शब्द पर्याप्त हैं में प्रयोग किए गए हैं। कुछ उद्दृ शब्दों का अनुवाद हिन्दी में नहीं किया गया है। उदाहरणार्थः कीम शब्द का कोई अनुवाद नहीं किया है क्योंकि इस शब्द के कई अर्थ उद्दृ भाषा में होने हैं उन अर्थों को सर संयद के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया गया है। यह पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि वे कीम शब्द का अर्थ संदर्भ देख कर समझ लें।

इस पुस्तक के लिखने का भी एक सक्षिप्त इतिहास है। अपने शोध-ग्रन्थ (दी अलीगढ़ मूलमेन्ट, १९६५) को प्रकाशित कर देने के पश्चात् मैंने प्रायः मुस्लिम साम्प्रदायिकता के अध्ययन में रुचि लेना छोड़ दिया था। किन्तु मार्च १९७१ तथा मार्च १९७२ ई० में नेहरू म्यूजियम द्वारा “दी कम्यूनल प्रोब्लम—१९१९-१९४७” पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किए जाने के पश्चात् मुझः इस विषय के अध्ययन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हो गया। मुझे यह अनुभव हुआ कि साम्प्रदायिकता की समस्या अब सम्भवतः एक पक्षीय ही समझी जाने लगी है। तिलक, नेहरू, गांधी, मदनमोहन भालविया, श्यामाप्रसाद मुकर्जी, वीर सावरकर आदि के चिन्तन में साम्प्रदायिकता की खोज, फजल उल हक जैसे नेता (जिसने २३ मार्च १९४० ई० को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ‘पाकिस्तान’ सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था) के चिन्तन में राष्ट्रीय तत्त्व ढूँढ़ना, और मुस्लिम ‘साम्प्रदायिक-नेताओं के चिन्तन की अनदेखी करना अब प्रगतिशीलता के लक्षण माने जाने दिखाई पड़ते हैं। मुझे यह भी आभास हुआ कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अधिकांश विद्वान उद्दृ और फारसी भाषाओं से सम्भवत कम परिचित थे इसलिए भी मुसलमान राजनीतिक विचारकों के विषय में कुछ कहने में संकोच करते थे। इन कारणों से मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मुस्लिम राजनीतिक विचारकों पर हिन्दी में एक मौनिक शोध ग्रन्थ लिख दिया जाए। मैं लगभग डेढ़ वर्ष के परिव्रम के पश्चात् इस पुस्तक को पूरा कर पाया हूँ। इस कार्य में श्री यशदेव शल्य, उप-निदेशक, राजस्थान हिन्दी अन्य अकादमी, और प्रो० जी. सी. पाण्डे, अध्यक्ष, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, ने बहुत प्रोत्साहन दिया। इस पुस्तक के लिखने में शोध-सामग्री जुटाने में मेरे मित्र डॉ० के. एम. मिश्रा ने भी विशेष सहायता की है। मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

१८५७ ई० से पूर्व का राजनीतिक चिन्तन

आधुनिक भारत के मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन की सबसे प्रमुख अभिलापा मुसलमानों के खोए हुए प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने की थी। मौलाना उद्देश्य मिन्ही मुसलमानों के कौमी तथा राजनीतिक संघर्ष का आधुनिक इतिहास सर संयद, मौलाना भोहम्मद गली अथवा मुस्लिम लीग से। आरम्भ करना गलत समझते हैं। उनके विचार में शृंखला की भाँति यह सर्व शाह बलीउल्लाह के आन्दोलन से खुड़ा हुआ है और मुसलमानों में राजनीतिक जागरण का प्रारम्भ शाह बलीउल्लाह से ही मानना चाहिए।^१

१८वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही मुगल सत्ता पतन की ओर जा रही थी और उस समय के प्रमुख मुस्लिम विचारक शाह बलीउल्लाह के समक्ष यह ही सबसे बड़ी समस्या थी। बलीउल्लाह का जन्म १७०३ ई० (१११४ हि०) में हुआ था। उनके पिता, शाह अब्दुल रहीम, औरंगजेब के समय में फतवा-ए-आलमगीरी के सकलनकर्ताओं में से एक थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके पिता की देह-रेत में ही हुई थी। बलीउल्लाह १७ वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। १७२० ई० के पश्चात् बलीउल्लाह ने अध्यापन कार्य आरम्भ किया। १२ वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात् वे भक्ता भद्रीना चले गये जहाँ वे दो वर्ष रहे। बलीउल्लाह इस्लाम की गिरती हुई दशा से भक्ती-भाँति परिवित थे। वहाँ से वे १७३४ ई० में देहली वापस आए। देहली में उन्होंने पुनः अध्यापन कार्य आरम्भ कर दिया। नजीबउल्लाह उनके विशेष शिष्यों में से एक था। शाह साहब उत्तरी भारत की

१. उद्देश्य मिन्ही : शाह बलीउल्लाह और उनकी सियासी रहीर (१८४४) पृ० २३-२४ यह टिकटी पुस्तक की भूमिका निघते वाले प्रो० भोहम्मद गल्ल वही है।

राजनीति में विशेष सचि रखते थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए १७४३ ई० में एक मदरसा स्थापित किया। १७६३ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

मुसलमानों की गिरतो हुई स्थिति के लिए शाह खलीउल्लाह ने दो मुम्भ कारण बताए। पहला कुरान और हडीस का अध्ययन न करना तथा दूसरा मुसलमानों में आपसी फूट। शाह साहब ने पहले दोप को दूर करने के लिए यह आवश्यक समझा कि कुरान का वास्तविक ज्ञान अधिक मुसलमानों को होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भड़ा जाने के पूर्व ही कुरान का फारसी अनुवाद आरम्भ कर दिया था^२ यद्यपि यह अनुवाद बाद में पूरा हुआ था। कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस कार्य के विशद अपना रोप प्रगट किया और वे शाह साहब को मारने तक के लिये उतार हो गए लेकिन कुछ समय पश्चात् यह विरोध समाप्त हो गया। शाह साहब की इच्छा यह थी कि मुसलमान अपने जीवन को कुरान के अनुसार ढाल लें। यह तब ही सम्भव था जब वे इसे पढ़ें न कि कपड़े में बाध कर पवित्र ग्रन्थ की भाँति मस्मारी में रहें। इसलिए फारसी अनुवाद किया गया था।^३ इसी फारसी अनुवाद का नाम उन्होंने “फतह उल रहमान” रखा था। इस अनुवाद के माध्यम से शाह साहब अपने राजनीतिक प्रोग्राम को पूरा करना चाहते थे। पुस्तक की हाशिया टिप्पणियों में उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्पष्ट कर दिया था।

दूसरे दोप को दूर करने के लिए उन्होंने मुसलमानों की चार विचारधाराओं में सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया। उन्होंने शियाओं और सुन्नियों के मतभेद को दूर करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने प्रथम चार खलीफाओं का वर्णन इस प्रकार किया कि शिया सुनी सम्प्रदायों में मतभेद बहुत कम हो जाए।^४ इन विभिन्न सम्प्रदायों और विचारधाराओं के मतभेद कम करने के लिए उन्होंने सन्तुलन पर अधिक बल दिया। इस सन्तुलन की प्लेटो के ‘न्याय’ से तुलना करना अथवा प्लेटो और अरस्तू की भाँति जनसाधारण की बुद्धि तथा नैतिकता को प्रोत्साहित करने से सहायक घटलाना उचित नहीं प्रतीत होता।^५ वे भारत में चल रहे मुश्ली शिया मतभेद अथवा कुरानी, ईरानी, रुहेल, अफगान सामन्तों के आपसी संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे।^६

शाह खलीउल्लाह ने अपने लिए ‘कायम उलजमा’ का कार्य निर्धारित किया था। कायम उलजमां का यह उत्तरदायित्व था कि मुस्लिम समुदाय (उम्मा) की

२. सिंधी : पृ० ८-९।

३. शेष मोहम्मद इकराम : रोडे-कौमर, पृ० ३२२।

४. ताराचन्द : हिन्दू बॉक्स फोटोम बूकमेन्ट इन इंडिया (१६६५), I, पृ० १७६। इस सम्बन्ध में वली उल्लाह ने ‘इजालत उलशिका’ पुस्तक लिखी थी।

५. दीर्घीक निजामी : मुस्लिम लोलिटिकल पोट इन इण्डिया द्व्यूरिंग दी कार्ट हाफ बॉक्स दी नाइट्रोन्स सेन्ट्रल पूरी, पृ० २१।

६. मोहम्मद इकराम : रोडे कौमर, पृ० ३५४-५६, ३५६-६०।

एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न वरे। उन्होंने इस्लाम वी फ़िह—'हनफी', शाफी, 'मोतजिली', 'धर्शनी', मालिकी तथा 'हूबली'—विचारधाराओं को महत्वपूर्ण बताया लेकिन सबको कुरान और हदीस के अधीन रखा। 'कुरान' और 'हदीस' का अर्थ नई परिस्थितियों में बताने की आवश्यकता (जिसे वे इजतिहाद कहते थे) समझाई और तकलीफ (नकल करना) के दोष स्पष्ट किए।^८

भारत में मुगल साम्राज्य की विगड़ती हुई स्थिति को देखकर उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हुब्लाह अल वालिधा' में विश्वव्यापी खनीफा के विचार का प्रतिपादन किया। यह विचार भारतीय मध्यकालीन इस्लामिक विचारधारा के विपरीत था जिसके अनुमार केवल प्रथम चार खलीफा ही वास्तव में खलीफा थे।^९ बलीउल्लाह ने कमज़ोर और अपोग्य राजाओं के दोषों को दूर करने के लिए विनाकत की नई ध्यास्या आरम्भ की थी।

शाह बलीउल्लाह को मुगलों की गिरती हुई दशा अत्यन्त भ्रस्त्या लगी और उन्होंने मराठों तथा जाटों की शक्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया। कहा जाता है कि शाह बलीउल्लाह की जिस समय वे मरीना में थे एक दैर्घ्य स्वप्न दिलाई दिया जिसमें ईश्वर ने संसार की स्थिति तथा व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए उन्हें एक साधन बनाया था। उन्हें दिखाई दिया था कि काफिरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी और वे अबमेर तक पर अधिकार कर चुके थे। इसके विरुद्ध कार्य करने का उत्तरदायित्व शाह बलीउल्लाह पर ही पड़ा। इस स्वप्न को उन्होंने आने वाली घटनाओं का सूचक माना था। १७३५-३७ के मध्य मराठों की शक्ति बढ़ती गई और अन्य मुसलमान नेताओं की दुर्बलता को देखकर ही शाह बली ने ग्रहमदशाह अब्दाली को आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया था।^{१०} शक्तिशाली मुस्लिम सामन्तों से दारउलइस्लाम की रक्षा के लिए सहायता माँगने की परम्परा का अनुसरण करते हुए बलीउल्लाह ने पहले खेलों सरदार नजीबुद्दौला में मुस्लिम शक्ति को पुनर्जीवित करने वी ध्यास्या रखी। उसकी असफलता के पश्चात उसने निजामउलमुल्क और ताज मोहम्मद सां बनूज से यह कार्य करने को कहा।^{११} जब यह सब नेता मराठों और जाटों की शक्ति कुचलने में असफल रहे तब बलीउल्लाह ने ग्रहमदशाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करके मराठों और जाटों की शक्ति नष्ट करने के लिए पत्र लिखा। बलीउल्लाह ने अब्दाली को यह भी लिखा था कि नादिरशाह की भाँति वह मुगलमानों की गम्भिर वी नूटमार न करे।^{१२} विदेशी

^८ अब्दीउल बहमद : इस्लामिक कलेज, (१९९५) पृ० २०४।

^९ अब्दीउल बहमद : पृ० २०६।

^{१०} बर्बेनुल्ला सिन्धी, पृ० १६७-१७१।

^{११} दाराचान्द, पृ० १८।

^{१२} अब्दीउल बहमद लिखती है कि नादिरशाह के मियांकी महतूकात, पृ० ४३-५०, ५२, ६३-६५; उर्दुल्ला सिन्धी, पृ० २७, ६७, ११७, १३६।

आक्रमणकारी को मराठों और जाटों की शक्ति को कुचलने के लिए ही नहीं अपितु भारत में इस्लाम तथा मुसलमानों की स्थिति को सुटढ़ करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। इस आक्रमण का प्रभाव भली-भाँति जानते हुए भी तौफीक निजामी का यह कथन कि शाह बलीउल्लाह ने देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किया, विचित्र सगता है।^{१२}

शाह बलीउल्लाह का ध्यान इसी बात पर था कि उत्तरी भारत में मुसलमानों की शक्ति को ढड़ बनाया जाए और मराठों और जाटों की शक्ति को कुचल दिया जाए। वे उन परिवर्तनों के महत्व को न समझ सके जो पूर्वी भारत तथा बंगाल में हो रहे थे।^{१३} यह परिवर्तन अगले १०० वर्षों में भारतीय मुसलमानों की स्थिति को खराब करने में अत्यधिक सहायक हुए थे। शाह साहब ने अपनी वसीयत में अपने पुत्र अब्दुल अजीज को आदेश दिया था-

‘हम यहाँ परदेशी हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आकर यहाँ आवाद हो गए हमारे लिए अरबी भाषा और अरबी बंशावली सम्मान का विषय है।’^{१४} इसलिए जहाँ तक हो सके उन आदतों और रीति-रिवाजों को जो अरब से हमारे साथ आई थी हम हाथ से न जाने दे और हिन्दुओं की आदतों और रीति-रिवाजों को हम अपने में न आने दें।^{१५}

शाह बलीउल्लाह भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन में एक महत्व-पूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मुसलमानों की खोई हुई प्रधानता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। माय ही वे मुसलमानों को कुरान के अनुयायी बनाना चाहते थे। अरब की परम्पराओं को ही वे भारतीय मुसलमानों के लिए लक्ष्य मानते थे और मरते समय उनके लिए यह वसीयत छोड़ गए थे कि वे हिन्दुओं के रीति-रिवाजों को न अपनाएँ। इस प्रकार वह परम्परा आरम्भ हुई जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दोनों सम्प्रदायों को एक-दूसरे में अलग करती चली गई।

शाह बलीउल्लाह की मृत्यु के पश्चात् मुसलमानों के उत्थान एवं प्रगति के आनंदोनन को चलाने का उत्तरदायित्व उनके ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल अजीज (१७४६-१८२४) पर पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के समय उनकी आयु १७ वर्ष की थी। उनके जीवनकाल में भारतीयों का दिल्ली पर अधिकार हो चुका था और उत्तर-पश्चिमी भारत में पंजाब में सिक्किं राज्य का गठन हो रहा था। बलीउल्लाह के समय में देहली के इस्लामी राज्य में कुछ घोड़ी जान वाकी थी लेकिन अब्दुल अजीज के समय में वह नामभान्न को ही शेष रह गई थी। देहली में एक अपेक्षी रेजिडेन्ट भी रहता

१२. तौफीक निजामी, पृ० २१।

१३. दाराचन्द, पृ० १८०।

१४. उबदुन्ना खिल्ली, पृ० ७३-७८, मोहम्मद इरगाम पृ० ३४८।

या। इन राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव अब्दुल अजीज के चिन्तन और कायदे पर भी पड़ा था।

अब्दुल अजीज ने अपने पिता की वसियत पर कार्य करना आरम्भ किया। उन्होंने नवयुदको के एक दल का गठन किया। जिसके माध्यम से बलीउल्लाह की शिक्षाएं मध्यमवार्ग तथा साधारण मुसलमानों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया।^{१५} बलीउल्लाह ने १७४३ ई० में देहली में एक मदरसे की स्थापना की थी। उसी के माध्यम से उनके शिष्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया। इसलिए कहा जाता है कि शाह बलीउल्लाह की शिक्षाओं से मदि दस व्यक्तियों को लाभ पहुँचा तो शाह अब्दुल अजीज से दस हजार व्यक्तियों को लाभ हुआ।^{१६} अब्दुल अजीज ने साधारण जनता को कुरान समझाने के लिए “फतह उल अजीज” लिखी थी। इसमें ऐसों बातें बहुत थीं जिन पर सामान्य मुसलमानों का विश्वास था। बहुत-सो ऐसी ही समिलित करदी गई थी।

बलीउल्लाह ने मुसलमानों के नेतृत्व के लिए कुरान का प्रोग्राम प्रस्तुत किया था। वे उम मावना को समाप्त करना चाहते थे जिसके अनुसार मुसलमानों के उद्धार के लिए किसी बड़े मार्ग-दर्शन की आवश्यकता थी। उनके अनुसार कुरान ही मुसलमानों का सर्वान्वयन कर सकती थी। उसी मार्ग पर चलते हुए अब्दुल अजीज ने कुरान की शिक्षा को विस्तृत बनाकर अपने चारों ओर एक ऐसा समूह तैयार कर लिया जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। इसका लाभ यह हुआ कि उन्हें अपने कार्यक्रम को लागू करने में किसी आरम्भिक विरोध अवश्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था।

शाह बलीउल्लाह के आनंदोनन का दूसरा पक्ष मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति को पुनः स्थापित करना था। यह तब हो संभव था जब उनमें संवर्पण और ‘जिहाद’ की भावना जागृत की जाए। इसके लिए अब्दुल अजीज को ऐसे शिष्यों की आवश्यकता थी जो इस जिहाद का सचालन कर सकें। अब्दुल अजीज ने अपने शिष्यों के एक मण्डल का गठन किया जिसमें संयद अहमद बरेलवी, शाह मोहम्मद इस्माइल, मौलाना अब्दुल हैदर शाह इसहाक थे। इस मण्डल का नेतृत्व शाह इसहाक करते थे और जिहाद के संचालन का कार्य संयद अहमद बरेलवी को दिया गया था।^{१७} संयद अहमद को संनिक प्रशिक्षण के लिए अमीरता पिण्डारी के पास भेजा गया था। १८१७ ई० में जब उसे यह मालूम हुआ कि अमीरता अप्रेजो से सन्धि करना चाहता था तो वह अमारत्व की फौज को छोड़कर दिल्ली वापस चला आया।

कहा जाता है कि शाह अब्दुल अजीज को भी स्वप्न में ईश्वर की ओर से यह

१५. उब्दुल्ला सिंधी पृ० ७२।

१६. वही, पृ० ६४।

१७. वही, पृ० ७०।

आदेश मिला था कि वे 'पशतो' (पठानों की भाषा) सीखें ?^{१५} शाह बलीउल्लाह पहले ही यह कह चुके थे कि प्रशासन को चलाने की योग्यता अफगानिस्तान की ओर चली गयी थी । इससे उनका अभिप्राप्य युद्ध करने की क्षमता से था ।^{१६} अब्दुल अजीज ने जब कुछ चुने हुए लोगों का एक गुट तंथार कर लिया तब उन्होंने सामान्य जनता में धार्मिक प्रचार आरम्भ किया । इस प्रकार उनका आन्दोलन मुसलमानों में ध्रविक सोकप्रिय हुआ ।

शाह अब्दुल अजीज अप्रेज़िशन के पक्ष में भी थे और वे मुसलमानों को उसके ग्रहण करने के लिए कहते थे ।^{१७} अब्दुल अजीज ने एक फतवा भी प्रसारित किया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि दिल्ली के मुगलबादशाह का अधिकार सामनात्र के लिए ही शेष रह गया था । वास्तविक सत्ता ईसाईयों के हाथ में थी और सब स्थानों पर काफिरों का आधिपत्य था । ऐसे सब क्षेत्र दारूल हरब हो गए थे ।

तौकीक निजामी ने इस फतवे के आधार पर अब्दुल अजीज को अप्रेज़िशन विरोधी सघर्ष आरम्भ करने के लिए थ्रेय दिया है । किन्तु इस तर्क में कई दोष हैं । न तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इग फतवे की तारीख दी है, न ही सैयद अहमद बरेलवी को अमीरखा के पास भेजने की तिथि दी है । लेखक यह कहना चाहते हैं कि अब्दुल अजीज ने केवल फतवा ही नहीं दिया था बल्कि सैयद अहमद बरेलवी को राजपूतों में अमीरखा के सैनिक कैम्प में भी भेज दिया जो जसवन्तराव होलकर के समर्थन में अप्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहा था ।^{१८} निजामी ने पृ० ५१ पर यह लिखा है कि सैयद अहमद ने अमीरखा की घुड़सवार फौज में सात वर्षों तक नौकरी की । इससे दो वर्ष पूर्व तक सैयद अहमद अपने निवास-स्थान गालवा (जबकि उनका निवास स्थान रायबरेली, उत्तरप्रदेश, था)^{१९} में रह रहे थे ।^{२०} अमीरखा ने सैयद अहमद की गैंगनिक तथा राजनीतिक मामलों में मुहूर सलाहकार बना लिया था । किन्तु सैयद अहमद १८१७ ई० में अमीरखा का साथ छोड़कर चले आए क्योंकि अमीरखा ने अप्रेज़ों के साथ सन्धि करने का निश्चय किया था ।^{२१}

निजामी ने कई बातें ऐसी कही हैं जो परस्पर विरोधी मातृम पड़ती हैं । मदि संयद अहमद १८१० ई० में अमीरखा की सेना से भर्ती हुए थे तब उनका यह क्रमन गतत हो जाता है कि उस समय अमीरखा जसवन्तराव होलकर के

१५. उबैदुल्ला सिंधी, पृ० २०३-२०६ ।

१६. वही, पृ० ६६ ।

१७. ताराचन्द, दिन २, पृ० ३५१ । यह घटना १८२८ ई० के बाद की थी बरंगि १८२८ ई० में ही दिल्ली नौज़िब छोला गया था ।

१८. तौकीह निजामी, पृ० २५-२६ ।

१९. ताराचन्द, दिन २, पृ० २३ ।

२०. तौकीह निजामी, पृ० ५१ ।

२१. वही, पृ० ५२ ।

साथ अंग्रेजों के विशद लड़ रहा था। यदि संयद अहमद १८०८-१० तक अपने बतन (जो निजामी साहब ने गलत लिख दिया है) उत्तरप्रदेश में रहे और १८१० ई० में वही से सीधे अमीरखां की सेना में भर्ती हो गए तब अब्दुल अजीज को संयद अहमद के अमीरखां के पास भेजने का थ्रेय देना ठीक नहीं मालूम पड़ता है। निजामी ने तिथियों पर व्याप नहीं दिया है। सम्भवतः इसलिए कि वे मंयद अहमद को अप्रेज विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अमीरखां पिण्डारी को भी अंग्रेज-विरोधी घोषित करना ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करना है।

१८१०-११ ई० में अमीरखां अंग्रेज-विरोधी संघर्ष में भाग नहीं ले रहा था और अमीरखां ने अंग्रेजों के साथ अन्य मराठा सरदारों की अपेक्षा पहले सन्धि करली थी। इसलिए संयद अहमद वरेन्वी का अमीरखां की फौज में प्रशिक्षण पाना अंग्रेज विरोधी कार्य नहीं था।^{२५}

बास्तव में अब्दुल अजीज ने अपने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई थी जिसमें वे स्वयं और उनके तीनों भाई थे। इस समिति की देसरेख में नवयुवकों के एक दल का संगठन किया गया जिसका संचालन मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल हैई, मौलाना मोहम्मद इमहाक और मौलाना मोहम्मद याकूब करते थे। संयद अहमद इस संचालन मण्डल में अपनी संनिक योग्यता के आधार पर जोड़ दिये गये थे।^{२६} जिहाद के संचालन का कार्य संयद अहमद को सौंपा गया था लेकिन उनके दो प्रमुख सलाहकार भी नियुक्त किये गये थे, यह दोनों व्यक्ति थे—मौलाना अब्दुल हैई तथा मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद। इन तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से जिहाद संचालन का अधिकार दिया गया था।^{२७}

इतने प्रशासनिक गठन के पश्चात् ही अब्दुल अजीज ने संयद अहमद और उनके संचालन मण्डल के सदस्यों को १८१७ ई० में पहली बार और १८२१-२२ में दूसरी बार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में प्रचार करने के लिए और इसके बाद हज करने के लिए भेजा। १८२५ ई० में यह मण्डल हज से लौटा। उस समय तक अब्दुल अजीज की मृत्यु हो चुकी थी। मरते समय उन्होंने ‘मदरसे रहीमया’ का कार्यभार मोहम्मद इमहाक को सम्भला दिया था।

मौलाना संयद अहमद ने हज से लौट आने के पश्चात् जिहाद की तैयारी प्रारम्भ करदी। मौलाना मोहम्मद इस्माइल और मौलाना अब्दुल हैई ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा करके दो हजार जिहादियों की एक फौज तैयार की। इस दल को उत्तर-पश्चिमी सामा पर चलने का आदेश दिया गया। १८२६ ई० में यह हिजरत

२५. मौलाना अब्दुल्ला लिखते हैं : इम घटना का उद्देश्य द्वितीय संयद अहमद को संनिक प्रशिक्षण दिलवाना बताते हैं। पृ० ६२-६३।

२६. उबदुल्ला लिखते हैं, पृ० ८०-८१, ६३।

२७. वही, पृ० ६५।

(देश के बाहर चले जाना) आरम्भ हुई। जनवरी १८२७ ई० में सिन्धु नदी के तट पर 'हिन्ड' नामक स्थान पर एक फौज तैयार की गयी और संयुक्त अहमद को इस जिहाद के संचालन का नेता मान लिया गया।^{२८} १८२७ ई० के मध्य में मौलाना अब्दुल हैई की मृत्यु हो गई। इस घटना से जिहाद के संचालन में भौतिक अन्तर आ गया था अब संयुक्त अहमद निरकृत हो गए थे।

इस जिहाद का उद्देश्य क्या था? तीकीक निजामी यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि "संयुक्त अहमद भारतीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति थे और अप्रेजेंटों को बाहर निकालकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे जिसमें शासक के घर्म और आदर्श से कोई झगड़ा न हो?"^{२९} इस विचार के समर्थन में उन्होंने खालियर राज्य के मंत्री हिन्दूराव के नाम लिखा हुआ दिना तिथि का एक पत्र दिया है। इस पत्र में यह आश्वासन देने का प्रयत्न किया गया था कि उनका उद्देश्य सत्ता-प्राप्ति नहीं था। इसी सन्दर्भ में संयुक्त अहमद के अमीरखाँ का साथ छोड़कर चले आने की घटना का वर्णन किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि संयुक्त अहमद का आन्दोलन अप्रेज विरोधी था।^{३०}

१८१७ ई० में संयुक्त अहमद को अमीरखाँ की सेना से इसलिए भाग कर आना पड़ा था कि जिस सैनिक प्रशिक्षण के लिए वह वहाँ गये थे अब उसकी सम्भावना गमाप्त हो चुकी थी। अमीरखाँ का अप्रेजो से संन्धि करना इस बात का मूलक था कि अब वह लूटभार तथा युद्ध की नीति छोड़ रहा था। ऐतिहासिक सदर्भ को छोड़कर तथ्यों को गलत नीतियों के समर्थन के लिए प्रस्तुत करना टीक नहीं है। हिन्दूराव के नाम पत्र इसलिए लिखा गया था जिससे कि रणजीतसिंह के विहङ्ग चल रहे उनके आन्दोलन को उपलब्ध आर्थिक महायता के भार्ग में कोई बाधा न पड़े। यह महायता उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यभारत में उपलब्ध होती थी। खालियर के मन्त्री हिन्दूराव की सहायता इस आन्दोलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण थी।^{३१}

संयुक्त अहमद बरेलवी के आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को हिन्दुओं के रीतिरिवाजों से मुक्ति दिलाना था। अधिकांश मुसलमान कुछ पीढ़ियों पूर्व हिन्दू थे। वे हिन्दू तीयों को जाते थे तथा उनके विभिन्न रीतिरिवाजों को मानते थे।^{३२} संयुक्त अहमद चाहते थे कि मुसलमान इन रीतिरिवाजों को छोड़ दें इसके अतिरिक्त

२८. उद्युक्ता मिथि, प० ११।

२९. तीकीक निजामी, प० २०।

३०. वटी, प० ४६-५०।

३१. अब्दुल हमन नदी : सौरत-ए-संयुक्त अहमद शहीद, प० ६२, १०६। गुलाम रमूल मेहर : संयुक्त अहमद शहीद, प० २६७-२८८, ४३५। इन सन्दर्भ सभ्यों के बावजूद पर अब्दुल बहुमद ने अर्दी पुस्तक 'इत्यापिक बलबर' में उत्तरोत्त वर्णन दिया है, प० २१।

३२. अब्दुल बहुमद : प० २११-२१२। उन्होंने सौरत मूसलमीम (राजियता संयुक्त अहमद) तथा गुलाम रमूल मेहर द्वारा बन्य सेहाको भी पुस्तकों से उद्दल दिये हैं।

संयद अहमद वरेलवी के जिहाद का उद्देश्य सिक्खों के विरुद्ध संघर्ष करना था। सर संयद अहमदखाँ ने इस समय के आन्दोलन के विषय में स्पष्ट बहा था कि जो कुछ भी कार्य मंथन अहमद वरेलवी (उनके समर्थकों और अनुयाईयों को बहावी कहा जाता था) करते थे उस सब की गूचना अप्रेज़ों को उपलब्ध रहनी थी और अप्रेज़ सरकार को किसी भी प्रकार का सन्देह उन पर नहीं था। १८२४ ई० के पश्चात् सामान्य मुसलमानों में जिहाद का प्रचार मोहम्मद इस्माइल करते थे। उन्होंने अपने मुंह से अप्रेज़ों के विरुद्ध कोई बात कभी नहीं निकाली थी। सिक्खों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए युद्ध का सामान अप्रेज़ों के अधीन भारत में ही एकत्रित किया गया था। अप्रेज़ी सरकार ने अपने अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप से बना किया था उसने किसी न किसी रूप में उनको सहायता भी पहुंचाई जैसे—दिल्ली के एक हिन्दू व्यापारी ने जिसके पास जिहाद के लिए घनराणि एकदम की गई थी, कुछ रूपया गवन कर नियर। अप्रेज़ सरकार ने उसे राया लोटाने पर बाध्य किया।^{३३} धारांभ में संयद अहमद और मोहम्मद इस्माइल दोनों को कुछ सफलता प्राप्त हुई और कुछ अफगानों ने उनका समर्थन किया। रणजीतगढ़ी स्वर्ण भी उस समय उत्तर-पश्चिमी रोमा पर अपना नियन्त्रण विस्तृत करने में सक्षम हुआ था। इसलिए अफगान जातियों पहले से ही उसके विरुद्ध मंथर्य कर रही थी। लेकिन भीत्र ही अफगान-जातियों और संयद अहमद वरेलवी के मध्य धार्मिक भग्नभेद उत्पन्न हो गये। अफगान कट्टर 'हतफी' विचार-धारा के मानने वाले थे जबकि बलीउल्लाह साहब के चलाए हुए आन्दोलन में विभिन्न विचारधाराओं में सन्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया था। फलस्वरूप इन दोनों बगों में मतभेद आरम्भ हुआ। दूसरा कारण यह भी था कि संयद अहमद कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए उनके समर्थकों में निराशा भर गई। एक अन्य कारण उनकी अमफलता का यह भी था कि भारत से मुजाहिद (जिहाद करने वाले) अपने साथ स्थिरों को नहीं ले गये थे। कई बगों तक अफगान प्रदेश में रहते-रहते उन्होंने बहाँ पर अफगान लड़कियों से शादी करना आरम्भ कर दिया था। यह अफगानों के लिए अमर्य हो गया।^{३४} इसके अतिरिक्त अफगान सरदारों के लिये संयद अहमद के नेतृत्व में कार्य करने से उनके सम्मान तथा प्रभुत्व पर भी प्रभाव पड़ रहा था।

संयद अहमद को पेशावर के शासक यार मोहम्मदखाँ से भी विरोध सहना पड़ा था। संयद अहमद के जिहाद का उद्देश्य सिक्खों की शक्ति को समाप्त करके

^{३३} यह बर्णन सर संयद के उन लेखों पर आधारित है जो उन्होंने ३०० हस्तर की पुस्तक की समीक्षा के रूप में लिखे थे। ये लेख बनीगढ़ इन्स्टीट्यूट गजट में २४ नवम्बर, १८३१ से २३ फरवरी, १८३२ ई० तक छपने रहे थे। यद्य पे लेख एकत्रित रूप में प्रकाशित हो गये हैं। भीत्रान्त मोहम्मद इस्माइल (सम्प.) : 'मवालात-ए-मर संयद, भाग IX, पृ० १२५-२०८।

^{३४}. उद्दुल्ला सिन्धी, पृ० १०८। कभी-कभी यह शादी ज्याद बलपूर्वक भी होते थे क्योंकि संयद अहमद इस दिहाद के नेता थे।

अफगानों की सहायता से पुनर् इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। तौफीक निजामी ने संयद अहमद द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिखे गये पत्रों के कुछ अशो को अपनी पुस्तक के अन्त में देकर यह मिठ्ठ करने का प्रयत्न किया है कि वह अप्रेज़ विरोधी था।^{३५} लेकिन उन्होंने पूरे पत्रों को न देकर उनसे कुछ उद्घरण मात्र ही दिये हैं। इसके विपरीत अजीज़ अहमद का कथन अधिक ठीक है कि संयद अहमद बरेलवी द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिखे गये पत्रों में भारत में अद्वेती राज्य का बल्लंग है और उन्हे भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिये 'दावत' (बुलावा) दी गई है किन्तु इसका महत्व गोण है। उन पत्रों में मुख्य उद्देश्य मिक्कों के विरुद्ध जिहाद करने के लिये निमंत्रण देना था।^{३६}

सीमा प्रान्त में यह सधर्प १८२६-३० ई० तक जोरो पर रहा। १८३० ई० में मिक्कों ने पेशावर को जीत लिया। इससे मुजाहिदों के हौसले पस्त हो गए। कुछ सोगों में इस बात पर भी मतभेद हुआ कि क्या संयद अहमद बास्तव में नेतृत्व के योग्य थे? अधिकांश मुजाहिद संयद अहमद के विरुद्ध हो गए थे। इसलिये इस बात की आवश्यकता हुई कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रधानता स्थापित करें। केवल कुछ व्यक्तियों ने उनको अपना गुरु एवं नेता स्वीकार किया (इमको वेत लेना कहते हैं)। ६ मई, १८३१ ई० को बालाकोट की लडाई में संयद अहमद तथा मीनाना इस्माइल मारे गए। अधिकांश मुजाहिद तो १८३० ई० के पश्चात् ही भारत लौट आए थे और जो कुछ वाकी बच गए थे, वे १८४६ ई० के पश्चात् भारत भेज दिए गए थे जबकि अप्रेज़ों का पजाव पर अधिकार स्थापित हो चुका था।^{३७}

मीनाना उद्देशुल्ना सिन्धी का विचार है कि जिहाद के इस अभियान के समर्थन का श्रेष्ठ शाह मस्तुन अजीज़ को था। संयद अहमद संनिक प्रशिक्षण प्राप्त होने के बारण इस अभियान के संनिक मचालक थे। संयद अहमद के अन्य दो साथी (मीनाना मस्तुन हुई और मीनाना मोहम्मद इस्माइल) अब्दुल अजीज़ द्वारा ही तैयार किए गये थे। भारत से जो सहायता सीमान्त्र प्रदेश को भेजी जाती थी, वह मीनाना मोहम्मद इमहार के द्वारा ही भेजी जाती थी जो अब्दुल अजीज़ की मृत्यु के पश्चात् 'मदरसे रहीमिया' के सबानक थे।^{३८} इस प्रकार यह जिहाद शाह बली उल्नाह द्वारा चलाए हुए भान्डोलन वा ही एक भाग था, जो १८२५ ई० के पश्चात् प्राप्त दुर्बल हो चला था।

३५ तोटी दिवामी, पृ० ८५-१०५।

३६ अजोङ् अहमद : पृ० २१४।

३७ मीनाना मोहम्मद इस्माइल पासिरासी : पश्चात, IX, पृ० १५५-१६५।

३८ उद्देशुल्ना पिंडी, पृ० १२०-१२२। मीनाना पिंडी ने एक प्रत्यक्षांग दृश्य की ओर इसका दिलासा है जिसका व्यापक वर्णन के द्वारा होता है। इसके दृश्य साइर होता है, जिसका वर्णन वा वर्णन करने वीराना मोहम्मद इमहार की देशरेता में ही होता था।

१९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में एक आन्दोलन बंगाल में आरम्भ हुआ जिसे फराएँजी आन्दोलन कहते हैं। इस आन्दोलन के संचालक हाजी शरियत उल्लाह थे। उनका जन्म १७६४ ई० में एक माधारण परिवार में हुआ था। उनके प्रारम्भिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब वे १८ वर्ष के थे उस समय वे मझा चले गए थे और वहाँ बोस वर्पों तक रहे। १८०२ ई० में वे बंगाल वापस आए। उनका बीस वर्ष की अवधि तक मझा मदीना में रहना और बाद में बंगाल में उन बिद्वान्तों का प्रचार करना जो अब्दुल वहाब ने मदीना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में किया थे, इस बात का प्रमाण है कि वे वहाबी सिद्धान्तों को भारत में लाने के लिये उत्तरदायी हुए।^{३६} जिस प्रकार शाह बली उल्लाह और उनके शिष्य देहली, मू० पी० और विहार के क्षेत्रों में मुसलमानों को मुस्यत यह शिक्षा दे रहे थे कि वे हिन्दू परम्परा और रीतिरिवाज छोड़ दें, उसी प्रकार बंगाल में हाजी शरियत उल्लाह ने यह प्रचार आरम्भ किया कि मुसलमानों को वे सब प्रयाएँ छोड़ देनी चाहिए जो मौलिक इस्नाम के विवृद्ध थी। उन्हें कुरात और 'मुज्जा' पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये। हाजी साहब ने मुसलमानों को इस्नाम की आज्ञाओं से परिचित कराया तथा उन्हें कर्तव्यों (उदूँ में जिन्हे फरायज कहते हैं) के पालन पर अधिक हठ बनाया, उसीमें यह आन्दोलन 'फरायजी' आन्दोलन कहलाता है।

हाजी शरियत उल्लाह ने बंगाल को दारउल हज़ घोषित कर दिया था। इग्लिए उन्होंने जुमा (शुक्रवार) की नमाज को भी बन्द कर दिया था। अग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासकीय तथा न्यायिक सुवारों के प्रभाव से भी वे मुसलमानों को दूर रखना चाहते थे।^{३७} उनके आन्दोलन से बंगाल के मुसलमान कृपकों में राजनीतिक जागरण आरम्भ हुआ। उन समय में अग्रेजी लगान सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप नए जमीदारी वर्ग का विरास हो रहा था, जिसके अधिकांश सदस्य हिन्दू थे। कानूनबालिस के स्थायी बन्दोबस्तु से जमीदारों को कृपकों पर मनमाना अधिकार उपलब्ध हो गया था। बंगाल के कुटीर उद्योग भी इसी समय नष्ट होने आरम्भ हो चुके थे। यह सम्बन्ध है कि मुसलमानों की विगड़ी हुई आर्थिक दशा उनके कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बना सकी हो किन्तु उन्होंने कोई आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने मुसलमानों की पृ०-इलित्र अवस्था का मुन्न कारण उनका इस्नामी कर्तव्यों के

३६. अजीत अहमद : प० २१६। तौरीह निजामी विना प्रमाण के इस विवार का प्रतिपादन करते हैं हि शरियत उल्लाह पर वहाबी शिक्षाओं का दोहरा प्रमाण नहीं पड़ा था (प० ७६-७८) और इसके विपरीत वे संयुक्त अहमद बदेनवों को जो मज़हा में दो वर्ष से भी रम रहे थे, भारत में वहाबी शिक्षाओं के फैलाने के लिए उत्तरदायी ढहराते हैं, यद्यपि दोनों ने मज़हा में ही शिक्षा प्राप्त भी थी (प० ४४ ३२)। यह गवत है यद्यपि सैद्द अहमद बदेनवी मज़हा जाने के पूर्व १५ वर्ष तक मौज़ाना अब्दुल अजीत के शिष्य रहे थे।

३७. योसीह निजामी : प० ८२।

१२ प्रार्थनिक भारत में गुरुत्वादी राजनीतिक विचारक

प्रति जिपिंग रहना चाहा था और उन्हें पाने गोरोगियों (हिन्दुओं) ने भानी गृष्णजी श्यामी करने को बहा था।

एकी जरिया उन्नाह की गृष्ण ने पश्चात् उनका गुरु मोहम्मद मोहम्मिन उक्त दुर्ग गियो (१८१८-१८५०) करवाकी आमंत्रण का लेता हुआ। ये और परिष्कृत उष्टु रियारों के लेता थे। उन्होंने मुगलमानों में प्रारथ-तिराया वंश करने के लिये दिग्नानों को टेक्का घायवा मालान देने से मना दिया। मुगलमानों के भगवां को तष्टु करने के लिये गृष्ण श्यामालय भी रखाया दिए गए। तेजिन उन्हें आमी भाइयों को भटकाने के गम्भीर में जैन में बदल कर दिया गया, जहाँ १८५० ई० में उनकी गृष्ण हो गई।

वनी उन्नाह और बहारी (फारायडी) आमंत्रण १८वीं सदी के उत्तरार्द्ध और १९वीं शताब्दी के गृष्णार्द्ध में यह भावना फैलाने में सफल हुए कि मुगलमानों की हिन्दुओं के रोति-तियाज, सम्मार भादि वा छोड़ देना चाहिए। इसमें हिन्दू पवित्र रथानों की यात्राएँ मुगलमानों में भ्रमोत्पत्ति होनी चाही गई जिसे ये भानी गृष्णना विनाशित कर गके। वनी उल्लाह का आमंत्रण मुगलमानों की गोई हुई प्रतिष्ठा को भी पुनः प्राप्त करना चाहता था। ये दोनों गिरावंत प्रधिकार गुगलमान लेताओं के चिन्तन की पृष्ठभूमि बन गए।

सर सैयद अहमदखाँ और अलीगढ़ विचार-पद्धति (१८१७-१८६८)

आधुनिक भारत में मुसलमानों के राजनीतिक पथ-प्रदर्शक सर सैयद अहमदखाँ थे। उनका जन्म १७ अक्टूबर, १८१७ ई० को दिल्ली के एक सैयद परिवार में हुआ।^१ उनके पिता को मुगल बादशाह की ओर से बजीफा मिलता था। उनकी शिक्षा प्राचीन एवं परम्परागत आधारों पर हुई थी। १८-१९ वर्ष की आयु तक उन्होंने कुरानशरीफ, अर्बा और कारमी की कुछ पुस्तकें और थोड़ा अङ्गूष्ठित पढ़ा था। नियमित शिक्षा-पद्धति से सर सैयद का सम्पर्क कम रहा लेकिन विद्या-प्रेम उनके साथ जीवन भर बना रहा। जब उनकी आयु २१ वर्ष की थी, उनके पिता का देहान्त हो गया और उन्होंने न्यायालय कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण अपने चाचा के यही सीखा। दिल्ली में ही अंग्रेज जज, हैमिल्टन, से उनका सम्पर्क हुआ। हैमिल्टन ने १८३६ ई० में सैयद अहमद को आगरा बुलाकर कमिशनरी के दफ्तर में 'नायब मुन्शी' के पद पर उनकी नियुक्ति करदी। १८४१ ई० में सैयद अहमद ने मुन्शी की परीक्षा पास करनी और मैनपुरी में वे पहली बार मुनिसिफ नियुक्त हुए। इस समय उन्होंने कुछ धार्मिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की। १८४२ ई० में मुगल बादशाह बहादुरशाह ने "जवादउद्दीला आरिफज़ख़्म" की उपाधि से सैयद अहमद को सुशोभित किया। १८४६ ई० में उनका तदादला दिल्ली हो गया। १८४७ ई० में उन्होंने "आसार-उस-सनादीद" नामी पुस्तक प्रकाशित करवायी। इसमें दिल्ली के मध्यकालीन समाजों का वर्णन था। इस पुस्तक का १८६१ ई० में फान्सीसी भाषा में अनुवाद हुआ। वे १८५५ ई० में बिजनौर के मदर अमीन नियुक्त हुए। १८५७ ई० की

^१ सर सैयद की जीवनी का यह वर्णन हानी हारा निखिल ह्यात-ए-जावेद पर आधारित है।

जानि के समय तर संघट इसी स्थान पर थे और उन्होंने विजयनगर के उपद्रव का इतिहास लिया। १८५८ ई० में उन्होंने 'भारताव वगावत-ए-हिन्द' लियी और उसके पश्चात् 'लायन मोहम्मदन्स आँफ इण्डिया' नामक पुस्तक लिखा।

तर संघट अहमदराई के जीवनकाल में १८५७ ई० का उपद्रव सध्य-बिन्दु ही नहीं है भगिन्तु एक महत्वपूर्ण पटना भी है। इस उपद्रव में पूर्व उनका ४० यार्ड का जीवनकाल पुरानी परम्पराओं के प्रभाव में व्यापी हुआ था। वे अप्रेजी भाषा में वार्तालाल की शमता नहीं रखते थे और उनका पठन-नाठन भी फारसी और उड़तक ही सीमित था। वे अरबी भाषा जानते थे लेकिन उसमें उनकी योग्यता इसी साहित्यिक स्तर की नहीं थी। १८५७ ई० के पश्चात् उन्होंने अप्रेजी भाषा में बुध योग्यता प्राप्त की थी लेकिन वे अन्त तक भाषण आदि उड़ने में ही देते थे।

१८६४ ई० में गाजोपुर में उन्होंने साइन्टफिक सोसायटी की स्थापना की जिसका स्थायी कार्यालय घाट में अलीगढ़ में रहा। इसी समय इन्होंने 'तावेयन-उल-फलाम' और 'ताआम अहल-ए-किताब' लियी। १८६६ ई० में वे दमतेंड गये और वहाँ से लौटने पर उन्होंने अलीगढ़ भान्दोलन भारम्भ किया। १८७० ई० में 'तहजीब-उल-अख्लाक' नाम की पत्रिका प्रकाशित करनी भारम्भ थी। इस पत्रिका ने मुसलमानों में खलबली मचाई थी कि इसमें कुछ पुरानी परम्परागत मान्यताओं पर कुठाराधार लिया गया था। १८७५ ई० में संघट अहमदराई ने अलीगढ़ कालिज की एक स्कूल के रूप में स्थापना की। १८७६ ई० में उन्होंने सरकारी नौकरी से वैज्ञान लेकर अलीगढ़ में रहना भारम्भ कर दिया।

१८७८ ई० में सर संघट को इण्डियन लेजिस्लेटिव बौसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। १८८६ ई० उन्होंने मोहम्मदन एज्योशनल कानफरेन्स की स्थापना की। उन्होंने १८८७ ई० में इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस का विरोध किया और १८८८८० में इण्डियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापित किया। नई समस्याएँ हल करने के लिए १८९३ ई० में राजनीतिक समाजन मोहम्मदन एसो ओरियन्टल डिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई और जिन सुविधाओं को अप्रेजी सरकार से मौके का १८९५-९६ ई० में निश्चय कर लिया गया था वे ही १९०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डप द्वारा अप्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। १८९८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

तर संघट के चिन्तन का आधार ——तर संघट अहमदराई ने १८५८ ई० से मुसलमानों के भवित्य के विषय में चिन्तन भारम्भ किया। १९वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में अप्रेजी साम्राज्य को समाप्त कर देने वा विचार प्रभावशाली नहीं था। तर संघट का चिन्तन भी इस भौलिक आधारशिला पर स्थापित था कि अप्रेजी साम्राज्य स्थाई था, इसलिए तर संघट के समक्ष प्रमुख समस्या मुसलमानों को अप्रेजी वा प्रथम उपलब्ध कराने की रही। यह उनके दूरदर्शी होने का एक प्रमाण है कि मुसलमानों के राजनीतिक भवित्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रतिपादित भार्ग में कोई

भी परिवर्तन उस समय आया जबकि अंग्रेजों साम्राज्य का अस्तित्व ही 'संदिग्ध हो' गया था। इस परिवर्तन का सूच्य भी सर संयद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को ही पूरा करने के लिए प्रयत्न करना था।

सर संयद अहमदखाँ का ध्यान केवल मुस्लिम कुलीन बंगो के राजनीतिक हितों तक ही सीमित था। इस बंगो की कुलीनता किसी पूँजी अथवा भू-स्वामित्व पर आधारित नहीं थी, न ही यह किसी योग्यता पर आधारित थी बल्कि यह केवल इस तर्क पर आधारित थी कि मध्यकाल में मुसलमानों ने भारत पर शासन किया था। यह तर्क ठीक नहीं था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में तुकँ, खिलजी, तुगलक, संयद, अफगान और मुगल बंशों के शासक समय-समय पर रहे थे। इन बंशों के कार्यकाल में राजनीतिक अधिकार उन विशिष्ट बंगों तक ही अधिकांशतया सीमित था। यह कभी नहीं हुआ कि समस्त भारतीय मुसलमानों वा जासानाधिकार में कोई परिष्ठ प्रस्तुत रहा हो। १६वीं शताब्दी के अधिकांश भारतीय मुसलमान पहले हिन्दू थे तथा भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने घर्म परिवर्तन कर लिया था।

इस तथ्य से भूम्ह भोढ़कर सर संयद ने इस बात पर अधिक वल दिया था कि भारत के मुसलमान बाहर से आये थे और वे भारत के शासक रहे थे। उन्होंने १८५८ ई० में लिखा था कि "मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। वे भूत-कालीन विजेताओं के साथ यहाँ आए और धीरे-धीरे यहाँ आकर बस गये।"^२ इसी प्रकार १८७३ ई० में जब इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया ने 'भारत साम्राज्ञी' की उपाधि प्रहरण की थी उस समय अलीगढ़ नेताओं ने वयाई अभिनन्दन-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "भारतीय मुसलमान उस जाति के बंशज हैं जो एक समय इस देश पर राज्य करती थी।"^३ दिमध्वर १८८७ ई० में लखनऊ में इण्डियन नेशनल कॉमिटी विरोधी भापण देने हुए उन्होंने मुसलमानों से कहा था :

"योड़ी देर के लिए सोचो कि तुम कौन हो ? हमारी यह कौम क्या है ? हम वह हैं जिन्होंने भारत पर ६ या ७ शताब्दियों तक राज्य किया है।..... हमारी कौम उन लोगों के द्वारा में बनी है जिनमें न केवल अरब बल्कि एशिया और यूरोप भी कांपते थे। हमारी कौम ने अपनी तलवार से समस्त भारत को जोता था यद्यपि यहाँ के लोग एक ही घर्म के मानने वाले थे।"^४ कॉमिटी के विभिन्न प्रस्तावों का वर्णन करते हुए उन्होंने पूछा कि किस कौम ने इन्हें प्रस्तुत किया था ? उन्होंने उन प्रस्तावों को तुच्छ समझा और कहा कि यदि यह प्रस्ताव मुसलमानों या राजपूतों द्वारा प्रस्तुत किये गये होते जिनके पूर्वजों ने तलवार संभाली थी तो शायद उन पर ध्यान भी दिया जाता। मार्च १८८८ ई० मेरठ में उन्होंने बहा :

२. संयद अहमदखाँ : कॉन्ज़िव बॉक दी इण्डियन रिपोर्ट, पृ. ३५। यह पुस्तक मूल रूप में "उरू" में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसमा बंगो अनुवाद दिया गया था।

३. अलीगढ़ इन्स्टिट्यूट गजट (गजट), ११ जनवरी, १८७३, पृ. ४४।

४. संयद अहमद : मेरेन्ट स्ट्रेट बाफ पानिटिक्स, पृ. १७-१८।

"मेरे भाई मुगलमानों : मैं तुम्हें किर याद दिसाना चाहता हूँ कि तुमने विभिन्न कीमों पर राज्य किया है और कई मुल्लों की शताब्दियों तक आपने अपील रखा है। भारत में गात रो वगौ तरु तुमने गज्य किया है। तुम जानते हो राज्य करना क्या होता है ?" ५

जब १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पश्चिमी प्रभाव एवं शिक्षा के प्रभार के फलस्वरूप प्रजातन्त्रीय पद्धति पर प्रतिनिधित्व की मींग की गई तब मुसलमानों के एकमात्र प्रभावशाली राजनीतिक नेता, सर संयद अहमद, ने इसका विरोध किया था। इस विरोध का प्रमुख कारण यह था कि उनका ध्यान केवल कुलीन वगौं तक सीमित था और प्रजातन्त्रीय आधार पर मुसलमानों के उच्च वगौं को वे विशिष्ट अधिकार उपलब्ध नहीं हो सकते थे, जिन्हें वे उनके लिए चाहते थे। राजनीति में ही नहीं सर संयद का हृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में भी केवल कुलीन मुसलमानों तक ही सीमित था। अलीगढ़ कॉलेज में भी वह मुस्लिम सम्प्रदाय के नेताओं को प्रशिक्षण देना चाहते थे। वे यह भी समझते थे कि कुलीन घरानों के लोग अंग्रेज अधिकारियों से अपेक्षाकृत समानता के स्तर पर मिल सकते थे। अलीगढ़ नेताओं का विश्वास था कि कुलीन घरानों के लड़कों को शिक्षित कर देने से शिक्षा का प्रसार बड़ी सरलता से हो सकता था।^६ कॉलेज की वार्षिक रिपोर्टों में इम बात पर बहुत बल दिया जाता था कि उच्च कुलीन घरानों के वशज वहाँ पढ़ने थे। जिस समय कॉर्प्रेस ने यह दावा प्रस्तुत किया था कि उस संगठन में भुसलमान भी सम्मिलित थे तब सर संयद ने इसका प्रत्युत्तर यह कहकर ही दिया था कि दो मुसलमान रईसों को छोड़कर कोई भी मुसलमान रईस कॉर्प्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुआ था।^७ सर संयद ने प्रजातन्त्रीय प्रणाली का विरोध आरम्भ किया किन्तु जैसे ही उन्हें भारत में प्रजातन्त्रीय प्रणाली का प्रवेश निश्चयात्मक दिखाई दिया उन्होंने मुसलमानों के विशेषाधिकारों की माँग प्रस्तुत की। लेकिन इन दोनों चरणों में एक ही बात मूल-भूत है, वह है प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सम्भावित उपलब्धि की अपेक्षा अधिकारों की माँग प्रस्तुत करना। यही कारण है कि मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन में ऐसे तत्त्वों का प्रभाव कम रहा जो मुस्लिम जनता को प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व अथवा जनसंरक्षा के अनुपात में अधिकारों की उपलब्धि तथा प्राप्ति की ओर मोड़ सके।

उपरोक्त दोनों आधार नवा मिहान्त सर संयद द्वारा प्रतिपादित किये गये

५ वही, पृ ४७-४८।

६ गजट, १० अक्टूबर १८७३, पृ १५८।

७ संयद अहमद : प्रेसेन्ट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, पृ ३२-३३।

ये १९४८ उनके विन्दत के ये दोनों आधार ही निम्नलिखित हैं। वे समस्त मुसलमानों को भारतीय शासकों की सन्तान मानकर चलते थे और उनके लिए ऐसे भविष्य की ही कल्पना करते थे जिसमें मुसलमानों को प्रशासनिक वैभव और अधिकार उपलब्ध हो सके। ऐसे भविष्य को कल्पना के कलस्वरूप ही उन्हें प्रजातन्त्र की स्थापना में मुसलमानों के काल्पनिक हितों के लिए संकट दिखाई पड़ा।

सर संयद और अंग्रेजी सरकार

१९४७-४८ ई० में सर संयद ने यह अनुभव कर लिया था कि अंग्रेजों को भारतीय मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह था। सर संयद का यह विश्वास था कि मुसलमान केवल नौकरियों पर निर्भर थे तथा उनकी प्रगति के लिए सरकारी आधिकार आवश्यक था इसलिए उन्होंने अपने समक्ष एकमात्र यह निष्पत्ति ही रखा कि मुसलमान अंग्रेजों के हृषान्धार बन जाएं। यह कार्य एक और अंग्रेजों को आश्रित करके और दूसरी ओर मुसलमानों को नई प्रेरणा देकर ही सम्भव था। उन्होंने दो प्रत्यक्ष 'असवाव बगावत-ए-हिन्द' और 'लायल मोहम्मदन्स ऑफ इण्डिया' इसी उद्देश्य से प्रकाशित किये थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विहृदय जिहाद के नारे को अनुचित घोषित किया था। उन्होंने 'लायल मोहम्मदन्स' में यह कहा कि यदि भारत में किसी एक वर्ग के लोग अन्य वर्गों की अपेक्षा ईसाईयों के संकट के समय उनके साथ थे, तो वे केवल मुसलमान ही थे।^८ संयद अहमद अंग्रेजी सरकार को यह विश्वास दिताना चाहते थे कि उसे मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह नहीं करना चाहिए।

दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को बाइबिल पढ़ने की ओर आकर्षित करना चाहा और "तबैय्यन उल कलाम" लिखकर दोनों घरों की समानता स्पष्ट करनी चाही। इसी प्रकार उन्होंने "ताआम अहल-ए-किताब" लिखकर मुसलमानों और ईसाईयों को साथ बैठकर भोजन करने की प्रेरणा दी।^९

सर संयद ने भारतीय मुसलमानों के विशिष्ट हितों के विषय में जो घारणा बनाई थी वह केवल अंग्रेजी सरकार को कृपा के आधार पर ही पूरी हो सकती थी। इसलिए वे प्रत्येक ऐसे अवसर से लाभ उठाना चाहते थे जिसमें मुसलमान अंग्रेजों के हृषान्धार बन सकें। सर संयद आरम्भ में बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे।^{१०} लेकिन

८: यह दो आधार थे : भारतीय मुसलमानों वा भूतपूर्व शासन होना तथा उनका भारत के बाहर से आना।

९. लॉयल मोहम्मदन्स, भाग १, पृ ३

१०. यह दोनों पुस्तकें १९६०-१९६१ ई० के मध्य लिखी गई थीं।

११. यह बात है कि संयद अहमद एक बार आगरे में अयोग्यता गवर्नर के दखार से उठकर बड़े आये थे बड़ोंकि उनका स्थान अंग्रेजों की अपेक्षा नीचे था (हाली : दिवान-ए-जावेद, पृ ५२-५३)।

जैसे-जैसे उन्होंने मुसलमानों के उत्थान के बिंदु अंग्रेजी राज्य के आशय को आवश्यक समझा थे-वे अंग्रेजों के प्रति ध्यवहार में उनकी हीन भावना बढ़ती गई। १८६६६० में सन्दर्भ में ऐसे गए अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा :

“हम जो भारत में अंग्रेजों को………… यह कहते थे कि अंग्रेज भारतीयों को विलुप्त जानवर समझते हैं………… यह हमारी गलती थी। वे हमें रामकथे ही नहीं थे बल्कि वास्तव में हम ऐसे ही हैं। मैं अत्यन्त सच्चे दिल से कहता हूँ कि समस्त भारतीयों को………… अंग्रेजों की शिक्षा और सम्मता की तुलना में वास्तव में ऐसा हो स्थान प्राप्त है जैसा एक अत्यन्त गम्भीर पश्चु को एक योग्य और मुन्दर अधिकारी की तुलना में उपलब्ध होता है। अंग्रेज हम भारतीयों को भारत में असम्म पश्चु की भाँति मर्याने समझे।………… यदि यह कल्पना करो कि भारतीय और अंग्रेज एक स्वतन्त्र देश में वसाये जाएं………… तो अंग्रेज कदाचित् भारतीयों के पास भी यह न हो और उन्हें पश्चुओं से अधिक न समझें”^{१२} इस प्रकार की हीनता की भावना बहुत कम उत्तर-शायी भारतीयों ने व्यक्त की थी।

१८७१ ई० में हन्टर की पुस्तक “दी इण्डियन मुसलमान्स” प्रकाशित हुई जिसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में मुसलमान बहुत समय से अंग्रेजी प्रशासन के विश्वद पड़यन्त्र करने की योजना बना रहे थे। सर संयद ने वडे जोरदार शब्दों में वई सेख लिखकर डॉ० हन्टर को पूर्व घारणाओं की आलोचना की। उसी समय जिहाद की समस्या पर भी कुछ अंग्रेजी अलबारो में चर्चा चल रही थी। मुख्य प्रश्न यह था क्या मुसलमान अंग्रेजी सरकार के विश्वद “जिहाद” आरम्भ करने के अधिकारी थे?

सर संयद ने कुरान और हडीस से कुछ आयतों का मनमाने दग से अर्थ निकाल कर यह बताने का प्रयत्न किया कि अंग्रेजों के अधीन भारत दाखल इस्लाम और दाखल हुई दोनों था।^{१३} दाखल इस्लाम में मुसलमानों को जिहाद का अधिकार नहीं था। सर संयद के तर्क नि सन्देह बड़ी चतुराई के माथ प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि मुसलमान और ईसाई तदा से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे।^{१४} भारतीय मुसलमानों को जबतक अंग्रेजी सरकार में ‘उमम’ (संरक्षण) प्राप्त था उस समय

१२. गजट, १६ नवम्बर १८६६, पृ ७४३-७४५. यह दात उन्होंने अपने एक पत्र में बोल्डिन उल्मुक को लिखी थी (ब्लूअ-ए-सर संयद, पृ ४१)

१३. यह दोनों वाक्य इस्लामी चिन्तन में अमूल्य स्थान रखते हैं। दाखल हरद का अर्थ उस देश से होता है जहाँ राजतात्त्व गैर मुसलमानों के हाथों में होती है और मुसलमान उसके अधीन रहते हो। दाखल इस्लाम वह देश है जहाँ सत्ता मुसलमानों के हाथों में होती है।

१४. मध्यकाल में हुए कूसेइस को बड़ी सरलता से सर संयद अहमद भूल गये थे। विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि मुसलमानों और ईसाईयों में धार्मिक मतभेद के कारण जातुना था। बोहमद अमीन जुंडरी : नियामत मिलिया, पृ ४।

तक मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद नहीं कर सकते थे ।

सर संयद अहमद का प्रमुख लक्ष्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा और भक्तिभाव पैदा करना था । १८७१ई० में गठन की गई खोहम्मदन कॉलेज के लिए चन्दा इकट्ठा करने वाली समिति का एक लक्ष्य मुसलमानों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना था जिसमें वे अंग्रेजी प्रशासन की उपलब्धियों को अच्छी प्रकार से समझ सकें तथा उनके प्रति आमारी बन सकें । अलीगढ़ कॉलेज के क्रेस्ट पर नवा चांद और 'ताज' अकित था जो अंग्रेजों और मुसलमानों की मैत्री का शोक था ।^{१५} मुसलमान नेताओं तथा कॉलेज के अंग्रेज अध्यापकों ने इन बात पर काफी बल दिया था कि खलीगढ़ कॉलेज की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेजी सरकार तथा 'ताज' के प्रति भक्ति एवं निष्ठा की भावना जागृत करना था ।^{१६} सर संयद चाहते थे कि मुसलमान और अंग्रेजों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाय कि वे दो जरीरों में एक आत्मा की भाँति मिलकर कार्य करें । यह वडे गर्व से स्थापित किया जाता था कि आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के बहादुर युवक साम्राज्य की मुरक्का के निए पूरी सहायता देंगे ।^{१७}

सरकार का स्वरूप :

सरकार के कार्यक्षेत्र को सर संयद केवल शान्ति स्थापना तक सीमित समझते थे । वे चाहते थे कि सरकार कम से कम कार्यों को अपने हाथ में ले क्योंकि जितने अधिक कार्य वह अपने हाथ में लेनी उत्तेज ही अधिक विस्तृत क्षेत्र पर उसकी आलोचना होगी और सरकार के प्रति लोगों में असन्तोष जागृत होगा । उनका अभिप्राय सरकार को मुसलमानों में विशेषकर लोकप्रिय बनाने का था । वे सरकार पर शिक्षा का दायित्व नहीं डालना चाहते थे । वे उन लोगों से सहमत नहीं थे जिनका विचार था कि सरकारी सहायता कम हो जाने से मुसलमानों की शिक्षा प्रगति में बाधा पड़ेगी । उनका कहना था कि सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न केवल सांकेतिक ही हो सकते थे । इसलिए वे सरकार के समक्ष किये गये उन अनुरोधों के पक्ष में नहीं थे जिनका अभिप्राय मुसलमानों की समस्त शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर ढाल देना था । वे यहाँ तक नहने को तैयार थे कि यदि सरकार उच्च शिक्षा के लिये स्थापित कानूनों को मापात्र भी कर दे तब भी बोई हानि नहीं थी ।^{१८} वे केवल सरकार से उन प्रपत्तियों

१५. सर संयद द्वारा यह विचार सम्बन्ध के उम्म महल को देवकर पैदा हुआ था जहाँ तुर्की के मुसलमान अम्बुज जबीब का स्वागत हुआ था । उम्मी दीवारों पर ऑमेन्ट (नायाचाँड) और काम के निशान लगाये गये थे । रिटोर्न, खोहम्मदन एन्ड इशनल बाल्करेल्स, १८६४, पृ १३० ।

१६. अलीगढ़ कॉलेज में जी, जुलाई १८६४, पृ १ ।

१७. गजट, १५ अगस्त १८६३, पृ. ८११ ।

१८. गजट, ५ नवम्बर १८६१, पृ १२५६-१२६०. यहाँ उनका अभिप्राय उनर-प्रिवेटी प्रदेश के दीन भरवारी बॉनियो (आमरा, इलाहाबाद, बनारस) से था । इसका एक परोक्ष परिणाम यह भी था कि इन्द्रियों को भी आनी शिक्षा दे निए उन्हीं प्रकार प्रयोग उत्तर पैदे हो त्रिलक्षण भर नैयद बर रहे ।

में सहायता चाहते थे जो जनता द्वारा किये जाएं। वे यह स्वीकार नहीं करते थे कि भारतीय लोग निर्पत्ता के कारण अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते।^{१६} भलीगढ़ आन्दोलन आरम्भ किये जाने के पश्चात् उन्होंने निरन्तर "अपनी सहायता स्वयं" पर अत्यधिक बल दिया था। वे जानते थे कि मुसलमान सामन्त मध्यकाल में सरकार पर पूरी तरह आश्रित थे इसलिए मुसलमानों को अपनी सहायता पर निर्भर रहना भयन्त आवश्यक था। उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि अपनी उन्नति के साधनों को यदि दूसरों पर छोड़ दिया जावेगा तो वह सम्प्रदाय कभी पूरी तरह उन्नति नहीं कर सकेगा।^{१७} इस "अपनी सहायता स्वयं" का एक दूसरा लक्ष्य भी था और वह या मुसलमानों में कौमियत को भावना भरना। १८८४-१९० में वे विजागापट्टम् के मुसलमानों का हिन्दुओं तथा ईसाईयों से एक मुस्लिम कालेज के लिये चन्दा मांगने के विरुद्ध थे।^{१८} १८८६-१९० में बंगाल के मुसलमानों द्वारा सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की योजना का भी उन्होंने विरोध किया था।^{१९} राजनीतिक हृष्टि से मुसलमानों को पृथक् रूप से संगठित नहीं किया जा सकता था जबतक उन्हें प्रगतिशील एवं सम्पन्न हिन्दुओं पर निर्भरता से अलग न कर लिया जाये। इसलिए "अपनी सहायता स्वयं" के गिरावंत पर उन्होंने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बल दिया था।

अप्रेजो के प्रति अद्वृट निष्ठा एवं भक्ति व्यक्त करने के लिए मुसलमानों को दो प्रकार के अवसर उपलब्ध हो सकते थे। एक अवसर देश में प्रजातन्त्र तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली के आन्दोलन का विरोध करके उपलब्ध हो सकता था। इसके अन्तर्गत अप्रेजो सरकार द्वारा स्थापित नीतियों का समर्थन भी ममिलित था। दूसरा अवसर किसी भी मुस्लिम अध्यवा गंगे मुस्लिम विदेशी राज्य के विरुद्ध अप्रेजो का समर्थन करने से उपलब्ध हो सकता था। सर संघर्द ने इन दोनों अवसरों का सामने उठाया।

सर संघर्द द्वारा प्रतिपादित मुसलमानों के तथाकथित हितों का पोषण किसी भी प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व अध्यवा प्रतियोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों पर १८५७ की क्रान्ति के उत्तरदायित्व के दोष को अप्रेजो के प्रति भक्त रहकर ही मिटाया जा सकता था। इसलिए किसी भी ऐसे आन्दोलन का समर्थन करना जो अप्रेजो सरकार विरोधी हो अध्यवा विरोधी दिखाई दे, सर मंपद के लिये असम्भव था।

सर संघर्द ने लाहौर में १८७३-१९० में भाषण देते हुए कहा था कि मुसलमानों

१६. गजट, २० अक्टूबर १८७३, पृ ८३२।

२०. गजट, २४ दिसम्बर १८८६, पृ ८३२, ११ मई १८७२, पृ ३३४, २५ अक्टूबर १८७२, पृ. ९९२, २० अप्रैल १८८०, पृ ४५१, २३ मार्च १८८०, पृ ३३४; ७ मार्च १८८२, पृ २६०।

२१. गजट, २३ कर्णटक १८८५, पृ १६८-१६९।

२२. गजट, २० अप्रैल १८८३, पृ ४५६।

का अप्रेज़ों से शत्रुता रखना वैसा ही होगा जैसा नदी में रहकर भगरमच्छ से बंर रखना। इसलिए उनके लिये यह आवश्यक है कि वे उनसे मैत्री रखें।^{२३} अलीगढ़ नेताओं का हड्डिवादी तथा प्रतिक्रियावादी हृष्टिकोण १८७८ ई० के बर्नाकियूलर प्रेस ऐट के अवसर पर स्पष्ट हुआ। सर संयद अहमद ने मुसलमानों को इस अधिनियम का विरोध करने से मना किया और। इस अधिनियम को बहुत उदार बताया क्योंकि यह नियम तुर्की, फ़रम आदि देशों में उपलब्ध प्रेस की स्वतन्त्रता में तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता था। उनके अनुमार एक स्वतन्त्र प्रेस का प्रभुज कार्य देश की सरकार के प्रति भक्त रहना था। उनका विचार था कि यह अधिनियम बहुत पहले ही पास कर दिया जाना चाहिए था^{२४} क्योंकि भारत की बर्नाकियूलर प्रेस ऐसी भाषा का प्रयोग करती रही थी जो सम्मानित व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए आपत्तिजनक थी। इसी प्रकार उन्होंने अप्रेज़ों के प्रति अपनी हीनता का परिचय इल्वर्ट विल के विरोध के अवसर पर दिया था। उम समय उन्होंने यह परामर्श दिया था कि यद्यपि एंग्लोइण्डियन समुदाय इन नियम का विरोध कर रहा था फिर भी उन्हे इस अधिनियम के पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी भारतीय का, संयद अहमद के विचार से, सम्मान नहीं बढ़ जायगा यदि अप्रेज़ों के भुक्ताने उसके समक्ष प्रस्तुत होने लगे उन्हे यह ही भय था कि कही मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह न हो जाये।^{२५} इसी प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए संयद अहमद ने कहा कि यह आन्दोलन प्रकृति के विरुद्ध था क्योंकि यदि विदेशी वस्तुएं अधिक मुन्दर बनी हुई हो तो अवश्य ही उनका प्रयोग अधिक होगा। इस आन्दोलन में देश भक्ति की कोई बात उन्हें नहीं दिखाई दी।^{२६} इतना ही नहीं बल्कि उन्हे इस बात पर अत्यधिक आवश्यक हुआ था कि कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक साधारण सभा में इगलेण्ड की लिवरल पार्टी को चुनाव में सफलता पर बधाई दी गयी। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा था कि यह विचार उचित नहीं था कि लिवरल सरकार भारत के लिए सामदायक है और कन्जर्वेटिव सरकार हानिकारक है।^{२७}

- सर संयद एक और तो मुसलमान जातीय गौरव में बहुत विश्वास रखते थे और दूसरी ओर उन्हे यह भी भय था कि प्रजातन्त्रीय तथा प्रतिनिधित्य के आधार पर मुसलमान भारत में एक गौण स्वान प्राप्त करें। इसलिए उनकी अप्रेज़ों के प्रति भक्ति धीमे-धीमे अधीनता के रूप में परिवर्तित होती गयी। अलीगढ़ नेता यह समझे

२३. लेखर्टों का मजमुदा, पृ. १०४।

२४. गजट, २३ मार्च १८७८, पृ. ३२५-३२६।

२५. गजट, ३ मार्च १८८३, पृ. २४१।

२६. गजट, १६ जून १८८३, पृ. ६८४-६८५।

२७. गजट, १५ सितम्बर १८८५, पृ. १०१८।

लगे थे कि प्रजातन्त्र के आगमन पर मुसलमानों के 'ऐतिहासिक योगदान' को केवल अप्रेज ही सुरक्षित रख सकते थे।

इसलिए सर संयद भारत को एक ऐमी तरानू के समान समझते थे जिसके दोनों पलड़े असन्तुलित थे। उनके अनुमार एक विदेशी शक्ति रूपी बटखरे की आवश्यकता थी जिससे हल्का पलड़ा भारी पलड़े के बराबर बन सके। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनसत्त्वा की विभिन्न जातियों में उचित सन्तुलन बनाये रखने के लिये आवश्यक समझते थे।^{२५} उन्होंने बहुत पहले यह घोषित कर दिया था कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानों में से किसी एक जाति का अधिकार भारत में स्थापित हो गया तो एक दिन के लिये भी शान्ति स्थापित न रह सकेगी। इसलिए मुसलमानों के हित में यह ही था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापी बना रहे।^{२६} अंग्रेजों के प्रति उनमें भक्तिभाव पैदा करने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। १८८७ ई० में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को उस कौम के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिनके साथ धर्म के अनुमार की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि "ईश्वर ने आदेश दिया है कि मुसलमानों का ईसाईयों के अतिरिक्त कोई और मिथ नहीं बन सकता।"^{२७} १८८८ ई० में सर संयद ने अंग्रेजों सरकार के प्रति निष्ठा का आधार भी कुरान बताया था। 'ईश्वर में अंग्रेजों को हम पर आपके बनाया है इसलिए हमें उनसे मैंश्री मध्यमध्य रखने चाहिए और ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिनमें उनका प्रशान्त और साम्राज्य हृद एवं स्थायी बना रहे'^{२८} एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा : 'ईश्वर की इच्छा है कि अंग्रेजी कौम हिन्दुस्तान में राज्य करे।'^{२९}

सर संयद अंग्रेज सरकार के प्रति भक्तिभाव को धार्मिक कर्तव्य समझते थे। जानवर में १८८४ ई० में एक भाषण में उन्होंने यसने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करने हुए कहा था

"मैंने सरकार जो कोई सेवा नहीं की बल्कि जो कुछ मैंने किया है वह आपने पवित्र धर्म और सच्चे हादी (धार्मिक मार्म-दर्शक) वी आज्ञाओं का पालन किया है। हमारे सच्चे हादी ने आदेश दिया है कि तुम जिस सरकार के अधीन हो उसकी आज्ञा का पालन करो.....जो कुछ सरकार की सेवा मुझने हुई है वह वास्तव में मेरे धर्म की सेवा थी।"^{३०}

एक हूमरे अवसर पर उन्होंने कहा था :

"हमें देखना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा क्या है.....इस समय में हमें ईश्वर

२५. परम, २० जनवरी, १८८३, पृ. ७८-८०।

२६. परम, १० निवार १८८१, पृ. १०२५, सफरनामा, पृ. १२४-१२५।

२७. संघर बहमद : फ्रेंचेट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, पृ. ४६।

२८. परम, पृ. ५०-५२।

२९. सफरनामा-ए-जाव, पृ. ११६-२६२; सेवकों का मजमुआ, पृ. १६।

३०. सफरनामा-ए-जाव, पृ. ४६ तथा पृ. २६१-२६२।

की मर्जी पह प्रतीत होनी है कि अंग्रेजी नेशन भारत में राज्य करे और हम उनके अधीन रहे और जो कुछ लाभ समझ ही उनसे प्राप्त करें।^{३४}

सर संयद और प्रतियोगिता परीक्षाएँ :

सर संयद अहमद का लक्ष्य उन उच्चकुलीन मुसलमानों तक सीमित था जो मध्य काल में राज्य के साधनों पर अधिकांशतः निर्भर करते थे। उन्होंने १८५८ ई० में स्पष्ट लिया कि देशवासियों के लिए नौकरी ही सबसे अच्छा व्यवसाय था। उनका यह भी तक था कि मध्य मुसलमान मध्यकाल में नौकरी पर निर्भर थे।^{३५} उन्हें अंग्रेजी प्रशासन से सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि मुसलमानों को मध्य वह सम्मान-पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था जो कुछ वर्षों पहले था। वे मुसलमानों को वही स्थान दिलवाना चाहते थे।

१८५८ ई० में भी सर संयद ने दो तक प्रस्तुत किये थे। उनका एक तक अपने सहायियों के लिए था जिसमें उनका कहना था कि परीक्षाओं द्वारा नौकरी प्रदान करने को पढ़ति सरकार नहीं थी। यदि उनमें से योग्यताएँ नहीं हैं जिनसे वे परीक्षा पास कर सकें तो उनका सरकार को दोप देना अनुचित था। अपने दूसरे तक में से सरकार से यह पूछने थे कि क्या इन्हलैण्ड में सर्वोच्च कूटनीतिज्ञ वे व्यक्ति ही थे जो परीक्षाओं द्वारा भर्ती किये गये हों? क्या बहुत से उच्च पदों पर ऊँचे कुल के लोगों को केवल जन्म के आधार पर ही नियुक्त नहीं किया जाता था?^{३६}

इन दोनों तर्कों से उनका लक्ष्य उन मुसलमानों के बंशजों की सोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करना था जिनके पूर्वज मध्यकाल में सम्मानपूर्ण पदों पर आमीन थे। सर संयद का यह दृढ़ विश्वास था कि किनी ममुदाय अदवा जाति को उस समय तक मम्मान नहीं मिल सकता जबतक उसके सदस्य सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त न हो। उनका कहना था कि मुसलमान यदि अपनी जाति का सम्मान चाहते थे तो उन्हें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी जाति के लोग सिविल सर्विस के पदों पर नियुक्त हो सकें।^{३७} आरम्भ में सर संयद इस बात के लिये प्रयत्नशील रहे कि मुसलमान युवक प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकें। जून १८६६ ई० में लन्दन से पत्र लिखते हुए सर संयद अहमद ने लिखा कि दो हिन्दू बम्बई से सिविल सर्विस परीक्षा के लिये आये हैं दो वे ही मुसलमान पीछे रह जाते हैं।^{३८} सरकारी नौकरी से पेन्नन प्राप्त कर लेने के बाद १८७७ ई० में उन्होंने उन सरकारी नियमों की आलोचना की जिनके भनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अमर्याधियों

३४. महरनामा-ए-रजाब, पृ० ११२।

३५. असवाब, पृ० ३५ तथा ४४।

३६. वही, पृ० ४४-४५।

३७. यजट, ७ अगस्त १८८३, पृ० ८८७; सफरनामा, पृ० ७७।

३८. घूर्त-ए-सर संयद, पृ० २५।

की घटिकतम ग्राम २१ वर्ष में पटाकर १६ वर्ष कर दो गयी थी। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर गभाये करने तथा इग निगम के विद्व प्रस्ताव पाठ करने पर वत दिया।^{४१} उन्होंने ट्रिटिंग इण्डिया एसोसिएशन को मुनर्जीवित किया और भारत में भी इन परीक्षाओं के करने पर वत दिया।^{४०} १८७३ ई० में साँड निटन द्वारा बनाये गये स्टेट्यूट्री सिविल सर्विस के नियमों की प्रसंगा करते हुए सर संघद ने यह ऐद प्रकृति किया था कि इससे "मुसलमान भागने दुर्भाग्य के कारण बहुत कम कायदा उठावेगे"^{४१} क्योंकि उनमें वी. ए. अथवा एम. ए. पास व्यक्तियों की सत्या कम है। १८८१ ई० में इण्डियन सिविल सर्विस के परिणाम पर टिणणी करते हुए उन्होंने लिया था कि उच्च कम कर देने के कारण भारतीयों को मिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता मिलना अत्यन्त कठिन हो गया था।^{४२} सर संघद आई भी ऐसे के गठन को ही पमन्द नहीं करते थे और इस पढ़ति को देश तथा सरकार दोनों के लिए हानिकारक समझते थे।

१८८३ ई० में उन्होंने एक मोहम्मदन सिविल सर्विस फण्ड की स्थापना की जिसमें प्रत्येक मुसलमान सदस्य को दो रपये महीना चन्दा देना होता था। इस चन्दे से योग्य मुसलमान विद्यार्थियों को सिविल सर्विस प्रतियोगिता के लिये इज्जलैण्ड भेजने की व्यवस्था की गई।^{४३} इस योजना का मब्दसे बड़ा लाभ यह था कि जब कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसे कौम के इस चन्दे से इज्जलैण्ड भेजा गया हो सफलता प्राप्त कर लेगा तब वह यह अनुभव करेगा कि उसे सम्मानित पद प्राप्त कराने में उसकी कौम का सबसे अधिक योगदान था। वह अपनी पूरी सामर्थ्य से कौम की मदद करेगा और यदि इस प्रकार के २०० या ३०० मुसलमान भी हो गये तब मुसलमानों की कौम क्या से क्या हो जायेगी।^{४४} इसी उद्देश्य से अगस्त १८८३ ई० के पश्चात् अलीगढ़ कॉलेज में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए विशेष बलास खोली गई थी यद्यपि संघद अहमद को यह विश्वास था कि मिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना

४६. गजट, २३ मार्च १८७३, पृ० १८७ १८८।

४०. गजट, सप्लीमेंटरी अक., २६ जून १८७३, पृ० १-४।

४१. गजट, ६ सितम्बर १८७६, पृ० १००६-१०१०।

४२. गजट, ५ नवम्बर १८८१।

४३. गजट, ११ अगस्त १८८३, पृ० ६१०-६१२।

४४. गजट, ५ जनवरी १८८४, पृ० २८। जब सर संघद से १८८४ ई० में यह पूछा गया कि उसने इन योजना को केवल मुसलमानों तक ही क्यों सीमित रखा? तब सर संघद ने भिन्न औचित्य प्रस्तुत किया था और कहा कि मुसलमान विलायत जाने में कोई आपत्ति नहीं समझते थे। यह तथ्यों के विपरीत या क्योंकि उनके भाषण के बन्त में जब उन्हें यह बताया गया कि हिन्दुओं को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं थी, उस समय भी सर संघद ने यह नहीं कहा था कि दोनों कोमों के लिए एक समिलित योजना बनाई जा सकती थी। अब; स्पष्ट है कि सर संघद सत्य बात नहीं कह रहे थे।

सफरनामा, पृ० १४०-१४१।

भ्रष्टान्त कठिन था। करवरी १८८४ ई० में संयद अहमद ने वहा कि प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए आयु घटा देने की शिकायत उचित है लेकिन यदि आयु की सीमा न भी बढ़ाई जाये तब भी निराश नहीं होना चाहिए ” ” आयु की सीमा घटा देने में परीक्षा के परिणाम में भारतीयों की क्या हानि है? १६ वर्ष की आयु में जिस प्रकार भारतीयों के ज्ञान की पूरी उन्नति नहीं होती उसी भावित एक धूरोधियन के ज्ञान की भी नहीं होती । ” ” इसलिए १६ वर्ष की आयु में झरना और निराश हो जाना अनुचित है।^{४३} मई १८८४ ई० में सर संयद ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अर्थधियों की आयु घटाने का विरोध किया था। लेकिन शोध ही उन्हें यह अनुमत ही गया कि खुनी प्रतियोगिता में मुसलमान विद्यार्थी वह भ्रष्टान्त प्राप्त नहीं कर सकते जो वे उनके लिए चाहते थे। गणित विषय में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष महत्व रखता था मुसलमान विशेषकर दुर्बल रहने थे और शास्त्रीय भाषाओं (परीक्षा का एक दूसरा विषय) में निपुणता प्राप्त करने में भी वे पीछे रह जाते थे।^{४४} इसलिए सर संयद ने स्वयं ही प्रतियोगिता मूलक भर्ती का विरोध किया था।

१८८७ ई० के अन्त में लखनऊ तथा मार्च १८८८ ई० में मेरठ के भाषणों में सर संयद ने सिविल सर्विस में प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती करने के सिद्धान्त को भी आलोचना की थी। उन्होंने लखनऊ में वहा कि प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षाओं का परिणाम यह होता है कि उच्च कुलों के तथा माधारण एवं निम्न कुलों के लोग समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं। उच्च कुल के लोग कभी भी निम्न कुल के अक्षियों के अधीन नहीं रहना चाहेंगे। उन्होंने तीन पूर्व शर्तें रखी जिनके पूरा होने के पश्चात् ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवाओं की भर्ती की जानी चाहिए। पहले उस देश में एक कौम के सदस्य रहते हों। “उस देश में यदि कई कौमों के लोग रहते हों जैसे भारत में हिन्दू, बगाली, मराठा आदि, तब उस समय तक प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए जबतक ये कौमें एक कौम न बन जायें, अथवा वे सब कौमें समान योग्यता उपलब्ध न कर चुकी हों” ” ” क्या मुसलमान अर्थेजी शिक्षा प्राप्त करने में उस स्थान तक पहुँच चुके हैं जो हिन्दुओं को प्राप्त हैं? कदापि नहीं” ” जब ऐसी स्थिति है तो प्रतियोगिता परीक्षाएं कैसे आरम्भ की जा सकती है? ” ” ” इसका परिणाम यह होगा कि सब जातियों (मुसलमान तथा राजपूत जौ अपने पूर्वजों की तलवार को नहीं भूले हैं) के ऊपर बंगाली स्थापित होंगे जो एक साधारण छुटा

४३. सफरतामा, पृ० २८०-२८१।

४४. अलीगढ़ आदेशन के एक नेता मीलबी समीउल्लाखा को १८८३ ई० में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर सरकार ने नियुक्त किया था इस नियुक्ति को बगाली प्रेस में इस आधार पर तीव्र आलोचना हुई कि वे अर्थेजी भाषा से परिचित नहीं थे। इससे सर संयद तथा अन्य नेता बहुत दुख्य हुए और प्रतियोगिता पद्धति के विरोधी बन गये। बाद में कॉन्वेंज के अर्थेज बज्यापकों का योगदान भी इस विशेष के पक्ष में रहा।

भी और यदि उने स्थापित किया गया तो यह अत्यन्त गराब होगी।^{५५}

१८८३ ई० में मध्यप्रदेश के स्थानीय स्वशासन वित पर विचार-विमर्श के समय सर संयद महमद गाँवे ने भारतीय सेजिस्टेटिव कोमिटी में बहा पा कि "इंग्लैण्ड की प्रतिनिधि-प्रणाली प्रणाली को अपनाने हुए हमें उन गामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये जिनमें भारत इंग्लैण्ड से भिन्न है..... निर्वाचन पद्धति द्वारा प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ केवल जनसंख्या के बहुमत के हितों और हृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन भारत में जहाँ विभिन्न जातियों का मिलन नहीं हुआ है और धार्मिक मतभेद अत्यन्त जटिल है वहाँ निर्वाचन प्रणाली का परिणाम विभिन्न महत्वपूर्ण दोपों को जन्म देना है..... और जबतक जाति, धर्म और वर्गों के मतभेद भारत के सामाजिक, राजनीतिक जीवन को तथा उमके निवासियों को प्रभावित करते रहेंगे, साधारण निर्वाचन पद्धति स्वीकार नहीं की जा सकती।"^{५६}

अलीगढ़ नेताओं का यह भी तर्क था कि प्रजातन्त्र का परिणाम पालियामेन्ट में तथा देश में दो दलों का निर्माण होना है। यदि दो से अधिक दल हों तब प्रजातन्त्र असफल होता है। उन्होंने इस तर्क को और आगे बढ़ाकर यह भी कहा कि यह दोनों दल भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के होते हैं।^{५०} यह तर्क अत्यन्त भयानक था तथा समस्त राजनीति को माम्रदायिक आधारों पर ढालने के लिये उत्तरदायी हुआ। इस आधार पर मुसलमानों के लिए राजनीतिक भविष्य अत्यन्त भयानक रहा वयोंकि एक ग्रल्पसंघर्षक दल (मुसलमान) बहुसंघर्षक (हिन्दू) दल नहीं बन सकता था। यह तर्क उस समय मुसलमानों को स्वाभाविक लग सकता था लेकिन यह गलत था वयोंकि राजनीतिक दलबन्दी के लिये धार्मिक आधार आवश्यक नहीं था। भारतीय राजनीति में इस प्रकार का तर्क पहली बार संयद महमद खाँ ने ही प्रस्तुत किया था। राजनीतिक अथवा आर्थिक आधारों की अवेक्षा धार्मिक आधारों पर राजनीतिक दलबन्दी का गठन संयद अहमद खाँ तथा उनके अनुयाइयों की ही देन है।

इस प्रकार वे आधार संयार हुए जिन पर अधिकार मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन आधारित रहा। मुसलमानों के विशिष्ट हितों को बहुसंघर्षक हिन्दुओं से कल्पित भय की ऐसी गुत्थी लड़ी कर दी गयी जिसे उस समय तक हल नहीं किया जा सकता था जबतक 'विशिष्ट अधिकारों' और हितों का विचार खण्डित न कर दिया जाये। सर संयद का नेतृत्व और मुसलमानों की विशिष्ट सुविधाओं का आकर्षण इतने प्रभावशाली हुए कि कोई मुस्लिम विचारक उस समय तक मुसलमानों में प्रभावशाली नहीं बन सका जबतक उसने इन विचारों का समर्थन न किया।

५५. ग्रेट, २३ नवम्बर, १८८६, पृ० १३३७-१३३८।

५६. वही, २० जनवरी, १८८३, पृ० ७५-८०।

५०. वही, २३ नवम्बर, १८८६, पृ० १३४०।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस का विरोध :

प्रजातन्त्रीय प्रणाली तथा प्रतिनिधित्व निदान और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सेवाओं की भरती के विरुद्ध होने से कोई ऐसा आधार ही गोप नहीं था जिस पर सर संयद कांग्रेस से सहमत हो सकते। एक राजनीतिक संगठन बन जाने तथा उसे सरकार का ऊपरी समर्थन उपलब्ध होने से सर संयद को अपना स्वप्न दूरता दिखायी पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि कांग्रेस की कुछ माँगे स्वीकार हो गयी तो मुसलमानों के उस वैभव के स्वप्न को जिसे उन्होंने पुनः स्थापित करने की सोच रखा था कभी साकार नहीं किया जा सकेगा। इसरी और प्रतिनिधित्व प्रणाली का परिणाम यह होगा कि शैक्षणिक योग्यता तथा सम्मति में बढ़े हुए होने के कारण हिन्दुओं को उच्च स्थान अधिक भाग में उपलब्ध होंगे।

इसीलिए वे समस्त आक्षेप जो उन्होंने बंगालियों तथा कांग्रेस आन्दोलन ममवंकों पर लगाये उचित नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस आन्दोलन को बंगाली मित्रों द्वारा मुसलमानों को कुचलने का प्रयास बताया। उन्होंने इसकी तुलना एक गृहयुद्ध से की क्योंकि गृहयुद्ध का अभिशाय भी शक्ति का हस्तान्तरण होता है। वह यह सहन नहीं कर सकते थे कि हिन्दुओं को प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जायें इसलिए उन्होंने निर्वाचन पद्धति का विरोध किया था। उन्होंने अपने लखनऊ भाषण में कहा कि निर्वाचन पद्धति के बया परिणाम हुए? किसी भी नगर में हिन्दू और मुसलमान समान हृप से निर्वाचित नहीं हुए हैं।^{११} मेरठ में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व प्रणाली उसी समय सम्भव थी जबकि शासक और प्रजा एक ही कोम के हों। ऐसे देश में जहाँ विदेशी शासन करते हों प्रतिनिधित्व आधार पर शासन की स्थापना की कल्पना व्यर्थ है तथा ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलता था।

सर संयद और राजनीतिक संगठन :

सर संयद मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त देखना चाहते थे जिससे वे उस खोये हुए वैभव को प्राप्त कर सकें जो उन्हें १७वीं शताब्दी में प्राप्त था। सर संयद कुलीन मुसलमान वंशों के उत्थान का आधार केवल अंग्रेजों की हृपा ही समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त आवश्यक योग्यता वाले बहुत में मुसलमान युवकों की मंस्त्या बढ़ जाने को वे मुसलमानों की प्रगति के मार्ग में बड़ी उपलब्धि मानते थे।

अंग्रेजों के प्रति भक्ति की नीति के फलस्वरूप सर संयद अंग्रेज प्रशासकों में उदार व्यवहार की आशा करते थे। वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं ने वीछे नहीं रहना चाहते थे। उनकी इस महत्वाकांक्षा को केवल अंग्रेज़ ही पूर्ण कर सकते थे। अलीगढ़ आन्दोलन के एक अन्य नेता हाजी मोहम्मद इम्माइल खां ने कहा: “सज्जनों,

आज वह समय नहीं है कि हम भूतकाल की भाँति शान्त रहें। हमारे देश की दूसरों कीम अथवा हमारे देशीय हिन्दू भाई हमसे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं……“यदि हम अपनी पुरानी पॉलिमी न छोड़ गे और अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति के स्थान पर शान्ति की नीति अपनायेंगे तो हमें अपने लिये और आगामी पीढ़ियों के लिये अत्यन्त हानिकारक परिणामों की आशा करनी चाहिए”……जबकि देश की दूसरी कीम बहुत होशियार है तो हमें भी होशियार होने की शत्यकित आवश्यकता है।^{१०} सर संपद अहमद ने स्वयं १८८७ ई० में लखनऊ में कहा था : “सज्जनों, अब समय ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने होनहार पौधों के पालने से सन्तुष्ट हो जायें बल्कि समय ने प्रतियोगिता के मैदान में बहुत शक्तिशाली और योद्धा पहलवान (शिक्षित हिन्दू) खड़ा कर दिया है इसलिए जबतक हम भी अपनी कीम के नौजवानों को मैदान में न सायें हमारी सफलता सम्भव नहीं”^{११}।^{१२} जहाँ १८८३ ई० में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इण्डियन नेशनल कान्फरेंस की स्थापना की थी उसी वर्ष अन्नीगढ़ आन्दोलन के नेताओं ने भी अप्रैल १८८३ ई० में मोहम्मदन पोलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

- (१) विटिश राज्य की भलाई के साथ-साथ मुसलमानों की सासारिक उन्नति तथा वृद्धि के लिये प्रयत्न करना तथा इस कार्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक साधन जुटाना।
- (२) विभिन्न विविध प्रस्तावों पर (जो व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों की भलाई के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं) विचार करना और आवश्यकतानुगमार उनको सरकार के समक्ष अत्यन्त आजाकरिता के साथ व्यक्त करना।
- (३) मुगलमानों की आवश्यकताओं पौर अधिकारों को तथा देश की भलाई और उन्नति की योजनाओं को अत्यन्त विनीत रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (४) ऐसे कार्यों के विषय में सरकार को मूलना देना जो देश की उन्नति में बाधाजनक हो।^{१३}

मैरपद पहमश्श याँ इस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे उन्होंने इसकी स्थापना वो एक ऐसी घोरधि के समान बनाया था जिसे न्वस्थ व्यक्ति इस उद्देश्य में पासे पास रखने थे कि आवश्यकता के समय बाम आवे। उस समय इसकी इनी आवश्यकता नहीं थी जिनकी भविष्य में यह मरनी थी। यह संस्था केवल रईसों और मामलों तथा उनके वंशजों मात्र के लिये ही थी।

१०. पर्याप्त, ३ अप्रैल, १८८३, पृ० ३५।

११. लेखकों का प्रबन्धन, पृ० २२।

१२. पर्याप्त, ३ अप्रैल, १८८३, पृ० ३५।

मह संस्था अधिक समय तक सक्रिय नहीं रही। संभवतः यह अधिक प्रभाव-शान्ति नहीं बन मरनी थी। १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना के पश्चात् सर संयद ने भी उसी प्रकार के एक मंगठन की आवश्यकता प्राप्त भव को। सर संयद यह जानते थे कि मुसलमानों को किसी एक राजनीतिक मंच पर संगठित करना बहुत कठिन कार्य या क्योंकि प्रजातन्त्र और शतिनिधित्व मिलान्ती से उनका सद्य पूरा नहीं हो सकता था। घर्मं जो उन्हें एकता के मूल में बोधे हुए था एक ऐसा संगठित राजनीतिक मन्द तैयार करने में सहायक नहीं हो सकता था। वर्तोंकि इस आधार पर इमका नेतृत्व पार्मिक नेताओं के हाथों में होता और सर संयद के धार्मिक विचारों के प्रति पहले से ही प्रतिक्रिया बहुत उत्तम थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा के नाम पर गमस्त प्रान्त (कालान्तर में गमस्त देश) के मुसलमानों को एकत्र करना चाहा। उन्हें यह प्रेरणा नेशनल कॉंग्रेस से मिली थी। इस विचारधारा के लिये पहला तर्क यह है कि १८७८ ई० उन्होंने इस प्रकार के शिक्षा सम्मेलन कान्फरेन्स का विरोध किया था।^{६५} दूसरे सर संयद ने इस कान्फरेन्स का संगठन करते समय ही अपने मित्रों से बहा था कि हम इस कान्फरेन्स में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने में इतनी ताकत नहीं देखते।^{६६} तुष्ट वर्षों बाद यह बात स्वीकार की गई कि मुसलमानों में कौमियत (राष्ट्रीयता) की भावना पैदा करने का इससे अच्छा कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता था।

इम अध्ययन पर सर संयद ने कहा था कि यद्यपि सब मुसलमान एक कौम के सदस्य थे लेकिन उनमें कौमियत की भावना की बहुत अधिक कमी थी। “एक स्थान के रहने वाले दूसरे स्थान के रहने वालों से ऐसे ही अपरिचित हैं जैसे कोई अजनबी कौम एक-दूसरे की स्थिति में अपरिचित हो………एक स्थान पर एकत्र होने में और एक उद्देश्य अर्थात् कौमी भलाई, कौमी तालीम, कौमी उन्नति के लिये एकत्र होने में पुनः कौमी सहानुभूति हममें उत्तम हो अवश्या जितनी है उसमें वृद्धि हो”^{६७} इस कान्फरेन्स का उद्देश्य कौमी प्रयत्नों को संगठित करना था।

इसी कान्फरेन्स के रंगमंच से ही सर संयद ने १८८७ ई० में नेशनल कॉंग्रेस का विरोध किया था। लेकिन इस विरोध को अधिक सक्रिय बनाने के लिये उन्होंने एक ‘इण्डियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन’ की स्थापना की थी। इस मंगलवार का नाम मुस्लिम जनभत का गठन करना तथा मामनीय और मंडिवादी तन्दों का गण्डीय आन्दोलन के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना था। बाद में इस एसोसिएशन के नाम में ‘मूनाइटेड’ शब्द और जोड़ दिया गया था। इस एसोसिएशन के नियन्त्रित उद्देश्य थे :—

६५. वही, २३ फरवरी १८८५, पृ० २१५-२१६।

६६. वही, ८ जून, १८८६, पृ० ६६२।

६७. एज्यूकेशनल कॉन्फरेन्स ट्रिपोर्ट, १८८६ अप्रिल, पृ० १२-१३।

- (१) इण्डियन नेशनल कॉमिटी के समर्थकों द्वारा किये गये उन गम्भीर प्रयत्नों का खण्डन करना जिनसे इंग्लैण्ड की जनता को यह आशवासन दिलाने का प्रयत्न किया गया था कि समग्र जनता कॉमिटी के उद्देश्यों में सहमत थी।
- (२) मुसलमानों के विचारों से तथा कॉमिटी विरोधी हिन्दुओं के विचारों से इंग्लैण्ड की पालियामेन्ट के मदर्सों को घबगत करना।
- (३) अंग्रेजी राज्य को दृढ़ बनाना तथा भारत में भान्ति मुरदित रखने का प्रयत्न करना।^{६५}

संयद अहमद इस सत्यामें कुछ हिन्दू सामन्तों को सम्मिलित करने में सफल दुए। उनको आशा थी कि उनके कांग्रेस विरोधी प्रचार से अंग्रेजी सरकार इण्डियन नेशनल कॉमिटी की माँगों को दुकरा सकेगी लेकिन १८६२ ई० में इण्डियन कॉमिल्स एकट के पास हो जाने से यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों के हितों के समर्थन के लिये कुछ अधिक प्रदत्तशील तथा क्रियाशील होने की आवश्यकता थी। इस प्रकार सर संयद जो पहले कुछ न करने तथा अंग्रेजी सरकार पर पूर्ण रूप से आन्ध्रित रहने के समर्थक थे अब कांग्रेस विरोधी प्रचार से सन्तुष्ट न होकर मुसलमानों के लिये एक समर्थक राजनीतिक भव्य तैयार करने में जुट गये।

यह कार्य शीघ्र ही हो गया। दिसम्बर १८६३ ई० में अलीगढ़ में 'मोहम्मदन एग्लो ओरियन्टल डिफेन्स एसोसिएशन' की स्थापना की गई। इस एसोसिएशन की स्थापना के दो मुख्य कारण थे। पहला यह था कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ माँगों को स्वीकार कर लिया गया था तो यह आवश्यक हुआ कि मुसलमानों के विशिष्ट हितों के लिये कुछ सुरक्षाओं की माँग की जाये।^{६६} दूसरा यह था कि कांग्रेस की आक्षिक सफलता से मुस्लिम युवा वर्ग में खलबली मचना स्वाभाविक ही था। वे अब शान्त बैठने वाले नहीं थे। इस वर्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोकने के लिये यह आवश्यक था कि उनके माँग को प्रशस्त करने के लिये कोई मुस्लिम राजनीतिक संस्था भी हो।^{६७} डिफेन्स एसोसिएशन का लक्ष्य मुसलमानों को एक पृथक् राजनीतिक शक्ति बना देना था। इस सत्यामें निम्न उद्देश्य थे^{६८}।—

- (१) भारत सरकार तथा इंग्लैण्ड की जनता के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक हितों की उप्रति के लिये प्रयत्न करना।

६५. पैट्रिओटिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित वैभवलेट नं० २, परिशिष्ट १, (१८६८, इलाहाबाद)।

६६. अलीगढ़ कालेज मैगजीन, दिसम्बर १८६६, पृ० ५०६।

६७. गजट, ३० जनवरी १८६४, पृ० ११७।

६८. अलीगढ़ कालेज मैगजीन, जनवरी १८६५, पृ० २४-२५, गजट, ६ अप्रैल १८६४, पृ० ३५४-३५५।

- (२) मुसलमानों में व्यापक राजनीतिक मान्दोलन को उभड़ने न देना ।
- (३) अंग्रेजी सरकार तथा साम्राज्य की सुरक्षा और स्थापित्व को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का समर्थन करना ।
- (४) भारत में शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्न करना और साधारण जनता में निष्ठा और भक्ति की भावना को प्रोत्साहन देना ।

मोहम्मदन डिफेन्स एसोसिएशन की स्वापना सर संयद के राजनीतिक चिन्तन का ही परिणाम थी । इसके लिए किसी भी बाह्य कारण की खोज निरर्थक है । प्रोफेट गुरुमुखनिहालसिंह का यह अनुभान है कि सर संयद के पुत्र संयद महमूद को बलपूर्वक इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवकाश दिलवा देना इसके लिये उत्तरदायी था । यह सर्वथा तथ्यों के विपरीत है । संयद महमूद पर अदालत में शराब पीने और मुकदमों में अत्यधिक वित्तन्व करने तथा अदालत के नियमों का उल्लंघन करने के आक्षेप मुख्य न्यायाधीश द्वारा लगाये गये थे ।^{७२} उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का लेपिटनेन्ट गवर्नर, श्रीस्थवाइट, सर संयद के प्रति अत्यन्त कृपालु था । इसलिए उसने यह कह कर संयद महमूद का अपराध कम करने का प्रयत्न किया कि इस भगड़े में गलतफहमी बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी लेकिन अन्त में उसे भी लिखना पड़ा था कि संयद महमूद को पुनः कार्य करने की अनुमति देना असम्भव नहीं भी हो तो अनुचित अवश्य होगा ।^{७३} संयद महमूद को चिकित्सकीय अवकाश पर सेवा निवृत्त कर दिया गया जिससे उन्हें पेनशन दी जा सके । यद्यपि उसकी सेवा की अवधि इतनी नहीं थी कि उन्हें यह लाभ दिया जा सके ।^{७४} इस प्रकार संयद महमूद को सेवा निवृत्त करने में भी भरकार ने संयद अहमद के पुत्र का पक्ष लिया था ।

इस एसोसिएशन ने योहे समय तक ही (१८६३-६६) कार्य किया । तीन वर्षों की कार्य-अधिकारी में इसने वे सब मार्गें प्रस्तुत की जिन्हें मुस्लिम लीग ने १८०६ ई० में प्रस्तुत किया था । यदि इस एसोसिएशन के कार्यों पर व्यान दिया जाये तो मुसलमानों के अधिकारों के विषय में सर संयद के विचार स्पष्ट हो जाते हैं । वे चाहते थे कि प्रतियोगिता के आधार को समाप्त करके मुसलमान छात्रों को रुड़की इन्जिनियरिंग कॉलेज में भर्ती किया जाये । १८६६ ई० में मुस्लिम भागों का एक विस्तृत व्यौरा तैयार किया गया जिसमें व्यवस्थापिका समा, म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड में मुसलमानों वो 'उचित' प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने की बात कही गई थी । इसके अनुसार मुसलमानों के लिये उत्तर-पश्चिमी प्रान्त को व्यवस्थापिका समा में हिन्दुओं के समान प्रतिनिधित्व की मार्ग की गई थी यद्यपि हिन्दू, जनसंघ में, मुसलमानों से प्रायः ६ गुना अधिक थे । सर संयद का तर्क था कि मुसलमानों का भूतकालीन

७२. होम बूझीशियन, बनवारी १८६३, नं० १०-२६ ।

७३. होम बूझीशियन, अगस्त १८६३, नं० १४४-१८६ ।

७४. होम बूझीशियन, अक्टूबर १८६३, नं० २७४-३०२, बनवारी १८६४, नं० १४५-१४७ ।

ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक राजनीतिक भूहत्व किसी प्रकार हिन्दुओं से कम नहीं था।^{७५}

इसी के साथ-साथ मर सैयद ने मुसलमानों के लिये साम्राज्यिक प्रगतिशीली के आधार पर पृथक् निर्वाचित पदों की स्थापना की माँग की। म्युनिसिपल बौमिलो और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में मुसलमानों के लिये अधिक प्रतिनिधित्व की माँग की। उसके लिए तीन सिढ़ान्तों की व्याख्या की गई—(१) जिन नगरों में मुसलमान जनसंख्या १५% तक थी वहाँ कम से कम एक मुस्लिम सदस्य ध्वनश्य होना चाहिए। (२) जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या १५% से २५% तक थी वहाँ मुसलमान सदस्यों की संख्या यथातम्भव आधी होनी चाहिए। (३) जिन नगरों में मुसलमान जनसंख्या २५% से अधिक थी वहाँ आधे सदस्य ध्वनश्य मुसलमान होने चाहिए।

यह सब माँगे इसलिए शौपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि इन्हे पहले इंगरीज में कुछ अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सहमति के लिये भेजा गया था।^{७६} १८६८ ई० के आरम्भ में सर सैयद की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

सर सैयद और सर्वेइस्लामवाद :

१९वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में अंग्रेजी सरकार के मुसलमानों की निष्ठा पर सन्देह वा एक प्रमुख कारण यह भी था कि उनमें भारत के बाहर के इस्लामी राज्यों के प्रति सहानुभूति एवं भक्ति की भावना व्याप्त थी। विश्व के विभिन्न इस्लामी राज्यों के मुसलमानों में धार्मिक आधार पर भावनात्मक एकता पाई जाती थी। सर सैयद के लिये यह आवश्यक-सा था कि वे यह मिद करें कि भारतीय मुसलमान केवल अंग्रेजों के प्रति ही भक्ति-भाव रखते थे तथा वे भारत के बाहर किसी भी मुसलमान राज्य पर अंग्रेजों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार में प्रभावित नहीं होंगे। १८७१-७२ में उन्होंने ३०० हून्टर की पुस्तक का काढ़ा उत्तर दिया था। अपने इस हाटिकोण को भी अधिक स्पष्ट करने का सबसे पहला अवसर रुटा-तुर्की युद्ध और बर्लिन सन्धि (१८७८ ई०) से उपलब्ध हुआ। इन घटनाओं में इंगलैण्ड ने तुर्की का समर्थन नहीं किया था। अंग्रेजी सरकार को भारतीय मुसलमानों की तुर्की के सुल्तान के प्रति भक्ति पर सन्देह था। मद्दा के मुस्लिम अधिकारियों ने ईसाईयों के विरुद्ध मुसलमानों की महानुभूति प्राप्त करने के लिये अपील प्रकाशित की थी। तुर्की के सुल्तान का अपने-ग्रामों को समस्त इस्लामी जगत् का नेता अथवा सलीफा घोषित करना इस सन्देह वा आधार था। इस आधार को मुस्लिम जगत् ने साधारणतया नीकार किया था।

अंग्रेजी सरकार वा यह सन्देह व्यर्थ नहीं था जैसा कि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् भी स्पष्ट हो गया था। तोकिन सर सैयद ने विनाफत के विचार का समर्थन

७५. अलीगढ़ बलिज मैगज़ीन, दिसम्बर १८६९, पृ० ५०७-५१६।

७६. अलीगढ़ बलिज मैगज़ीन, करवारी १८६७, पृ० ६०।

करने से इन्कार किया। सर संयद के अनुमार तुर्की का मुल्तान किसी के लिये भी खलीफा नहीं था और भारत के मुसलमानों के लिये तो बिल्कुल ही नहीं था। उसके अनुमार शियाओं का खलीफा भी ही विश्वाम नहीं था और सुन्नियों के लिये उस समय कोई खलीफा नहीं था। सबमें विचित्र बात तो सर मंपद ने यह कही कि केवल एक अरव जाति का व्यक्ति ही खलीफा हो सकता था। तुर्की का मुल्तान हाशिम या फानिमा का उत्तराधिकारी नहीं था, न वह कुरेश कबीले का बंशज था। इसलिए वह खलीफा हो ही नहीं सकता था। सर संयद के यह विचार विभिन्न इस्लामी सेवकों से भिन्न थे। उनका लक्ष्य मुसलमानों की अंग्रेजों के प्रति अदृट भक्ति मिद्द करना था। उनका पदापातपूर्ण हृष्टिकोण इस बात से स्पष्ट होता था कि वह इंगलैण्ड को विश्व के मुमल्मानों का दायां और तुर्की को बायां हाथ समझते थे।^{७७}

१८७८ ई० के बर्लिन समझौते से इंगलैण्ड ने तुर्की के साईप्रेस प्रदेश पर अधिकार तथा तुर्की के एशियाई प्रदेश पर एक प्रकार का संरक्षण स्थापित किया था। उस समय भारतीय मुसलमान नेताओं में सर संयद ही ऐसे नेता थे जिन्होंने इंगलैण्ड के इस हस्तक्षेप को चर्चित ठहराया और इस बात पर खेद प्रगट किया कि इंगलैण्ड ने अधिक नियन्त्रण स्थापित नहीं किया। तुर्की पर संरक्षण उभकी विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा में सहायक सिद्ध होगा। साइप्रस पर अंग्रेजी नियन्त्रण आवश्यक था क्योंकि तुर्की के पास समुद्री बेढ़ा नहीं था जो उस द्वीप की सुरक्षा कर सकता।^{७८}

अंग्रेजों को यह सन्देह था कि १८७८ की बर्लिन सन्धि से तुर्की के द्वाकड़े कर दिए जाने से मुसलमान बहुत भ्रस्तचक्षुप्त होंगे। साहं नाथ ब्रूक (भारत के भूतपूर्व अंग्रेजी गवर्नर जनरल) ने हाउस ऑफ लाइंस में इसी प्रकार का एक भाषण दिया था। सर संयद ने विश्व के अन्य मुस्लिम राज्यों को उदाहरण देकर यह बताया कि वे सब अयोग्य थे। उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया या कि भारत में बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो अंग्रेजों की तुलना में किमी भी मुसलमान प्रशासक का समर्थन करेंगे।

अपनी इस नीति का आधित्य बताते हुए सर संयद ने कहा था कि आधुनिक समय में धार्मिक परम्पराओं की अपेक्षा राजनीतिक हित अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्पत्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध थी इसीलिये वे अच्छे एवं माजाकारी नागरिकों की भाँति जीवन व्यतीत करेंगे। अपनी नीति को तकंसंगत मिद्द करते हुए उन्होंने बताया था कि कोई भी कौम अपने सामाजिक और राजनीतिक हितों को एक दूसरी कौम के लिये जो दूर रहती हो त्याग नहीं कर सकती थी। एकता का सबमें बड़ा आश्वार विस्तीर्ण में लगातार भाष्य रहने रहना था और यह सम्बन्ध धार्मिक और जातीय हिन्दों वी अपेक्षा प्रधानता प्राप्त किये

७७. गद्द, १६ जून १८७८, पृ० ३८३।

७८. यही, १३ जूलाई, १८७८, पृ० ८०६।

हुए था ।^{५४} वे मह विश्वाम दिनाना चाहते थे कि भारत के मुसलमानों का तुर्की के गाय उसी प्रकार का गम्यन्ध था जैसा तुर्की के रहने यांत्रों का प्रदर्शन के निवारियों के साथ था ।

सर संयद ने तुर्की के पुनर्जीवन की समस्त घागारे द्वोड दी थी और कि मुस्लिम के बादों पर विश्वाम नहीं रिया जा सकता था । उन्होंने तुर्की की ईगाईयों के प्रति अध्यवहार की कट्ट खालोचना भी भी । उनका यह विश्वाम था कि ईगाईयों के प्रति नीति परिषदनं के तुर्की के कोई भी प्राद्यामन पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पुरानी प्रामिक गामाजिक तथा राजनीतिक परमाणुओं में घनपे रहने के कारण तुर्की के शासकों का दृष्टिकोण अत्यन्त गवोरण हो गया था । तुर्की में गम्यन्ध मुराई वो जह उनेमांगों पर गुट था जो अत्यन्त घनानी था तथा राजनीति एवं प्रभागमन के भूल मिठानों में अपरिचित था । संयद अहमद का विश्वाम था कि तुर्की के पुनर्जीवन वो उम ममय तक कोई आशा नहीं थी जबकि उनेमांगों के गम्यूह को काने गागर में न दुवा दिया जाये ।^{५०}

मगर संयद अपने मन में यह जानते थे कि जो कुछ ये तुर्की के विषय में कह रहे थे वह सत्य नहीं था इसलिए अपनी अन्तिम शृंति "आमरी भजामीन" में उन्होंने पांच नियन्ध इसी विषय पर लिये ।^{५१} उनका अभिप्राय था कि तुर्की के मुस्लिम का भारतीय मुसलमानों ने कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था और उगे खलीफा अथवा धार्मिक नेता स्वीकार करना भी उचित नहीं था । उन्होंने यह प्राद्यामन दिलाने का प्रयत्न किया था कि सब इस्लामवाद का भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं था । सर संयद का यह मिठान्त पूर्णतया राजनीतिक संश्यों को प्राप्त करने के लिये बनाया गया था ।

तुर्की के प्रति ही नहीं बल्कि सर संयद को अन्य मुस्लिम राज्यों के प्रति भी कोई सहानुभूति पैदा नहीं हुई यदि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवादी हितों का विरोध किया था । इगलेण्ड के द्वितीय अफगानिस्तान युद्ध (१८७८-१८८१) में सर संयद पूरी तरह से अफगानिस्तान विरोधी था । उन्होंने अफगानिस्तान का हस समर्थक दृष्टिकोण अत्यन्त हानिकारक बताया था । अलीगढ़ के नेताओं के अनुसार न तो अफगानिस्तान स्वतन्त्र था और न उसे स्वतन्त्र विदेश नीति का अधिकार था । उनकी दृष्टि से मुख्य तथ्य यह था कि क्या हस को भारत की उत्तर-शिंचमी सीमा पर नियन्त्रण स्थापित करने दिया जाये ? वे अफगानिस्तान को असम्भव तथा अपने बादों को तोड़ने वाला समझते थे । अफगान जाति को अज्ञानी और अविश्वसनीय मानते थे । १८७७ ई० में ही जब अफगानिस्तान ने अंग्रेजी राजदूत का स्वागत करने में

५६. सर संयद ने यह तर्क अंग्रेजों के प्रति भक्त होने के लिये प्रत्युत दिया था लेनिन द्वितीय

मुसलमानों के आपसी साक्षात्कारों की बर्चा करते समय वे इसे भूल देते थे ।

५०. गजट, १० अगस्त, १८७८, पृ० ६२१ ।

५१. आमरी भजामीन, निकाय न० १४, १६, १८, १९, २६ ।

इन्कार कर दिया था तब सर सैयद के अनुसार अप्रेजी को युद्ध घोषित कर देना चाहिए था। अलीगढ़ के मुमलमान नेता लाईं लिटन से भी अधिक साम्राज्यवादी हितों के समर्थक थे। युद्ध आरम्भ हो जाने के बाद उन्होंने विभिन्न समाजों में नीति के ग्रीचित्रप के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये और अफगान युद्ध से प्रारम्भिक सफलता पर अप्रेजी सरकार को बधाई दी।^{५२} बाद में जब अप्रेजी नीति को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा तब वे अफगानिस्तान के अप्रेजी साम्राज्य में विलय को बात करने लगे।

इसी प्रकार सर सैयद ने अप्रेजी सरकार द्वारा अवैकेपिण्डिया पर १८८२ ई० में ब्रम वर्षा को उचित छहराया और जब अप्रेजी सरकार भिश के उपद्रवी नेता अरबी पाशा को बन्दी बना लेने में सफल हो गई तब सर सैयद ने सरकार को उसकी सफलता पर बधाई दी।^{५३}

हिन्दी उदू बाद-विवाद :

१८वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस भहत्त्वपूरण विषय पर विवाद आरम्भ हुआ। अप्रेजी प्रशासन ने विभिन्न प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाषाओं को स्थानीय न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रयास किया था। इसी आधार पर बंगला तथा उड़िया भाषाओं को बंगाल और उडीसा में न्यायालयों की सरकारी भाषा बना दिया गया था। इसी आधार पर १८६८ ई० में बनारस तथा इसाहाबाद के कुछ नेताओं ने हिन्दी को उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के स्थानीय न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा तथा सैयद अहमद खाँ से इस विषय पर अपने निष्पक्ष विचार व्यक्त करने को कहा। आरम्भ में हिन्दी समर्थकों तथा सैयद अहमद खाँ ने प्रदेश की मिली-जुली भाषा को क्रमशः हिन्दी और उदू कहा। सैयद अहमद ने कहा कि “हमारे न्यायालयों की भाषा वही मिली-जुली भाषा होनी चाहिए जिसे आप हिन्दी और मैं उदू कहूँगा। इस प्रश्न पर बाद-विवाद निरर्थक है कि यह देवनागरी, रोमन अथवा फारसी लिपि के माध्यम से लिखी जाये क्योंकि हमारे न्यायालयों को कार्यपद्धति स्वयं यह बात स्पष्ट कर देगी कि कौनसी लिपि अधिक उचित है।” उन्होंने आगे कहा “यदि कोई व्यक्ति फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि के स्थापित करने के लिये उचित तरफ प्रस्तुत करे और हमें यह आश्वासन दे कि विना लेशमात्र कठिनाई के लिये परिवर्तन से हमारा कार्य चल जायगा तब मुझे इस परिवर्तन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।^{५४}

इस उत्तर में सैयद अहमदखाँ ने अपनी उदारता बनाये रखने का असफल

५२. ग्रन्ट, २ अगस्त, १८७६, पृ० ८५४-८५६।

५३. वही, १६ अक्टूबर, १८८२, पृ० १०४१-१०४२।

५४. मैयद अहमद का पत्र लार्ड प्रमाद सन्डेर के नाम : दि० ८ नवम्बर, १८६८ :

ग्रन्ट, २७ नवम्बर, १८६८, पृ० ७५५।

प्रवर्णन किया था। तब गंदर घट्टगढ़ को दृष्टि, एवं बाहरी दृष्टि उद्धृते जाती के लिए अधिक ऐसे थोर पह दिनी हो भिन्न भी तब उद्धृते इच्छा ॥१४॥ पाठ्यारा एवं पर्वती को गुरुत्वा रखने की पाठ्यारत्ना द्वारा ही ॥१५॥ दिनी के लिए दोनों का गढ़ने वह तर्जने पह था कि उद्धृते दिनी गुरुत्वाद्यों को द्वारा तात्पर्य दिल द्वारा था।

इस समय दिनी समर्थक धारणोरा दिनी पाठ्यार द्वयारा जारीद धारार पर नहीं था। दृष्टि द्वारा हिन्दू भी दिनी विरोधी थे। तब गंदर ने उद्धृते के लिए दोनों में दिनी की गुरुत्वा का भी तर्जने द्वारा दिया था लेकिन उद्धृते द्वारा दिनी की दुर्लभता का गोप्य ही द्वयार द्वया कोई बनाने के लिए अधिक गुरुत्वारत्न भारता का गुरुम निति द्वारा दिये जाने का तर्जने दिनी के लिए दोनों के द्वारा में था। इसलिए उद्धृते दिनी की गुरुत्वा गणा उद्धृते का अधिक दिव्यारुद्धरण में द्रव्यता होने का तर्जने द्वारा दिया। १८६१ ई० में धर्मन जाते गगड गंदर घट्टगढ़ थी ने धर्मन विभिन्न पत्रों में उद्धृते के दिव्यारुद्धरण भारता का दर्शन दिया था। धर्मदेव ने उद्धृते लिखा कि सोग यह! उद्धृते में बही गरुदता में दोनों बरते थे। उद्धृते द्वारा दि "दिन प्रसार गुरोरा में अपिरागार्या पांगीनी भारता द्रव्यता है उद्धृते भी बही अधिक गरुदन भारतरत्न में उद्धृते थोड़ी जाती है।" उद्धृते दिन में हिन्दी समर्थक धारणोरन चुभा द्वया पा इसलिए उद्धृते दिया दि यह प्राप्तीन भारता (दिनी) दिये इनारावाद एनोगियेगत जाहीरी भी कही भी नहीं लिखी। १६ इसी प्रसार धर्मन ने भी उद्धृते लिखा दि "धर्मन तरु तो उद्धृते भारता का गाम्भार्य द्वयारित है।" १७

"ह्यात-ए-जावेद" के सेतार इस याद-विवाद के धारन्म वो तारतम्य थो तारतम्य के साम्बद्धाविक होने के लिये उभरत्वाद्यो द्वारा देते हैं। उनका लिखा है कि इस लिखना के पश्चात् तरु गर गंदर वेदन मुग्नतमानो के हितों के समर्थक द्वारा देते हैं। १८ यह तर्जने पूर्णतमा अनुचित है। हिन्दी-उद्धृते याद-विवाद में धारन्म में कोई गाम्बद्धाविकास नहीं थी। एक तत्त्वालीन सेगक ने धर्मोद्धरण गवर्ट में रख्यं यह यात बही थी कि हिन्दी के पश्चाती दिनी पाठ्यिक भावना से प्रेरित नहीं थे। १९ इनका ही नहीं बहुत से हिन्दू स्वयं हिन्दी विरोधी थे। २० यह दीत है कि संपद घट्टगढ़ इस याद-विवाद में धर्मन अपाकृत हो गये थे तथा धर्मन याद के पत्रों में थे यद्युत ध्रुव्य दिव्यार्द्द पत्रों थे और उद्धृते हिन्दी समर्थकों को शतानियों गुरानी एक सृतभावों के पुनर्जीवित करने के लिये प्रयत्नशील बताया था लेकिन इस समय तक निष्ठा लोग यह समझने थे कि

१४. दहो, पृ० ७५८।

१५. गवर्ट, ३० अप्रैल, १८६६, पृ० २८३।

१६. दहो, २५ जून, १८६६, पृ० ५१२; गवर्ट ११ जून, १८६६, पृ० ३७५-३७६।

१७. अलताक हुसैन हाली : ह्यात-ए-जावेद, द्व० १, पृ० १२३।

१८. गवर्ट, ५ जून, १८६६, पृ० १५७; गवर्ट १४ मई, १८६६, पृ० ३१३-३१४।

१९. प० गम्भूतार्थ, सेक्टेटरी, लिटरेरी शोगाइटी, काश्मीर, का पत्र : गवर्ट, ७ मई, १८६६।

प० २६६।

हिन्दी समर्थक आन्दोलन हिन्दुओं, माहूएं और अथवा बंगालियों के स्वार्थों पर निर्भर नहीं था।

सर संयद मुसलमानों की विगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में उन्हे हिन्दी समर्थक आन्दोलन ऐसा आन्दोलन दिखलायी पड़ा जिसे मुसलमानों को नौकरी मिलने की रही-सही सम्भावना भी जाती रहेगी। इसीलिये सर संयद ने हिन्दी समर्थकों का भरसक विरोध किया। १८६६ ई० में लन्दन से मोहम्मिन उलमुल्क को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने उद्दृ भाषा को फारसी लिपि में लिखना मुसलमानों की निशानी (चिह्न) बताया।^{६१} उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमान कदापि हिन्दी पर सहमत नहीं होंगे और यदि हिन्दू छढ़ हुए और उन्होंने हिन्दी पर जिद की तो वे उद्दृ पर सहमत नहीं होंगे और इसका परिणाम यह होगा कि हिन्दू और मुसलमान पृथक् हो जायेंगे।^{६२} दूसरे शब्दों में सर संयद अपनी शर्तों पर एकता चाहते थे। यदि हिन्दू किसी भी सुविधा अथवा लाभ की हट्टि से किसी परिवर्तन की बात कहें तो उन पर पृथक् होने का दोष लगाया जा सकता था।

सर संयद का यह कथन कि उद्दृ भाषा मुसलमानों की निशानी धी संवेद्य गलत था। बंगाल प्रान्त में मुसलमानों ने कभी इसके पक्ष में आन्दोलन नहीं किया और न ही उद्दृ भाषा मुसलमान अपने साय लाये थे। न यह भाषा उनके धर्म से किसी प्रकार से सम्बन्धित थी। सर संयद ने यह भी स्वीकार किया था कि उद्दृ मुसलमानों की मातृभाषा नहीं थी।^{६३} सर संयद का उद्दृ के प्रति समर्थन किसी साहित्यिक आधार पर भी नहीं था। उनका अभिप्राय केवल मुसलमानों के लिये नौकरी को अधिक सुविधाओं को उपलब्ध रखना था। आरम्भ में उन्होंने अंलीगढ़ कलिज में अरबी और फारसी विभाग भी स्थापित किये थे तथा उन्होंने उद्दृ अनुवाद के माध्यम से शिक्षा प्रमार पर बल दिया था लेकिन १८८० ई० तक उन्हे अपनी इस नीति से निराशा हो चली थी। उन्होंने १८८१ ई० में फारसी और १८८४ ई० में अरबी विभागों को बन्द कर दिया था। इन दोनों भाषाओं को अशानता का सूचक बनाया जाना था। उन्होंने मुसलमानों को अप्रेजी गिक्का पर अधिक ध्यान देने के लिये कहा और उनसे अपनी मातृभाषा तरु भूत जाने के लिये कहा।^{६४} उन्होंने अनुवाद के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान को भारत में फैलाने के कार्य को हास्यास्पद कहा। यह सर संयद के विचारों में भारी परिवर्तन था। इसका कारण यह था कि समस्त राजकीय नौकरियों से पूर्वी भाषाएं समाप्त हो चली थीं और सर संयद का लक्ष्य सरकारी नौकरियों तक ही सीमित था।

६१. घटूत-ए-सर संयद, पृ० ६६।

६२. वही, पृ० २६।

६३. मजद, १८ अप्रैल, १८६३, पृ० ३७३।

६४. ए मजद, २७ नवम्बर १८८०, पृ० १३३७।

हिन्दी उद्धृत याद-विवाद मुख्य भूमि गति में खसता रहा। १८८२ ई० हन्टर कमीशन के समय मह विवाद पुनः उठा। असीगड़ नेताओं ने कमीशन के समझ यह मत प्रस्तुत करने का निश्चय दिया कि फारमी निति में उद्धृत भाषा उत्तर-शिविरी प्रदेश के लिये साम्राज्यक थी और देवनागरी निति में तिगित हिन्दी भाषा अत्यन्त हानिकारक होगी।^{६४} तरं गंदर ने कमीशन के समझ अपनी गवाही में भी यह बताया कि उद्धृत उत्तर-शिविरी प्रदेश की जनगापारण की भाषा थी।^{६५}

हिन्दी उद्धृत याद-विवाद १८०० ई० में बढ़त उपर हुए में भड़ा। १८ अप्रैल १८०० ई० को उत्तर-शिविरी प्रान्त की सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रस्ताव के भनुतार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये उद्धृत तथा हिन्दी भाषा ज्ञान प्राप्तिकर दिया गया और दोनों भाषाओं को एक साथ सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया। इस प्रान्त के मुगलमानों के लिये यह भारी प्राप्ति था और इसका उपर रूप से विरोध भी दिया गया। लक्ष्मनऊ में एक उद्धृत हिकेन्स एमोगियेंगन बनाई गई और इसमें सरकारी प्रस्ताव को यापत सेने की भी मांग की गई। असीगड़ कॉन्वेन्शन के विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। कॉन्वेन्शन प्रबन्धक समिति के सचिव मोहम्मिनउलमुलक ने उद्धृत समर्थक संगठन की प्रभ्यशता की थी। प्रान्त के गवर्नर ने असीगड़ कॉलेज की इस सरगमी को राजनीतिक समझा और अपनी अन्वीकृति स्पष्ट की। परोक्ष रूप से सरकारी सहयोग को गमाप्त करने की घमकी दी गई। असीगड़ नेताओं के लिये सरकारी असन्तोष सबमें प्रभावशाली अस्त्र था। शीघ्र ही उद्धृत समर्थक आन्दोलन समाप्त हो गया।

राजनीति का साम्प्रदायिक आधार :

भाषुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में सबमें दोपूरण तथा विपला तत्व साम्प्रदायिक राजनीति का आरम्भ रहा है। साम्प्रदायिक राजनीति से अभिप्राय है ऐसे सिद्धान्तों पर एक आन्दोलन को जन्म तथा प्रोत्साहन देना जिससे एक विशिष्ट सम्प्रदाय का हित होता हो और उन सिद्धान्तों के प्रयोग से दूसरे सम्प्रदायों को हानि होती हो। विभिन्न बर्ग अथवा साम्प्रदाय यदि अपने-अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये संगठित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन एवं राष्ट्रीय हितों को वृद्धि में सहायक हो जाये तो यह साम्प्रदायिकता नहीं है। इसके विपरीत साम्प्रदायिक आधारों पर संगठित होकर केवल साम्प्रदायिक हितों के लिये संघर्ष करना जिन्हे किसी न्यायसंगत आधार पर उचित न ठहराया जा सके तब ऐसे आन्दोलन को अवश्य ही साम्प्रदायिक कहा जायेगा। इस प्रकार के साम्प्रदायिक हितों में राष्ट्रीय हितों से अलगाव एवं पृथक्ता निहित है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का जन्मदाता किसे कहा जाये

६४. वही, ५ अगस्त, १८८२, पृ० ८५७।

६५. संयद अहमद की हन्टर कमीशन के समझ शहादत, ग्रन्ट, विजेपाक, ५ अगस्त, १८८२, पृ० ३।

इस पर विद्वानों का मतभेद है। किमी भी ऐसे व्यक्ति को साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक राजनीति का जन्मदाता कहा जायेगा जिसने प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर बताया हो। सर सैयद अहमदखाँ भारतीय राजनीति में प्रथम नेता थे जिन्होंने अपनी राजनीति का आधार धर्म के आदेशों को बताया। भेरठ में भाषण देते हुए सर सैयद ने कहा कि “इन प्रान्तों के हिन्दू हमारा साथ छोड़कर बंगालियों के साथ मिल गये हैं। तब हमें उम कौम के साथ मिल जाना चाहिए जिसके साथ हम मिल गकते हैं……… कोई मुसलमान इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईमाईयों के अतिरिक्त किसी धर्म के अनुयायी मुसलमानों के मित्र नहीं हो सकते। जिसने कुरान पढ़ा है और जो इस पर यकीन रखता है वह जान सकता है कि हमारी कौम किमी अन्य कौम से मित्रता और हमर्दी की आशा नहीं कर सकती…… हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुमार ईमाईयों के प्रति निष्ठावान और मित्रतापूर्ण बने रहना चाहिए।”^{६६} उन्होंने भारतीय राजनीतिक दलों के गठन का आधार धर्म घोषित किया था और यह बताया था कि भारतीय ममद में दो दल हिन्दू एवं मुसलमानों के ही होंगे। इसीलिये उनका बहना था कि एक बहुमत अल्पमत नहीं बन सकता था। उन्होंने मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्व का नारा लगाया था तथा भारत के किमी भी प्रजातन्त्र के संगठन में मुसलमानों को उनके राजनीतिक महत्व के अनुमार हिन्दुओं के समान स्थान का दावा प्रमुख किया था और इस प्रकार का प्रजातन्त्रीय परम्पराओं के विकास में अवरोध उत्पन्न कर दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुसलमानों के पिछड़े होने की बात आँकड़ों के आधार पर नहीं कही गई थी बल्कि मुसलमानों और हिन्दुओं के विद्यार्थियों की समान समान रखने के लिये कही गई थी क्योंकि हिन्दुओं में बहुत कम लोग और मुसलमानों में सब लोग (वे हमें यह यकीन दिलाना चाहते थे) विद्याप्रेमी थे।

मुसलमान एक कौम :

सर सैयद ने कौम शब्द की व्याख्या इतने अधिक भाषणों में और इतने विभिन्न अवसरों पर और इतने भिन्न, कही-कही परम्पर विरोधी, ग्रंथों में की थी कि उनके कुछ वाक्यों को लेकर उनके विचारों के विषय में काफी भान्ति प्रबलित है। बहुत से लेखक सर सैयद को इस आशेष से बचाना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीयता के अर्थ में कौम का शब्द केवल मुसलमानों के लिये प्रयोग किया था। वे लेखक सर सैयद के उन भाषणों से कुछ अग्र उद्भूत कर देते हैं जिनमें कौम शब्द से व्यावसायिक, जातीय अथवा क्षेत्रीय समुदाय का बोध होता है।^{६७}

अग्रेजी भाषा के शब्द ‘नेशन’ का ढहूँ अनुवाद कौम होता है लेकिन इसके

६६. प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ़ पॉलिटिक्स पृ० ४८-५०।

सफरनामा, पृ० ११२, २६२।

६७. एक आधुनिक लेखक ने वेवर उनकी १८८४ ई० में दिये गये कुछ भाषणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मुशीर-उल हक़ : मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मोहर्न इण्डिया, पृ० २८-३३।

साथ-साथ उद्दूं भाषा में कौम शब्द अन्य कई अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे ईसाई कीम, पारसी कीम (धार्मिक समूह), जुलाहो की कौम (व्यवसायिक समुदाय), द्वाहणों की कौम (धार्मिक समूह), बंगालियों अथवा मराठों की कौम (क्षेत्रीय समुदाय)। सर संयद ने इन सब ही अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया था। उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग परिस्थिति के अनुकूल होता था। सर संयद की कौम शब्द की बाख्या दो चरणों में हुई थी। पहला चरण इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का था और दूसरा चरण १८८५ ई० के पश्चात् का था। पहले चरण में रार संयद ने केवल इस बात पर बल दिया था कि हिन्दुओं को मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मुसलमान प्रगति तथा उन्नति में पीछे थे लेकिन इस समय में भी संयद अहमद निरन्तर इस बात पर बल देते रहे कि भारत में दो कौमें हैं। मुसलमानों के एक कौम होने का एकमात्र आधार इस्लाम था। दूसरे चरण में जब उन्हें यह दिलाई पड़ा कि एक कौम (हिन्दुओं) ने अपने को संगठित कर लिया था और अपनी शिक्षा तथा अन्य प्रगति के आधार पर सरकारी नौकरियों में उसे अधिक स्थान प्राप्त हो जायेगे तब उन्होंने दोनों कौमों में गृहसुद्ध और नर-सहार की बात कही थी।^{६८}

सर संयद के आरम्भिक समय में कोई राजनीतिक प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका कौमें के आधार पर निर्णय होने वाला हो। इस पर भी चूंकि सर संयद के समक्ष मुसलमानों के पृथक् हितों की समस्या थी इसीलिए वे मुसलमानों की पृथकता पर बल देते थे और यह पृथकता उनकी हस्ति में धर्म के अनिरिक्त और कोई नहीं थी।

अपनी मुगलमान कौम से धर्म काम उपलब्ध होने के कारण सर संयद के समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों की प्रगति में हिन्दुओं से सहयोग लेना थी। हिन्दुओं की प्रगति या आन्दोलन में सहयोग देना मुसलमानों का, उनके अनुसार, कोई कर्तव्य नहीं था। सर संयद ने जब कभी अपने कुछ निश्चित मुहावरों का प्रयोग किया वह उसी समय किया था जब या तो उन्हे हिन्दुओं से अलीगढ़ कॉलेज के लिये आधिक सहायता लेनी हो या दी हुई सहायता के लिये धन्यवाद देना हो। उदाहरणार्थः १८७५ ई० में अलीगढ़ स्कूल की नीव स्थापना के समय उन्होंने कहा-

“सुन्नी तथा शिया का भेद केवल कास्तनिक है वे इसी इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं जिस पर हम। यह दोनों धर्म देश और कौम के हिसाब से आपस में भाई हैं। इसलिए यह दोनों अगर कौमी भलाई में समिलित हो तो कुछ अधिक आश्चर्यजनक नहीं है लेकिन इससे अधिक जो मुझे प्रसन्नता है वह यह है कि हमारे हिन्दू भाई भी हमारे इस कार्य में हृदय से सहायक हैं। आशा है कि मुसलमान और हिन्दुओं में जो आपस में बतनी (एक देश के रहने वाले) भाई हैं दिन-प्रतिदिन मेल बढ़ता जावेगा।”

६८. सर संयद द्वारा भेरठ में दिया यदा भाषण : १६ मार्च, १८८८। प्रेस्ट स्टेट, पृ० ३७।

ऐसे ही अवसरों पर वे यह कहते थे कि हमारे जीने और मरने के लिये भूमि एक ही है। एक ही गंगा का पानी पीते हैं और वे अपना प्रिय वाक्य कि “भारत में दो कौमें हैं हिन्दू और मुसलमान।” यदि एक कौम इनमें से उत्तरति करे और दूसरी कौम अवनति में पड़ी रहे तो इसका (भारत का) सुन्दर मुख़्ज़ा काना ही रहेगा। इस दुल्हन के सुन्दर चेहरे की खूबसूरती इसी में है कि इसकी दोनों ओरें पूरी तरह स्वस्य हो।”^{१०८} इसका अर्थ केवल यह ही था कि हिन्दू भारतीय दुल्हन को सुन्दर रखने के लिये मुसलमानों की सहायता करते रहे।

१८७५ ई० से पूर्व भी सर सैयद ने दोनों कौमों के पृथक् होने की बात कही थी। उन्होंने १८६८ ई० में लिखा था कि यदि भारत में एक समर्थित कौम के बनाने की सब आशायें त्याग देनी पड़ें तो हमें एक पृथक् शासन और शिक्षा की योजना हिन्दुओं के लिये और दूसरी मुसलमानों के लिये बनानी चाहिए।^{१०९} लन्दन से अपने एक पत्र में १८६६ ई० में उन्होंने निम्न पटना लिखी थी

“एक दिन मैं और हामिद और महमूद (उनके दोनों पुत्र) इडिया आक्रिन में गये.... इनमें मैं एक अप्रेज़ युवक सम्भवतः कोई मिविल सर्विस पास किने हुए था आकर खड़ा हुआ। योड़ी देर बाद उसने महमूद से पूछा कि तुम भी हिन्दुस्तानी हो। महमूद ने तुरन्त बिना सोचे हुए कहा, हाँ, किन्तु यह कहते ही उम्मी शर्मिंदगी हुई कि उसका रंग बदन गया और उसने कहा कि मैं हिन्दुस्तान की कौम का आदमी नहीं हूँ वाहिक विदेशी कौम का हिन्दुस्तान में आया हूँ।”^{११०}

१८७१ ई० में अलीगढ़ आन्दोलन आरम्भ करते के पश्चात् उन्होंने लिखा था—“आजकल सबसे अधिक इस बात की आवश्यकता है कि भारत के जिलों में विभिन्न स्थानों पर अनायास और स्फूर्ति स्वापित किने जायें..... कौमी इज़ज़त और धार्मिक सुरक्षा को ध्यान में रखने हुए प्रत्येक कौम के लिये यह उचित है कि वह यथासम्भव अपनी-अपनी कौम के चबूतों को दूसरी कौम के नियन्त्रण में न जाने देके इसलिए हिन्दू मुस्लिम अलग-अलग अनायास खोलें।”^{१११}

१८७३ ई० के पश्चात् उन्हें अलीगढ़ कॉलेज के लिये आधिक सहायता की आवश्यकता पड़ी और मुसलमानों से घन कम मिना तब उन्होंने हिन्दुओं को प्रगति-शील कहकर उन पर यह उत्तरदायित्व डाला कि वे मुसलमानों की सहायता करे और उन्होंने ऐसे विभिन्न वाक्यों का प्रयोग किया जिनका अर्थ यह लगाया जाता है कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और इसी काल में उनके ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनका स्पष्ट अर्थ मुस्लिम पृथक्तावाद होता था। १८७६ ई० में

१०८. गजट, विशिष्ट अक्ष, २८ नंबर, १८७५, पृ० ७।]

१०९. बही, फतवारी १८६८ पृ० ८२।

११०. सर सैयद का पत्र दिन १५ अक्टूबर, १८६६, गजट १६ नवम्बर, १८६६, पृ० ७४५।

सर सैयद ने स्वयं अपनी स्वीकृति से यह प्रकाशित करवाया था;

११२. गजट, २४ भार्च, १८७१, पृ० १७६।

भारत को विभिन्न धर्मों और कौमों का समूह बताया गया था। “इसमें रहने वालों के धार्मिक मतभेद इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने किसी अन्य शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था……… जिस प्रकार रातदिन तथा काली और सफेदी का आपस में मिल जाना कठिन था उससे कुछ अधिक यह कठिन था कि भारत के विभिन्न धर्म आपस में संगठित हो जावें।”¹⁰³

१८८२ ई० में उन्होंने कहा कि भारत की उन्नति दोनों कौमों (हिन्दुओं और मुसलमानों) की उन्नति पर निर्भर थी। भारत एक गाड़ी और इसकी दो कौमें इसके दो घोड़े के समान थे। यह गाड़ी किसी भाँति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती यदि दोनों में से कोई घोड़ा सुन्त और पीछे हटने वाला हो। भारत की तुलना एक मिपाही से भी की गई और दोनों कौमों की दोनों पैरों से तुलना की गई लेकिन शीघ्र ही इस उपमा को छोड़ दिया गया क्योंकि इसमें एक कौम दाया और दूसरी दाया पैर होती और स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली और दूसरा दुर्बल होगा। इसनिए मर संयद पुन उम उदाहरण पर आ गये जिसके अनुसार भारत को एक मुंहदर दुल्हन और उमकी कौमों को दो सूबमूरत आंखें बताया गया।¹⁰⁴ सर संयद हिन्दुओं की प्रगति का उदाहरण देकर मुसलमानों को प्रगति के लिए उकसाना चाहते थे और अपनी कौम से कहते थे कि ‘यह समय पीछे रह जाने वा नहीं है। बहुत बातों में पीछे रह गये। इस कार्य में पीछे रह जाना विषय राने के समान है।’¹⁰⁵ “इस ममय कौमियत वा शब्द भारत के सभ्यत निवासियों पर लागू नहीं हो सकता तब भी कम से कम हिन्दुओं वो, मुसलमान मुसलमानों को और पारसी पारमियों वो अपनी-अपनी कौम का सदस्य समझते हैं। यह यात कि हिन्दुस्तान कभी एक कौम बन मजने हैं या नहीं और यदि बन मजने हैं तो किस प्रकार कठिनाई में तय हो गयनी है।”¹⁰⁶

सर संयद ने कौम शब्द की व्याख्या १८८३ ई० में भारतीय लेजिस्लेटिव कौमिल में चुनाव पद्धति का विरोध करते हुए की थी। “भारत अपने में एक महाद्वारा है और इसमें विभिन्न कौमों और धर्मों के लोग रहते हैं और धार्मिक कटृता के कारण पड़ोसी भी एक-दूसरे में अनुग रहे हैं………कौम और धर्म के एक होने गे अपेक्षी कौम एक वैम हो गयी है………वास्तव में सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यह कहा जा सकता है कि इंशनेंड की कुल जनमत्या एक ही कौम है। निम्नलिख भारत के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता………उन देशों में जहा की

जनसंघ्या के बल कोम और एक धर्म से मिलकर होती है यह नियम (चुनाव) निःसदै ह सबसे अच्छा है लेकिन 'मेरे साहं' एक ऐसे मुल्क में जैसाकि हिन्दुस्तान है जहाँ कि जाति के मतभेद अवश्यक विद्यमान हैं और जहाँ विभिन्न कोम पुलमिल नहीं सकी हैं और जहाँ धार्मिक मत-भेद बढ़े हुए हैं..... जबतक कोम और धर्म के मत-भेद भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अभिन्न ग्रंथ बने रहेंगे..... उस समय तक चुनाव का विशुद्ध नियम निश्चिन्ता के संग प्रचलित नहीं किया जा सकता । बड़ी कोम छोटी कोम के उद्देश्यों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगी ।^{१०७}

जनवरी १८८४ ई० के अमृतसर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था : 'नि सन्देह मेरे दिल में एक उत्साह और एक आकांक्षा है कि मेरी कोम जो अपमान में पड़ी जाती है सम्पत्ति से वचित होती जाती है वैभव यौर गौरव को जो वाप-दादा की अर्जित सम्पत्ति थी खोती जाती है उसको पुन ग्राप्त करे । जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उसमें प्रयत्न करता हूँ'^{१०८} १८८४ ई० में सर सैयद ने पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा किया क्योंकि वे अलीगढ़ कॉलेज के लिये चन्दा एकत्रित करना चाहते थे । अपने सबसे पहले भाषण में उन्होंने कोम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा :

"कोम का शब्द ऐसा है जिसके अर्थ पर कुछ ध्यान देना आवश्यक है बहुत सम्बन्ध से..... कोमों की गिनती किसी महापुरुष के बंशज होने या किसी देश का निवासी होने से होती थी । हजरत मोहम्मद ने..... उस कोमी भेद को जो केवल सौसारिक स्थिति के कारण था मिटा दिया और एक आध्यात्मिक कोमी सम्बन्ध स्थापित किया..... समस्त कोमी सम्बन्ध इसे आध्यात्मिक सम्बन्ध के समक्ष नष्ट हो गये और एक नया आध्यात्मिक बल्कि खुदाई कोमी सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वह तुकं है या ताजीक । वह अफीका का रहने वाला है या अरब का, वह चीन का निवासी है या माचीन का । वह पंजाब में पैदा हुआ या हिन्दुस्तान में..... जिसने कलमा-ए-तौहीद को मजबूती से पकड़ा वह एक कोम हो गया" आगे उन्होंने कहा "इन रुहानी (धार्मिक) भाईयों (अर्थात् मुसलमानों) के अतिरिक्त और भी हमारे बतनी (देशवासी) भाई हैं ।^{१०९}

एक दिन बाद जलन्धर में उन्होंने कहा । "मैं अपनी कोम के उन महान् भावों का तथा अपनी गंर कोम के बतनों भाईयों का जिन्होंने इसमें (अलीगढ़ कॉलेज में)

^{१०७.} लेक्चरों का मन्त्रमूला, पृ० ३२८-३२९ ।

^{१०८.} मकरनामा, पृ० ७१ ।

^{१०९.} लेक्चरों का मन्त्रमूला, पृ० १४३ ।

^{११०.} मकरनामा, पृ० ८-९, ११ ।

महायता की हृदय से आभारी है।”^{१११}

दो दिन पश्चात् ग्रन्थालय में बोलते हुए उन्होंने बहा “हमारी कौम के सड़के दर्म वात को याद रखें कि हमारी मुकिं का साधन इस्लाम का भार्य है इसको हम मुरक्कित रखें……हिन्दू हमारे हमवतन भार्य हो गये हैं……हिन्दुस्तान में दोनों कीमें बगावर उन्नति करें। हिन्दू हो या मुसलमान अथवा भारत की कोई कौम हो देश की उन्नति के लिये शबकी एक होना चाहिए।”^{११२} एक भाषण में उन्होंने बहा “अलीगढ़ कॉलेज निस्मन्देह एक साधन कीमी उन्नति का है यहाँ पर कौम में मेरा अभिप्राय मुसलमानों से नहीं बल्कि हिन्दू और मुसलमान दोनों से है।”^{११३} इसमें स्पष्ट है कि जहाँ एक कौम से उनका अभिप्राय मुसलमानों के अतिरिक्त कुछ और होना या वे स्पष्ट कह देते थे।

गुरदासपुर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा “हिन्दू और मुसलमान एक धार्मिक शब्द है वरना हिन्दू और मुसलमान भी ईमाई भी जो इस मुल्क में रहते हैं इस हट्टि से सब एक ही कौम है।”^{११४}

नाहोर में आयं समाज के सदस्यों के समझ वाले करते हुए सर संयद ने कहा “ऐरे विचार में हिन्दू किसी धर्म का नाम नहीं है बरिक हर एक धर्मिक हिन्दुस्तान का रहने वाला अपने आपको हिन्दू बहता है इसलिए मुझे ऐसे देख है कि आप मुझे यद्यपि मैं हिन्दुस्तान का रहने वाला हूँ हिन्दू नहीं समझते………(आगे कहा)……… भारत की उन्नति के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हिन्दू और इस्लाम दर्म के मानने वाले आदम में मिलकर कार्य करें।”^{११५} १८७३ ई० में पटना में उन्होंने कहा था

“इस्लाम वा सम्मान मुसलमानों की दशा से घाँका जाता है। आप मुसलमान रहिए जो भगवान की कृपा से इस शहर में उपस्थित हैं और जिनमें से बहुत से यहाँ हैं उनकी योग्यता और सम्प्रता से इस्लाम के सम्मान का अनुभान होता है इसलिए यदि सब निर्धन, अपमानित और भीख मार्गने वाले ही जायेंगे तो इस्लाम की दशा इज्जत शेष रह जायगी………”^{११६}

१८८३ में भाषण करते हुए पटना में ही उन्होंने कहा :

“यदि वह कौम जो इस संगार में मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध है, अपमानित,

१११. वही, पृ० ५२-५३।

११२. वही पृ० ६४-६५।

११३. वही, पृ० ७६। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अलीगढ़ कालेज से प्रवर्ष पाव चयों में कुल १२ विद्यार्थी थे, ए. परोक्षा पाव किये त्रिप्यं केवल ही हिन्दू थे।

यह हिन्दुस्तान वालानार में बठता थाया।

११४. वही, पृ० ६४।

११५. वही, पृ० १३६-४०। सर संयद एक ही भाषण में अदिगेष नहीं रह सके।

११६. नैववरो चा मदभूता, पृ० ५०।

निधन व कंगाल हो जावे तो इस्नाम भी अवमानित हो जावेगा। इसलिए हमारा प्रयत्न मांसारिक प्रगति और मम्मान में इस्नामी मम्मान तथा वैभव की नियत में होना चाहिए जिसको मैं इस्नाम में यास्तविक प्रेम व मच्ची भनाई का कार्य कहता हूँ—(अलीगढ़ कॉनेक्शन के लिये सहायता मांगने में वड़े प्रभावशाली ढग से भाषण देने हुए उन्होंने कहा).....आठ-इस बप्ती का समय प्रत्यन करते हुए व्यनीत हो गया। कौम के ध्यान देने के अभाव में वह अबतक पूरा नहीं हुआ उसकी सुदी हुई नीवें कौम का मुँह ताकती है कि कब्र हमारा पेट भरेगा.....इसके विद्यार्थी छप्पर में और वृक्षों के माथे में नमाज पढ़ते हैं और पूछते हैं कि हमारी कौम जिन्दा है या सुदा के यहीं चल बसी।¹¹³

सर संयद ने अपने १८८४ ई० के पंजाब के विभिन्न भाषणों में जिस मामूलिक जीवन पर बल दिया था वह सामाजिक था और इस क्षेत्र में भी उन्होंने धर्म को अलग रखने पर हमेशा जोर दिया था। यदि सर संयद से उन क्षेत्रों की व्याख्या करने को कहा जाता कि वह सामाजिक क्षेत्र कौनमा था जिसमें हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे का सहयोग कर सकते जबकि धर्म और राजनीति अलग हो और देश की नीति निर्माण में लोगों का हाथ न हो तो उनका उत्तर केवल इन्हाँ ही था कि हिन्दू अपनी आधिक सम्प्रता के कारण मुसलमानों की शिक्षा प्रसार में धन देते जायें। १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कॉम्प्रेस के बन जाने से उन्हें यह जांका हुई कि भविष्य में यदि प्रतिनिधित्व प्रशासन प्रणाली तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के याधार पर कुछ मुविधायें भारतवासियों को प्राप्त हुईं तो मुसलमानों की प्रगति का वह स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा जिसकी कल्पना उनके मनिष्क में थी। १८८६ ई० के पश्चात् इस बात के परखने का अवसर उपलब्ध हुआ कि बगा सर संयद मुसलमानों और हिन्दुओं में केवल धार्मिक भेद ही समझते थे? क्या राजनीतिक क्षेत्र में सर संयद अपने उन भाषणों एवं लेखों को त्रियान्वित करना चाहते थे जिनकी व्याख्या उन्होंने १८७८-१८८४ ई० के मध्य अलीगढ़ कॉनेक्शन के लिये चन्दा एकत्र करते समय की थी? क्या सर संयद कौम का धर्थं किमी धार्मिक समुदाय से लगाते थे अथवा इस कौमियत के याधार पर वे विशिष्ट राजनीतिक अधिकार चाहते थे?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर उनके किसी एक या दो भाषणों से देना पर्याप्त नहीं होगा। सर संयद प्रत्यन्त बुद्धिमान तथा दूरदर्शी नेता थे जो यह समझते थे कि मुसलमानों की प्रगति किस प्रकार हो सकती थी। हिन्दुओं से सहयोग लेकर (यदि हो सके) अथवा मुसलमानों की पृथक्का वी दुहाई देकर (यदि आवश्यक हो) वे मुसलमानों को पुनः प्रगति के मार्ग पर डालना चाहते थे और उन्हें एक दल के रूप में संगठित कर देना चाहते थे। सर संयद के १८८७ एवं १८८८ में लदनऊ और मेरठ में दिये गये भाषण (जिनका ऊपर बगैंच किया जा चुका है) इस बात को

स्पष्ट करते हैं कि वे मुसलमानों और हिन्दुओं में किस प्रकार का सहयोग चाहते थे। १८८७ ई० में उन्होंने मुसलमानों के पिछे होने के सम्बन्ध में लिखा था।

“जितना अनुभव और जितना विचार किया जाता है सबका निशंख यह निकलता है कि अब भारत के मुसलमानों को भारत की अन्य कौमों से समानता कर पाना असम्भव-न्ता लगता है। बगानी तो अब इतना आगे बढ़ गये हैं कि यदि बंगाल, हिन्दुस्तान और पंजाब के मुसलमान पर लगाकर भी उड़े तो उनको पकड़ नहीं सकते। भारत की हिन्दू कौमों ने भी उन्नति करके मैदान में मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है यदि मुसलमान दौड़कर भी चलें तो भी उनको पकड़ नहीं सकते।”^{११५} वे सदा इस बात से चिन्तित रहते थे कि भारत में एक कौम ने (अर्थात् हिन्दुओं) अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और जो समय आने वाला था उसको भलिभांति समझाकर अपने-ग्राम को उसके योग्य बना लिया था मगर जो कौम पीछे पड़ी रह गई थी “वह हमारी कौम है जो मुसलमान कहलाती है जिसको इस्लाम ने एक कौम बना दिया है।”^{११६}

१८८५ ई० के पश्चात् प्रत्येक स्थान पर दिन-प्रतिदिन हिन्दू मुसलमानों में फूट, शत्रुता और झगड़ा बढ़ता जा रहा था जिसका परिणाम दोनों के लिये अत्यन्त खराब, अधिकारियों के लिये कष्टदायक था लेकिन अलीगढ़ के लिये यह ही पर्याप्त गन्तुष्टि का कारण था कि यह घटनाये “इण्डियन नेशनल कंफ्रेस वालों की आशाओं के लिये निराशा का कारण थी।”^{११७} सर संघद इस यात का भी अनुभव करते थे कि भारत में मुसलमानों को नेशनलिटी स्थापित करने की सबसे अधिक आवश्यकता थी।^{११८} १८८४ ई० में एजुकेशनल बान्करेन्ट के वार्षिक अधिवेशन में सर संघद ने मुसलमानों को एवता के मूत्र में बांधने की आवश्यकता पर बल दिया था। यदि ऐसा न हो सका तो “न कौम को कौम बना सकेंगे और न उनमें इन्सानियत और कौमियत पैदा कर सकेंगे।”^{११९} हमको मुसलमान होने के कारण कौम को कौम बनाने के लिये धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के अनुसार कौम शब्द का प्रयोग जातीय एकता के आधार पर नहीं बोला जाता बल्कि जिसने कलमा पड़ा और इस्लाम स्वीकार किया वह जाति के हिसाब से बोई भी हो हमारा भाई और हमारी कौम में सम्मिलित है। इस्लाम के अनुसार हीमी प्रेम, भाईचारा तथा एकता बेवल इस्लाम पर निर्भर है।”^{१२०}

११५. एसट, ४ अक्टूबर, १८८३, पृ० ११२३।

११६. एसी, १५ मई, १८८४, पृ० ४२३।

११७. एसी, ३० अगस्त, १८८०, पृ० १५८।

११८. एसी, १० नवम्बर, १८८१, पृ० १२४२।

११९. मेसेंजर ऑफ़ अमेरिका, २३ दिसेंबर, १८८४, पृ० २-३।

सर संयद के इन विचारों एवं भाषणों के समक्ष यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सर संयद ने भारतीय मुसलमानों के लिये "कौम" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया था बल्कि इस शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय जनता के लिये किया गया था।^{१२३}

सर संयद अपने जीवन के उत्तराधि में अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक, मामाजिक तथा शिक्षा मम्बन्धी दशा को सुधारने के लिये विभिन्न प्रयत्न किये। उनकी सबसे बड़ी कृति अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज थी जो बाद में चलकर विश्वविद्यालय बन गयी। सर संयद ने अलीगढ़ कॉलेज को भारतीय मुसलमानों की जागृति का केन्द्र बनाया। शैक्षणिक हिटि में वे मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूकता अवश्य पैदा कर सके। उनकी सबसे बड़ी सफलता मुसलमानों में राजनीतिक शक्ति पैदा करना तथा राजनीतिक हिटि से उन्हें एक पृथक तत्व बना देना केवल सर संयद का ही कार्य था। मुसलमानों के विशिष्ट हितों एवं पृथक निर्वाचन तथा आरक्षित स्थानों की बात उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तुत की थी। अंग्रेजों के कृपापात्र बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने ही उनके समझ रखा था। यह नीति ही मुस्लिम लीग तथा अन्य साम्प्रदायिक नेताओं को हठी एवं राष्ट्रीय तत्वों के प्रति उदासीन बनाने में महायक हुई। आधुनिक भारत में मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन में विभिन्न धाराएँ रही हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रभावशाली वह शाखा ही रही है जिसका मूल्यपात सर मंयद अहमदखाँ ने किया था। सर मंयद के मुस्लिम पृथकतावादी विचार ही भारत विभाजन के लिये उत्तरदायी मिद्द हुए।

सर संयद का हिन्दुओं के प्रति हिटिकोण :

सर संयद १८५७ ई० की कान्ति के कारणों का वर्णन करते हुए कहते थे कि ईसाईयों के धार्मिक प्रचार एवं प्रोग्रेसिव्डा का दुरा प्रभाव मुसलमानों पर अधिक पड़ा। "इसका कारण मैं यह मानता हूँ कि हिन्दू धर्म में मिदानों के अध्ययन की अपेक्षा पुराने प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन अधिक है। हिन्दू किन्हीं वर्ममूर्त्रों तथा नियमों को प्रयोग अन्तरण्डा और हृदय में अन्यरक्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका धर्म इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बाँधु अर्थात् हिन्दू दार्शनिक मिदानों के विषय में अत्यधिक निश्चयाही है। वे अपनी पुरानी परम्पराओं के कठोर पालन तथा अपने जानेवाले के माध्यमों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु पर धन

१२३. वाचिक हूमैन : सी डेस्टिनी ऑफ दी इंडियन मूस्लिम्स पृ० २८, मूर्ती उत्तराधि : मूस्लिम पॉन्टिफिस द्वा योहन इम्पियर, पृ० ३२। लेन्टों नेपालों का यह वर्णन निराकार है बैमारि विभिन्न स्थानों पर सर मंयद के भागों के ही बाबू अङ्गिल वर्ते स्पष्ट किया गया है।

नहीं देते हैं। ऐसी गम्भीर परमारथों की जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं तो सरे व्यक्तियों द्वारा अबहेलना एवं निरस्कार में उन्हें कोई प्रेषणीय अथवा बष्ट भी नहीं होता है। इसके विपरीत मुमलमान अपने धर्म के गिरावटों वा पालन भोग के लिये आवश्यक और उनका निरस्कार नरकवास के लिये उत्तदाही समझते हैं और इसलिए उनमें भलीभांति परिचित होते हैं। वे अपने धार्मिक पिछावाँ को ईश्वर का आदेश मानते हैं।^{१२४}

इसी समय उन्होंने यह निया था कि एक भारतीय व्यक्ति के लिये नोकरी गवसे अच्छा व्यवसाय था। उनके अनुसार यह कठिनाई (नोकरी प्राप्त करने की) मुमलमानों के लिये सबसे अधिक काटदायक भिड़ हुई। क्योंकि हिन्दू जो इस देश के आदिवासी है पहले कभी नौकरी नहीं करते थे वल्कि इसके विपरीत अपने पूर्वजों के बाय पध्नों में लगे रहते थे।^{१२५} उन्होंने प्राचार में सिवायों के प्रशासन को मुमलमानों पर अत्याचारी घोषित किया था और अपेक्षी प्रशासन को उदार देनाया।^{१२६} १८७२८ में ग्रालीगढ़ नेताश्वारे ने यह बात कही थी कि दोनों कीमों में बहुत अधिक अन्दर है। मुमलमान हिन्दुओं की अपेक्षा कही अधिक मजबूत है।^{१२७}

सर सैयद ने १८८४ ई० में जहाँ हिन्दुओं और मुमलमानों के यड़ीयी ग्रंथ मिलकर कार्य करने की बात कही थी, १८८७ ई० में उन्होंने कहा था कि "कौंग्रेस में हिन्दू वगातियों के माय मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे जिसमें मुमलमानों के हिन्दू धर्म विगेधी धार्मिक कार्यों को दबा मफें।"^{१२८} यह समस्या खड़ी करके सर सैयद स्वयं ही इसका आदेश पूर्ण उत्तर भी देते थे। "यह कार्य शक्ति के आधार पर नहीं हो सकता। जिन्हीं अधिक शमुना और वैमनस्य बढ़ाएंगा उन्हाँ ही अधिक उनकी (हिन्दुओं) हानि होगी।" उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि जैगे ही हिन्दुओं ने गौवध निरोध आन्दोलन आरम्भ किया यद्यपि यह शक्ति के आधार पर नहीं था, लेकिन गोवध और बढ़ गया। सर सैयद ने खेतावनी देते हुए कहा कि हिन्दू कौंग्रेस में मत्मितिन होने पर एक्जारेंगे इसलिए "उन्हें हमारे साथ भेजी स्थापित करने का निश्चल व्रयन्त्र करना चाहिए।"^{१२९} यहाँ यह व्याप देने योग्य बात है कि जब मुमल-

१२४. अमरावत बगावड़-ग-हिन्द, पृ० २३।

१२५. बड़ी, पृ० ३५।

१२६. बड़ी, पृ० १४। ऐसी प्रहार के भाव उन्होंने जनवरी १८८४ ई० में भारत में लक लिये। महानामा, पृ० १२३।

१२७. यजद, २३ फरवरी १८७२, पृ० ११६।

१२८. मह सैयद अर्यार : बैंगल रोड, पृ० ३३। यह सर सैयद का घ्रय था क्योंकि

मानों को घन तथा सहायता की आवश्यकता थी तब सर सैयद का कहना था कि हिन्दुओं को मदद करनी चाहिए वग्ना भारतीय दुल्हन कानी भेंगी हो जाएंगी। जब हिन्दुओं को अपनी धर्म विरोधी परम्पराओं को गमाप्त करवाना था तब भी उन्हें मुसलमानों की मंत्री का निरलर प्रथल करते रहना चाहिए। भारत की प्रगति के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा राजनीतिक मुठारों की माँग करना मुसलमानों के काल्पनिक हिन्दों के बिरुद्ध था। इमनिए प्रत्येक स्थिति में एक पक्षीय कर्तव्य नागू होते थे। जिस समय मर सैयद को यह आभास हुआ कि कांग्रेस आन्दोलन सम्भवतः प्रभावशाली होगा और प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भारतीयों को सत्ता में कुछ भाग प्राप्त हो जाएंगे उम समेत सर सैयद ने अपने भैरव और लखनऊ के भाषणों में कांग्रेस आन्दोलन की विना शस्त्रों के शृङ् युद्ध में तुलना की।¹³⁰ उन्होंने कहा “हम भी शृङ् युद्ध चाहते हैं, लेकिन शस्त्रों के साथ। यदि अप्रेजी सरकार आन्तरिक प्रशासन भारतीयों के हाथ में हस्तान्तरित करना चाहती है तो हम एक याचिका प्रस्तुत करेंगे कि ऐमा करने में पूर्व एक प्रतियोगिता परीक्षा हो………जिसने हमें अपने पूर्वजों की कलम अर्थात् तत्त्वावार जो वास्तव में सत्ता के आदेश निम्नने के लिये होती है के प्रयोग करने वी अनुमति हो। जो कोई उसमें प्रथम पास होगा देश पर शासन करेगा।”

“यदि अप्रेजी और अप्रेजी सेना भारत छोड़कर चले जायें तब देश में एक दिन भी शान्ति नहीं रह सकती। भारत का शासक कौन होगा? कपा यह सम्भव है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों कोमें समान शक्तिशाली रह सकेंगी? कदाचि नहीं। यह आवश्यक है कि उनमें से एक पक्ष दूसरे पर विजय प्राप्त करे और उसे नीचे ढकेल दे। मुसलमान यद्यपि संख्या और अप्रेजी शिक्षा में कम है, लेकिन वे अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकेंगे। मान तीजिये ऐमा नहीं हो तब उनके मुसलमान भाई, पठान पहाड़ी दरों में टिड़ी दरों की भाँति आयेंगे और उत्तर से बंगाल के अन्त तक खून की नदियाँ बहा देंगे। भविष्य में सत्ता ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करेगी।”¹³¹ उन्होंने आगे कहा “हमारे बंगाली मिनों की प्रशासन में भाग लेने की इच्छा अनुचित है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया है।”¹³²

१३०. ब्रेवेंट स्टेट, पृ० २३-२५।

१३१. वही, पृ० ३७-३८।

१३२ वही, पृ० ४३।

अलीगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार (१८६६-१९०६)

सर संघर्ष की मृत्यु के पश्चात् अलीगढ़ आन्दोलन का संचालन मोहसिन-उल-मुल्क द्वारा किया गया था। मोहसिन-उल-मुल्क यह जानते थे कि एजुकेशनल कॉर्नफे न्स अलीगढ़ विचारधारा को फैलाने का एक साधन थी। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन को समस्त भारत में फैलाने के लिये विभिन्न स्थानों के दौरे किये। यह कार्य वे १८६६ ई० से १९०६ ई० तक चलते रहे। १८६६ ई० में पूना, बम्बई और उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया।^१ १८६६ ई० में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के पाठे हुए विद्यार्थियों, कौम के अन्य शुभचिन्तकों तथा समाचार-पत्रों के मालिकों एवं मध्यादिकों से अलीगढ़ आन्दोलन को व्यापक बनाने में सहयोग देने के लिये अनुरोध किया।^२ १९०१ ई० में कॉर्नफे न्स का अधिवेशन पहले सवनऊ में होना निश्चित हुआ था, लेकिन मद्रास में निमन्त्रण मिलने के पश्चात् वहाँ पर अधिवेशन किया गया।^३ मद्रास में मोहसिन-उल-मुल्क ने यह आश्वासन दिया था कि वे विभिन्न स्थानों पर इसलिए ही नहीं जाते थे कि अलीगढ़ कॉलेज के लिये धन एकत्रित करें। उनवा मवंप्रयम लक्ष्य वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता था।^४ १९०३ ई० में बम्बई में भाषण देते हुए उन्होंने कहा “बाहर वालों को बहुधा यह आनि होती है कि जो बुद्ध प्रयत्न किया जाता है वह केवल अलीगढ़ कॉलेज को महायना देने वे लिये। जबतक यह विचार बना रहेगा मकानों बदाएँ मम्बव नहीं हो सकती।”^५ उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को भारत के मुगममानों की नेतृत्वीय सत्त्वा बनाने का प्रयत्न किया।

१. रिपोर्ट बॉन्करेन्स, १८६६ अधिवेशन, पृ० ५३-६१।

२. रिपोर्ट बॉन्करेन्स, १८६६ अधिवेशन, पृ० ८०-८६।

३. रिपोर्ट बॉन्करेन्स, १९०१ अधिवेशन, पृ० ६०-१।

४. वही, पृ० ४८-५६।

५. रिपोर्ट, १९०३ अधिवेशन, पृ० ५२।

कॉन्केन्स के माध्यम से समस्त भारत के मुसलमानों को संगठित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन केन्द्र अलीगढ़ में ही स्थापित रखा गया था। सर सेंयर के समय में यह संस्था केवल उत्तर-पश्चिमी प्रदेश तथा पंजाब तक ही सीमित थी। मोहसिन ने इस संस्था का प्रभाव समस्त भारत में फैलाया। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, कर्नाटक, ढाका आदि स्थानों पर अधिवेशन किये गये और इसे व्यावहारिक रूप में अविल भारतीय बना दिया गया।

मोहसिन-उल-मुल्क और मुसलमान कीम :

मोहम्मिन-उल-मुल्क १८६३ ई० में हैदराबाद राज्य की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अलीगढ़ में रहने लगे थे। उनके अलीगढ़ आने के पूर्व सर सेंयर के पुत्र जस्टिम सेंयर महमूद को मुसलमानों के आनंदोलन का नेता समझा जाता था, लेकिन मोहसिन उल-मुल्क के नेतृत्व के समक्ष सेंयर महमूद नहीं टिक सके। मोहसिन-उल-मुल्क आयु से सर सेंयर से २० वर्ष छोटे थे और वे मुसलमानों की उम्रति के विषय में अत्यन्त आशावान थे। सर सेंयर के भापणों में १८६३ ई० के पश्चात् निराशा दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन मोहसिन ने इस बातावरण को ही बदल दिया। मोहसिन आपनी कीम को उत्तेजित करने में सर सेंयर से भिन्न साधन अपनाते थे। एक बार तो सर सेंयर के निराशाजनक भापण की तीव्र आवोचना करते हुए उन्होंने कहा :

“कीम को दगा यह है कि उम्मको एक बार कहना पर्याप्त नहीं है”...कीम के सुधारको एवं शुभचिन्तकों का यह काम नहीं है कि एक बार अनुरोध करें...किन्तु उनको कीम को जगाने के लिये रातदिन व्यस्त रहना चाहिए। मुझे आपसि यह है कि कॉन्केन्स इन चार दिनों के अतिरिक्त वर्ष भर कुछ नहीं करती है....चार दिनों की चाँदनी फिर अध्येरी रात है।” सर सेंयर को सम्बोधित करते हुए कहा “आपका बार-बार कीम को मुर्दा कहना उचित नहीं है”....“वह विशाल कारखाना (कॉलेज) जो अलीगढ़ में स्थापित है....यदि कीम ने सहायता नहीं की तो क्या यह कारखाना आपकी दुआ (प्रायंता) से स्थापित है....जब हमारा सुधारक स्वयं निराश है तो हमारी वया दशा होगी। हम किस प्रकार एक मुर्दा कीम को जीवित कर सकेंगे....कीम को मुर्दा कहना उचित नहीं है।”^६ सर सेंयर अपने आनंदोलन के परिणामों को आशाजनक नहीं समझते थे। मोहसिन का कहना या कि “मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है कि हमारी योजनाओं के परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार अवतक प्रगट नहीं हुए हैं वलिंग इस बात पर है कि किस प्रकार इसके चिह्न इतनी शोधता से दिखाई देने लगे हैं।”^७ १८६३ ई० में उन्होंने अपने अध्यधीय भापण में मोहम्मद

६. रिपोर्ट बॉन्फूर्नम, १८६६ अधिवेशन, पृ० ७१-७२।

७. कॉन्फरेन्स, १८६३ अधिवेशन, पृ० १०३।

एन्युकेशनल कॉम्पनीज के समक्ष कहा "जिस मार्ग पर हमने चलना आरम्भ किया है वही सोवा रास्ता है और मीठे मार्ग पर चलने वाला यदि लगातार चलता रहे तो निस्सन्देह लक्ष्य पर पहुँच जाता है।"^५

मोहम्मिन-उल-मुल्क ने मुसलमानों की एकता के लिये धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक बन्धनों को अधिक आवश्यक घोषिया। नवम्बर १९६३ई० में उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये।

"तुम यहाँ लौकिक विद्यार्थी के साथ धार्मिक ज्ञान भी सीखते हो"....."तुम्हें यहाँ कौमी प्रेम लिखाया जाता है, तुम्हारे दिमागों में मुसलमानी विचार भरे जाते हैं"....."तुम यहाँ प्रेजुएट ही नहीं बनाये जाते बल्कि सब पूछो तो मनुष्य और न केवल मनुष्य बल्कि मुसलमान"....."यदि तुम्हारे दिमाग में इस्लाम की सच्चाई का विश्वास न रहे और तुम अपने धर्म पर स्थिर न रहो और जैसे कि नाम और शक्ति के मुसलमान हो, दिल से मुसलमान न हो तो तुम्हारे ज्ञान से अज्ञान भव्या। तुम्हारी सम्मता से असम्मता अच्छी बल्कि सब पूछो तो तुम्हारे जीवन से कौम के लिये तुम्हारी मौत अच्छी"....."जबकि तुम्हारे दिल में इस्लाम ही न रहा तो कौम तुम पर क्या गौरव करेगी"....."इस्लाम तुम्हारी जान है इसके बिना कोई कैसा ही महान विद्वान क्यों न हो वह एक शरीर है मिट्टी में दबने के योग्य और एक लाश है जमीन में छुपने के योग्य"....."तुम्हारी इच्छा की पराकारा यह होनी चाहिए कि इस्लाम पर स्थिर रहो, इस्लाम गोखो, इस्लाम पर जीमो और इस्लाम पर मरो।"^६

वे कांतिज के विद्यार्थियों को मुसलमान कौमियत से परिपूर्ण बनाना चाहते थे। उन्होंने एक महीने पश्चात् फिर कहा था—"यदि कोई हमारी कौम वा विद्यार्दी समस्त पश्चिमी विद्यार्थी वा जाता हो जावे और समस्त यूरोपीय कलाओं में निपुण तथा प्रशंक प्रकार की प्रगति प्राप्त कर ले, तिन्हुं धर्म में अपरिचित हों और इस्लाम पर स्थिर न रहे तो वह कौम के लिये अमान होगा न कि ममान। ऐसे विद्वान मुगलमान की धरोधा मूर्ग बने रहना अधिक उचित होगा।"^७

मोहम्मिन-उल-मुल्क ने जहाँ एक और मुस्लिम विद्यार्थियों को इस्लाम पर डडे रहने का बहा दूसरी ओर धन्य ऐसे समझनी एवं उनेमांगे भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जिसके अलावा विचारधारा धर्मिक विस्तृत यन्म सँ। १९६४ई० में दानपुर में नद्यतउलउमा (जिलां जी राम) का अधिकार्यन आरम्भ हुआ। मोहम्मिन ने इस रामा का पूरा-पूरा गमवेन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा

"विता इस सम्मानित और प्रतिष्ठित समुदाय वे जो उनेमा वा है हम कभी

५. युद्धान-ए-आरिया, पृ० ६१, टिंडोड, १९६३ अधिकार, पृ० १०८-१०९।

६. पट्ट, २५ नवम्बर १९६३, पृ० ११८२-८६।

७. टिंडोड, १९६३ अधिकार, पृ० १३८।

अपने इरादे में अच्छी तरह सफल नहीं हो सकते और न केवल हम अपने दुर्बल हाथों के प्रयत्नों में कौम को पार लगा सकते हैं। हम जो कुछ इस दिशा में कर रहे हैं…… उमने केवल एक अल्पसंख्यक दल पर प्रभाव डाला है……“हमारी आवाज इसी कमरे में गूंजती रहती है……न कौम का बड़ा भाग हमारी आवाज सुनता है न हम अपने भाईयों को यह रोशनी दिला सकते हैं, किन्तु जो आवाज उस सभा से निकलेगी त्रिसके हाथों में मुसलमानों के दिल हैं उसे हर मुसलमान पेशावर से लेकर बहुत तक, कारमीर में लेकर भद्रात तक सुनेगा और वह ज्योति जिसे वे लोग दिखायेंगे…… इतनी ऊँची होगी कि उसकी किरणें हर मुसलमान के घर में दिखाई देंगी।”^{११} इसी प्रकार उन्होंने १९०२ई० में नदवतउलउलेमा के आलोचकों की निन्दा की।^{१२}

मोहसिन यह जानते थे कि धार्मिक शिक्षा के विषय में साधारण मुसलमानों को अनीगढ़ कॉलेज पर विश्वास नहीं था। इस काम में उन्हें ने सर सेयद के विरुद्ध अत्यधिक प्रचार किया और अपनी समस्त शक्ति को प्रयोग में लाकर लोगों में धूला पेंदा कर दी। इसनिए उन्होंने उन्हें उन्होंने तथा धार्मिक नेताओं के सहयोग को अत्यधिक आवश्यक समझा।

मोहम्मिन के आगमन के पश्चात् अलीगढ़ कॉलेज में धार्मिक शिक्षा पर अधिक धन दिया जाने लगा। उन्होंने सर सेयद की मृत्यु के पश्चात् कहा था : “धार्मिक शिक्षा हमारे कॉलेज का चास्तिक और आवश्यक धन है और यदि वह पूरा न किया जाये तो हमारा कॉलेज मोहम्मिन कॉलेज के नाम का अधिकारी नहीं है और न ही हमें भवित्य में युनिवर्सिटी का नाम मोहम्मिन विश्वविद्यालय रखना चाहिए।” धार्मिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा : “यदि मुसलमान विश्व की समस्त विद्याये पढ़ जाये तथा समस्त भाषाये सीख ले, वो ऐ और ऐ. म. ए. होना कैमा बेफ़न और न्यूटन ही क्यों न हों जाये यदि वे अपनी विद्याएँ, धर्म, अपने साहित्य, इतिहास आदि से अनभिज्ञ रहे तो उनके ज्ञान से अज्ञान, उनकी विद्वत्ता से मूलता, उनकी सम्यता से असम्यवा हजार दर्जे, लाख दर्जे अच्छी है। ऐसे विद्वान कौम के लिए एक आपत्ति होगे न कि मुविद्वा। ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रशिक्षण कौम के अपमान का कारण होगी न कि सम्मान का।”^{१३} १९०१ई० में मोहसिन-उल-मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा :

“सर सेयद का अभिप्राय इस कॉलेज के स्वापित करने से था तुम मेरे नेशनलिटी पेंदा करना……तुम्हें कौम का सेवक बनाना और कौम की सेवा की महानता स्पष्ट करना…… मुसलमान चाहे किन्ती ही बराबर हाजर में हों, किन्तु इस्लाम की चिनगारिया उनके हृदय में भ्रमी भी है, इस्लामी प्रेम कीमी हमदर्दी की

११. नदवतउलउलेमा कानून और सम्बन्धित सीधे (१८६५), पृ० ४३।

१२. पत्र, ११ दिसम्बर १९०२, पृ० ७६०-७६७।

१३. रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस, १८६६ अधिकेशन, पृ० २५४-२६६।

आग अब तक उनके दिनों में है। केवल उमे भड़काने और याहर निकालने की आवश्यकता है और यही वह कार्य है जो हमें और तुम्हें करना है। क्या मुसलमान नहीं देखते कि उनकी क्या दण है समय ने क्या रग दिखाया है?.....जीवन निर्वाह के साधन जो दूसरों के निये खुले हुए हैं उनके लिये बन्द हो रहे हैं।”^{१४} सर संयद जहाँ मुसलमानों को उनके भूतकाल की महानता की याद दिलाकर उत्तेजित करना चाहते थे वहाँ मोहसिन-उल-मुल्क भारत की अन्य कौमों की प्रगति का मानवित्र सीधकर उन्हें उत्तेजित करना चाहते थे। उन्होंने कॉन्केन्स को सम्बोधित करते हुए कहा-

“जरा आँख खोलकर एक नेशनल कॉर्प्रेस की कार्यवाही को देखिये.....जिस गति से आप चल रहे हैं उनकी बराबर पहुँचना सो दूर उनकी धूल को भी आप नहीं पहुँच सकते। आपकी और उनकी प्रतियोगिता.....एक लगड़े और अपाहिज की गति और रेल पर यात्रा करने वाले की गति जैसी है। यदि आपने इस चाल को न बदला तो कोयले की खानों में कोयला निकालने वालों और स्टेशन पर बोझा ढोने वालों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आप दिखाई नहीं पड़ेगे.....हमने आपने हाथों अपनी यह दशा कर ली कि जो हमारे अधीन थे हम उनके अधीन है। जिन पर हम राज्य करते थे वे हमारे राजा हैं जिन्हे हम शृणा की हृषि से देखते थे वे हमें धूर्णित समझते हैं”^{१५}

१८६५ ई० में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्केन्स के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि कॉन्केन्स का एक दफ्तर हो जिसका लंबा ७५/- ह० मासिक हो। उस ग्रन्थमर पर भाषण देते हुए मोहसिन-उल-मुल्क ने कहा-

“यह कॉन्केन्स.....नेशनल कॉर्प्रेस की तुलना में कुछ महत्व नहीं रखती है बड़े खेद का विषय है कि जो कोई वाल तुम्हारे अधीन थी और तुम्हारी सभाओं में मन तक आते हुए उमके शरीर में कम्पन आता था वह इस बेग से कार्यवाही करे।”^{१६} दिसम्बर १८६०४ ई० में अलीगढ़ नेताओं ने इण्डियन नेशनल कॉर्प्रेस को राजनीतिक रोने वालों की एक सभा बताया था। उसके वार्दिक अधिवेशन की पूर्व बेला पर यह कहा गया : “वे सदा की भाँति इस महीने के अन्तिम सप्ताह में एकवित होकर अपनी शिकायतों का रोना रोयेंगे और चूंकि प्रपत्न यह है कि देश का कोई प्रान्त अयवा भाग शोह मनाने से न बचे इसलिये इस साल वर्ष्वार्ष में आपत्ति फैलेगी। निकट ही में हम दुख-दर्द और रोने की बात सुनेंगे।” संदर्भान्तिक हृषि में अलीगढ़ विचारधारा की यह मान्यता थी कि भारत में कोई ऐसे उद्योग नहीं थे जिनका

१४. गजट, ६ जून १८०१, पृ० २६७।

१५. मुसलमानों की रिहमत का फैलावा, (१८६४), पृ० ८५। इस प्रकार के उत्तेजनात्मक माध्यम सर संयद द्वारा बग दिये जाने थे।

१६. रिपोर्ट कान्क्रेना, १८६५ अधिवेशन, पृ० १३८।

विनाश विदेशी पूँजी के कलहस्प हुआ हो।^{१३} जनवरी १६०७ ई० में अलीगढ़ नेताओं ने बगाल विभाजन को पूर्वी बगाल और आसाम के मुसलमानों के लिये मुक्ति का साधन बताया तथा मुसलमानों को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे हिन्दुओं के प्रति दुर्व्यवहार करें क्योंकि अलीगढ़ नेताओं के अनुमार हिन्दू पूर्वी बगाल में मुसलमानों का सम्मान नहीं करते थे। उसी लेख में यह भी स्वीकार किया गया कि वहाँ के मुसलमानों में बहुधा कृपक, अमिक, कुली एवं भिखारी थे तथा हिन्दुओं को "जबरदस्त शत्रु" कहा गया।^{१४}

जून १६०७ में मोहसिन-उल-मुल्क ने कहा "यदि हिन्दू....." इर्लंड सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये कोई बहाना निकाल सकें तो हमें उसकी चिन्ता नहीं है, किन्तु यह निश्चित है मेरा बहाना जासकता है कि भारत के मुसलमान इसके लिये कोई बहाना प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुसलमानों की दशा तो यह है कि वे पारसियों की भाँति इर्लंड सरकार के इसलिये आभारी हैं कि भारत में उनका अस्तित्व अप्रेज़ो सरकार पर निर्भर है। इन दोनों कौमों के लिये यह कार्य अनुचित होगा कि वे उम सरकार की जड़ उड़ेँड़े जिसके कारण उनको धार्मिक एवं व्यापारिक स्वतन्त्रता उपलब्ध है....." भेरे विचार में इसका अन्तिम परिणाम भारत का विनाश होगा। इस भयंकर उत्तमाह (क्षिर्मी आन्दोलन) को आरम्भ में ही रोकने के लिये अधिकारियों को अत्यन्त कठोर नियमों से काम लेना आवश्यक है....." एक ऐसी प्रमाणिक घटना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते यह है कि अंग्रेजों के आगमन ने ही दिल्ली की इस्लामी सरकार को मराड़ों, सिक्कों और राजपूतों में विभक्त होने से बचाया और केवल इसी आधार पर भारत के समस्त मुसलमानों को अप्रेज़ी सरकार के प्रति भक्त रहना चाहिए।^{१५}

मोहसिन-उल-मुल्क और उद्धृत :

१६६६ ई० में उत्तर-पश्चिमी सरकार के समक्ष हिन्दुओं द्वारा एक स्मरण-पत्र (मेमोरेंडम) प्रस्तुत किया गया जिसमें उद्धृत के स्थान पर हिन्दी को न्यायालयों की भाषा घोषित करने का अनुरोध किया गया। उस अवसर पर मोहसिन-उल-मुल्क ने एजुकेशनल कॉम्फेन्स में कहा था : "नामरी भाषा के प्रचलित हो जाने से मुसलमान बहुत हानि उठायेंगे....." इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ मिलनी कठिन हो जायेंगी....." इस परिवर्तन से मुसलमानों को हानि तो स्पष्ट है, लेकिन प्रचलित व्यवस्था में हमारे देशीय भाईयों की कुछ हानि नहीं है क्योंकि जो हालत उनकी अब है वही स्थापित रहेगी.....।"^{१६} एक अन्य नेता

१३. गजट, २६ दिसम्बर १६०६, पृ० २-४।

१४. गजट, ६ जनवरी १६०७, पृ० ४।

१५. मोहसिन द्वारा बन्धी गजट के अनिवार्य दो दिया गया बत्तम्य : गजट, २६ जून १६०७, पृ० ६-७।

२०. लिंगट कॉन्फ्रेम्स, १६६६ अविवेतन, पृ० १२३।

ने कहा . “उद्दूं के स्थान पर नागरी शब्द प्रबलित कर देना हमारा कौमी चिह्न छोड़ देना है”..... देश में इस विषय में उत्तर-पश्चिमी व अवधि के प्रान्त के मुसलमानों का गम्भीर है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इसका परिणाम भारत की उद्दूं भाषा और माहित्य के भाष्य का निर्णय कर देगा।”^{२१}

उत्तर-पश्चिमी प्रदेश को सरकार ने १६ अप्रैल १६०० को एक विज्ञाप्ति प्रकाशित करके हिन्दी और उद्दूं की प्रान्त की व्यायालयों की भाषा बना दिया तथा प्रत्येक सरकारी अधिकारी के लिये हिन्दी और उद्दूं का ज्ञान आवश्यक कर दिया। सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिये सबसे पहले मोहसिन-उल-मुक्कु के घर पर एक सभा का आयोजन रिया गया और फिर अलीगढ़ कानिज़ के विद्यार्थियों ने कई सभाओं में अपना रॉप प्रकट रिया।^{२२} एक उद्दूं डिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गयी जिसका अधिवेशन लखनऊ में १६-१६ अगस्त १६०० ई० को मोहसिन-उल-मुक्कु की अध्यक्षता में किया गया। इस सभा में सरकारी निर्णय को वापस लेने की माँग भी गयी। प्रदेश के अप्रेज़ गवर्नर अलीगढ़ कानिज़ की इस सरकार विरोधी भूमिका में अत्यन्त असम्मुट हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी स्पष्ट भी की। मोहसिन-उल-मुक्कु ने उद्दूं डिफेन्स एसोसिएशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और यह एसोसिएशन भी शीघ्र ही समाप्त हो गयी।

अंग्रेजों के प्रति निष्ठा एवं भक्ति .

सर सेयर्ड के जीवन काल में अलीगढ़ विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भावना थी। इस भावना का ही परिणाम था कि सर सेयर्ड अंग्रेज अध्यापकों के प्रभाव को बढ़ाते ही रहने देना चाहो थे और इस प्रभाव पर अपने अन्य सहयोगियों (मीतबी समीउल्नाबी, मोहसिन-उल-मुक्कु यका-रुल-मुक्कु) से भगड़ा करने को तैयार थे।^{२३} मोहसिन-उल-मुक्कु अंग्रेज सरकार और अंग्रेज अध्यापकों में अन्तर करना चाहते थे। वे १६६७ ई० में कानिज़ के प्रबन्ध में अंग्रेजी अध्यापकों के प्रभाव को कम करना चाहते थे और सर सेयर्ड से पूरी तरह भगड़ने को तैयार थे। लेकिन कानिज़ एवं कान्क्षेश के सेकेटरी बन जाने के पश्चात् वे भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने लगे और १६०१ ई० के हिन्दी उद्दूं बाद-विवाद के पश्चात् वे सर सेयर्ड से भी अधिक भीड़ बन गये और मुसलमान हितों का एक मात्र सरदार अंग्रेजों को मानने लगे। १६०१ ई० में अलीगढ़ गजट में विभिन्न लेखों में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि मुसलमानों को ऐसा कोई राजनीतिक समर्थन नहीं बताना चाहिए जिसमें अंग्रेजों को उन पर सदेह हो सके।

२१. टिपोट कॉन्क्रेट विविदेश, १६६६, पृ० १२५।

२२. सेन्ट्रल उद्दूं डिफेन्स एसोसिएशन की सदस्यता मीटिंग की कार्यशाला, पृ० १३-२०, गजट, ७ मई १६०१, पृ० २०१-२।

२३. मोहम्मद अदीन जुबेरी : मकावीब पृ० ३३-३६।

१६०१ ई० में कुछ विशेष प्रवक्तन अलीगढ़ नेताओं को करने पड़े जिससे वे अप्रेज़ों ने अपनी भक्ति का विश्वाम दिलाया सके। इसी वर्ष मोहम्मद एबुकेगनल कांक्के न्त की अध्यक्षता के लिये एक यूरोपीय न्यायाधीश, बाड़म, जो अध्यक्ष पद के लिये चुना गया। इस अवसर पर अलीगढ़ के एक युवक नेता ने कहा कि “इस देश में मुसलमान और अप्रेज़ धर्म और रण की हाप्टि से दो अलग-अलग कोंम हैं, लेकिन आपमों दोस्ती और हमदर्दी के हिसाब से दोनों एक कोंम हैं।”^{२४}

१६०१ ई० में मद्रास में भाषण करने हुए मोहसिन-उन्न-मुल्क ने कहा कि “सरकार में अधिक कोई इस बात का इच्छुक नहीं है कि मुसलमान उन्नति करें……… सरकार का यह राजनीतिक सिद्धान्त है कि जो कोई एक समय में अत्यन्त जनक-शासी थी और जिसमें शराफत की गध पाई जाती है वह पददलित न हो……… सरकार के विषय में यह सोचना कि वह मुसलमानों की उन्नति में सहायता नहीं देना चाहती। निराधार और अनुचित होगा।”^{२५}

इस समय प्रचलित मुस्लिम राजनीतिक मगठन समन्वी बाइ-विवाद में यह बार-बार दाहराया जाता था कि मुसलमानों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे अप्रेज़ों को उनकी निष्ठा एवं भक्ति पर संदेह हो जाये और मर संघर्ष के ५० वर्षों के प्रथम व्यर्थ हो जाएँ। यद्यपि अपने हाप्टिकोल में सर संघर्ष से भी अधिक भीषण दर्तन गये। १६०४ ई० में अलीगढ़ कॉनिज के प्रिनिपल पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति के चयन में उन्होंने मोरिमन (भूतपूर्व कॉनिज के प्रिनिपल) को इच्छाओं का ही समर्थन करना अधिक उचित समझा, यद्यपि जिस व्यक्ति को मोरिमन चाहते थे उन्हें अधिकार अलीगढ़ नेता नहीं चाहते थे। मोहसिन को भय था कि “यूरोपीय अध्यापकवर्ग यदि इन्हें में एक बार हमारे कॉनिज प्रशासन के विश्वद यह आनंदोत्तन आरम्भ कर दे कि वहाँ (अलीगढ़ बॉर्स) नौकरी करना ८० व्यक्तियों (ट्रिस्टियों) के अधीन रहना होता है तो इससे हमें अत्यन्त हानि पहुँचेगी।”^{२६}

इसलिये जब १६०७ ई० में अलीगढ़ कॉनिज के विद्यार्थियों ने अपने अप्रेज़ अध्यापकों के विश्वद हड्डियाल करदी तो इससे कॉनिज के नेताओं को काफी परेशानी हुई और उन्होंने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि अलीगढ़ की परम्परा पर कोई घब्बा न आने पावे। उत्त समय मोहसिन-उन्न-मुल्क ने विद्यार्थियों को यह कहकर सीखे मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया कि “जोग समझने हैं कि तुम (तेशनल) कॉर्स में सम्मिलित हो गये हो। तुम्हारे हृदय में अप्रेज़ों के लिये अच्छे विचार नहीं हैं, तुम सरकार के लिये अच्छे विचार नहीं रखते हो……… तुम्हें शर्म और दुःख प्रकट करना

२४. टिप्पेट बांकॉन, १६०१ ब्रिंज़रा, पृ० १५।

२५. वही, पृ० ५६।

२६. भाषातीव, पृ० ६३, ८५-८६, बहार-उन्न-मुल्क एवं सीदद बाहरहूसीन के पद।

ममक्ष मपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत नहीं किया था।^{३९}

अलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल मोरिसन ने भी मोहसिन-उल-मुल्क के विचारों का समर्थन किया। कांग्रेस में सम्मिलित होना प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बराबर था, किन्तु यह सिद्धान्त मुसलमानों के विशिष्ट अधिकारों के लिये घातक सिद्ध होने वाला था तथा इसका दूसरा परिणाम हिन्दुओं के बहुमत के पैरों तले कुचला जाना बताया गया था जिससे मुसलमानों के समान्त हो जाने का भय था। कांग्रेस की भाँति ही एक अन्य संगठन स्थापित करना भी हानिकारक कहा गया था क्योंकि ऐसे संगठन के लिये धन और नेता कहाँ से आवेदे। मुसलमानों के राजनीतिक संगठन को वर्ष भर कार्य करने के लिये सरकार की नीतियों की आलोचना करनी आवश्यक होगी। जिससे साधारण मुसलमानों में अमन्त्रोप पैदा होगा। इसके प्रतिरक्त राजनीतिक आनंदोनन के पश्चात् मुसलमानों की माँगों की परीक्षा आरम्भ होगी जिससे उन्हें हानि पहुंचेगी क्योंकि उन्हें अनुपात में अधिक नौकरियां पहले से ही मिली हुई थीं। इसलिए मुसलमानों को कुछ शिक्षित नेतामों वी एक भवित्व बनानी चाहिए जो बहुधा अपनी बैठकें करती रहे और प्रचार के लिये पैम्फलेट आदि प्रकाशित करती रहे।^{३०}

इस समय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पर यह मुसलमान नेता सहमत थे, लेकिन वे ऐसा संगठन चाहते थे जिससे उनके सीमित और विशिष्ट अधिकार मुरक्खित रह सके। मामान्य आनंदोनन के लिये वे यह अपने आपको असमर्थ समझते थे। सर सैयद की नीति के विशुद्ध मुस्लिम नवयुवकों में फैले धरनोप को नियन्त्रित करना ही अनीगढ़ नेताओं के समक्ष मुख्य समस्या थी। वे मर सैयद ढारा बताये गये भार्ग पर ही चलते रहना चाहते थे।

इन ममस्याओं पर विचार विर्माण के लिए २१-२२ अक्टूबर १९०१ को लखनऊ में कुच्छ प्रतिष्ठित लोगों की एक सभा हुई जिसमें मोहसिन-उल-मुल्क की नीति वा अनुमोदन कर दिया गया और मर सैयद ढारा स्थापित मार्ग को उचित ठहराया गया। इस मीटिंग में यह निश्चय किया गया कि विभिन्न जिलों से ऐसे व्यक्तियों को छाट लिया जाये जिनकी वार्षिक आय ५०० रु. में अधिक हो और उन मदम्यों की एक म्यायी संस्था बनाई जाये।

इम सभा में जो प्रस्ताव पास किये गये वे विशेष महत्व के थे। यहाँ यह निश्चय किया गया था कि मुसलमानों का भविष्य अप्रेज़ी राज्य की मुरक्का के साथ

३९. गजट, २२ अगस्त १९०१, पृ० ४५८।

३०. गजट, १५ निवाच अक्टूबर १९०१, पृ० ५१७-५१८। मोहसिन-उल-मुल्क इस विचार से महसूत नहीं थे क्योंकि उनका बहना था कि जनशक्ति के आधार पर हिन्दू और मुसलमान वर्तावारियों में अनुपात विशिष्ट करना सर्वांग अनुचित था। मुसलमानों ने नौकरियाँ उनके ऐतिहासिक महरूद के आधार पर मिलनी चाहिये। गजट, ७ नवम्बर १९०१, पृ० ६३०-६३१।

जुड़ा हुआ था और इण्डियन नेशनल कांग्रेस का गमर्हन करने ने मुसलमानों को रोका गया।^{३१}

अलीगढ़ विचारधारा के नेताओं के समक्ष १६०० ई० के पश्चात् यह समस्या अत्यन्त जटिल बनी हुई थी कि अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्दोलन में सम्मिलित होने से कैसे रोका जाये। यदि अलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गये तो अलीगढ़ कॉलेज का महत्व सरकार के समक्ष पट जाएगा क्योंकि अलीगढ़ विचारधारा के नेता अंग्रेजों के प्रति भक्ति पर अत्यधिक जोर देते थे।^{३२} कॉलेज को वास्तविक मम्मान इम कारण प्राप्त था कि वह कोम को शिक्षा के अनिवार्य राजनीतिक मार्ग भी दिया जाता था जब वह इम योग्य न रहे तो उसका मूल्य सरकार की हाप्ति में यहुत कम हो जायगा.....हर स्थिति में जो कुछ करना है, तुरन्त होना चाहिये वरना फिर यह अवगत हाथ में निकल जायगा।^{३३} इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही अलीगढ़ नेता प्रतिनिधित्व अथवा प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे। वे कांग्रेस का विरोध १६८७ ई० में ही कर चुके थे और १६८७ ई० के पश्चात् अपने विशेषाधिकारों के लिए प्रयत्नशील थे।

दूसरी समस्या जो अलीगढ़ नेताओं के समक्ष थी वह भारत के विभिन्न भागों के मुसलमानों के नेतृत्व की थी। बगाल और दक्षिणी भारत के मुसलमान भी कांग्रेस आन्दोलन में प्रभावित थे और अलीगढ़ नेताओं पर संकुचित होने का आशेष लगाते थे। अलीगढ़ के विभिन्न नेता इस चिन्ता से अवगत थे। इसलिये वे भारत के मुसलमानों के आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथों में रखना चाहते थे।

मुसलमानों में अपना एक पृथक राजनीतिक संगठन बनाने की अवश्यकता १६०१ के पश्चात् अनुभव की जाती थी। इसका मुख्य कारण यह भावना थी कि मुसलमानों को लेजिस्लेटिव कॉन्सिलों तथा अन्य उच्च स्थानों में केवल सरकार की कृपा पर ही निर्भर रहता पड़ता था। दूसरा यह कारण था कि नियुक्त किए गए मुसलमानों में मै अधिकांश उनके वास्तविक हास्टिकोर्स को ध्यक्त नहीं करते थे।

३१. गजट ३१ अक्टूबर १६०१, पृ० ६२२-६२३, १४ नवम्बर १६०१, पृ० ६५७-६५८।

३२. अलीगढ़ कॉन्फरेंस हाल में सुरक्षित इस्तनियित पत्र जो भोटमिन-उल-मूल, बदार-उल-मूलक तथा आकाबद्दल-मूलक ने एह दूसरे को लिये, इस बात के सम्बन्ध प्रमाण हैं। अफ्रेंजी सरकार में विशेषज्ञ उच्चर परिषदों प्रदेश में ललीगढ़ के पड़े हुए विद्यार्थियों को नौकरियों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी। यदि वे विद्यार्थी वाप्रेस में सम्मिलित हो गये तो यह विशेष सुविधाएं बद हो जाएंगी। १६०१-१६०६ ई० के मध्य अलीगढ़ नेताओं में व्यापक चिन्ता दियार्दि पड़ी है। साधारणतया राजनीतिक आशेलन अथवा संसाधी के घटन में इन और द्यान बहुत कम दिया जाना है। यह चिंता ही उनके सङ्गठन बनाने में शराब्द दूर है।

३३. आकाबद्दल-मूलक वा पत्र बदार-ज़ा-मूलक के नाम दि० १८ अगस्त १८०६। वे अलीगढ़ कॉन्फरेंस हाल में सुरक्षित हैं।

शिक्षा में पर्याप्त प्रगति कर सेने के पश्चात् ही राजनीतिक भंगठन बनाने में अधिक लाभ हो सकता था।

१६०३ ई० में मुसलमानों वी सामूहिक आवश्यकताओं के विषय में अलीगढ़ नेताओं ने लिखा था कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि मसुदाय की शक्तियों को संगठित किया जाए। लोग यह समझते थे कि शिक्षा के लिये प्रथल करना प्रशुल आवश्यकता थी, लेकिन शिक्षा भी कौम को संगठित करने के लिये आवश्यक थी।^{३४} अलीगढ़ विचारधारा के अनुमार भारत न कभी एक कौम था न यहाँ के निवासियों में एक कौमियत को भावना थी। उमी समय प्रकाशित मर जैन स्ट्रीची की पुस्तक के इन विचारों का अनुमोदन किया गया था।^{३५} कि भारत में कोई भारतीय जनता नहीं थी। यदि ऐसी जनता होनी तो इनी मरलता में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित न होता। यदि भारत में विभिन्न बीमां न रहती होनी तो अप्रेज ३० करोड़ बाले देश की जीत नहीं सकते थे। प्रोटेस्ट चीन के विवारों वा भी समर्थन किया गया था कि भारत को विदेशी नियन्त्रण से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि भारत कोई इकाई नहीं था, इसलिए भारत के निवासी भी एकता में बैठे हुए नहीं थे। भारत भी यूरोप की भाँति विभिन्न देशों में विभक्त था और भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बढ़िन थी जिनी मुसलम यूरोप के निवासियों में किमी एक राष्ट्रीयता की भावना थी।^{३६}

१६०३ ई० से अलीगढ़ विचारधारा के नेता यह प्रश्न सामान्यतः पूछते थे कि क्या मुसलमान अन्तर एक समय एवं सम्पद कौम बन जाएगे? उनका कहना था कि भारत के मुसलमान मुख्यतः एक ही धर्म का अनुमरण करते थे। एक ही देश में एक ही शासक के अधीन रहते थे। परिस्थितियों ने उन्हें एक कौम (नेशन) बनने में महयोग दिया था।^{३७} मर भैयद का मुख्य उद्देश शिक्षा प्रसार न होकर मुसलमानों को एक कौम (नेशन) बनाना था। सर संयद इम कार्य में घर्म और शिक्षा को महत्वपूर्ण ग्रश मानते थे। मुसलमानों के आगामी राजनीतिक भंगठन का घबरे बड़ा कार्य सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष समझाना तथा लोगों में गरकार के विरुद्ध असन्तोष फैलने को रोकना था। प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वा भावी राजनीतिक संगठन के साथ सम्बन्धित होता इस बात का आश्वासन होता कि राजनीति निम्न स्तर की नहीं होगी। इसलिए प्रभावशाली एवं घोर्य मुसलमानों को इसमें अलग नहीं रहना चाहिये। इसी समय मोहम्मन-उल-मुल्क ने एक परिपत्र प्रकाशित किया जिसके अनुमार विभिन्न स्थानों पर इस्लामी संस्थाओं के अध्यक्षों,

^{३४.} गजट, ४ अप्रैल १६०३, पृ० २-३।

^{३५.} मरजैन स्ट्रीची की पुस्तक 'इण्डिया' इन समय में (१६०३) प्रकाशित हुई थी।

^{३६.} गजट, १८ जुलाई १६०३, पृ० २-३।

^{३७.} गजट, ८ अगस्त १६०३, पृ० २-३।

सचिवों को अन्य प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं के विषय में मूचना एकत्र करने को कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि अपने कौमी उत्थान की योजनाओं में उन लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सके।³³

१६०१ ई० में अलीगढ़ के नेता राजनीतिक संगठन के विषय में चिन्तित दिलाई फृटे थे, लेकिन १६०३ ई० में उन्होंने राजनीतिक संगठन की सभ्य समाज में सम्मानित एवं सम्पन्न जीवन के लिये आवश्यक छहराया। यदि मुसलमान शान्ति से रहकर उन्नति करना और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें राजनीतिक संगठन में भाग लेना आवश्यक था। १६०१ में वे लोगों को राजनीतिक संगठन से अलग रहने की वात चाहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं सरकार को उनकी ओर से आन्ति न हो जाय। इसलिए अब उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक संगठन में भाग लेने में उन्हें सरकार से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सर संयद की मृत्यु के पश्चात् वे एक ऐसी सत्या स्थापित करना चाहते थे जो “समस्त कौम की आवश्यकताओं और कौमी जनभत को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सके।”³⁴

१६०४ ई० में अलीगढ़ नेताओं की इस नीति की आलोचना की जा रही थी कि उन्होंने मुमलमानों के राजनीतिक भविष्य के विषय में कोई योजना नहीं बनाई थी। इसका परिणाम यह हो सकता था कि मुसलमान आने वाले समय में निश्चित रूप से कायेस में सम्मिलित हो जावे। मोहसिन ने यह आश्वासन दिलाया कि १६०३ ई० की डिफेंस एसोसियेशन की भाँति एक संगठन बनाने का कार्य नवाच बकाईलमुल्क को सीप दिया गया था।³⁵ कुछ सप्ताह बाद अलीगढ़ नेताओं ने यह माँग भी प्रस्तुत की थी कि “अप्रेज़ सरकार मुसलमानों को अन्य विजित जातियों की भाँति नहीं समझे बल्कि मुसलमानों को विश्व की राजनीति में एक दल समझें” यहाँ तक कि इंग्लैण्ड अपने अस्तित्व और प्रगति में मुसलमानों के अस्तित्व और उन्नति को एक आवश्यक ग्रन्थ समझें।³⁶ सम्पत्ता और सहृदयि में मुसलमान और अप्रेज़ आपस में अन्य घरों वी घोषका अधिक निकट बताए जाते थे।

इस प्रकार १६०५ ई० तक अलीगढ़ विचारधारा के अनुसार यह स्पष्ट था कि मुसलमानों का सरकारी मेवाप्तों में अश जनसंख्या मात्र के आधार पर निश्चिन नहीं किया जा सकता था। वे अपने ऐतिहासिक महत्व पर अत्यधिक वल दे रहे थे। वे अलीगढ़ वाँटेज के महत्व को बनाये रखने के कारण यह चाहते थे कि राजनीतिक आन्दोलन सामान्य मुसलमानों में न फैले तथा अलीगढ़ विचारधारा का नेतृत्व

उपलब्ध रहे। ये कारण ही १९०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल के निये उत्तरदायी हुए। १९०५ ई० में बकागड़लमुल्क द्वारा एक स्मरण पत्र लंयार किया गया था जिसमें मुमलमानों की मुराय माँगो को जिया गया था, इसी हस्तानित प्रतिलिपि अलीगढ़ में सुरक्षित है। इस प्रतिलिपि में प्रस्तावित माँगों में और १९०६ ई० में वास्तव में प्रस्तुत माँगों में कोई विभेद अन्तर नहीं है ऐसी स्थिति में १९०६ ई० में प्रस्तावित माँगों को अंद्रेजो द्वारा प्रोत्साहित बनाना गृह्णत है।

शिमला शिष्टमण्डल भेजने का विचार एवं उसके द्वारा प्रस्तुत माँगें मूलतः अलीगढ़ नेताओं एवं अलीगढ़ विचारधारा का हो परिणाम थीं। १९०६ ई० में जॉन मोर्ने ने भारत में कुछ संवैधानिक मुधार प्रमाण के विचाराधीन होने की घोषणा की थी। इस घोषणा से अलीगढ़ मुसलमान नेताओं में बड़ी दैबेनी जागृत हुई और उन्होंने अपनी जनियों को एकत्रित करके अपने विशिष्ट प्रधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। शिमला शिष्टमण्डल का उत्तरदायित्व निश्चित करने के निये विभिन्न घटनाओं का अमानुसार वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

(१) १९०६ ई० में मिन्टो और मोर्ने दोनों ही प्रतिक्रियावादी तत्वों को अपने माय मिलाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अपने माय मिलाने की बात नहीं मोची थी। मिन्टो ने मोर्ने को २८-मई, १९०६ को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने लिखा था : “मैं पिछले कुछ दिनों से कौप्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध साधनों के विषय में सोच रहा हूँ शायद यह हमें नरेजों की समिति में अथवा इसके विस्तृत प्राप्त में मिल सकें जिसमें केवल शासकों को ही नहीं अपितृ कुछ अन्य बड़े व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो वर्ष में एक बार सम्पाद अथवा पखवाड़े के लिये मिल सके।”^{४२} मोर्ने ने उत्तर में कहा कि उने कौप्रेस से हर स्थिति में निपटना पड़ेगा।^{४३}

(२) मोहसिनडलमुल्क ने ४ अगस्त, १९०६ को बम्बई में आर्चेल्ड को एक पत्र में साईं मौर्ने के भाषण में उत्तम मुसलमानों में व्याकुलता की चर्चा की और मोर्ने की घोषणा को इण्डियन नेशनल कौप्रेस की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने शाये लिखा : “आप यह जानते हैं कि मुसलमान पहले से ही असन्तुष्ट हैं और शिक्षित मुमलमान युवक कौप्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इस भाषण से उनमें कौप्रेस में सम्मिलित होने की मावना बढ़ी.....लोगों में यह मामाला जिकायत है कि हम (अलीगढ़ नेता) राजनीति में भाग नहीं लेते हैं और मुसलमानों के राजनीतिक प्रधिकारों को सुरक्षा नहीं करते हैं। विधान सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के नये प्रस्तावों में.....यदि विवानित पद्धति को अधिक विस्तृत कर दिया गया तो मुसलमानों को शायद ही कोई स्थान पिछे जाकि हिन्दू वहुमंस्यक होने के कानूनव्यवस्था

^{४२} बाउंडेस ऑफ मिन्टो, इण्डिया-मिन्टो-मोर्ने, पृ० २८-२९।

^{४३} मोर्ने गिलेश्वरम्, चिठ्ठी २, पृ० १३६।

समस्त स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे और कोई मुसलमान निर्वाचित द्वारा कौसिल में प्रवेश नहीं पा सकेगा। सरकार का ध्यान मुसलमानों के अधिकारों पर विचार करने के लिये वायसराय के समक्ष एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए क्या तुम मूचना द्वेष कि वायसराय के समक्ष मुसलमानों की ओर से स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने तथा इस विषय पर एक शिष्टमण्डल द्वारा मुसलमानों के विचार वायसराय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध करना उचित होगा? तुम्हें वहाँ सरकारी अधिकारियों की सम्मति जानने के अच्छे साधन उपलब्ध हैं और तुम इस विषय में मुझे अमूल्य परामर्श दे सकते हो” ।^{४४}

(३) मिन्टो ने ८ अगस्त, १९०६ को भोले को लिखा कि “यह पत्र मेरे सामने आज ही रखा गया है। यह मुस्लिम विचारधारा का तथा उनके उम सभ्य का कि विधान सभाओं के विस्तार के समय मुस्लिम हितों की अनदेखी हो सकती है तिन प्रस्तुत करता है। मुझे प्रस्तावित शिष्टमण्डल के स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं मिला है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिये विनत हूँ।^{४५}

(४) आर्चबोल्ड ने ६ अगस्त, १९०६ को वायसराय के निजी सचिव को मूचित किया कि उसने भोहिसिनउलमुल्क को कुछ भी करते के लिये उम सभ्य तक भना किया था जबतक वह अपने विचार न लिखे। इस शिष्टमण्डल को वायसराय द्वारा भेट प्रदान करना अत्यन्त उचित होगा। यदि मुसलमानों की तत्कालिक उत्तेजित स्थिति में उनकी क्रियाशीलता को एक उचित और नियमित दिशा में भोड़ा जा सके, यदि शिष्टमण्डल को कुछ भन्तोपजनक उत्तर दिया जा सके तो उससे मिथ्या बहुत जान्त हो जायगी। उसने आगे लिखा “मैं शिष्टमण्डल के नेताओं की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूँ कि कोई भी तेजी वात जो लेशमान भी आपत्तिजनक अथवा नेत्राहीन हो नहीं कही जायगी। मुसलमानों में सखार को बोई कष्ट देने की भावना नहीं है, केवल भविष्य के लिये एक व्यापक व्याकुलता है कि कहीं नये मुधारों में उनकी ओर कोई ध्यान ही न दिया जाए।”^{४६}

(५) हेनरिल इवेट्सन (वायसराय की कौमिल का एक सदस्य) ने १० अगस्त, १९०६ ई० को लिखा कि वह इस बान में सहमत था कि वायसराय मुसलमानों के शिष्टमण्डल को अनुमति प्रदान करें और उन्हे गहानुमूलिकताएँ उत्तर दे। उसने इस बान की पुष्टि की थी कि मुसलमानों की नई गीढ़ी उत्तेजित एवं विनिःत है, “लेहिन

^{४४} मिन्टो के भोले जो भेजे गये पत्र (८ अगस्त, १९०६) के गाय नसान (गिरा ने दूसरे नियामियों के भेजे गये निजी पत्रों में उल्लंघन, रीत नं० ४, पत्र नं० ६)

^{४५} वही।

^{४६} आर्चबोल्ड ना इत्यत्तमित्य से नाम पत्र, १ अगस्त, १९०६। (मिन्टो द्वारा, भाइनो हिम्म गीच नं० १)

उनको कौप्रेस दल में थकेल देना भारी विपत्ति होगी क्योंकि इस समय शिक्षित मुसलमान भारतीय समाज में सबसे अधिक रुदिवादी तत्व है।^{४७}

(६) इनलपस्मिन्द ने १० अगस्त, १९०६ ई० को आर्चबोल्ड को मूचता दे दी कि वायसराय शिष्टमण्डल स्वीकार करेंगे। आर्चबोल्ड ने इस समय अग्रग्रंथ मुसलमान नेताओं को पत्र लिखे कि वे युवा वर्ग को नियन्त्रित रखें।

(७) आर्चबोल्ड ने १४ अगस्त को शिष्टमण्डल द्वारा प्रस्तावित आवेदन-पत्र का मसीदा बनाकर भेजा था, लेकिन मोहमिनउलमुल्क ने उसकी कई प्रमुख बातों को स्वीकार नहीं किया। उत्तर में मोहसिन ने यह बात स्पष्ट लिखी थी कि मुसलमान अलीगढ़ कॉलेज वो भी चन्दा देना बन्द करने की बात कह रहे थे यदि उन्होंने (अलीगढ़ नेताओं ने) उनके हितों के लिये बुद्धि न किया। उन्होंने आगे लिखा कि 'वर्तमान असन्तोष लिवरल सरकार के कारण है'.....जॉन मोर्ले एक दार्शनिक हैं और उन्हें दर्शन पर व्याख्यान देते रहना चाहिये था। प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर सेव करता है कि भारत का भाग्य उनके हाथों में है। उनकी नीति ने भारत को बहुत हानि पहुंचाई है और अधिक पहुंचने की आशा है। क्या सरकार के लिये यह उचित है कि वह भारत की जनसभ्या के एक महत्वपूर्ण वर्ग को जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए सदा सरकार पर निर्भर रहा है असनुष्ट हो जाने दे और वे हिन्दुओं की भाँति आन्दोलन आरम्भ करें। मैं केवल आशा करता हूँ कि भारत सरकार मुसलमानों की बढ़ती हुई उत्सेजना को कम करने और उनकी विवशता को दूर करने के लिए बुद्धि करें।^{४८}

(८) मिन्टो ने मोर्ले को लिखा कि फुलर के त्यागपत्र से मुसलमानों में असन्तोष बढ़ेगा क्योंकि वह पूर्वी बंगाल में हिन्दु और मुसलमानों को एक-दूसरे से भिड़ा रहा था। मुसलमानों में व्यापक असन्तोष से कुछ लाभ ही होगा क्योंकि इससे वह पक्ष सामने आयेगा जो अभी तक कौप्रेस आन्दोलन के कारण दिया हुआ था।^{४९}

(९) पूर्वी बंगाल और आसाम के गवर्नर 'हेयर' ने १ मित्रम्बर, १९०६ को वायसराय के निजी सचिव को लिखा कि यदि सरकार मुसलमानों के संरक्षक होने का आश्वासन दिया जाए और शिष्टमण्डल के सदस्यों को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मान लिया जाये तब फिर उनके लिये राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यदि मुसलमानों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया तब इसका परिणाम अत्यन्त घातक होगा।

^{४७} इटेमन द्वा पत्र इनलपस्मिन्द के नाम १० अगस्त, १९०६ (मिन्टो ऐप्सें, रील नं० १)।

^{४८} मोहमिन का १८ अगस्त, १९०६ द्वा पत्र जो आर्चबोल्ड ने इनलपस्मिन्द को भेजे से अपने पत्र दि० २२ अगस्त, १९०६ के माध्य समाप्त कर दिया था। मिन्टो ऐप्सें, रील नं० १, पत्र नं० ५५।

^{४९} मिन्टो का पत्र मोर्ले के नाम, दि० १५ अगस्त, १९०६, (रील नं० १)।

१६०६ई० में अंग्रेज सरकार द्वारा यह पोषणा किये जाने के पश्चात् कि भारतीय विषय राजाओं के गठन में कुछ गुविधाएँ विचाराधीन हैं ऐसीएड नेताओं ने कुछ प्रयत्न करने की मोर्ची। चूंकि अलीगढ़ आमदोलन वा एक निश्चिन ध्येय अंग्रेज सरकार के प्रति भक्त रहना तथा उसे प्रशंसन रखना था, इसलिये अंग्रेज सरकार के समझ अपना स्मरण-पत्र प्रत्युत बनाये कि पूर्व नेताओं द्वारा यह मानूम कर लेना आवश्यक था कि अंग्रेज विस प्रवार वा स्मरण-पत्र पग्नद करें^{५०} यही यह ध्यान रखने योग्य है कि अलीगढ़ वे मुसलमान नेताओं ने जिन अधिकारों की कल्पना कर रखी थी वह विना अंग्रेजी सरकार के संरक्षण के उपलब्ध हो ही नहीं गये थे। उन विशिष्ट अधिकारों को बरपना ही अलीगढ़ विचार भौमि को अन्य विचार भौमियों में भिन्न रख सकी।

अलीगढ़ नेताओं ने अपनी मांगों को १ अक्टूबर, १६०६ वा एक शिष्टमण्डल द्वारा अंग्रेज वायसराय लाई मिट्टों के समझ जिम्मा में प्रस्तुत किया। इस शिष्टमण्डल वो मोहम्मदअली ने १६२३ ई० में 'आदेशानुमार कार्य' की उपाधि दी थी।^{५१} उस समय से इस विचारधारा की मान्यता वही हुई है यद्यपि तथ्य इसके विपरीत है। सामान्यत अलीगढ़ आमदोलन के समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा वहाँ के नेताओं के आपस में लिखे गये पत्रों के अध्ययन के पश्चात् इसमें कोई मन्देह ही नहीं रह जाता है कि इस शिष्टमण्डल का समस्त उत्तरदायित्व अलीगढ़ नेताओं पर ही था और अलीगढ़ वॉनिज के प्रिसिपल आचंबोल्ड का योगदान अपने मानिसों की महायता करने तक सीमित था। यह तथ्य मिट्टों के गोपनीय एवं निःशीलों में भी भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है।

१ अक्टूबर, १६०६ को आगामी के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मण्डल जिम्मा में वायसराय से मिला। उन्होंने एक विस्तृत स्मरण पत्र प्रभुतुन निया जिसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थी :

"भारत के मुसलमान १६०१ ई० की जनगणना के अनुसार ६ करोड़ २० लाख से अधिक हैं और समस्त भारत की जनसंख्या वा १/५ से १/४ भाग के मध्य हैं। लेकिन यदि वहाँ से अमन्य जातियों की नसा ऐसे बर्ग की जनसंख्या वो जिन्हें हिन्दू वहा गया है, लेकिन जो हिन्दू नहीं है घटा दिया जाये तो मुसलमानों का अनुपार हिन्दुओं की तुलना में बहुत बढ़ जायेगा। इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि उस समुदाय को जो रूम को छोड़कर यूरोप की अन्य विसी भी राज्य की समझ

^{५०} १६२५ ई० में तैयार की गई मांगों का ध्योग भी एहते अंग्रेज उक्त अधिकारियों दे पाये रखा गया था। बाद में गर मैरें अन्य वित्तिकारियों से भेज दिये गये। इसी बार्य वो १६०६ ई० में दो अन्य धर्म देशों की भेज दिया गया था।

^{५१} मोहम्मदअली वे अध्याय में उनकी इम कलाना की बास्तवितता पर विचार प्रवर्त दिए गए हैं।

जनमहस्त्रा से बड़ा है राज्य में विशेष महत्व का माना जाना चाहिए। हम यह और कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कोई को जो स्थान किसी भी प्रतिनिधि सभा अथवा निर्वाचन पद्धति में दिया जाये वह केवल उनकी मन्त्र्या के अनुमार ही नहीं, परन्तु उनके राजनीति महत्व तथा उनके गान्धार्य की सुरक्षा में योगदान के अनुकूल होना चाहिए। हम यह आशा करते हैं कि आप उस स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे जो उन्हें भारत में १०० वर्षों ने अधिक पूर्व उपनिषद्य थी और जिसकी स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में मिटी नहीं हैं।

निर्वाचन के परिणामों के विषय में यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि बर्तमान चुनाव मंस्थायें किसी ऐसे मुसलमान का नाम सरकार की स्वीकृति के लिये शायद ही प्रस्तुत करेंगी जबकि वह मन्त्र महत्वपूर्ण दिव्यों में बहुमत के साथ सहानुभूति न रखता हो^{४२} किर भी इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि मुसलमान एक भिन्न कोई है जिनके अर्गे विशिष्ट हित है..... किसी भी समुदाय का राजनीतिक महत्व बहुत सीमा तक राज्य को मेवाओं में उपनिषद्य भाग पर निर्भर करता है।"

माराण्डत, यह मार्ग प्रस्तुत की गई कि उन्हें राजनीति सेवाओं में, उच्च न्यायालयों में, म्युनिसिपल कॉसिलों में, यूनिवर्सिटीों की सीनेट में, प्रान्तीय तथा वायनराय की सभाओं में उचित स्थान मिलना चाहिये और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।"^{४३}

इस स्मरण पत्र के उत्तर में मिन्टो ने अत्यन्त आग्राजनक उत्तर दिया।

"आपकी आज यहाँ उपस्थिति बहुत भहत्वपूर्ण है मैं आपके शिष्टमण्डल के प्रतिनिधित्व स्वरूप का स्वागत करता हूँ जोकि भारत के जागृत मुस्लिम मध्यदाय की इच्छाओं तथा दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करता है। मैं अनुभव करता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है वह एक प्रतिनिधि मण्डली द्वारा कहा गया है। एक विजेता तथा अधिकारी जाति के बगज, आपने आशादान भविष्य, गापत्य जाग्रिति, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा घटकित स्वतन्त्रता के लिये आभार व्यक्त किया है जो भारत को अप्रेज़ी प्रशासन से उपनिषद्य हुई है। आपके शिष्टमण्डल प्रस्ताव का सार, जैसा मैं समझता हूँ यह दावा है कि प्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली में चाहे वह म्युनिसिपेन्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा लेजिस्लेटिव कॉसिल में सम्बन्धित हो जिसमें निर्वाचन पद्धति का समर्वेष अथवा उभयों बड़ाना हो मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय की भौति हो प्रतिनिधित्व मिला चाहिए.... ग्राम यह दावा न्यायमंगत ही करते हैं कि आपकी महारात्मक गति दोनों प्रकार में—प्राप्तके समुदाय का राजनीतिक महत्व अथवा साम्राज्य के प्रति अपित्त सेवा—आपको विशिष्ट महत्व के अधिकारी बनाती

४२. शिष्टमण्डल के नेतृत्व सम्बन्ध: यह सोचते हैं कि मुसलमानों का बहुमत के साथ सहमति रखना ही एक दोपूर्ण कार्य होगा।

४३. रामप्रसाद: इष्टियन मूस्लिम, परिशिष्ट 'B', पृ० ३२६-३३५।

है। मैं आपने पूरी तरह गहरा हूँ मैं यह बताने का कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ कि इन साधनों से समुदायों का प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया जा सकता है। मैं आपनो के बहुत इच्छा ही कह गए हैं कि मुस्लिम मध्यसंघ निश्चिरा रह सकता है कि उनके एक सम्प्रदाय की भाँति राजनीतिक अंतिमार और ही इसी भी ऐसे प्रगतिशील पुनर्गठन में मुरक्कित रहेंगे जिसके माध्यमें गम्भीरा है।^{४४}

अब गे पुनः मिन्टो ने यहाँ मैं आपके गिरष्टमण्डल का धारारी हूँ जिसने मुझे इनमें प्रतिष्ठित एवं प्रतिनिधित्व मुसलमानों में मिन्टो का अवगत प्रदान किया है।⁴⁵ वायरसाय के भाषण के तिरंभार प्राट करने हुए मोहसिनउलमुल्ला ने इनलप्तस्मिय को लिया कि यायरसाय के महत्वपूर्ण भाषण ने एक पृथक् समुदाय के हृषि में भारत के मुसलमानों के अधिकारों को साप्त एवं सहानुभूतिपूर्ण हृषि सीधीकार किया था। उनके राजनीतिक महृश्य जो अन्य किसी गे भी कम नहीं थे वे वी उदार प्रगता ने उनमें एक नया जोग भर दिया था और वे तथा उनकी पीड़ियाँ भारत सरकार की नीति की इम ऐतिहासिक पोरणा वो हमेशा घटून्हूँ तथा समझें।⁴⁶

इग गिरष्टमण्डल की सफलता के पश्चात् मुसलमानों के एक राजनीतिक संगठन की स्वापना दिसम्बर १६०६ ई० में ढाका में उम समय हुई जबकि वहाँ मोहम्म्डन एकुकेशनल कालेज का २०वाँ वार्षिक अधिकेशन हो रहा था। मुस्लिम लीग की स्वापना भलीगढ़ नेताओं की विचारधारा के आधार पर हुई जिसके प्रनुगार मुसलमानों के पृथक् भस्तित्व वी बात वही गई थी। इसके उद्देश्यों में प्रयत्न स्थान मुसलमानों में अप्रेज़ों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना और दूसरा स्थान भारतीय मुसलमानों की भताई तथा राजनीतिक अधिकारों वो मुरक्कित रखना था।

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन को अलीगढ़ विचारपाठा मुसलमानों के ऐतिहासिक गौरव तथा उनके पूर्व शासकों के बशज एवं पृथक् हिन्दों के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकी और लाई मिन्टो द्वारा इन विशिष्ट मुविधाओं को मनवा सकी। अक्टूबर १६०६ ई० में शिल्पा गिरष्टमण्डल के अध्यक्ष मुल्लान मोहम्मद शाह आगामी ने चीन जापान की बातों पर जाते हुए वायरसाय के निजी सचिव को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मोहसिन को दिये गये परामर्श का बरण दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी कार्य अथवा नीति अपनाने के पूर्व निजी साधनों से सरकार की अनुमति एवं इच्छा जान लेना आवश्यक था उन्हे इस बात का भय था कि कहीं वे अनजाने में ऐसा कार्य न कर बैठे जिसमें सरकार को अमुविधा हो।⁴⁷

^{४४} रामनोपाल वरिशिष्ट 'C', पृ० ३३५-३३६।

^{४५} मोहसिन वा पत्र इनलप्तस्मिय के नाम, ७ अक्टूबर, १६०६ : मिन्टो पेपर्स, न० १०६।

^{४६} आगे यी वा पत्र इनलप्तस्मिय के नाम, २६ अक्टूबर, १६०६, मिन्टो पेपर्स।

मौलाना मोहम्मद अली

(१८७८-१९३१)

दोस्री मंडी में मौलाना मोहम्मद अली के समाज यदि कोई अन्य मुस्लिम नेता लोक चर्चा का विषय बना तो केवल मोहम्मद अली जिस्ता और वह भी १९४० ई० के पश्चात् । मौलाना मोहम्मद अली ने पचाम वर्ष वौं आयु में अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं का एक वृत्तान्त लिखा था जिसमें उन्होंने महबाया कि भारतीय राज्यों में उच्च नीकरी के अवसर को छोड़कर उन्होंने १९१२ ई० में पत्रकारिता के व्यवसाय को आपनाया था जिसमें वे 'मिलत' और 'दिश' की सेवा कर मर्के । १९१२ ई० में १९१५ ई० तक और १९२० ई० के पश्चात् मौलाना समाजार-पत्रों द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते रहे । इस कार्य में उनकी कीर्ति हुई अद्यता अपर्कीर्ति, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । उनकी अभिलाषा थी कि वे अज्ञान न रहे । वे जीवन भर इस बात के इच्छुक रहे कि लोग उन्हें जाने ।^१

कीर्ति की इस अभिलाषा ने उन्हें किसी दिन में न रहने दिया । उनके एक अभियंता और थदालु मित्र ने कहा है कि "वह न स्वयं कोई दल बना सके और न विमी बनी बनाई पार्टी में अधिक समय तक निर्वाह कर सके....." जिस वस्तु को मौलाना ने टीक समझ लिया वह उसे दौन से पकड़ लिया फिर चाहे इसमें सब ही का सत्य छोड़ देना पड़े ।^२ ऐसे प्रवसर पर वह न किसी मित्र का ध्यान करते न होने निकट सम्बन्धी का, न छोटे-बड़े की परवाह करते थे, न युह शिष्य की चिन्ता करते थे ।^३ यही कारण था कि मोहम्मद अली की पार्टी बदलनी रही और उनके

१ मौलाना अगरतला द्वारा सम्पादित हयात-ए-जौहर पृ० २५ तथा २३। 'बोहर' मौलाना का उल्लंघन था जो वे कविताओं में प्रयोग करते थे ।

२ बनुल मात्रिद दरयावादी : मोहम्मदशनी-निकी दायरी, भाग १, पृ० २६३ तथा ३४४ । शाह में इस पुस्तक को केवल दायरी ही निका गया है ।

दोस्तों में परिवर्तन होता रहा। इर्गाएँ जीवन भर गोतम्बर धर्मों पर्दे रहे।^३

कीर्ति गी अभिनवों के सर्विक्षण गोतम्बर धर्मों के विविध की दृष्टिं निशेषता यह थी कि वे मराठू स्वभाग के व्याप्ति थे। उन्होंने शब्द १६०२ ई० में बायोग अधिवेशन के द्वारा गोतम्बर धर्मों में रहा था। "मैं जीवन भर एक लडाकू रहा और लडाकों में से निरन्देश धर्मों गोतम्बर विविध व्यापारियों में रहा देता था, जिन्होंने मुझे गोतम्बर धर्मों व्यापारों को जीवीर पहुँचा दी। मैं भपनी इस स्वयंस्वता को पुनः प्राप्त करने के लिए धार्म भी गोतम्बर धर्मों में मूल्यवान् सम्मान को छोड़ने के लिए नियमार्थ हूँ।"^४ दिग्मवार १६३० ई० में भागलू देते हुए उन्होंने प्रथम गोतम्बर सम्मेलन के सम्बन्ध पढ़ा था।

"दाद रविएँ हि जब मैं अप्रेज़ों से लड़ गरता हूँ तो हिन्दुस्तानियों ने भी लड़ सकता है। लेतिन पहुँचे मुझे कोई ऐसी चीज़ तो दीक्षित जिन्होंने लिए मैं लड़ सकूँ....." यद्यपि धार्यु में मैं उन (मिट्टर जेवर) से बड़ा हूँ लेतिन स्वभाव और लड़ने की इच्छा के हिसाब से मैं भी एक नवयुवक हूँ।"

गोतम्बर धर्मी का गमन जीवा दंडों तथा गवालों में धरोन दृष्टा।^५ ये मध्यर काफिरों और धर्मसियों में, मिलाके गमन्धों और कोप के द्वारियों में ही नहीं थे बल्कि मिलों और गुरुओंगों में भी थे, ग्राने भगवनों और निदानों अनुयाइयों से भी और ग्राने ग्रगमहों तथा निरट गव्य-धर्मों में भी।^६ गद्दुन भाजिद दरयावाड़ी ने गोतम्बर धर्मी के जीवन के नियमों का वर्णन करते हुए कहा है। "ग्राज इगमे नडार्द, कन उगां नाटा", "गांडू नी गरकार गे नडार्द, मुश्याम लीरा से लडार्द, बांदिम मे लडार्द, गोवीतान गरू ने नाटार्द, करगी मरूरू न नाटार्द,

^३ रईस अहमद जाफरी गताईवान-ए-गोतम्बर अली, प० १६१-१६३।

^४ गोतम्बरधर्मी हिन्दुस्तानी गियासी उस्ताने, (अध्यक्षीय भाषण) प० ३६-३७।

यह उन्हें रखिन जटिलीय भाषण वा उद्भू अनुचाद है जो गहीर कर्तव्यों के लिया है। यह जग्यधीय भाषण दो सौ पृष्ठों से वर्धित है और गोतम्बर इसे दो दिनों तक दो रहे थे। वही, प० १०। जहार दिये गये वार्ताओं में से अन्तिम वार्ता गोतम्बर के १६२३ ई० के पश्चात् के वर्षद्वारा दो समझने के लिये अस्वत्त महत्वपूर्ण है।

^५ गुह्य लेपका न इन उपर्योग के लिये 'जिहाद' शब्द का प्रयोग किया है। अतुरति जर्मी में जिहाद प्रथल बरते हो रहे हैं।

^६ यह टिप्पणी मीनाता के प्रश्नका रूपम अहमद जाफरी द्वारा भी गई है। गताईवान-ए-गोतम्बरअली, प० १३, तथा द्रष्टव्यात ए-गोतम्बरधर्मी, प० ६।

^७ परन्तु महत्व न उठाने में अस्वत्त प्रभावजाती सम्भवा थी। गोतम्बर जन्मत वारी करकी महत्व के प्रमुख थे। मोहम्मदअली की गोतम्बर की उपाधि उन्होंने ही दी थी यद्यपि गोतम्बरधर्मी किसी अरबी मदरसे के पड़े हुए नहीं थे तथा आवरण, कुरान वा अर्ध निराजन, हृदीसा के अध्ययन में गोतम्बरधर्मी ने विशेष योग्यता ग्राप्त नहीं की थी। गताईवान, प० १०।

डाक्टर अमारी जैसे धनिष्ठ मित्र गे लडाई।^६

इस शत्रुता और संघर्ष का प्रभुप कारण था मोहम्मद अली की छल करने का आदा। जबाहरताम नेहरू ने जो मौताना के अध्यक्ष काल में कापेस के महामविव रहे थे, कहा है कि मोहम्मद अली ने अपने इस स्वभाव के कारण ही अपने बहुत में मित्रों को अपना शत्रु बना दिया था।^७ यदि किसी समय उनके शुभचिन्तक उन्हें यह बताता भी चाहे कि उनके साथ कोई नहीं रहा, तब उन्हे छोड़कर चले गए, तो वे ऐसा कर भी नहीं रहते थे कि कि मोहम्मद अली अत्यन्त प्रोवी और तेज़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके इस स्वभाव की उनके मित्रों तथा विरोधियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है “जब जिम पर चाहा कारण, आगारण विगड़ पड़े, वरस पड़े, उबल पड़े।”^८ वे अपनी भावनाओं के वशीभूत रहते थे। जब भावनाओं की बाढ़ आर्द्ध तो सब तुच्छ अपने गाय बहाकर ने जाती।^९ वे कभी किसी की गलती माफ़ नहीं करते थे।^{१०} जो कुछ समझ में आया बेघड़क कर गुजरे, जो दिल में आया बिना भड़ीबँ रह गुजरे। कभी इसी बात वी और ध्यान नहीं दिया कि उनके ममर्दक का यहेंगे और बहुत से अनुयायी उनके हाथ से निकल जायेंगे। उनका बहना था कि “मैं मरने मरने मर जाऊंगा लेकिन किसी भी औचित्य के आवार पर किसी वी कौसी गढ़ारी धमा नहीं करूँगा। मैं भेरा साथ आज छोड़ दें। मैंने काम साधियों के भरोसे नहीं, अल्लाह के भरोसे पर आरम्भ किया था। उमे स्वीकार होगा तो वह नदे माथी पैदा कर देगा………जरीर का जो भाग रखाव हो जाय उमे काट ही डानता चाहिए।”^{११}

मोहम्मद अली के इस स्वभाव का ही परिणाम था कि वे सोग भी जो १९१२ ई० में (जब पहली बार ‘कामरेड’ पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ था) मोहम्मद अली के अद्वीत रहने अथवा उसकी चाकरी करने में अपना गम्भीर

^६ डायरी, प्रब्रह्म भाग, पृ० ३२७, इसी प्रकार के विजार मानविद्यकी की मृत्यु पर मपाचार-पद सब के १६ जनवरी, १९३१ ई० के अक्त में दर्शे थे।

^७ जबाहरताम नेहरू: आत्म वाचा, पृ० ११३, ‘मताइवान’ में इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। पृ० १५-२३।

^८ डायरी, भाग पहला, पृ० ३६३।

^९ वर्षी, पृ० २८६।

^{१०} भताइवान, पृ० १६६-१६७। गठन काये दया है इसका निषेद्ध भी वे जपनी इच्छानुभाव ही करते थे। उन्हें सेड छोड़नी द्वारा खिलाफ़ फ़ॉड में १६ लाख लोदों का गठन गठन नहीं सकता था। उन्होंने अपने एक लेंदे में बनाया था कि गठन एक बार नहीं बिना ही बार ही जाये यदि किसी के पास पैमा है और उमे बिनी के लिये प्रैम है तो वह अवश्य पैमा देता रहेगा (हमदर्द, १८ जनवरी, १९२५, से उद्धरित : भताइवान, पृ० ४६-५०)।

^{११} डायरी, प्रब्रह्म भाग, पृ० ३४४।

समझते थे, १६२४ ई० में डटकर विरोध करने पर तुल गये थे। कामरेड के भूतायूद्य सम्पादक, महायक मैनेजर तथा अन्य प्रमुख कमंचारी या तो मर चुके थे अथवा हठकर जा चुके थे। और मोहम्मद अली योगुनः पत्र प्रकाशित करने में उनका सहयोग नहीं मिल गया।

मोहम्मद अली अलोगड़ कालेज के स्नातक थे और अपने विद्यालय के प्रति निष्ठावान थे, किन्तु उन्हें कॉनेंज ट्रस्टियों को गरकार के प्रति भक्त रहने वाली नीतियाँ परमन्द नहीं थीं। और १६२० ई० में मौलाना ने उनकी तीव्र आलोचना की। इसका परिणाम उन्होंने स्वयं १६२७ ई० में बताया था कि “अब सात वर्षों से हम अलोगड़ से निकाले हुए बाहर पड़े हैं।”^{१४} वे रामपुर में पैदा हुए थे तथा वहाँ पर १६०३-४ ई० में अन्य शिक्षा अधिकारी रहे, किन्तु आलोचना करने के कारण वाद में उनका रामपुर में प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया था।

१६२५ ई० में मोहम्मद अली वी पहली भयकर और कटु लड़ाई ग्राम्भ हुई और वह भी अपने मुख मौलाना अद्दुल वारी फरगी महल के साथ। यह लड़ाई अगस्त १६२५ में जनवरी १६२६ ई० तक चली। इस सघर्ष में मौलाना वो अत्यधिक अपमान सहन करना पड़ा। जिसने अग्रामक कारदून मोहम्मद अली के विरुद्ध इस समय में निकले, जिसने गढ़द मौलाना को मुनने पड़े उतने पहले कभी नहीं।^{१५} इन घटनाओं ने उनके स्वभाव का तीव्रात्मक जितना बड़ गया था, उसी मात्रा में कायेम में उनकी ऊब और मुमलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने की उत्कृष्ट बड़ी हुई दिखाई दी। १६२५ ई० में लाहौर में भाषण देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वहाँ के मुसलमान उनमें दुर्गमी थे, उनका नाम मुनना भी परमन्द नहीं करते थे, लेकिन वे घबराने वाले नहीं थे।^{१६}

१६२६-१६२८ ई० के मध्य दो अन्य प्रमुख साधार्यों में मोहम्मद अली उनके गये। एक हृदीम के मानने वालों तथा ‘जमीदार’ (ममाचारन्न) के विरुद्ध, जो विशेषकर पजाबीटोंने से लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा दिन्ली के प्रसिद्ध नेता स्वाजा हसन निजामी के विरुद्ध था। १६२७ ई० में ही ‘रंगीला रसूल’ नामक पुस्तक से उन्हे भारी बेदना हुई और उसके पश्चात् पजाब में साम्राज्यिक दगो और स्वामी अद्वानन्द की हत्या से क्षोभ पहुंचा। इसी समय उनके नेतृत्व के विरुद्ध मुसलमानों का भारी गठबन्धन हुआ। १६२८ ई० में ‘हमदर्द’ के आर्यक सकट तथा उनकी बढ़ी हुई डायविटीज की बीमारी उनके लिये भारी परेशानी का कारण बनी।^{१७} ५० वर्द की आयु में अरोग्यी जीवन विवरण में उन्होंने लिखा

१४. हमदर्द, २४ जून, १६२७।

१५. डायरी, भाग पहला, पृ० २६२-२६३।

१६. हमदर्द, २ जितम्बर १६२५, (मकालात-ए-मोहम्मदअली, पृ० ७५)।

१७. हमदर्द, २७ अप्रैल, १६२६ तथा २४ जून, १६२७ (इकादात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २७६-२८७, ३०७-३१०)।

"जिस समय से लोक कार्यों में भाग लेना आरम्भ किया डायविटीज का रोगी रहा है। अन्तिम तिहाई आयु में (३४ से ५० वर्ष की आयु में) धीमार रहा है। स्मरण शक्ति प्रत्यन्त ही दुबंल हो गई है।"^{१५} उनके अपने अन्तिम वर्षों में जमैयत उन उल्लेख और नेशनलिस्ट मुसलमानों से सघर्ष आरम्भ हुआ। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्रत्यन्त खराब होता गया। उपरोक्त घटनाओं का विस्तृत विवरण इस पुस्तक की सीमाओं से बाहर है। यहाँ अभिप्राय के बल मौलाना के व्यक्तित्व को स्पष्ट करना है।

१६२६ ई० में मोहम्मद अली जमैयत लिलाकत के अध्यक्ष अवश्य थे, लेकिन स्वयं जमैयत में ही अब कोई जान शेष नहीं रह गई थी।^{१६} १६३० ई० में लिलाकत कमेटी कांग्रेस से खुल्लम खुल्ला लड़ाई कर रही थी और लिलाकत कमेटी में मौलाना अकेले थे। उनके सब पुराने साथी जैसे डाक्टर अनसारी, मैदद महमूद, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद और अब्दुल मजीद रुवाजा आदि कांग्रेस कैम्प में थे। जमैयत उल्लेख के लोग भी धीमे-धीमे उसी ओर चले गये। अग्रेजी के अधिकारी समाचार-पत्र उनके दुश्मन थे। उर्दू के गैर मुसलमान अखबार भी उन्हें बहुत अपशब्द कहते थे और इससे बढ़कर या दिल्ली और साहीर के विभिन्न मुस्लिम समाचार-पत्रों का विरोध।^{१७} इस प्रकार मौलाना को कोसी जीवन में हर ओर से विरोध, अपने प्रत्येक लक्ष्य एवं दिशा में असफलता निश्चिह्न-पौ दिखाई पड़ती थी। चाहे लोग 'कामरेड' और 'हमेदर्द' के प्रशसक हों, लेकिन यरीदार कोई नहीं था।^{१८}

मोहम्मद अली के चिन्तन का विकास :

मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली उन तीनों विभिन्न नीतियों में किसी न किसी रूप में समर्पित रहे जो २०वीं सदी के प्रथम दशकों में अपनाई गई थी। यह तीन नीतियाँ थीं।

- (१) १६०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल तथा मुस्लिम लीग की स्थापना;
- (२) १६१५ ई० के पश्चात् हिन्दुओं से सहयोग की नीति; और
- (३) १६२४ ई० के पश्चात् मुसलमानों के पृथक् संगठन तथा उन्हें शक्ति-ग्राही बनाने की नीति।

१६०६ ई० में वे शिमला शिष्टमण्डल के सदस्य थे। वे साम्राज्यिक पृथक् निर्वाचन के साथ-साथ सम्प्रदित निर्वाचन पद्धति को भी मुसलमानों के लिए आवश्यक समझते थे।^{१९} इस पहले चरण में १६११ ई० में बंगाल विभाजन का

१५ हायान-ए-जौहर, पृ० २८।

१६. डायरी, भाग २, पृ० १०५।

२० वही, पृ० १०७-१०८।

२१. हमेदर्द, २७ जून, १६२७, डायरी भाग २, पृ० १६१।

२२. यजामीन, मोहम्मद अली, भाग २, पृ० १६२-१६३।

समाप्त किया जाना मुसलमानों को गत्यन्त यथिष नहा। मोहम्मद अनी ने मुसलमानों को जाहूत करने के लिए 'कामरेड' पत्र प्रकाशित करना घासम लिया। वे १६१२-१५ ई० में 'कामरेड' पत्र के सम्पादक के अग्र में विद्याग हुए। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने भारत के मुसलमानों को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में परिवित कराया तथा अपेक्षों पर आश्रित रहने वी नीति के दोष स्पष्ट किए। १६१३ ई० में कानपुर मस्जिद की घटना पर मोहम्मद अनी ने समुक्त प्रान्त (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के गवर्नर तक की आलोचना की। नवम्बर १६१४ ई० में तुर्की ने प्रब्रह्म विश्व मुद में जर्मनी का साथ देने का निश्चय लिया। मोहम्मद अनी के विचार तुर्की समर्थक अधिक थे। परिणामस्वरूप उन्हे 'कामरेड' पत्र बन्द करना पड़ा। मोहम्मद अनी वो मई १६१५ ई० में जेल में बन्द कर दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपेक्षों के विरोध से मुसलमानों की अगफलता तथा भारत में कांग्रेस के विरोध से बगान विभाजन की समाप्ति ते विभिन्न मुसलमान नेताओं में यह भावना बढ़ी कि भारत में हिन्दुओं के साथ मिलकर कार्य किया जाए। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक होने के कारण मोहम्मद अली भी इस नीति के समर्थक रहे, किन्तु वे इस दिशा में कोई मकान कार्य नहीं कर सके बरोड़ि उन्हे १६१५ ई० में बन्दी बना लिया गया था। मोहम्मद अनी ने अपने कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण में यह कहा था कि वह स्वयं और उनके भाई शौकत अनी कांग्रेस तथा लीग वो एक-दूसरे के निकट लाने के लिए उत्तरदाई थे^{२३} लेकिन १६१६ ई० के लखनऊ समझौते को १६२३ ई० में भी उन्होंने लाभदायक नहीं समझा।^{२४} बाद में तो उन्होंने इस समझौते को मुस्लिम हितों के विरुद्ध हो बनाया था।^{२५} १६१७ ई० में उन्हे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के लिए चुना गया लेकिन वे कोई अध्यक्षीय भाषण नहीं दे सके थे क्योंकि वे जेल में बन्द थे। अपनी आप बीती में जो शुतजता मोहम्मद अली ने इस सम्मान के लिए प्रकट नहीं की थी।^{२६} २८ दिसम्बर, १६१६ को उन्हें जेल से छोड़ा गया। उस समय तक बर्मांय की सन्धि पर हस्ताक्षर हो चुके थे और पूर्वी शूरोप के भागी में तुर्की का नियन्त्रण प्राप्त समाप्त हो चुका था। जेल में रहने की अवधि में मोहम्मद

२३ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६०-६१।

२४ अध्यक्षीय भाषण, पृ० १५८-१६०-१६१।

२५ मत्रामीत, भाग २, पृ० १६१-१६२।

२६ हयात-ए-जौहर, पृ० २५-२६।

अली के दिमाग पर कुरान और करबला आये हुए रहे।^{२३} जनवरी १९१६ में भी जब तुध घरेतू आवश्यकता में उन्हे तुध दिनों के लिये जेल में उनके पर (रामपुर) जाने की अनुमति मिल गई थी, उनका प्रोग्राम निश्चित सा ही था। जेल में छूटने के पश्चात् उनका विचार भारत और मूर्खों का दौरा करने का तथा इस्काम की नवीनीग बरने का था।^{२४}

जेल में छूटने के गुरन्त पश्चात् मोहम्मद अली अमृतमर में हो रहे मुस्लिम-भीम समय क्षणिक के अधिवेशनों में भाग लेने के लिये पहुँचे। १९२१ ई० तक वे भारत में और भारत के बाहर विलापन आन्दोलन के नेता के स्वयं करते रहे। इस समय उनके विभिन्न भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एकता वा भाव मिलता है। वे यह जानते थे कि विलापन आन्दोलन उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता था जबतक कि वे इस समस्या को अखिल भारतीय समस्या न बना लें और २२ करोड हिन्दुओं का समर्थन उपलब्ध न करा लें। इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एकता की बात कही थी। इस प्रकार इस्काम की स्वतन्त्रता के लिये भारत में हिन्दुओं का महयोग आवश्यक समझा गया था। उन्होंने विलापन को एक धार्मिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। १९१६-१९२१ ई० के मध्य मोहम्मद अली ने अपने विभिन्न भाषणों से मुमलमानों में रजनीतिक जागरण पैदा किया। १९२१-२२ के मध्य उन्हें फिर बन्दी बना लिया गया। अगस्त १९२३ ई० में वे मुक्त किये गये और उस समय उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता, महयोग आन्दोलन के स्थगित करने में अमन्त्रोप और अन्तरांगीय समस्याओं पर अपने विचार साझा किये।

१९२३ ई० में मोहम्मद अली ने स्वीकार किया था कि मुमलमान उम समय भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उन्हें अपने सम्प्रदाय की सुरक्षा के अतिरिक्त भारत के विमृत लाभ के लिये अपने ऐसीसियों के अधिकारों की सुरक्षा भी करनी आवश्यक थी।^{२५} हिन्दुओं के साथ मैंनी स्थापित करने की दिशा में मुमलमानों के सोचने के मुख्य कारण केवल वे कहुँदे अनुभव थे जो विदेशी और गैर मुस्लिम राज्यों की महायाना पर निर्भर रहने से पैदा हुए थे। ये ग्रेजेंस का समर्थन प्राप्त करने

२३ दैवता जेन से २५ जुलाई, १९१६ को लिया हुआ पत्र-डायरी, भाग १, पृ० ३२।

करबला के पुढ़ में मुमलमानों के लिया हुए वी मृत्यु हुई थी जिसे लिया मुमलमान मोहम्मद के स्वयं में अभी तक भनाने हैं। यह पुढ़ मुमलमानों के लिये बन्धन दर्शित करना जाता है। बाद में मोहम्मदजली ने राष्ट्रकांडियों पर यह आगोप लगाया वि उन्होंने ही रक्षार में बहुर मोहम्मदजली को जेल में बन्द करवाया तथा उनके पत्र को बन्द करवाया। विलापन कान्फ्रेंस १९२६ ई० में मोहम्मद अली वा अध्यक्षीय भाषण : मशारीफ, भाग २, पृ० २३६।

२४ डायरी, भाग १, पृ० ८० तक रीप का अर्थ है दर्श वचार।

२५ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६३।

आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक के लिये अपने हिसाब से प्रत्येक सम्भव विद्यान करके भी उन्हें बुध उपलब्ध नहीं हुआ था।³⁰

इसके विपरीत वे हिन्दुओं के साथ अप्रेशों की अरेशा बहुत कम त्याग करके
अधिक लाभदायक समझौता कर सकते थे।³¹ अपनी विवशता के समय भी (१६११-
२३) मोहम्मद अली ने कहा था कि वे देश प्रेम और कौमियत की उस प्रकार की भावना
पैदा करना नहीं चाहते थे जैसी जापान में थी। वल्कि वे केनाढा की भाँति एक
पार्षदिक समझौता चाहते थे जो व्यवहारिक हो।³² इग समय भी उन्होंने हिन्दू मुस्लिम
निर्णय यह था कि इनके लिये किसी कोई ममझौते की सम्भावना नहीं थी। राष्ट्रीय
कांग्रेस द्वारा प्रयत्न कर सकती थी किन्तु उन्हें भी किसी एक विशेष वर्ग से कुछ अधिक
याता नहीं करनी चाहिए थी वे पहले ही यह कह चुके थे कि गो-हत्या गे (यदि वह
गक मुसलमान की अपनी सम्पत्ति है) कोई नराबी नहीं थी।³³

मोहम्मद अली के जीवन में १६२४ ई० मुसीबत और परेशानी का वर्ष था।
१ मार्च, १६२४ ई० को उनकी एक लाडली बेटी, 'आमना', की मृत्यु हो गयी। अभी
इसने सम्भलने भी नहीं पाए थे कि उन पर यह विपदा गिरी कि मुस्तफ़ा कमालपाशा
ने खिलाफत सम्प्या को ही भदा के लिए तुर्की से समाप्त कर दिया। अप्रैल में उनके
वडे भाई शौकतअली सलत बीमार पड़े और इसी समय हमदर्द अखबार निकालने के
उत्तराधित्व की परेशानी बढ़ी। यह वर्ष उनकी कांग्रेस की अध्यक्षता का वर्ष था
और इसी समय साम्राज्यिक दणे बहुत बढ़े जिन्हे हल करने का उत्तराधित्व भी उन
पर था। २१ सितम्बर, १६२४ ई० को गांधीजी ने इन साम्राज्यिक दणों को दूर
करने के लिये २१ दिन का व्रत ले लिया।

१६२४ के पश्चात उनके समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों के लिए एक नया
मार्ग खोज रहे थे की थी। खिलाफत आन्दोलन असफल रह चुका था। मुस्लिम सीग,
गर्मियत-उल-उम्रेमा और जमेयत खिलाफत प्रमुख मुस्लिम संगठन थे जो मुसलमानों
के राजनीतिक हितों के ममर्यंक थे।

१६२४-२६ ई० का समय मोहम्मद अली के लिये अत्यन्त निराशा
और असफलता का समय था। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिये
मोहम्मद अली मुसलमानों के हितों की एक ऐसी योजना का निर्माण भयवा गमर्यन

³⁰ अध्यक्षीय भाषण, प० ८६।

³¹ अध्यक्षीय भाषण, प० ८३ तथा ७६, तवारीर, भाग पहला, प० ४४। अंदेज
मराठा पर निर्भरता की भीति समाप्त करने का एक आरण यह भी था कि वह
अपने प्रध्य के लिये मुख्य अधिक मार्गनी थी। मराठों, भाग २, प० १६३।

³² अध्यक्षीय भाषण, प० ८२।

³³ अध्यक्षीय भाषण, प० १४६। १६२३ ई० में हमदर्द में भी इनी प्रकार से निष्ठा
ए। इषाशन, प० १०६-११०।

करते के लिये तैयार थे जिसने वे मुसलमानों के हितों के सबसे उप्र समर्थक और उनमें खोकप्रिय बने रहे। ३४ फावरी १९२२ ई० में तिकड़े हुए उन्होंने इसी बात को विस्तार से स्पष्ट किया था कि मुसलमानों के राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति न सो महात्मा गांधी कर रहे थे और न मोर्तीनाल। मोहम्मद अली जिसा भी भारत के मुसलमानों के ठीक प्रनिनिधि नहीं थे यद्यपि यह सम्मद था कि वे मुसलमानों की उचित मालों को प्रस्तुत कर मर्के।^{३५} मार्च १९२३ ई० में उन्होंने अन्य मुसलमान नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस समय राजनीतिक समस्या पर भव और विचार हो रहा था। १९२३-२८ के मध्य वे यह प्रयत्न करते रहे कि यह प्रस्ताव जिसने मुसलमानों के हितों की पर्याप्त मुरक्का होनी थी भारत के विभिन्न मुख्य दलों द्वारा स्वीकृत हो जाए। वे इस समय में काफी दीमार भी रहते थे।

मौलाना की अस्वस्यना और डायविटीज की दीमारी को देखकर डाकटरों ने उन्हें इलाज के लिये इंगलैण्ड जाने की मनाह दी थी। १९२८ ई० में वे इलाज कराने के लिये इंगलैण्ड गये थे। वहाँ में जौटने पर जनवरी १९२९ ई० में उन्होंने लिखा था कि लूपरी हप में वे निर्वनता की शिकायत करते थे किन्तु वास्तव में उनकी शिकायत अपने महाघमियों की लापरवाही की थी। यदि वे किमी परदेश में मर जाने तो कम में कम गरीबी सो न स्पष्ट होनी। मोहम्मद अली विदेश में लौटे थे किन्तु वास्तव में परदेश में अधिक वे अपने ही देश में अपरिचित दिवाई पड़ते थे।^{३६} डाकटरों ने उन्हें १९३० में इंगलैण्ड जाने से मना किया था लेकिन मौलाना जिह बारके इंगलैण्ड गये थे। उन्होंने इंगलैण्ड में मरने से कुछ पूर्व अपने एक मिन में कहा था “अफमोम, मुसलमानों ने मरा सम्मान नहीं किया। भारत के मुसलमान जीवित व्यक्तियों की पूजा नहीं करते मुर्दों को पूजते हैं। जब मैं मर जाऊंगा उस समय मुझे याद करेंगे। मगर मैं भी उनमें हग आया हूँ कि भारत में मैं मरने ही का नहीं। खुदा करे मुझे भारत में मौत ही न आए।”^{३७} उनके मन में ऐसे ही विचार थे जिसके कारण उन्होंने गोलमेज़ु मम्मेनन के प्रथम अविदेश में घोषणा की थी कि “मैं अपने देश को केवल उसी मिथि में जाऊंगा जबकि स्वतन्त्रता की अनुमति मेरे हाथ में हो। मैं पक्क गुलाम देश वो वापस नहीं जाऊंगा। मैं परदेश में जबक कह स्वतन्त्र हो मरने को अधिक

३४ हमर्द, १८ अप्रैल, १९२७; मजामीन, भाग २, पृ० १५१। मोहम्मदअली को अपनी अलोकप्रियता का बहुत दिल था। एक वर्ष पश्चात् भी उन्होंने यह दावा प्रस्तुत किया था कि सात करोड़ मुसलमान में से एक भी ऐसा नहीं विदेश वास में कम इन बारे से उनमें अधिक समय लगाया हो और उनमें अधिक परिश्रम किया हो। हमर्द, २२ मार्च, १९२८, मजामीन भाग २, पृ० १५६।

३५ मजामीन, भाग २, पृ० २४५-४९, (हमर्द, २० फरवरी, १९२६)। मोहम्मदअली का अभिशाय था कि जिधा उनके प्रस्तावों को अपने गुलाम कहकर प्रस्तुत कर मज़ने थे।

३६. मजामीन, भाग २, पृ० २७५-७६।

३७. हयात-ए-जीहर, पृ० १२१।

मेरा धर्म है। यदि मैं यह न मानूँ तो किर मुमलमान भी नहीं रहेगा।”^{४६}
मोहम्मदअली और खिलाफत :

यद्यपि मोसाना मोहम्मदअली अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न दसों में संघर्ष करते रहे और अपने जीवन के अन्तिम कुछ वर्षों में वे अत्यन्त अलोक्यिय भी हो गये थे किर भी १६१६-१६३० ई० के मध्य उनका विशेष महत्व समस्त मुस्लिम राजनीति में बना रहा। इसका रहस्य या खिलाफत मान्दोलन जिसके द्वारा उन्होंने मुस्लिम राजनीति को एक नया मोड़ प्रदान किया था। १६वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में तुर्की मुल्लान के इस्लामी जगत् के गलीफा होने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करके भारत के जागरूक मुसलमान नेता उसे घम्बोड़त कर चुके थे।^{४७} तुर्की के मुल्लान ने ऐसे कोई वार्य नहीं दिये थे जिसमें उसके अधिकार इस्लामी जगत् के नेता होने की वात रपट हो सके। उसने धरणानिरतान, मिथ, मोरक्को, ट्यूनिम, भारत आदि पर ईसाई राज्यों के प्रभाव अथवा प्रभुत्व स्थापना के मध्य इस्लामी एवं तात्त्व अथवा स्वतन्त्रता की कोई आवाज नहीं उठाई थी और १६१६ ई० में भी पश्चिमी एशिया के स्वतन्त्र ईस्लामी राज्यों ने तुर्की की सहायता अथवा खिलाफत की ममस्ता के पक्ष में कोई प्रबल आन्दोलन नहीं किया था। १६१४ ई० में स्वयं मोहम्मद अली ने यह आशवान भी दे दिया था कि यदि तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरम्भ भी हो गया तब भी भारतीय मुसलमान की अप्रेज़ो के प्रति वफादारी अपनी जगह पर स्थित रहेगी और युद्ध आरम्भ हो जाने के पश्चात् यह भक्ति आवाज वनी भी रही।^{४८} ऐसी परिस्थितियों में अधीन भारत के मुसलमानों का १६१६ ई० में उस खिलाफत के लिये आन्दोलन करना जिसके माध्य घनिष्ठ सम्बन्धों का अभाव था, विशेष महत्व की घटना थी।

यह महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यदि यह ध्यान रखा जाय कि तुर्की अथवा किसी अन्य स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य ने भारतीय मुसलमानों के स्वतन्त्रता संघर्ष के प्रयत्नों में (१६२०-४७ ई०) प्राय सक्रिय योगदान नहीं दिया। इसमें वे तक खोखले दिखाई पड़ते हैं जिनके आधार पर कुछ भारतीय मुसलमान नेताओं द्वारा एकता और मिलत के हितों की दुहाई दी जाती थी। यहाँ तक कि उप-

४६. यह भाषण अब्दुल माजिद दरयावादी ने अपनी हायरी में दिया है—भाग १, पृ० १३४-१३५।

४७. सर सैयद अहमद खाँ के अध्याय में इसका वर्णन दिया गया है। मोहम्मद अली ने बाद में यह भी कहा था कि पिछले ४०० वर्षों से इस्लामी जगत् का नेतृत्व तुर्की खिलाफत ने ही किया था (इफादात, पृ० ६१) लेकिन मुख्त समाजों ने कभी तुर्की मुल्लान की इस प्रकार की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह तक गलत था।

४८. अध्यक्षीय भाषण, पृ० ८४-८५।

ક્રાન્તિકારી નેતાઓ (ઉદાહરણાર્થ : ઉર્બદુલ્લાખો મિશ્ની ઓર બરકતુલ્લા જેસે ક્રાન્તિકારિયો) કે માગને પર ભો ધાર્ફગાનિસ્લાન, ઈરાન, તુર્કી આદિ દેશ ઇંગ્લેઝ કે વિરુદ્ધ સંક્રિય સહાયતા પ્રદાન નહીં કર સકે થે ।

પ્રથમ વિશવયુદ્ધ મે અક્ટૂબર ૧૯૧૮ ઈંડો ૧૦ મે તુર્કીની આત્મમર્પણ કર દેને મે ભારતીય મુસ્લિમાનોની ઉન આશાઓ પર પાત્રી ફિર ગયા જો બે તુર્કીની વિજય કે સમ્વન્ધ મંન રહતે થે । દિલ્લી ઓર લખનऊ મે ઇસી મમય ઉમ વ્યવસ્થા કી નીચ ડાલી ગઈ જો બાદ મે ખિલાફત આન્ડોલન કે નામ મે પ્રમિદ હુએ ।^{૪૬} ઇસકા ઉર્દેશ્ય મુસ્લિમાનોની સાંસારિક પ્રતિષ્ઠા એવી મમ્માન કો બચાના થા । ઇમ સમય મોહમ્મદ-અલી જેલ મે બન્દી થે । જેલ મે ઘૂંઠને કે પણારુ ઉન્હોને અપને ભાપણો મે તુર્કી સુલ્તાન કે પ્રતિ મુસ્લિમાનોની ધાર્મિક ઉત્તરદાયિત્વ બે બાત કહી ઓર ઇમ પ્રકાર સાંસારિક તથા ધાર્મિક પ્રશ્ન એક-દૂસરે મે મિલ ગયે થે ।

૧૯૧૬-૧૯૨૧ ઈંડો મે મધ્ય મોહમ્મદઅલી ને અપને ભાપણો મે ઇસ બાત પર કાફી જોર દિયા થા કી બે તુર્કીની મુલ્તાન કો ઇસ્લામી જગત્કા નેતા માનતે થે ઓર ઇસલિએ ઉસું રાજ્ય કો સુરક્ષિત છોડ દિયે જાને કે પણ મેં થે । ઉનું તર્કે થા કી ખલીફા કે પામ “ઇમાન” કી સુરક્ષા કે લિયે પર્યાપ્ત સાધન તથા સામર્થ્ય હોની ચાહિએ । ૧૯૧૬-૧૯૨૦ ઈંડો મે જો રાજનીતિક પરિવર્તન સ્વાયત્તતા તથા આત્મનિરાય કે આધાર પર ગેર તુર્કી કોમો કો ઉપલબ્ધ હુએ થે ઉન સબકો તો ખિલાફત આન્ડોલન કે નેતા મોહમ્મદ અલી સ્વીકાર કરને કો તૈયાર થે ।^{૪૦} લેકિન ઉનું કહના થા કી અન્ય સમસ્ત ક્ષેત્રોને મે તુર્કીની સુલ્તાન ૧૯૧૪ ઈંડો સે પૂર્વે કી સ્થિતિ મે રહુના ચાહિયે । મોહમ્મદ અલી ને તુર્કીની સુલ્તાન (ખલીફા) કે સમર્થન મે “મુદ્દેસુસ્ત ગવાહ ચુસ્ત” વાલી કહાવત કો મિદ્દ કર દિયાયા થા । ઉન્હોને પેરિસ મે બહા થા કી “યંદિ તુર્કીની સુલ્તાન ને સ્વર્ણ અથવા ઉનું ઓર સે કિમી ભી પ્રતિનિધિ ને સન્ધિ-યત્ર (સેવ્ર કી સન્ધિ) પર હસ્તાક્ષર કર દિયે તો ઉન્હેં (તુર્કીની સુલ્તાન કો) સમન્ન નેના ચાહિયે કી બે ખલીફા નહીં રહ સકતે ઓર ઉન્હેં ખિલાફત કો ગઢી તો ઉત્તર જાના પડેગા ।”^{૪૧} ૬ જનવરી, ૧૯૨૦ ઈંડો કો દિલ્લી મે ભાપણ દેતે હુએ ઉન્હોને કહા : “હમ દોનોં માઈ તૈયાર હૈ કી સરકાર કે છોટે મે છોટે નૌકાર કે પૈરો મે અપના સિર રખ દે । ઇસમે હમારા કુછ અપમાન નહીં હૈ । માગર હમ તૈયાર નહીં કી ઇસ્લામ કે સમ્માન કો અપમાનિનું હોતા દેવેં । હમ અપને ઘરો કો છોડું સકતે હૈ માગર ખુદા કે ઘર કો દૂસરો કે અધિકાર મે દેનને કો તૈયાર નહીં હૈ ।”^{૪૨} ૧૦ જનવરી, ૧૯૨૦ કો ઉન્હોને ફિર કહા -

૪૬. ઇસાદાત-એ-મોહમ્મદઅલી, પૃષ્ઠ ૬૧ ।

૪૦ ૨૦ અપ્રેલ, ૧૯૨૦ ઈંડો કો પેરિસ મે દિયા ગયા સાધન : તકારીર, ભાગ ૧, પૃષ્ઠ ૨૪ ।

૪૧. યહ સાધન પેરિસ મે ફાત બી હિમાયત-એ-દ્વારામ સંસ્થા કે નાનાધાન મે દિયા ગયા થા । તકારીર, ભાગ ૧, પૃષ્ઠ ૩૩ ।

૪૨ બધી, પૃષ્ઠ ૧૧ ।

“अब मुसलमान राजनीतिक विषयों को गौण और खिलाफत को मुख्य समझने लगे हैं। इयादत का अर्थ मुद्दा की दोस्ती है………मुसलमानों, यदि तुमने खिलाफत को यो दिया तो अपने पेंदा होने के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया……… मुसलमानों में कोई भी ऐसा निर्णय स्वीकृत नहीं हो सकता जो कुरान को आजामों से बाहर बराबर भी बम हो।”^{४३}

यूरोप में खिलाफत मण्डल के नेता के ह्य में २० अप्रैल, १९२० को वेटिस में भादर देते हुए उन्होंने कहा - “अरव प्रायद्वीप में बेवल इस्लामी राज्य हो और उस पर कोई उच्च अधिकारी अथवा निरीक्षक न हो और खलीफा पवित्र स्थानों का स्वामी बना रहे। हम जो भारत में आए हैं, जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा करना ‘किस प्रकार सम्भव है क्योंकि हम स्वयं एक ऐसे ही समुदाय के सदस्य हैं। अपने अधिकारों की सुरक्षा बर सेने के पश्चात् हमने भारत की रक्षतन्त्रता वे तिथे अपने देश-प्रेमियों के भाष्य-भाष्य प्रयत्न कर रखे हैं और आज हिन्दू, मुसलमान, पारसी सबको सब इस समस्या में सम्मिलित हैं जो केवल एक धार्मिक समस्या है अर्थात् खिलाफत की समस्या।”^{४४}

आरम्भ में भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति खिलाफत आन्दोलन का भाग नहीं था। बाद में इसे जोड़ लिया गया था क्योंकि इसमें खिलाफत आन्दोलन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती थी।^{४५} मोहम्मद अली ने भारत में भी अपने भाषणों में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वे भारत स्वतन्त्रता संघात के राष्ट्रीय आन्दोलन में क्यों सम्मिलित हुए थे। २० अप्रैल, १९२० ई० को अमृतसर में बोलते हुए उन्होंने बहा - “मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहता हूँ कि यदि तुम्हारे दिल में बेवल हस्ताम के प्रति प्रेम है, और तुम देश प्रेम से साली हो, और अपने पढ़ीमी भाईयों से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते, भगव तुम्हें भारत से कुछ सम्बन्ध नहीं बेवल अरव का राज्य और पवित्र स्थानों को काफिंगे में बांग लेना है, तो पहले भारत को न्वराज्य दिला दो।”^{४६}

१९२३ ई० में कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी अप्रेज़ी सरकार पर विश्वास करने की नीति को टेस पट्टैची। पश्चिमी देशों के मुसलमान राज्यों पर आक्रमण करने (टिपोली तथा बल्कान युद्ध) में बर्तमान स्थिति में एक नया तन्व सम्मिलित हो गया। भारतीय मुसलमानों की भावनाओं पर इसका यह प्रभाव हुआ कि उनका ध्यान आनंदिक विषयों से अधिक विदेशी विषयों पर केन्द्रित हो गया। विदेशी राज्यों में जब मुसलमानों के परम्परागत

४३. तकारीर, भाग १, पृ० १४-१५।

४४. यही, पृ० २४।

४५. यही, पृ० ४३।

४६. निगरिमात-ए-मोहम्मदप्ली, पृ० २३८।

विश्वासो पर चोट पड़ी तब वे भारतीय एकता की ओर उन्मुख हो गये ।^{४७} इसने मुसलमानों को “यह सोचने पर मजबूर किया कि वे बहुत कम त्याग करके अपनी पढ़ीसी विरादरी से मैत्री सम्बन्ध, अपनी सोई हुई मोहब्बत और हमदर्दी प्राप्त कर सकते हैं ।”^{४८} मौलाना १९२६ ई० में हज ने लौटकर भारत आए थे । उम समय कराची में उन्होंने कहा कि भारत की स्वतन्त्रता के बिना इस्ताम की प्रगति असम्भव थी ।^{४९} १९२०-२१ में खिलाफ़त आन्दोलन के नेता असहयोग आन्दोलन के समर्थक थे । किन्तु १९२३ के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली १९२७-२८ तक केवल मुसलमानों के समर्थक के रूप में बन गये ? इस प्रश्न का साधारण उत्तर उन भाषणों में है जिनमें उन्होंने खिलाफ़त के स्वष्टप की व्याख्या की थी तथा हिन्दुओं के साथ सहयोग और अप्रेज़ों के साथ असहयोग की नीति का समर्थन किया था ।

“यदि खिलाफ़त आन्दोलन का उद्देश्य तुर्की मुल्लान और उसके सलीफा होने से ही सम्बन्धित था तब १९२३-२४ ई० के पश्चात् यह आन्दोलन समाप्त हो जाना चाहिये या क्योंकि तुर्की ने लोसान की सन्ति पर हस्ताक्षर कर दिये थे और तुर्की में मुल्लान को गदी से हटा दिया गया था तथा खिलाफ़त को सदा के लिये समाप्त कर दिया गया था । मोहम्मद अली का ऐसा न करना अर्थपूर्ण था । १९२४ ई० में मिश्र की समस्या पर भारतीय मुसलमानों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने लिखा था :

“यहाँ से कुछ हजार मील की दूरी पर एक देश है जिससे न हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं न राजनीतिक सम्बन्ध । वहाँ एक घटना होती है । तुम इसे बिल्कुल भूल जाओ कि उनके समाचार पत्रों में तुम्हारा भी कोई वर्णन होता है या नहीं, उनको तुम्हारी स्थिति में कोई रुचि भी है या नहीं किन्तु तुम्हें याद रखना चाहिये कि वे भी अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनसे इसी भाँति सम्बन्ध हैं जैसे हमें अपने देश के मुसलमान भाईयों से मिश्री हमसे सम्बन्ध न रखते हों, मूढ़ानियों को भी कोई मतलब न हो, लेकिन हमें उनसे सम्बन्ध और मनलब है”^{५०} इस सम्बन्ध में न तो भारतीय मुसलमानों की सासारिक प्रतिष्ठा का प्रश्न था न धार्मिक सम्मान का । यह केवल एक पश्चीम समर्थन एवं सहानुभूति थी । १९२५ ई० में भी खिलाफ़त समिति द्वारा तुर्की की सहायता की जाती थी । उस समय मोहम्मद अली का कहना था कि तुर्की वालों ने “खिलाफ़त को टोपी अरने गए (सिर) से उतार

४७. अश्वदीप भाषण, पृ० ६३ ।

४८. वही, पृ० ७६ ।

४९. हमदर्दी, २ वित्तावर, १९२६ : मकालात-ए-मोहम्मदखली, भाग १, पृ० ३१६ ।

५०. मकालात, भाग १, पृ० २१-२२ ।

पर कोह दी सेवियं गुदा का गुक है कि इसाम वा पास उन्हें गों में है^{११}। मोहम्मद घसी के नियापग मान्दोलन के बाब्तारिया बारलों का जाव उन भालों तथा मेलों में भी उपलब्ध होता है जो १६२५ ई० में तुर्की में नियाहार के मवान्द कर दिए जाने के पश्चात् उन्होंने नियाकन गणठन को प्रतिविनियोग रखने के लिए दिये थे। नियाहार मान्दोलन १६२३ ई० के पश्चात् एक जन घान्दोलन नहीं रह गया या नियाहिन मोहम्मद घसी इस घान्दोलन के लिये प्रयत्नर्गीत रहे। मोहम्मद घसी वा बहुता या इन तुर्की यातों को नियाहार में गमाल करने वा खाँई अपिहार नहीं या और यदि उन्होंने नियाकन गमाल भी कर दी तो ऐसे नियाहार के लिये घान्दोलन व्रतनियोग रखना चाहिए और उन्होंने भले तामद तक उने गमाल नहीं होने दिया।

मई १६२५ ई० में उन्होंने निया या कि "इस्लाम के ग्रीष्मित रहने की एक ही नियनि है और यह पह है कि इस्लाम वा गम्बज्य गमलन विश्व में विवर है।^{१२} यदि दिल्ली के मुसलमानों वो मगनड के मुगनमानों में खाँई गम्बज्य नहीं, मगि भारत के मुगनमानों वो तुर्की के मुगनमानों में गम्बज्य नहीं, यदि धीन के मुगनमानों वो मगद्दों के मुगनमानों में गम्बज्य नहीं, तो यिन हर्ग सब सजूदे और दुमहर्टे हैं। यात्र मरे दल दूसरा दिन न मुगलमान रहेंगे न इस्लाम रहेगा।"^{१३}

उसी समय में उन्होंने यह भी कहा— "माझ्यराजा इस बात की है कि इस्लाम वा पुरानी धर्मधर्मा १३०० वर्षों के पश्चात् नये मिरे ने मांहूले वो मधिदों गे आरम्भ वा जाये………गोव, नगर, किना, प्रान्त, देश और गमला विश्व में आरम्भ से मेहर धन तक केवल तरह ही धर्मधर्मान्धारित है। यह धर्मवा नियाहार ध्यवस्था है, और इसी पूर्ण धर्म नियाहार करने का कायं……^{१४} नियापग गोपिनियन ने १६२५ ई० में गाने वालेश्वेत वो रिस्तून करके भारत में मुसलमानों के गमलन भीतरी क्षेत्र के बायों वा उत्तरदाकिन्य प्रहार कर निया था। उसाठा लक्ष्य धार्मिक, धार्थिक, राजनीतिक तथा ग्रीष्मितिक क्षेत्रों में मुसलमानों को भलाई के लिये प्रयत्न बरना या। उनके प्रभुगार तुर्की नियाहार गमाल हो जाने के पश्चात् भारत में एक 'जर्मयत नियाहार' वी स्वागता और अधिक धार्मधर्म हो गई थी वकोकि उस नियाहार समिति वो भारत के मुसलमानों की सेवा करनी थी।^{१५} उन्होंने मुसलमानों को नियाहार गमाल के अधीन रहकर कायं करने की कहा। इसी संगठन में मुसलमानों में धार्मिक प्रबन्ध धर्मान्धित रूपे जाने की तया नया जीवन प्रदान करने की सम्भावना थी। इसी के माध्यम से शक्ति प्राप्त की जा सकती थी तथा इस्लामी जगत् को विश्व

११. महात्मा, भाग १, पृ० २८१। यह वाहर एक सभा में बोलते हुए कहे जब उनसे बुडा बदा या कि नियाहार समिति द्वारा तुर्की को सहायता दी जानी वो जबकि घसीका वो पर तुर्की ने समाल बर दिया था।

१२. महात्मा-ए-मोहम्मदबली, भाग १, पृ० ६२ (हमदं, १३-१६ मई १६२५)।

१३. महात्मा, भाग १, पृ० ५१।

१४. दूसराज-ए-मोहम्मदबली, पृ० २५-२७।

१५. महात्मा, पृ० ११८।

में शक्तिशाली बनाया जा सकता था।^{६२} १९२६ई० में मवक्का-मदीना से लौटकर उन्होंने भारत के मुसलमानों को एक बार किर विनाकर आन्दोलन की भौति मंगठिन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि ऐसी ही व्यवस्था हेतु ज इस्लामी मम्मेलन में हुई थी।^{६३}

भारत के मुसलमान अल्पसंख्यक थे। उनकी इस हीन मनोवृत्ति को दूर करने वा एक उपाय यह था कि उनका सम्बन्ध अन्य इस्लामी राज्यों के साथ जोड़ दिया जाय।^{६४} मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने से बचाने के लिये उन्हें समस्त इस्लामी जगत् से जोड़कर उन्हें ३० करोड़ जनसंख्या का एक अभिन्न भाग बताया गया था। इसी आधार पर उन्होंने आगे चलकर कहा था कि विश्व में ३०-४० करोड़ जनसंख्या वाली कौम अल्पसंख्यक नहीं कही जा सकती थी।^{६५} इस सम्बन्ध को व्यक्त करके उनका लक्ष्य इंगनेंड सरकार पर दबाव डालना था जिससे भारत के मुसलमानों के उचित मधिकारों की सुरक्षा हो सके।^{६६} उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े भाई शौकत ग्रनी ने कहा था, “भारत के मुसलमानों के लाभ के लिये भारत के अन्दर और बाहर मोहम्मद अली के प्रयत्न ऐसे थे जिनका परिणाम आज मिल रहा है।”^{६७}

विनाकर आन्दोलन को मन्चान्वित करने का एक अन्य कारण यह भी था जि मोहम्मद अली मुसलमानों में राजनीतिक जागरण पैदा करना चाहते थे। १९२३ई० में काग्रेस अध्यक्षीय भापण में उन्होंने कहा था कि १९११-२३ई० के मध्य मुसलमानों ने भारत के बाहर मुस्लिम देशों की समस्याओं पर सोचना तथा विचार करना प्रारम्भ तो किया इससे कम से कम यह लाभ तो अवश्य हुआ कि मुसलमान राजनीति पर सोचने लगे थे।^{६८} राजनीति के विषय में जागरूक करने के अतिरिक्त विनाकर समिति का यह कार्य भी था कि मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व स्थापित हो सके। इस पृथक् अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये १९२०-१९२१ई०

६५. मकालात, भाग १, पृ० ३१४।

६६. मोहम्मदअली बलोग़ और वात्सफ़ोर्ड के एड़ हुए थे। वे इस्लामी किताब के विद्वान न थे। इन्हीं द्वारे बी बलोग़ में उन्होंने इस्लामी विद्या लेखा था और वात्सफ़ोर्ड ने उन्हें मौलाना की उपाधि प्रदान की थी (ह्यात-ए-जौहर, पृ० १४३)।

६७. ह्यात-ए-जौहर, पृ० १४२।

६८. निगारिगात-ए-मोहम्मदअली, पृ० २६०।

६९. यह परिणाम तुरन्त ही दिवाई पड़ा जबकि भारत सरिव मोनटेड्यू ने भारत के मुसलमानों के मंगो के समर्यान में भारत सरकार को एक तार भेजा था इसी तार के सारण बाद में उन्हें हायापत्र भी देना पड़ा था। ह्यात, पृ० १४२; अध्यक्षीय भापण, पृ० १२८।

७०. मकालात, भाग १, पृ० २५२: शौकत बली द्वारा लिखित निबन्ध “बरज-ए-हान”।

७१. बग्रमीय भापण, पृ० १४।

में भी जवाहि रिताना और धगहयोग मान्योन के कारण हिन्दू मुस्लिम ग्रन्थाना गद्यों सधिक थी मोहम्मद खानी में इस धारा में बड़ा गंभीर प्रत्युभिर दिया कि "हमारे ही प्रत्यलों से यदूत से रामानों पर मुसलमान वादिया में रामिनिया होने से रोके जा सके।"^{७०} १८२६ई० में भी उन्होंने मुसलमानों से धनुरोप दिया था कि ये गिरावत गमिति में ५ साल सदाच तथा ५० हजार रुपालार (स्वर्ण सेवन) और बालें। इस प्रकार उनके सामिया हो जाने से दूररे सोग भी उनके गुप्त अविद्या थे स्वीकार कर सके और उनके अधिकारों का सम्मान बरंगे। दिया इस प्रकार के पृष्ठ ग्रन्थ के उनकी विषया केवल सापीत सोनो जैसी ही रह जायगी।^{७१}

गेहूं रिपोर्ट को घट्टीहा कर देने के पश्चात् गिरावत गमिति का बाब्द था कि यह "जीवन के प्रत्येक भाग में मुपार करे। मुसलमानों का नये गिरे गे गिरावत करे और सबको बढ़ाव यह दि उत्तम एकता और घात्त-विश्वास पेश करे" तिलाक गमिति चाहूँती थी दि मुसलमान प्राप्तों परमें पर यार गड़े हों तथा उमरा उद्देश्य था कि "जिग प्रकार गिरावत गमिति मुसलमान कोग को इंगनेण्ड की दासता में रहने से मगा करनी है थीा उसी प्रकार यह यानी कोग को दूगरे सम्बन्ध या दाग बन जाने से भी रोकनी है। यह स्वान्वना की भूमि है तिनु स्वामियों का परिकर्तन नहीं चाहती है।"^{७२}

मोहम्मद अली का हिन्दुओं के प्रति हृष्टिकोण :

मोहम्मद मली द्वारा हिन्दू मुस्लिम एकता का समर्पण उन प्रवतारों पर किया गया था जहाँ उन्हें मुसलमानों के हितों के लिये हिन्दुओं के समर्पण से कुछ सामने दी आणा थी अथवा अप्रेक्षों पर अधिक दबाव ढाना जा सकता था। १६२०ई० में ऐरिस में भाषण देने समय उन्होंने गिरावत के पथ में तरंग प्रसुन करते हुए कहा :

"हम यहाँ तुम्हाँ का प्रतिनिधित्व करने नहीं माने हैं। हम केवल भपने और धारने देना प्रथम् भारत के प्रतिनिधि हैं। माज हिन्दू, मुसलमान, पारसी सबके राब इस समस्या में सम्मिलित हैं जो केवल एक धार्मिक समस्या है। मैं तीस करोड़ सोगों की ओर से आपसे कहता हूँ कि ये सोग इस सन्धि (सेन्ट की सन्धि) को स्वीकार नहीं करेंगे।"^{७३} उन्होंने आगे बताया कि भपने अधिकारों की सुरक्षा कर लेने के बाद भारत की स्वतन्त्रता के लिये भी मुसलमान प्रत्यलभील थे।^{७४} यूरोप से लौटने के पश्चात् बम्बई में अब्दुल्लाह १६२० में उन्होंने कहा था "वर्तमान स्थिति पर हृष्टि डालकर मैं इस स्पष्ट परिणाम पर पूँचा हूँ कि इस्लाम की स्वतन्त्रता के

७२. निगारिलात, पृ० २५१।

७३ वही, पृ० २५०।

७४. तरारीर, पृ० २१।

७५. वही, पृ० २४-२५।

लिये भारत की स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। अधीन भारत की दाग जनता को दूसरी कोमो की स्वतन्त्रता समाप्त करने अथवा दाम बनाने के लिये प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों को यह मूचना देना चाहता हूँ कि यदि वे इस्लाम को स्वतन्त्रता दिलाना चाहते हैं तो उन्हें अपने हिन्दू भाईजाँ के गाव मिल जाना चाहिए।^{७६} इम प्रकार मोहम्मद अली ने इस्लाम की स्वतन्त्रता के लिये भारत में हिन्दुओं का सहयोग आवश्यक माना था। इसमें यह बात निहित थी कि यदि उस लक्ष्य (इस्लाम की स्वतन्त्रता) के लिये कभी हिन्दुओं का विरोध भी आवश्यक हुआ तो किया जायेगा। १९२७-२० ई० की अवधि के उनके विभिन्न लेतों तथा भाषणों में इसके पर्याप्त उदाहरण तथा प्रमाण मिलते हैं। हिन्दू-मुसलिम एकता का वर्णन विवरण और विवल्प विहीनता की स्थिति में भी किया जाता था। अपने १९२७ ई० के एक लेख में उन्होंने कहा था "बोद्ध और इंगलैण्ड में आपसी मेल सरल था। मेरे हैं कि आज हिन्दू और मुसलमान में मेल देने में अधिक कठिन दिसाई पड़ता है।^{७७} प्रागे चलकर उन्होंने लिखा था—

"सात करोड़ मुसलमानों के पूर्वजों को शताव्दियों तक प्रभुत्व और अधिकार उपलब्ध रहा..... यदि वे २२ करोड़ हिन्दुओं का नाश भी कर सकते थे तो अपनी प्रधानता के समय में कर सकते होंगे। आज तो उनके बम वो यह बात नहीं। फिर जब दोनों को इसी देश में रहना है तो यह यह अधिक अच्छा होगा कि दोनों एक-दूसरे से लड़ते रहे और नीसरे की दासना करें।"^{७८}

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सरकार पर निर्भरता तथा उसके मात्र सहयोग मौलाना को असम्मद ग्रनीत होना था, क्योंकि इस नीति के कड़े परिस्थान व्यक्तिगत और ट्रिपोली मुद्दे तथा बंगाल विभाजन की समाप्ति हुए थे। इस नीति को छोड़कर एक विकल्प अपेक्षों के विश्व मुद्दे करना था किन्तु यह अत्यन्त सतरनाक ग्रनीत हुआ और छोड़ दिया गया। गांधीजी अमहायोग आन्दोलन समाप्त कर दुके थे। इसलिए मोहम्मद अली वडे असमंजस में थे। १९२३ ई० में अमहायोग की नीति त्याग करके अपेक्ष सरकार पर निर्भर रहने का विकल्प उन्हें अपनी दो वर्ष पूर्व की नीति का अत्यन्त लज्जाजनक विरोध दिखाई पड़ा। सौमानकी सन्धि हो चुकी थी। इस पर भी यह सम्भव था कि वे अमहायोग की नीति शायद छोड़ देते लेकिन उन्हें यह लगा कि यह अत्यन्त हास्यास्पद होगा कि भारत के मुसलमान एक और तो

७६. तारीर, पृ० ४०, मोहम्मदअली ने १९२३ ई० में अपने अध्यार्थीय भाषण में कहा था कि पूढ़ के समय में उन्हें इस बात से अर्थात् कष्ट हुआ था कि भारत के मुसलमानों को यूरोप में तुर्मी के मुसलमानों के विरुद्ध बहने के लिए भेजा गया था और इसीलिये उसने सरकार से असहयोग की नीति अनाहौं थी (अध्यार्थीय भाषण, पृ० १०८-११०)।

७७. साइमन कमीशन पर लेख, इंस्ट्रायट, पृ० १३०।

७८. वही, पृ० १३१।

तुम्हारे धरतों की रथ अवगता के द्वारे प्रधिक समर्पण ये धोर दूसरी धोर धरतों रथवालता के लिये इन्हें यत्रयत्नजीत ।^{५९} इतिहास, विषयगता धोर रिस्ल भ्रभार में गैर मुसलमानों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई थी ।^{६०} हिन्दुओं के प्रति मोहम्मद धनी ने दरबानी भाषणामां दो उग समय अत दिया था जब उन्हें हिन्दुओं के राजनीतिक गहर्योग की आवश्यकता नहीं रह गई थी ।

मात्र गम्भीराय के हिन्दों की गुरुदा गवा उन्हें प्राण करने के लिये गम्भीर राजालत की नीति के प्रतिपादन में मोहम्मद धनी एक दद्ध कूटनीतिज थे । उन्होंने लिखा था "तुम एक ही गम्भीर में गम्भीर विश्व में नहीं वह गम्भीर । मब गम्भीरों में से एक को छाट सो"..... जो तुम्हारे गम्भीरों में गम्भीर दधिक शक्तिशाली हो जो तुम्हें प्रधिक ने प्रधिक द्वारा हुए हो धोर यदि हो गके तो उगके विरुद्ध दूसरों को घपना मिल यनामो".... यदि एक भी तुम्हारी प्राजना में प्रभावित होता तुम्हारा मिल न यन गके तब भी युद्ध के प्रत्येक मार्गे पर गम्भीर शक्ति न समाप्तो । उग मार्गे पर जहो युद्ध का नियंत्रण होने वाला है पूरी शक्ति समादो, दूसरे स्थानों पर धैर्य से बाय लो । जब युद्ध के गम्भीर बड़े स्थाने पर विजय प्राप्त हो जाए, तो दूसरे मार्गे पर स्वतं हो विजय प्राप्त हो जाएगी । उग समय प्रत्येक शत्रु में दिल सोनकर बदना ले लेना..... वह (शक्तिशाली) शत्रु हिन्दू नहीं है । इम बेनारे की दीड़-धूप तो ममुद के रिनारे तक है । जो गसार फाले पानी के उग धोर है उसमें इमे बना सम्बन्ध । यह तो गूलर का भुगा है जिसका समन्वय गम्भीर इसी गूलर में मीमित है । सच कहो क्या तुम उगों द्वारे हुए हो ।"

"रेल के किसी दिन्हे में ६-७ हिन्दू हों धोर उनमें तुम भी जाकर बैठ जाओ तो क्या तुम्हें उन्हें डर लगेगा । यदुषा तो उन्हीं को तुमसे डर लगता है".... यदि भाज हिन्दू तुम पर अन्याय करते हैं..... तो यह भी इतिहास कि सरकार तुम्हारी धोर तुम्हारे प्रधिकारों की सुरक्षा में काम प्रयत्नगोल है..... यदि प्रधेव बीच में न कूद पड़ें तो तुम अब भी इनसे भुगत ले सकते हो"..... एक स्थान पर भी तो आज दिन तक दिन भर लड़ाई न होने पाई ।^{६१} फरवरी १९२७ ई० में उन्होंने हिन्दू बहुसंख्यकों की तुलना एक टिही दल से की थी । इतना ही नहीं बल्कि इतिहास से विभिन्न उत्तराधिकारी भी ब्यंगपूर्ण ढंग से प्रस्तुत लिये जाते थे । हिन्दुओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जबतक तुम मुसलमानों का सहयोग प्राप्त न कर सोगे उग समय तक भारत को स्वतन्त्र न करा सकोगे । मुसलमानों को भर्धान करने का अवसर मोहम्मद विनकासिम से लेकर भहमशाह महाली तक उपलब्ध

५९. अध्यात्मीय भाषण, पृ० १३६ ।

६०. यही, पृ० १२७ ।

६१. हमदर्द, २१ अगस्त, १९२७ : मजाबीन, भाग २, पृ० ४६४-४६६ । मताईवाचन-६०

मोहम्मदधनी, पृ० ५०-५० ।

मोहम्मद यली और मुनतमानों के राजनीतिक हितः

मोहम्मद यली वी मुगलमानों के हितों वी बलना अन्ना चिमिन थी। यह कलना भारत में निवासन प्रणाली और उन्होंने प्राचीनविद्या गे नगार गार इस्लामी जगर के हितों तक फैसी टूट थी। उन्होंने निलाह फार्मान के समय दो पेरो के गिरु वो मुगलमानों के हितों वा गूप्त बनाया था। इन दोनों पेरो के बेन्द्र विन्दु भलग-घनग थे। एह पेरा इमाम वा भा और दूगरा हिन्दुमान वा था। इम दोहरेन का इच्छामुगार प्रयोग चिया जा गता था। इम दोहरेन का धर्म साप्ट करते हुए मोहम्मद यली ने लिपा था ति भारतीय मुगलमान गिलान सगठन में पूरी तरह सहयोग दे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं चिया थी तो केवल योग के मुसलमान रह जायेग, धर्म के मुगलमान न रहें।^{५७} दूगरे गवर्नर्स में “बीम” के मुसलमान होने से उनका हिन्दुओं से तड़ने भगड़ते रहना उन्होंना भा तभा धर्म के मुसलमान होने से उन्होंने चिया जायेगा तथा अन्य वायों के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिए था।

मोहम्मद यली द्वारा प्राचीनदित मुसलमानों का यह दोहरा उत्तरदायित्व स्मरणीय है। इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण वे विसी भी वर्ग में लिये नहीं रह सके। उनकी लिलाकत की कलना सामान्य मुसलमान से भिन्न थी, इसलिए १६२४ ई० के पश्चात् वे प्राय भक्ते पड़ गए। १६२५ ई० से १६३० ई० तक विभिन्न मुस्लिम संगठनों से उनका संघर्ष होता रहा। मुस्लिम लीग स्ट्रायपकों में तथा १६१७ ई० में मुस्लिम लीग के घट्टदाह होने के बाद भी वे गुस्लिम लीग का विरोध करते रहे।

उनकी मुस्लिम हितों की कलना में एक तत्व और जुड़ा हुआ था। वह तत्व या यह विचार कि साल करोड़ मुगलमानों के पूर्वजों की सदियों तक भारत में प्रभुत्व और अधिकार उपलब्ध रहा था।^{५८} १६२६ ई० के आरम्भ में उन्होंने यह साप्ट कर दिया था कि मुसलमान केवल उन लोगों के साथ अपने भाग्य को जुड़ा हुआ समझ सकते थे जो देश के प्रबन्ध में मुसलमानों को स्वतन्त्र तथा बराबर के सामीदार स्वीकार करते हों। भरते से चार दिन पूर्व उन्होंने लिखा था कि “भारत में मुसलमानों के प्रश्न को अल्पसंख्यकों का प्रश्न कहना भी गलत है”^{५९} क्योंकि मुसलमान भारत पर आठवीं सदी के आरम्भ से १६वीं सदी के मध्य तक किसी न किसी रूप

५७. मकालात, भाग १, पृ० ४४।

५८. इकादश-ए-मोहम्मदअली, पृ० १३१ (हमदर, १५-१६ नवम्बर, १६२७) मोहम्मदअली ने साइमन एमीशन पर एक विवरण लिखा था।

५९. मोहम्मदअली ने १६२० ई० में मुसलमानों वी अल्पसंख्यक रहा था और अल्पसंख्यकों के हितों वी मुसलमानों के लिये बहुसंख्यकों के साथ समझारे वी बात कही थी अब वह बात बदल चुकी थी।

में और किसी न किसी भाग में राज्य करते रहे। इन्हें लम्बे समय तक किसी अन्य कोम ने भारत में राज्य नहीं किया।” मुसलमानों के हितों की वास्तविक समस्या यह थी कि वे लोग जो हजार वर्षों से समस्त हिन्दुओं के भाग्य का फँसला अपने हाय में रख चुके थे अब नहीं चाहते थे कि कोई अन्य बुमा (हिन्दू अथवा हिन्दुस्तानी) ऐसा हो जिसको वे उसी प्रकार अपने नियन्त्रण के अधीन न रख सकें जैसाकि हजारों वर्षों तक रख चुके हैं।^{६०} भोहम्मद अली का यह भी तर्क था कि मुसलमानों का भारत पर इन्हें लम्बे समय तक नियन्त्रण रहा कि हिन्दुओं और अन्य कीमों के दिलों में मुसलमानों से प्रतिशोध खेने की भावना विद्यमान रही। इस प्रतिशोध की भावना के विरुद्ध मुसलमानों को सुरक्षा व्यवस्था करनी आवश्यक थी।^{६१}

वास्तविक समस्या जिसका वे हल सोचता चाहते थे यह नहीं थी कि मुसलमान सदम्यों एवं प्रतिनिधियों को बौन निर्वाचित करे—केवल मुसलमान अथवा हिन्दू मुसलमान सम्मिलित हृषि से। वल्कि वास्तविक समस्या यह थी कि “जिस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हो और हिन्दू बहुमत की न्यायप्रियता और सहनशीलता पर मुसलमान अल्पसंख्यकों को नेशमान भी भरोसा न हो, किन्तु निर्णय प्रत्येक विषय में बहुमत के अनुसार ही किया जाए तब मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है।”^{६२}

मुसलमानों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वे अपने-आपको न तो हिन्दू बहुसंख्यकों वी छपा पर छोड़ें और न अप्रेज़ी सरकारी कर्मचारियों और उनके मनोनीत प्रनिनिधियों की घटनी हुई अल्पसंख्या की छपा पर।^{६३} अप्रेज़ों पर निर्भर रहने वी नीनि इसानिए टोड देनी पड़ी थी ये दोनों अल्पसंख्यक मिलकर भी हिन्दू बहुमत को हरा नहीं सकते तथा अप्रेज़ मनोनीत सदम्यों की संघा निरन्तर घटती जाएगी। दूसरे इम निर्भरता का अप्रेज़ लोग भारी मूल्य मांगते थे। यह मूल्य था अप्रेज़ नीनि का प्रत्येक अवसर पर समर्थन।^{६४}

६० निगारिशाल, पृ० २६१-२६२।

६१. निगारिशाल, पृ० २८६, भोहम्मदअली वा अन्तिम परामर्ज।

६२. मुहिम अल्पसंख्यकों वी मुख्या तीन चरण : हमरद, १८ अप्रैल, १६२७। मजामीन भोहम्मदअली, भाग २, पृ० १३७-१३८।

६३. मजामीन, भाग २, पृ० १५२-१५३। भोहम्मदअली विष समय हिन्दुओं पर उपरोक्त आक्षय नामा रहे थे उगी मध्य वह यह भी बहते थे कि अप्रेज़ सरकार के ममर्दक मुमन्त्रमान उनको हिन्दुओं की पूजा बरते थाना बहते थे।

६४. मजामीन, भाग २, पृ० १६२-१६३।

१६२३ ई० में कांग्रेस मंच से भाषण करते हुए उन्होंने अपने-धारपको माम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध और क्षेत्रीय आधार पर सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में घोषित किया था।^{६५} लेकिन १६२६ ई० में उन्होंने यह कहा कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली न होती तो भाज कोई मुसलमान किसी ऐसे क्षेत्र से रुका ही नहीं जा सकता था जहाँ पर ५०% में अधिक मुस्लिम मतदाना न होते।

२०, मार्च १६२७ ई० को दिल्ली में विभिन्न मुसलमान नेताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ३५ व्यक्ति उपस्थित थे। पारस्परिक विचारविमर्श से मुसलमानों के हितों द्वी सुरक्षा की एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तीन मुख्य अंग थे।

(१) प्रत्येक सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध हो।

(२) कोई भी नियम एक सम्प्रदाय के बहुमत से पास न किया जाय।

प्रथमेव अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वह नियम उसके हितों के विरुद्ध हो तो वह नियम स्थगित कर दिया जाए।

(३) यदि हिन्दू यह चाहते थे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक कुछ बड़े प्रान्तों में उनके बहुमत पर छोड़ दिये जायें तो उन्हें इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि बंगाल और पंजाब में भी उनकी बड़ी अल्पसंख्या और मिथ्या, (मुसलमानों ने सिंध को बम्बई प्रान्त से प्रयत्न करने की माँग प्रस्तुत की थी) बखूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त में उनकी छोटी अल्पसंख्या मुस्लिम बहुमत की कृपा पर छोड़ दी जाय। अगर वे हमारे साथ उचित अथवा अनुचित व्यवहार करेंगे तो उन्हें 'जैसे को तैसा' के आधार पर सदा उत्तर मिलता रहेगा।^{६६}

इस स्थिति में मुसलमानों की अल्पसंख्या के लिये केवल वे ही अधिकार पर्याप्त होंगे जो हिन्दू अपने अल्पसंख्यकों के लिये चाहते थे। यदि हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में मुसलमान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गये तो मुसलमान भी पाँच प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यकों द्वारा उसे दूर करवा सकेंगे।^{६७}

मुसलमानों के हितों की ऐसी योजना बना सेने के पश्चात् यह स्वाभाविक ही था कि मोहम्मदअली को १६१६ का लखनऊ समझौता विलुप्त की गयी दिवार्दी पड़ता। उन्होंने लखनऊ समझौते की तीव्र आलोचना आरम्भ की। मार्च १६२७ ई० के पश्चात् मोहम्मदअली इस दिल्ली योजना के व्यापोचित होने का अत्यधिक

६५ अध्यक्षीय भाषण, पृ० १५८-१५९।

६६ मनामीन, भाग २, पृ० १५४-१५६।

६७ निगारिशात्-ए-मोहम्मदअली, पृ० २६८।

प्रचार करने लगे। उनके अनुमार अल्पसंघ्यकों के हिन्दू की मुरक्खा का सबसे अच्छा उपाय यही था कि एक ही सम्प्रदाय प्रत्येक स्थान पर अल्पसंघ्यक न रहे, कहीं एक सम्प्रदाय अल्पसंघ्या में हो और वहीं दूसरा।^{१५} अप्रैल १९२८ ई० में उन्होंने अपना सन्देश (पेण्टम) यह दायापा कि भारत अब एक बदम भी अधिक प्रणति नहीं कर सकता जबतक कि दिल्ली प्रस्ताव म्बीवार न कर लिया जाए और उन्हीं के अनुमार भारत का सविधान न बनाया जाए। इसील दक्षीय सम्मेलन में भी मुसलमानों के विरोध का सार यह था कि इष्टरोक्त प्रस्ताव के अनिरिक्त अन्य किसी आधार पर नया सविधान नहीं बन सकता था।

इसी समझ्या को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन प्रान्तों में जहाँ मुसलमान थोड़े भी दहुसंघ्यक हैं उनको पूरे अधिकार दिये जाएं और जहाँ वे अल्पसंघ्यक हैं उनके इष्टिवारी को मुंगटित रखा जाए। उनके अनुमार मिक्की ने अपने अल्पवालीन शासनवाल में पंजाब में इतनी अधिक भूमि पर अधिकार कर निया था कि उन्हे विसी इष्टिक मुरक्खा की आवश्यकता नहीं थी। बंगाल अधिकार पंजाब में अल्पसंघ्यक हिन्दू दर्गे अत्यधिक मंगटित और राजनीतिक इष्टि में बहुत शक्तिशाली, जिक्रिय एवं धनी था। उनके द्वाये इष्टिक प्रतिनिधित्व का तक भूटा और बेवार था।

१९२७ ई० के दिल्ली प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात् यह आवश्यक था कि मुसलमानों को आमूहिक स्प में संगठित किया जाए। १९२८ ई० में नेहरू रिपोर्ट ने उन प्रतावों को दृष्टीकृत वर दिया था। इस्लिए मोहम्मद अली आपसी मतभेदों को समाप्त करके इस बात के इच्छुक थे कि मुसलमानों का एक कौमी संगठन हो जाए। मार्च १९२८ ई० को उन्होंने जिन्ना में घेंट करके उन्हें इस बात पर सहमत विया कि लीग के दोनों दलों को एकसाथ किर संगठित कर निया जाए।^{१६} इनकी आपस वी पूट के पलटवरप मुसलमानों का राजनीतिक मूल्य बहुत गिर चुका था। जिन्ना भी इस समय तक नेहरू रिपोर्ट को मुगलमानों के लिये अपर्याप्त भग्नने लगे थे। मार्च १९२७ ई० के निर्णय में जिन्ना सम्मिलित नहीं थे।^{१००}

मोहम्मद अली ने जिन्ना को यह मुभाव दिया था कि प्रत्येक मुसलमान वो मुस्लिम लीग का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए। जिन्ने मुस्लिम लीग का निर्णय मारी इस्लामी मिलनत का निर्णय समझा जाए। मुस्लिम लीग के निर्णय बैदल एक विशिष्ट दल के निर्णय हुआ करते थे और दूसरा दल उसका घोर विरोधी

१५ निगारिजान-ए-मोहम्मदअली, पृ० ३००-३०४।

१६ माइमन कमीशन के प्रति इष्टिवोल में भवित्व होने के कलमवरप मुस्लिम लीग दो दलों में विभागित हो चुकी थी—एक दल विया और दूसरा दल मोहम्मद गरी के नेतृत्व में था।

१००. हमदर्द, ५ मार्च, १९२६, (मजामीन भाग २, पृ० २५३)।

रहता था। मुसलमानों की इस पूट के कारण उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। जिन्होंने भी मुस्लिम लीग के निर्णय को इस्लामी मिल्लत का निर्णय उस समय तक मानते से इनका चिया जवाबकि कि अब्द्य इस्लामी मंगठन भी इसे स्वीकार न कर ले।^{१०१}

३०-३१ मार्च, १९२६ ई० को मुस्लिम लीग का वादिक अधिवेशन हुआ किन्तु इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की आन्तरिक दलवन्दी अधिक विस्तृत रूप में प्रकट हुई। और व्यावहारिक हाथ में मुस्लिम लीग वा महत्व कुछ वर्षों के लिये समाप्त हो गया।^{१०२}

मोहम्मदअली और मिल्लत :

२०वीं शताब्दी के आरम्भ में राष्ट्रीय कौमियस इस बात का प्रयत्न कर रही थी कि भारत में बौम की वह कल्पना लोकप्रिय सिद्ध हो जाय जो यूरोपीय देशों में व्याप्त थी अर्थात् एक देश के रहने वाले अपने-आपको एक कौम के सदस्य समझें। १९१६-२१ ई० के मध्य मिल्लत के प्रश्न को इसीलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ा गया था कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सम्बद्ध राजनीतिक संघर्ष में एक दूसरे के साथ रहे, किन्तु मोहम्मदअली ने 'मिल्लत दोस्ती' का विचार प्रतिपादित किया। यह विचार मुसलमानों को भारतीय कौम में सम्मिलित होने से रोकने में बहुत सीमा तक सफल हुआ। इस विचार की पूरी व्याख्या मोहम्मद इकबाल ने की थी। "मिल्लत दोस्ती" और "वतन दोस्ती" तथा "कौम परवरी" यह तीन ऐसे शब्द हैं जिनका मुस्लिम नेताओं के भावणों में बहुत बार बर्णन आता है। "कौम परवरी" का अर्थ है कौमियत (नेशनलिज्म) के विचार का समर्थन। वतन दोस्ती का अर्थ है देशप्रेम।

१९२३ ई० में राष्ट्रीय कौमियस के मध्य से मोहम्मदअली ने देशभक्ति और कौमियत के उस विचार की निन्दा की थी जो जापान में प्रचलित था। इसके विपरीत वे वेवल एक धार्मिक समझौता चाहते थे।^{१०३} वे भारतीय समस्याओं को प्राय अन्तर्राष्ट्रीय नहीं मानते थे, लेकिन जब यूरोप के राजनीतिज्ञ कौमियत से प्रभावित होकर भी अपना प्रभाव इटली के पुराने नगर वोलोना तक स्थापित करना चाहते थे तो उनके अनुसार भारतीय कौमियत से भी निराश नहीं होना चाहिए था। उनका विचार था कि वे भारत में समस्त यूरोप की एकता से पहले एकता प्राप्त कर लेंगे।

मोहम्मदअली के राष्ट्रीय कौमियस के अध्यक्ष रह चुकने के पश्चात् उनका "मिल्लत परस्ती" की प्रशंसा करना और देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की निन्दा करना अत्यन्त आश्चर्यजनक लगा। विवर होकर मोहम्मद अली ने आत्म रक्षा में वास्तविकता कही।

१०१. वटी।

१०२. ईमदर, ३ अप्रैल, १९२६, मजामीन, भाग २, पृ० २६१-२७३।

१०३. अध्यशीय भाषण, पृ० ६२।

मोहम्मद अली १९०६ ई० में मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे । १९१७ ई० में वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गये थे लेकिन जेन में बन्द होने के कारण वे अध्यक्षता नहीं कर सके जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा । सबसे प्रथम पद जो समस्त जीवन में उन्हें उपलब्ध हुआ और जिसका निर्णय उनके बन्दी रहने की अवधि में ही दिना उनकी अनुमति और मूलना के कर लिया गया था । वह इण्डियन नेशनल कॉमिटी की १९२३ ई० के अध्यक्ष का था । वे पद ग्रहण करने में इन्कार कर सकते थे लेकिन किन्तुं कारणों से उन्होंने ऐसा न किया । इसके पश्चात् उनके लिये और भी अधिक कठिन हो गया कि उनका कोई क्यन अयवा कार्य देश मन्त्री की भावना के विरुद्ध हो सके ।^{१०४}

अगस्त १९२५ ई० में लाहौर में भावण देने हुए उन्होंने कहा कि 'मुसलमान....एक विरादरी, एक जाति तथा एक कीम है' ।^{१०५} करवारी १९२६ ई० में उन्होंने कहा—'मुसलमान.....यदि उन्होंने कर सकते हैं तो केवल उसी स्थिति में कि वे अपने धर्म की ओर फिर लौट आए' ।^{१०६}

१९२६ ई० में 'हमदर्द' में लिखते हुए मोहम्मदअली ने देशप्रेम को बहुत तुच्छ और धर्म के प्रति प्रेम और निष्ठा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया था । उनके इस विचार से, उन्हें स्वर्यं यह आगंका थी, कि देशप्रेम की धोड़ी बहुत प्रगति जो हो रही थी वह भी समाप्त हो जायगी ।^{१०७} मोहम्मद अली ने अपनी आत्मरक्षा में पह स्वीकार किया था कि धर्म-प्रेम की भावना भी उनमें बहुत अधिक विकसित नहीं थी । इसलिए धर्म प्रेम को बढ़ाने में देशप्रेम में बाधा नहीं उत्पन्न होगी ।

मोहम्मद अली बनन दोस्त नहीं थे । इकबाल की प्रमिद्व कविता "मारे जहाँ मे अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे निकट हिन्दुस्तान 'सारे जहाँ से अच्छा' नहीं था ।^{१०८} एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा कि मैं आजकल की राजनीतिक कौमियत के विचार का विरोधी हूँ और इकबाल की एक दूसरी कविता के एक पद को अपना संक्षय बनाया था :

"चीन व अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमारा,

मुस्लिम है हम बतन है मारा जहाँ हमारा"^{१०९}

१०४. हमदर्द, ३१ अक्टूबर १९२६ (मजामीन, भाग २, पृ० २२) मोहम्मदअली ने अपना यह तर्क उनके एक सेवा पर बी गई भागति के उनर में दिया था उनका निश्चय "इण्डियन नेशनल दूषितन" पर या और वे अपने यानीबद्ध से उनके विचारों को एक महीने तक एकने की अनुमति चाहते थे ।

१०५. हमदर्द, २ नितम्बर १९२५, (मजामीन, भाग १, पृ० ७६) ।

१०६. हमदर्द, १५-१६ करवारी १९२६, (मजामीन, भाग १, पृ० २११) ।

१०७. हमदर्द, ३१ अक्टूबर १९२६, (मजामीन, भाग २, पृ० २०) ।

१०८. हमदर्द, १७ अगस्त १९२७, (मजामीन, भाग २, पृ० ४४२) ।

१०९. हमदर्द, १८ अगस्त १९२७, (मजामीन, भाग २, पृ० १४६०) ।

११३० ई० में गोवर्नर गवर्नरेट में शोनो हुए उन्होंने एक मुमलमान की भाँति यहा : "दूड़ ने मात्र दो बोनों को बनाया और बाजार ने दोनों को। गोविंदा का विद्यालय बनाया को एक हूँड़े में बाजार कर देता है इन्हुंने पांच हजार बाजार मनुष्यों को एक हूँड़े में संबंधित करती है।"^{११०}

मोहम्मद घनी घनीकृष्ण विचारणाग्रह से प्रभावित है। इस विचारणाग्रह का एक प्रमुख धंग धंडेड़ों के प्रति भक्ति एवं निष्ठा का प्रचार पा। मोहम्मद घनी धर्माधिकार पांचाल फेरलायों ने प्रभावित होने के कारण इस घनी को गम्भीरता हुआ गे नहीं जिस दोनों द्वारा बाजारुग मिश्रित तथा गुर्जरी गम्भ्या पर ये धंडेड़ रियोपी मैगों के विनाम पर आप्त हुए। इस प्रवार ११२०-२१ ई० में निषादा धान्दोमन के नेता, तथा ११२३ ई० में कांदिग के धम्पति तथा मुगारामानों के जिमवा जिल्हागढ़ (११०६) को पांडापालक बहने वाले मोहम्मद घनी के विरप में गाम्भ्या, धंडेड़ रियोपी होने की बात दृढ़ी जाती है। इस विचारणाग्रह की पुष्टि उनके ११३० ई० में दिये गये भागाएँ ने होती है विषमे वे भारत में जिन पूर्ण व्यावरण बाहरे में द्वारा गुरुताम देख की अवश्य एक अन्य स्वतन्त्र देश में शूलु को अंतिम घट्टांश तबन्दों में। यह ईकां नहीं है जैसा ऊपर यताया जा चुका है।

यान्त्रय में मोहम्मद घनी वहे भारी पवसारवादी थे। १११४ ई० में उन्होंने निया पा, "हमने उपरोक्त पठनायों (यत्तात तथा त्रिपोली मुद्द) का प्रध्ययन करके इस विचार को सबसे धर्मिक गहरवाहूलं पाया है कि हमारे पासे कोमी व गामुहा जीवन की गुरुता वन्मान व्यिधि में इगलेण्ड के प्रशिक्षण के प्रधोन रहना आवश्यक है। यह देशप्रब कि इगलेण्ड ने हमारे साथ जो बुराइयों को हैं उनसे कहीं भिन्न उनके अहसान हैं, हम ईमानदारी तथा धन्दी नियन से उनके प्रति भक्त रहेंगे।"^{१११}

११२० ई० में जेल में छूटने के पश्चात् उन्होंने यहा "हम भूलते हैं कि हमें कैद लिया गया था.....हम दोनों भाई तैयार हैं कि गरकार के तुच्छ में तुच्छ गोकर के घटगों में अपना गर रख दें। इसमें हमारा कुछ अपमान नहीं है।"^{११२}

११२३ ई० में भी उन्होंने प्राप्त बुराते विचारी छोंगुटिकरों हुए उन्हें दोहराया था—"हम.....कह राकते हैं कि हमें इगलेण्ड की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान साम्राज्यिक द्वारा कोमी उप्रक्रिया के समय उसका निरीक्षण तथा प्रश्न आवश्यक है। हम स्वतन्त्र सोनों की भाँति उनके प्रति भक्त रहेंगे और हृदय से उनकी मातायों का पातन करेंगे....यदि तुर्की से युद्ध भी आरम्भ होगा तब भी भारतीय मुसलमानों की भक्ति स्थिर रहेगी और जब वास्तविक युद्ध भी आरम्भ भी हो गया तो यह भक्ति समाप्त नहीं होई।"^{११३}

११०. हयत-ए-जोहर, पृ० १११।

१११. हयत-ए-जोहर, पृ० ४५। (कामरेड में, १२ अगस्त १११४ को छोटे देश से उदारण)।

११२. तरबीर, पृ० ११, दिल्ली में ६ जनवरी, ११२० को दिया गया भाषण।

११३. वास्तविक भाषण, पृ० ८३।

१९३० ई० में उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया था कि—“मैंने अपना राजनीतिक मिद्दान्त परिवर्तित कर निया है। मैं पहले सरकार का विद्रोही था लेकिन अब मैं अपने देश का द्रोही हूँ और धर्म में सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं “शैतान” के साथ भी मिलकर कार्य कर सकता हूँ यदि खुदा के मार्ग में काम करना हो।”^{११४}

मोहम्मद अली ने अप्रेज़ी सरकार की भेदनीति को भी समरानुसार व्यक्त किया था। १९२३ ई० में उन्होंने मुसलमानों के राजनीति में प्रवेश के सम्बन्ध में कहा—“मुसलमान राजनीति में प्रविष्ट नहीं हुए, मुसलमान कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए। मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनता का साथ नहीं दिया और अपने देश के हिन्दू भाईयों का भी साथ नहीं दिया; किन्तु जो पर भी उन्होंने उठाया था ही उठाया। बहुत ही आहिस्ता और अनमने ढंग से आगे बढ़ाया। केवल परिस्थितियों से विवर होकर और तत्कालीन स्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा किया।”^{११५} इसी भाषण में उन्होंने १९०६ ई० के मुसलमानों के शिमला शिष्टमण्डल को “आज्ञापालन” कहा था,^{११६} तथा यह भी स्वीकार किया था कि अप्रेज़ों ने “हिन्दू भाईयों से लड़ने के लिये हमें विलियों की भाँति प्रयोग करके हमारे नालून और पंजों से लाभ उठाया।”^{११७}

अंग्रेजों की इसी भेद नीति को दूसरी प्रकार भी उन्होंने प्रकट किया था और हिन्दूओं को इस नीति का भागी बताया था। उनके अनुसार “एक समय था कि अंग्रेजी सरकार मुसलमानों से डरती थी। उसे यह मन्देह रहता था कि मुसलमान यदियों में इस देश में राजपाट के स्वामी रहे थे किर एक बार यदि ये झगड़ा लेकर उठ सड़े हुए और अपनी खोई हुई पूँजी पुनः प्राप्त कर लेने के लिए प्रयत्न किया तो बहुत कठिनाई हो जायगी। लेकिन अंग्रेजों ने शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया कि अगर हिन्दू जो मुसलमानों से संस्था में तीन गुने या चार गुने अधिक हैं उनके विरुद्ध खड़े किये जा सकते थे तो मुसलमानों को किर और निमी के विरुद्ध उठ खड़े होने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। किर यही झगड़ा उनकी परेशानी के लिये पर्याप्त होगा।” इस प्रकार मोहम्मद अली ने राष्ट्रीय आनंदोलन को भी अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा

११४. दैवत-ए-बैहर, पृ० १००।

११५. अध्यक्षीय भाषण, पृ० ५०-५१।

११६. अध्यक्षीय भाषण, पृ० ५४। यह तक बाद में नहीं दोहराया गया था जबकि विविध अवसरों पर १९०६ ई० के शिमला शिष्ट मण्डल का वर्णन रिया गया था। १९२७ ई० यह ‘आज्ञापालन’ बेवज़ “एक इशारा” मान रख गया था। हमदर्द, १८ अप्रैल, १९२७, यजामीन भाग २, पृ० १४४ (दिविये इशारा-ए-मोहम्मदशनी), पृ० ३०६-३०८।

११७. अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६५।

रिया गया प्राचीनतम् इहा था।^{११५}

गोपदेव गार्मेन में उन्होंने कहा, "वहि भारत में इंगरेज का अधिकार तथा व्यापा भी हो जाए है तब भी हम इंगरेज की मंजी को समाज मही करें। इंगरेज के लिये हमारे दिमों में ऐस है।^{११६}

११५. इकादश-ए-ओहम्मद शासी, पृ० २५३।

११६. हयल-ए-जौहर, पृ० ११०।

शेख मोहम्मद इकबाल

(१८७३-१९३८)

मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में इकबाल का विशिष्ट स्थान है। एक दार्शनिक तथा कवि होने के अतिरिक्त उन्होंने मुसलमानों के समक्ष एक लक्ष्य प्रस्तुत किया था इसी लक्ष्य के आधार पर मुसलमानों के राजनीतिक नेता उनके पृथक् हितों की कल्पना कर सके तथा उनके लिए एक पृथक् राज्य की स्थापना का लक्ष्य बना सके।

इकबाल १८७३ई० में स्वाल्कोट (पश्चिमी पंजाब) में पैदा हुए। १९०५ई० में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। १९०६ई० में इकबाल ने अपनी पहली कविता अनुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम, लाहौर, के वार्षिक अधिकारी अधिकारी में पढ़ी। अप्रैल १९०१ के पश्चात् उनकी कविताएँ उद्भूत पत्रिका 'मखजन' में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं। १९०५ई० में इकबाल उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए। वे तीन वर्ष वहाँ रहे तथा उन्होंने वहाँ पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त कर ली। यूरोप में रहते हुए उन्होंने उद्भूत में कविता लिखना भी कम कर दिया था और सामाज्य मान्यता के अनुसार उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया था। वे अब केवल मुसलमानों के हितों की ही कल्पना करते थे।

१९०८ई० में भारत लौट आने के पश्चात् वे प्रायः जीवन भर लाहौर में ही रहे। वे लाहौर के गवर्नमेन्ट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य तथा दर्शन के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। साय ही वे वकालत भी करते रहे। कुछ समय पश्चात् उन्होंने गवर्नमेन्ट कॉलेज की नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और वकालत ही उनका व्यवसाय रह गया। १९०८ई० के पश्चात् इकबाल ने कुछ प्रसिद्ध कविताओं की रचना की जैसे-'तराना-ए-मिल्नी', 'शिकवा', 'जवाद-ए-शिकवा', 'जमा और शायर'। इसी प्रवृत्ति में एक अन्य कविता 'वतनियत' के शीर्षक से प्रकाशित हुई जिसमें देशप्रेम की कल्पना पर टिप्पणी की गई थी। १९१५ई० में उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कविता

'असरार-ए-खुदी' प्रकाशित हुई। इस कविना की आलोचना तथा प्रशंसा बहुत हुई। इसके पश्चात् १९१८ ई० में उनका दूसरा काव्य प्रन्थ 'रमूज-ए-वेखुदी' प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् १९२१ ई० में 'खिज्ज-ए-राह' तथा १९२२ ई० में 'तुलु-ए-इस्लाम' प्रकाशित हुई। १९२३ ई० में उनकी कविताओं का संग्रह 'बौग-ए-न्दरा' प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् 'पयाम-ए-मशरिक' फारसी में प्रकाशित किया गया। दो वर्ष पश्चात् 'जवूर-ए-प्रज्ञम' और किर 'जावेदनामा' प्रकाशित हुए। १९३५ ई० में पुनः इकबाल उर्दू की ओर आकर्षित हुए और 'वाल-ए-जवरील' (१९३५) तथा 'जर्व-ए-कलीम' (१९३६) में प्रकाशित की गई।

इकबाल एक कवि ही नहीं थे वाल्क वे एक महान् विचारक एवं दार्शनिक भी थे। उनका राजनीतिक चिन्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उच्च कोटि का था। १९२७ ई० में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से प्रजाव विधान सभा का सदस्य चुन लिया गया। वे १९३० ई० तक सदस्य बने रहे। वे मुस्लिम लीग के सचिव भी रहे किन्तु कुछ मनभेदों के कारण १९२८ ई० में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। १९३० ई० में उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष नुना गया और १९३१-३२ ई० में वे दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये लन्दन गए। १९३२ ई० में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्सरेन्स की अध्यक्षता की और १९३५ ई० से १९३८ ई० तक जिन्ना को निरन्तर परामर्श देते रहे।

१९२४ ई० में उन्हें गुर्दे की बीमारी आरम्भ हो गई थी। १९२४-३४ ई० के मध्य यह नियन्त्रण में रही किन्तु १९३४ ई० में वे काफी बीमार हो गए थे। उन्हें गले की तकलीफ ऐसी हो गई थी कि उनकी आवाज निकलना भी बहुत हो गया था। १९३७ ई० में उनकी आँखें भी खराब हो गई थी। इस प्रकार उनके जीवन के अन्तिम वर्ष शारीरिक कष्ट में व्यतीत हुए किन्तु वे मुसलमानों के राजनीतिक हितों के प्रति जागरूक रहे और अन्तिम समय तक घनिष्ठ सम्पर्क में रहे। २५ मार्च, १९३८ ई० को उनकी दशा काफी खराब हो गई और २१ अप्रैल, १९३८ ई० को उनकी मृत्यु हो गई।

इकबाल का एक विशेष मन्त्र यह था कि उन्होंने मुसलमानों की कौमियत का आधार भूमि के स्थान पर इस्लाम को बताया था। उन्होंने मुसलमानों को मिलते के माध्यम से ही समिति भाना था। 'घरन' अथवा 'भूमि के आपार-एर कौमियत की कल्पना का उन्होंने विरोध किया था और इस प्रकार मुसलमानों को भारतीय कौमियत में विलय होने से रोक दिया था। साथारणतया इकबाल को उनके 'तराना-ए-हिन्दी' (१९०४ ई०) से जाना जाता है जिसमें उन्होंने कहा था : "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्ताँ हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वनन है हिन्दोस्तान हमारा।"

उपरोक्त कविता से उनके देशप्रेम का अर्थ लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु इस कविता का अर्थ इकबाल के लेखों की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए।

बनन का अर्थ उस समय महत्वपूर्ण होता है जब बतन को कौम का आधार मान लिया जाता है। अर्थात् एक बनन के रहने वाले एक कौम के मदस्य समके जाए। इस कविता का देशप्रेम के सन्दर्भ में कोई अर्थ नहीं रहता है यदि इकबाल का अभिप्राय एक "हिन्दी" (हिन्दुस्तान में रहने वालों की) कौम से नहीं था।

इकबाल ने १९३८ ई० में भी जबकि वे मुसलमानों के पृथक् राज्य के विचार का प्रतिपादन कर चुके थे, यह लिखा था कि "हम सब हिन्दी हैं और हिन्दी कहलाने हैं क्योंकि हम सब भूमि के उस भाग में रहते सहते हैं जिसे हिन्द (भारत) के नाम से पुकारते हैं"....."बतन" का शब्द..... केवल एक भौगोलिक प्रयोग है और इस स्थिति में इसका इस्लाम से संबंध नहीं होता है"....."इन अर्थों में प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपनी जन्मभूमि में प्रेम रखता है".....किन्तु आधुनिक साहित्य में बतन का अर्थ केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि बनन मनुष्यों के संगठित अस्तित्व का एक सिद्धान्त बन जाता है और इन दृष्टि से एक राजनीतिक कल्पना है। चूँकि इस्लाम में मनुष्यों के संगठित अस्तित्व का एक नियम है, इसलिए जब बतन को एक राजनीतिक प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह इस्साम विरोधी है।^२

आधुनिक युग में कौमों का केवल बतन के आधार पर गठन करना और भारतीय मुसलमानों को वह मुमाल देना कि वे इसे स्वीकार करें इकबाल के निये अमहा था। इकबाल ने बताया था कि वे बननियत के ऐसे दृष्टिकोण की आलोचना उस समय से कर रहे थे जबकि इस्लामी जगत और भारत में इस दृष्टिकोण की कोई विशेष चर्चा भी नहीं थी।^३

इकबाल को १९०४ ई० में भी देशप्रेम जैनी कल्पना से कोई विशेष लगाव नहीं था। इसकी पुस्ति उनकी अन्य कविताओं से होती है। १९०४ ई० में उन्होंने 'मदा-ए-दर्द' लिखी थी। वौग-ए-दरा में प्रकाशित करते समय इकबाल ने इसकी कुछ पंक्तियों को निकाल दिया था।^४ वे पंक्तियाँ थी—

"पार ने चल फिर मुझे ए किशती-ए-मौज-ए-ग्रटक,
अब नहीं भाती यहाँ के बोस्तानों की महक।"

२. मजामीन इकबाल, पृ० १६२।

३. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १८०। यह एक लम्बा निबन्ध है जो इकबाल ने मौतना हृसैन बहादुर महरी के लेज के उत्तर में लिखा था और दैनिक पत्र 'एस्पान' में १ मार्च १९३८ ई० दो छपा था।

४. प्रो० पुमुक चन्द्रीम चिह्नों : शह बौद्ध-ए-दरा, पृ० ६३। इन पंक्तियों के बनुकार इकबाल बानमीक के देत थे छोड़ देना चाहते थे।

अलविदा ऐ संरगाह शेख शीराज, अलविदा,
ए दयार-ए-बालमीक नुकता परदाज, अलविदा ।

बाँग-ए-दरा के प्रथम भाग की कविताओं के पश्चात् कुछ विविध 'गजल' दी हुई हैं उनमें से एक गजल में उन्होंने कहा था^५—

हवा हो ऐसी कि हिन्दोस्तान में ए इकबाल,
उड़ा के भुझको गुब्बारे रह-ए-हिजाज करे ।

उपरोक्त दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि १६०४ ई० में ही इकबाल देश छोड़कर चले जाने की बात कहते थे । अप्रैल १६०६ ई० में अपने एक निजि पत्र में उन्होंने कु अतिथा देश को निया था, "मेरा लक्ष्य इस देश से शीघ्र अतिशीघ्र भाग जाना है".....(अपनी व्यक्तिगत घरेलू कठिनाइयों का बर्णन करने के बाद अन्त में लिखते हैं) (मेरे दुःख का).....एक भाष्ट उपचार यह है कि मुझे इस अभागे देश को सदा के लिये छोड़ देना चाहिए ।^६ १६०८ में उन्होंने 'वतनियत' (अर्थात् वतन एक राजनीतिक कल्पना के रूप में) शोर्यक से एक कविता की रचना की जिसमें लिखा था^७—

"इन साझा छुदाओं में बड़ा सबसे वतन है—

जो ऐरहन इसका है वह मजहब का कफ़ल है
यह बुज़ कि तराशीदा तहजीब नवी है
गारनपर काशन-ए-दीन नवदी है
है तकं वतन सुधत-ए-महबूब इलाही
देहू भी नवूत की सदाकृत पे गवाही
गुपतार-ए-सियासत में वतन और ही कुछ है
इरशादे नवूत में वतन और ही कुछ है ।

वतन के भौगोलिक सीमाओं पर आधारित होने की भालोचना करते हुए तराना-ए-गिल्ली (१६०८) में उन्होंने लिखा था^८—

५. बाँग-ए-दरा, पृ० १०५ ।

६. अनिया देश : इकबाल, पृ० ३६ ।

७. बाँग ए-दरा, पृ० १६५-१६६ ।

८. वहन की यह मूर्ति जिसे परिवर्ती सम्प्रगा ने बनाया है इसका पर्व भी गतु है ।

९. यदि आवश्यकता पड़े तो मूँ देश (दान) छोड़ दे जिस प्राप्त हवात भीहमन ने लिया था
जबकि भड़ाम में जीवन-निवाह कठिन हो गया था । इसनिए तू लियी देश में इस्लामी
जीवन द्योत करने में बहिराई अनुभव बढ़े तो देश ने छोड़ दे और दूरदेश ने अरवा
देश बना दिया ।

१०. बाँग-ए-दरा, पृ० ११४ ।

“चीन व अरब हमारा हिन्दुस्तान हमारा

मुस्लिम हैं हम बतन हैं सारा जहाँ हमारा”

इसी समय एक अन्य कविता “बलाद-ए-इस्लामिया” (अर्थात् इस्लामी शहरों, १६०८) में इकबाल ने लिखा था^{११}—

“हे अगर कौमियते इस्लाम पाबन्दे मुकाम

हिन्द ही बुनियाद है इसकी न फारिस न श्याम

आह, यसरव देश है मुस्लिम का तू मावा है तू

नुकत-ए-जागिर तासुर की शुश्राओं का है तू”

इन दोनों पदों का अर्थ है—सामान्यतः तो इस्लाम की कौमियत किसी स्थान के साथ जुड़ी हुई नहीं है लेकिन यदि उसे किसी भूमि के साथ जोड़ा भी जाए तो मुसलमानों की कौम का आधार न हिन्द है न ईरान और न श्याम। वह भूमि यारव (मदीना) है (मदीना को सम्बोधित करते हुए इकबाल कहते हैं) कि तू ही मुसलमानों के द्विपने का स्थान है और तू ही समस्त विश्व के मुसलमानों के दिलों को अपनी ओर सीधने की शक्ति रखता है।

१६१३ ई० में ‘जवाब शिकवा’ में इकबाल ने इस बात पर बल दिया कि “ऐ मुसलमान, तू अपने दामन को बतन की मिट्ठी से भाटकर रख तब ही तू उम्रति कर सकेगा।” इसी बात को उन्होंने ‘रमूज-ए-बेखुदी’ (१६१८) में कहा कि मुसलमान बतन अथवा देश से बन्धा हुआ नहीं है उसे तो ईश्वर की एकता और हजरत-मौहम्मद के अन्तिम पैगम्बर होने पर यकीन रखना चाहिए तब ही वह उम्रति कर सकता था।

१६१८ ई० में अकबर इसाहाबादी को (जिनके प्रति इकबाल के मन में बड़ी धड़ा थी) एक पत्र में उन्होंने लिखा था^{१२}:

“इस समय इस्लाम का भावु साइन्स (विज्ञान) नहीं………इसका शब्द यूरोप का क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त है जिसने तुकों को खिलाफत के विरुद्ध उकसाया………”

१६२०-२१ ई० डॉ निकलसन (जिन्होंने असरार-ए-खुदी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था) को एक पत्र में इकबाल ने लिखा था :

“इस्लाम सदा जाति व रंग भेद के सिद्धान्त का जो मानवता के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा पत्थर है अत्यन्त सफल शब्द रहा है………कौमियत का सिद्धान्त जिसका आधार जाति या देश की भीणोलिक सौमांओं पर है इस्लामी जगत में सफलता प्राप्त कर रहा है और मुसलमान विश्व भ्रातृत्व के लक्ष्य को भूलकर इस

११. बीग-ए-दरा, पृ० १५०। प्र०० मुमुक्षुक सलीम विश्वी शर्ह-बीग-ए-दरा, पृ० २६५-२६६।

१२. शेख बता उल्लाह (संघ.) इन्तजार-ए-मकातीब, पृ० २६६। इकबाल का पत्र : दिनांक ११ जून, १६१८।

विचार के धोने में कोई हुए हैं जो कोमियत को राजा या देश की सीमाओं में सीमित रखने की गिरावट देता है।^{१३}

मुस्लिम युनियनिटी के गमांध भाषण करते हुए उन्होंने कहा था :

"वान परम्परा (देश के नियंत्रित करना) का विचार जो कोमियत की कल्पना से पैदा होता है एवं प्राचीर में एक भी विद्युत घरु की पूजा है जो पूरी तरह में इस्लाम के विरुद्ध है। इन्हिं ने इस्लाम विद्या में हर वकार की ऐसी भक्ति भाष्यना को गमांध करते के निए पैदा कृपा का जो दृग्दर भक्ति में गमेतार होने का दाया करे।"^{१४}

जब इस्लाम 'यतन परम्परा' का विद्योत करते थे तो भारतीयों के एक कोमियत के समर्थक होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भारतीयों एक कोमियत के गद्दय में यह कल्पना केवल पर्मियनी राष्ट्रीयता के गिरावट के अनुगार भीतोनिह गीकामों पर आधारित थी। इतनिंदा 'वर्तनियत' और 'कोमियत' दोनों भावनाएँ एक दूसरे में अनिष्ट रास्ताम रहती हैं। इस्लाम वो सबंग बड़ी उपनिषद यह है कि "उन्होंने प्राधुनिक युग की सबने बड़ी मूर्ति धर्याई कोमियत की पूजा को खाड़ित कर दिया है।"^{१५}

१६२७ का वर्ष राजनीतिक दिक्षण में विजेता महत्व रखता है। इसके पश्चात् भारतीय राजनीति में घटनाओं का कम अविक्षय देश से भलता रहा। १६२८ई० में नेहरू समिति ने डोमिनियन स्टेट्स की माँग प्रस्तुत की।

१६२९ ई० में पंजाब लेजिस्लेटिव कॉमिटी में भाषण करते हुए इकबाल ने कहा था . "(भारत में) एक कोमियत की वाननीत वेरार है और वहुत समय तक बेकार रहेगी".....जिन प्रकार अधिक आशाज करने वाली मुर्गी अधिक पढ़े नहीं देती उसी प्रकार इस शब्द से भी कोई परिणाम नहीं निकल सका.....मेरे विचार में एक कोमियत होता अच्छा नहीं है".....^{१६} । १६३० ई० में मुस्लिम खोग के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने मुख्य तथ्य यह मान लिया था कि—

"भारतीय मुसलमान हर स्थिति में अपनी इस्तामियत को सुरक्षित रखने के इच्छुक हैं"

ऐसी स्थिति में कोमियत के विचारों ने मुसलमानों के समक्ष मुख्य सकृदान्त प्रस्तुत कर दिया था क्योंकि इकबाल को यह आशंका थी कि जातीयता की भावनाएँ प्रगति करते-करते ऐसे नियमों तथा सिद्धान्तों का प्रोत्साहन दे देगी जो इस्लाम विरोधी तथा उसके विपरीत भी हो।^{१७}

१३. मत्तामीन-ए-इकबाल, पृ० ७० ।

१४. खुलबात-ए-इकबाल, पृ० ६१ ।

१५. वही, पृ० १८, मुलाम अहमद परवेज (सम्पादक) वो दिव्यणी ।

१६. शामलू : इकबाल के भाषण, पृ० ६६-६७ ।

१७. खुलबात-ए-इकबाल, पृ० २५-३० ।

इकबाल के अनुमार इस्नाम धर्म का प्रश्न एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था। वे यह कलाना भी परने के लिए तैयार नहीं थे कि राजनीतिक लक्ष्य की हड्डि से इस्लाम की भी वही दशा हो जो ईशाई धर्म को परिनाम में हुई थी। वे इस बात को असम्भव मानते थे कि मुगलमान इस्लाम के राजनीतिक प्रबन्ध के स्वाम पर उन कीमी प्रबन्धों को महण कर से जिनमें धार्मिक हस्तक्षेप की कोई सम्भावना ही न रहे। जब उनके समझ यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तुर्की ईरान और अन्य इस्लामी देशों में कीमियत का सिद्धान्त स्वीकार किया जाना या जब उन्होंने कहा कि “कीमियत की समस्या उन देशों में पैदा ही नहीं होती जहाँ मुगलमान बहुमत्वक है क्योंकि वहाँ कीमियत और इस्लामियत एक हो जाते हैं। कीमियत की समस्या केवल उन देशों में पैदा होती है जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। कीमियत का इस्नाम रो भाड़ा उस समय पैदा होता है जब वह ऐसे देशों में राजनीतिक गठन का आगार बन जाती है और कीमी जीवन के संवालन में इस्नाम जीवन शक्ति प्रदान करने वाला तत्व नहीं रहता।”^{१५} इकबाल के अनुमार भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए इस्लाम की एक हथता के गिरावंत को अस्तीकार करना धातु के तिक्क हो सकता था। वे चाहते थे कि जिन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनका यह प्रवत्तन व्यापोचित होगा कि वे सांस्कृतिक एकता के आधार पर स्वायत्तता प्राप्त करें।^{१६}

उनके अनुमार भारत एक द्योड़ा एशिया या क्योंकि भारत में एक कीम नहीं रहती थी। “भारत विभिन्न कीमों का बतन है” जिनकी जानि, धर्म सब एक दूसरे से अलग-अलग है^{१७} मुस्लिम राजनीति का पहला गढ़ा लग्नजड़ समझीना या क्योंकि वह भारतीय कीमियत के गलत विचार पर बनाया गया था। हिन्दुस्तान के विभिन्न मध्यदायों की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है।^{१८} और भारत में यदि कोई कीम रहती है तो वह मुसलमान ही है।

१६३३ ई० में उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान एक पृथक् हिन्दुस्तानी कीम की भाँति अपने पांच पर खड़ा होने का प्रयत्न करें।^{१९} उनके अनुमार भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक कीम की पूर्ति असम्भव ही नहीं बल्कि अनुचित भी थी, एक संगठित भारत बी नीब ठोस आवारों पर रखनी चाहिए अर्थात् यह कि इस देश में एक से अधिक कीमें आवाद थीं जिनकी शीघ्रता से देश के

१५. तुनबान, पृ० ५५।

१६. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १७५-१७६-यह लेख पृ० नेहरू के वक्तव्य के उत्तर में निचो गया था और मार्च १९३४ ई० में प्रकाशित हुआ था।

१७. इकबाल का अध्यक्षोय भाषण, तुनबान-ए-इकबाल, पृ० ३६।

१८. वही, पृ० ५५।

१९. शर कल्लू हूसैन के भाषण पर इकबाल द्वारा की गई टिप्पणी : शामकू : पृ० २२६।

राजनीतिज्ञ एक कौमियत के विचार को त्याग दें उतना ही अच्छा होगा।^{२३}

१६३६ ई० में इकबाल ने यह स्पष्ट किया कि वे कौमियत के सिद्धान्त का विरोध किस कारण से कर रहे थे। यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईसाई धर्म की एकता को छोड़कर विभिन्न राज्यों के आधार पर कौमियत की नीव डाली। इसका परिणाम हुआ अबर्म, भौतिकवाद और आधिक युद्ध।^{२४}

१६०८ ई० में भी उन्होंने लिखा था :

अकबाम जहाँ मे है रकाबत तो इसी से,

तसल्लीर है मक्सूद-ए-तिजारत तो इसी से^{२५}

अकबाम मे भल्लूके खुदा बटती है इसमे,

कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे।

इकबाल को एक भय तो यह था कि इसमे अधारिकता का विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त इस्लाम के उप्र प्रवक्ता के लिए इसका एक अर्थ यह भी था कि समस्त मानव समाज विभिन्न कौमों भे इस प्रकार बंट जाएगा कि उनमे एकता स्थापित हो सकना सम्भव नहीं रहेगी। कौमियत का एक अर्थ यह भी हो सकता था कि इस्लाम धर्म के बल किसी एक विशिष्ट देश अथवा कौम के लिये था। इकबाल ने हजरत मोहम्मद के समय का उदाहरण देकर यह कहना चाहा कि पंगम्बर साहब ने बतत की एकता अथवा बतन के आधार पर कौमियत की नीव नहीं रखी थी।

इकबाल का कहना था कि “मुसलमान समुदाय को व्यवस्था तथा संगठन का आधार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पंगम्बर होना है। इसकी एकता का आधार इस्लामी मिलत है।” कुरान तथा हृदीस के आधार पर इकबाल ने मिलत शब्द के अर्थ की व्याख्या की थी और बताया था कि हजरत मोहम्मद ने जहाँ लोगों को किसी सामुदायिक अथवा सामूहिक व्यवस्था मे सम्मिलित होने की बात कही थी, वहाँ मिलत शब्द का प्रयोग किया था, किसी कौम की स्थापना अथवा इसमे सम्मिलित होने का सुझाव नहीं था। उन्होंने बताया कि “कई कौमों की एक मिलत तो हो सकती थी लेकिन एक मिलत की कई कौमों का कही वर्णन नहीं है। जो लोग अन्य कौमों को छोड़कर मिलत में सम्मिलित हो गये उनको बाद मे कभी कौम नहीं कहा गया बल्कि उन्हें शब्द से सम्बोधित किया गया। मिलत कौमों को अपने मे विलय कर लेती है लेकिन स्वयं उनमे विलय नहीं हो सकती।”^{२६}

२३. गोलमेज बैनरेन मे मूहिम नेशनों के विचार : इकबाल का यह वक्तव्य ६ मध्यम्बर, १६३३ ई० की प्रकाशित हुआ। शामलू : इकबाल के मार्ग, पृ० २३५-३६।

२४. मध्यमीन इरवान, पृ० १८४। यह नेत्र मौनाना हृष्ण बहदर मदनी के उत्तर मे लिखा था।

२५. बीन-ए-दरा, पृ० १११।

२६. मध्यमीन, पृ० १८५-१८०।

इकबाल का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि मुसलमान कौम की हप्टि से एक हों और मिलत की हप्टि से कुछ और। उन्हें इस बात से बहुत आपत्ति थी कि मुसलमान कौम की हप्टि से यदि हिन्दुस्तानी बन गए तो उन्हें घर्म को निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखना पड़ेगा और वे भारतीयता में घुलमिल जायेंगे।

इकबाल के अनुसार मुसलमानों का कर्तव्य था कि “वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित दासता के दम्पन तोड़े और उनके प्रभुत्व को समाप्त करें लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम को सुरक्षित रखना तथा शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मुसलमान किसी ऐसी सरकार की स्थापना में सहायक नहीं हो सकते जिसकी नींवें उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित हो जिन पर अंग्रेजी राज्य स्थापित है। एक वेकार वस्तु को निटाकर दूसरी वेकार वस्तु को स्थापित करने से कोई अर्थ ही नहीं है………यदि भारत की स्वतन्त्रता का परिणाम यह हो कि जैसा कुफ का घर आजकल है वैसा ही रहे या उससे भी दराव बन जाए तो मुसलमान बतन की ऐसी स्वतन्त्रता को हजार बार धिक्कार देते हैं। ऐसी स्वतन्त्रता के हेतु लिखना, बोलना, घन व्यय करना, लाठियाँ खाना, जेल जाना, गोली का निशाना बनना सब कुछ हराम और पूर्णतया हराम है।”^{२३}

इकबाल ने मुसलमानों को इस्लाम के आधार पर एक मिलत बनाने का परामर्श तो ध्वन्य दिया लेकिन वे जानते थे कि इस्लामी समुदाय में कई ऐसी विचारधाराएँ थीं जो मुमलमानों को अप्रयत्नशील बना रही थीं जैसे इस सासार को बहुत कम मूल्यवान् भम्भना और उसके स्थान पर ‘आखरत’ को अधिक महत्व देना मुसलमानों की भलाई के लिए हानिकारक था। इसलिए इकबाल ने इस मांसारिक जीवन को ही महत्वपूर्ण बताया था। व्यक्ति का व्यक्तित्व (खुदी) ही समस्त जीवन का केन्द्र था। इस व्यक्तित्व के लिए मोहब्बत, साहम, कस्व-ए-बलाल और सहनशीलता आवश्यक थी। इस खुदी के पतन के लिए भय, सवाल (निष्ठा प्रवृत्ति), दासता और नस्व परस्ती (अपने पूर्वजों की महानता की पूजा करना) उत्तरदायी होती है। खुदी के विकास में नियमों का पालन, आत्मसम्पन्न और इन्सान-ए-कामिल का आज्ञा-पालन सहायक ही होते हैं। खुदी के विकास में तीन थे ऐसी हैं—(१) खुदी को पहचानना (२) खुदी को अन्य खुदियों के साथ देखना (३) खुदी के माध्यम से ईश्वर को पहचानना, उसी समय इन्सान-ए-कामिल का विकास हो सकता है।

अपनी दूसरी मसनवी ‘रमूज-ए-वेखुदी’ में इकबाल ने उन सिद्धान्तों की चर्चा की थी जिन पर मुस्लिम, समाज आधारित होना चाहिए था। खुदी का पूर्ण विकास समाज में रह कर ही सम्भव था। इस्लामी समुदाय एक ईश्वर में विश्वास

२३. इकबाल ने यह चेतावनी मृत्यु से प्रायः एक महीना पूर्व ही लगाया। यह लेख दैनिक पत्र ‘एट्सान’ लाहौर में ६ मार्च, १९३८ की द्वारा था। मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १६३-१६६।

रखने और हजरत मोहम्मद के अन्तिम पंगम्बर होने पर आपारित या इसलिए यह किसी स्थान तक सीमित नहीं था और इस समुदाय का आपार देश नहीं था चूंकि ईश्वर ने इस समुदाय की मुरादा वा आशयासन दिया है इसलिए यह अमर रहेगा।^{२८}

फरवरी १६१२ ई० में 'शमा और शायर' में इकबाल ने व्यक्ति और समुदाय के परस्पर सम्बन्धों के विषय में कहा था—

शाहा जब गुलशन की जमीयत परेशां हो चुकी

पुल वो बादे बहारी का पायाम आपा तो किया^{२९}

भावर बाबी तुरी गिल्लत की जमीयत से थी

जब मह जमीयत गई हुनिया में राजा तू हुआ
फरं कायम रवते मिलत में है तन्हा बुद्ध नहीं

मौज है दरया में और बंरन दरया बुद्ध नहीं।^{३०}

रमूज-ए-बेलुदी के पश्चात् भी इकबाल जाति, कौमियत, सम्यता व रंग की भावनाओं के चिठ्ठ लियते रहे।^{३१} उन्हें इस बात से बहुत परेशानी थी कि पश्चिमी सिद्धान्तों के प्रचान्तन ने इसलामी व्यवस्था को इस तरह काटकर दुकड़े-नुकड़े कर दिया था जैसे कंची सोने के कागजों को काट देती है।

"हिकमते भगवित से मिलत की यह कैफियत हुई

दुकड़े दुकड़े सोने वो कर देता है गाढ़"

मुसलमानों की पराजय का उन्होंने एक ही उपचार बताया था कि वे सब पर्म की शरण में आ जाएं और सब मिलकर एक हो जाएं। मदि मुसलमानों ने जानि को उच्च प्राथमिकता दी तो वे सासार से रास्ते की धूल की भाँति उड़ जायेंगे।^{३२}

१६०८ ई० के आरम्भ में "अब्दुल कादिर के नाम" कविता में उन्होंने अपना लक्ष्य भारत के मुसलमानों को उनकी सराब स्थिति से अवगत करा देना तथा उन्हें उम्रति का मार्ग बता देना निश्चित किया था। उन्होंने कहा—

'रस्तेगाँ बुतकदा चीत मे उठा ले अपना'

सदको महवे रहे सादो व मुलेमा कर दे'^{३३}

२८ ऐ० ज० अरबी : मिस्ट्रीज ऑफ सेलफलेसेम-रमूज-ए-बेलुदी का अरेबी अनुवाद : प० २६-३६। यह विचार इकबाल अपनी पहले वी नविता में भी व्यक्त कर चुके थे। उदाहरणार्थ बतनियत, जबाब-ए-तिकवा, शमा और शायर।

२९ बौग-ए-रहा, प० १६६।

३०. वही, प० २०२।

३१ विज्ञ-ए-रह, यह कविता १६२१ ई० में लिखी गई थी। बौग-ए-रहा, प० २६०।

३२. वही, प० २६२-२६६।

३३. वही, प० १३४।

अर्थात् भारत के मुसलमानों को गैर इस्लामी सम्यता से हटाकर इस्लामियत की ओर आकर्षित कर दें।

फरवरी १६१२ ई० में 'शमा और शायर' में भी इकबाल ने कहा था—

सनूते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुईं

वह नमाजें हिन्द में नियंत्रण हो गई^{३४}

अर्थात् भारत में जिन मुसलमानों ने एक ईश्वर पर विश्वास रखकर सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वे मुसलमान ही अब ब्राह्मणों के समक्ष भुक्तने लगे और हिन्दुओं के से रीति-रिवाज अपनाने लगे थे।

'जवाब-ए-शिक्षा' में भी इकबाल एक स्थान पर मुसलमानों को गैर मुमलमानी प्रभाव द्योड़ने के लिये कहते थे^{३५}

"शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद

हम यह कहते हैं कि ये भी कही मुस्लिम मीड़ूद
बजा में तुम हो निसारी तो तमदुन में हतूद

यह मुसलमान है जिन्हे देख के शर्माए यहूद
मूँ तो सैयद भी हो मिरजा भी हो अफगान भी हो,

तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो।

उन्होंने 'वज्म-ए-ग्रन्जुम' में मुसलमानों को आपस में संगठित होने की बात तारों की दुनिया से समझा कर बताई थी। जिस प्रकार आकाश में तारे आपसी आकर्षण के आधार पर टिके हुए हैं उसी प्रकार मुसलमानों को भी ऐसे ही आपसी आकर्षण के आधार पर संगठित होना चाहिए।^{३६} यह आपसी समर्क और मैत्री केवल घर्म के आधार पर ही सकती थी। इसलिए 'मजहब' कविता में इकबाल ने बहा है—

"दामन-ए-दीन हाय से छूटा तो जमीयत कहाँ,

श्रीर जमैयन हुई रुक्सत तो मिल्लत भी गई।^{३७}

१६१३ ई० में 'जवाब शिक्षा' में इकबाल ने मुसलमानों को उप्रति करने का भाग बताया था :

कौम मजहब मे है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं,

जज्य बाहम जो नहीं महफिल ग्रन्जुम भी नहीं।^{३८}

३४. वही, पृ० १६६। सनूत=प्रतिष्ठा तथा सम्मान, तौहीद=एक ईश्वरवाद
नियंत्रण=अप्रित्र

३५. जवाब शिक्षा-वही, पृ० २१८। निसारी=ईमाइ

हतूद=हिन्दू वा बृद्धचतुर
नाबूद=मिट गए।

३६. वही, पृ० १८४।

३७. वही, पृ० २७१।

३८. वही, पृ० २१५।

एक घम्भ बन्द है—

मनकेत एक है इस कोग की तुकसान भी एक

एक ही सदका नवी दीन भी ईमान भी एक
हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक

बुध बड़ी बात यी होते जो मुसलमान भी एक
पिरका बन्दी है कही भीर वही जाते हैं

क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं।^{३६}

'सिजर-ए-राह' में इवाल मुसलमानों को चेतावनी देते हैं कि यदि जाति
किसी भी तरह धर्म पर प्रधानता प्राप्त कर ले गई तो फिर मुसलमान दुनिया में
रास्ते की गिट्ठी की भाँति उड़ जायेंगे।^{३०} प्रनिम उद्दूं कविता "तुलुए इस्लाम" में
इवाल ने भारत के मुसलमानों को यह पंगाम दिया कि वे रंग व जाति के मतभेदों
को छोड़कर मिल्सत में विलोन हो जाएं जिसमें उनमें यह भेद न रहे कि कोई ईरानी
है, अफगानी है अथवा कोई तुरानी।^{३१}

मुसलमानों को संगठित बनाने का दूसरा तरीका यह था कि उन्हें उनके
पूर्वजों की उपलब्धियाँ बाद दिताई जाएँ। इवाल ने नई धीढ़ी के मुसलमान नव-
युधकों के नाम एक कविता लिखी जिसमें उन्हें उप्रति करने के लिए प्रेरणा दी और
बताया कि वे अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत कम भहत्व रखते हैं—

तुझे आवा से अपने कोई निस्वत हो नहीं सकती,

कि तू गुपतार वह करदार, तू साबत वह संयारा।^{३२}

जुलाई १६०८ ई० में 'सकलिया' (सिसली हीप का अरबी नाम) की कविता
में उन्होंने लिखा था कि वे इस्लाम के पुराने विजेताओं की कहानी सुनाकर मुसलमानों
को उत्साहित करेंगे। सिसली को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं—

"रग तस्वीर कोहन में भर के दिखलादे मुझे

किसां अव्यामे सल्फ वा कहके तडपादे मुझे

मैं तेरा तोहफा सूए हिन्दुस्तान ले जाऊंगा

बुद यहीं रोता है औरों को वहाँ रुलाऊंगा।^{३३}

अग्रेल १६०९ ई० में इवाल ने अट्टन्त प्रभावशाली कविता "गिर्का"
(शिकायत) लिखी जिसमें उन्होंने अपनी बात ईश्वर से शिकायत के रूप में कही
और उस पर यह आक्षेप लगाया कि उसने अब मुसलमानों पर इष्टा हट्टि रतनी

^{३६.} वही, पृ० २१६।

^{३०.} वही, पृ० २६४।

^{३१.} वही, पृ० ३००।

^{३२.} वही, पृ० १६० आवा=पूर्वज, तारा=स्थित, संयारा=निरन्तर चलते वासा।

^{३३.} वही, पृ० १३६। मल्क=बोंड हुए।

छोड़ दी थी। इकबाल का उद्देश्य ईश्वर पर वास्तव में आक्षेप लगाना नहीं था उनका उद्देश्य मुसलमानों की उस गानभिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करना या जिसके अनुसार वे दूसरों पर आक्षेप लगाते थे और स्वयं अपनी दुर्बलताओं का अध्ययन नहीं करते थे।^{४४} 'शिकवा' में मुसलमानों की पददलित स्थिति का वर्णन किया गया था तथा 'जवाब शिकवा' में कमी हूर करने का मार्ग बताया गया था।

मुसलमानों की पददलित स्थिति के लिए ईश्वर से शिकायत करने हुए इकबाल कहते हैं कि मुसलमान तेरी पूजा करते हुए भी अपमानित हैं। इकबाल की प्रार्थना यही कि—

"भूमिकें उम्मते भरहूम की आसान कर दे,
मोर वे भाया को हमदोश मुलेमान कर दे,
जिन्म नायवे भोहम्बत वो फिर अर्जों कर दे,
हिन्द के देर नशीनों को मुसलमां कर दे।"^{४५}

इम 'शिकवा' के अन्त में इकबाल ने मुसलमानों की कौम को जगाने का वायं अपने लिये रख लिया था और वे भागत में रहते हुए भी अरब की प्रतिष्ठा के गीत मुनाने का वायदा करते थे—

"चाक इस बुलबुले दनहा की नवा से दिल हों
जागने वाने इसी बाँग-ए-दरा मे दिल हों
उजमी खुम है तो क्या मैं तो हजाजी है मेरी^{४६}
तगमा हिन्दी है तो क्या, सैं तो हजाजी है मेरी^{४७}
जून १६१२ ई० में अपनी कविता 'मुस्लिम' में इकबाल ने कहा—
"यदि अहं रपता मेरी खाक को अक्सोर है
मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तपसीर है।"^{४८}

(अर्थात् पुराने समय की याद मुझे जिन्दगी प्रदान करती है। मुझे यकीन है कि जो महानता पहले समय में हमें प्राप्त हो चुकी थी वह पुन भविष्य में प्राप्त होगी)

'जवाब-शिकवा' के माध्यम से इकबाल ने मुसलमानों को वास्तविक तथा सच्चे मुसलमान बनने की प्रेरणा दी। विश्व में मुसलमानों के पूर्वज केवल इस्लाम के सच्चे अनुयायी होकर ही विश्व में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके थे।

४४. बलताक हूर्सन . शिकवा और जवाब लिखा, भूमिका, पृ० १३। लेखक ने दोनों कविताओं का अपेक्षी अनुवाद लिया है।

४५. बाँग-ए-दरा, पृ० १७३। उम्मत=इस्लामी सम्बद्धाय, अर्जों=महाता, मोर देवताय=बमजोर च्यूटी। वे मुसलमानों को अधिक मुसलमान बनाना चाहते थे। उन्होंने भारत में मूर्ति-पूजा को आना लिया था। इकबाल उसे छोड़ने का परामर्श दे रहे थे।

४६. वही, पृ० १७६। अन्तिम वर्द में यह बात बही गई थी।

४७. वही, पृ० २०६।

उन्हें इस बात की प्रेरणा दी गई कि वे 'बतन' से लगाव छोड़ दे और 'मोहम्मद' से लगाव बढ़ाएं^{४८} भारतीय मुसलमान 'पुन' प्रगति कर मिलते थे यदि वे घर्म के माध्यम से संगठित हो जाएं।^{४९} इकबाल मिलत की एकता का गुणागान करते थे। उन्हे यह देखकर कष्ट होता था कि तुर्की समूह इस्लामी जगत् था नेतृत्व नहीं कर रहा था। १९१२ ई० में विपोती यूद्ध के आरम्भ ही जाने के पश्चात् ही तुर्की की असमर्थता को देखते हुए उन्होंने निया था।

"चाक कर दी तुकं नादा ने विलाफत की कथा।^{५०}

अर्थात् भूमं तुवौ ने विलाफत का चोगा उतार कर फेक दिया है।

इकबाल के अनुसार इस्लामी मिलत की एकता हजरत मोहम्मद को शालिग्नी पैगम्बर मान नेने पर आधारित थी। मुसलमानों के इस्लाम घर्म के आधार पर संगठित हो जाने के विचार को सर्वेदम्लामवाद की मज़ा दी जाती है। इकबाल के "तराना-ए-मिल्ली" का पहला पद इस तर्क के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है कि वे सर्वेदम्लामवाद के समर्थक थे।

"चीन व अरब हमारा हिन्दुस्तान हमारा-मुसलमान है हम सारा जहाँ हमारा" किन्तु यह अनुचित है क्योंकि उन्होंने विश्व के मुसलमानों को एक राज्य में संगठित हो जाने की बात नहीं कही थी। सगठन के लिये मिलत का आधार बतनियत और राष्ट्रीयता के विपरीत प्रस्तुत किया गया था। वे चाहते थे कि भारतीय मुसलमान आपसी मतभेदों को भूलकर संगठित हो जाये। लेकिन यह सगठन उनका पृथक् मार्ग होना चाहिए था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर वे संगठन को मना कर चुके थे। इसलिए सगठन का एक ही आधार जेप था और वह था इस्लाम घर्म। उनको विभिन्न कविताएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि इकबाल का अर्थ इस्लाम के विश्व-ध्यापी तथ्यों की दुहाई देकर भारतीय मुसलमानों को आगग की ओर से अलग करना था। इकबाल ने अपनी कुछ कविताओं में पश्चिमी एशिया और विश्व के अन्य इस्लामी देशों की मकादम्य स्थिति के सम्बन्ध में लिखा था लेकिन उसका अभिप्राय मुसलमानों को उनकी दयनीय दशा में अलग करना था। इकबाल ने मिलत का आगार के बल भारतीय मुसलमानों को भारत के अन्य निवासियों से अलग करने के लिये प्रस्तुत किया था। इस सिद्धान्त वाला यह अभिप्राय कभी नहीं था कि समस्त इस्लामी देशों की एक मात्र संगठित होने के लिये प्रेरणा दी जाय। इकबाल का नाथ भारतीय मुसलमान थे न वि विश्व।

^{४८}. जवाब-जिह्वा, २८वीं और २९वीं पट, बैग-ए-दरा, पृ० २२१, २२४। यह जवाब-जिह्वा १९१३ ई० में हजारी की मध्या में हाथी-दाय विह गई और इस गणि की बहाल कर्ण में जमा कर दिया गया।

^{४९}. बैग-ए-दरा, पृ० २१५।

^{५०}. वही, पृ० ।

के मुसलमान। इसीलिए उन्होंने अपनी बात उद्दूँ के माध्यम से ही कही थी। इस तर्क की पुष्टि के लिए इकबाल का विलाफत आनंदोलन के प्रति विप्रियगु विशेष उल्लेखनीय है। १९१६ ई० में जब भारत में विलाफत आनंदोलन भारम्भ हुआ तब इकबाल ने उस आनंदोलन का साथ नहीं दिया था। इसके मम्भवतः दो कारण थे। एक कारण तो उन्होंने संयद मुलेमान नदवी को अपने निजी पत्र में लिखा था। इकबाल विलाफत आनंदोलन को भारत के मुसलमानों की मूर्खता कहते थे और इस आनंदोलन को सम्बन्ध नहीं द्वारा चलाया गया भानते थे।^{५१} इसी पत्र में उन्होंने कुछ पत्तियाँ नियकर भेजी थीं जिनमें पहली पंक्ति को बदलकर बाद में “दरवीजा-ग-विलाफत” (विलाफत की भिक्षा) शीर्षक कविता में बांगन-दरा में मम्मिलित कर दिया गया। उन्होंने कहा था—

“अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए,

तू अहकाम-ए-हक से न कर बैवफाई,

नहीं तुम्हको तारीख से पागाही क्या ?

विलाफत की करने लगा तू गदाई,

बरीदें न हम जिम्मको अपने लहू से,

मुसलमान को है नंग वह पादशाही।^{५२}

इस कविता के अन्तिम फारमी पद का अर्थ था कि मुझे हड्डी ढूटने में इतनी जर्म नहीं आती जितनी उम्मको जोड़ने वाली दवा के मांगने में आती थी।

इकबाल इस समय तक ‘असरार-ए-खुदी’ और ‘रमूज-ए-बेखुदी’ निष्ठ चुके थे। वे मुस्लिम समुदाय में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते थे। वे अंग्रेजों ने भीषण मार्गकर विलाफत को जीवित रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार अप्रेज़ स्वयं विलाफत के विशद्ध थे और उसको ममाल कराने के पक्ष में थे। अपने एक अन्य पत्र में संयद मुलेमान नदवी को उनके यूरोप में लौट आने के पश्चात् इकबाल ने लिखा—“आपने बड़ा काम किया है जिसका बदला कौम की ओर से हृतभ्रता के हृप में मिल रहा है और ईश्वर की ओर से न मालूम किम हृप में प्रदान होगा। इंगलैण्ड के मन्त्रिमण्डल का उत्तर वही है जो ऐसी स्थिति में मदा दिया गया है।” इसके पश्चात् अरवी का एक वाव्य था जिसका अर्थ है—

“क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों की बात मान ले यद्यपि उम्मी कौम हमारी दास है।^{५३}

^{५१} संयद मुलेमान नदवी को २७ निवाम्बर १९१६ ई० का निष्ठा गया पत्र इकबाल नामा, भाग १, पृ० १०५-१०७।

^{५२}. बांगन-दरा, पृ० २३८। अहकाम-ए-हक—इस्लामी आदेश गदाई—भीषण नीतना

^{५३}. इकबाल का पत्र : दिनांक १० अक्टूबर १९२० ई०। रईस अहमद जाकरी : इकबाल और मियामत मिलनी, पृ० ११६।

इस भित्ता पर्याने गे मुस्लिम राष्ट्राद्य की धार्तमतिर्भवता का विकास नहीं हो सकता था। १९२१ई० में अपनी एक अन्य कविता 'निय-ए-राह' में इसी बात पर अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान मिलाफ़त की नीति को विश्व में हठता में स्थापित करना चाहने थे तो उन्हें अपने पूर्वजों को भाँति श्रीयं और दीरता प्राप्त करनी चाहिए थी।^{४४}

इसरा कारण भी उन्होंने संयद सुलेमान नदवी को अपने एक बाद के पत्र में लिया था। वे यह नहीं चाहते थे कि मुसलमान हिन्दुओं के साथ मिलकर मिलाफ़त का समर्थन करें। उन्होंने मिलाफ़त धार्मोलन की लोकप्रियता पर टिप्पणी करते हुए लिया था—“बज्म-ए-ग्रग्यार की रौनक प्रवर्षण थी, लेकिन इस्लाम का हिन्दुओं के हाथ विक जाना महत नहीं हो सकता। अफमोस, मिलाफ़त वाले अपने भ्रसली मार्ग से बहुत दूर जा पड़े। वे हमको एक ऐसी कौमियत की राह दिला रहे हैं जिमरों वोई मुसलमान एक मिनट के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकता।”^{४५}

इस प्रवार इकबाल संयदइस्लामवाद के एक मात्र प्रतीक “खतीका” अथवा खिसाफ़त की गुरुद्धा के लिए भी अधिक प्रयत्नशील नहीं थे। १९३३ई० में इकबाल ने एक विस्तृत वक्तव्य इसी प्रश्न पर प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने कहा था—“पान इस्लामिज्म” का कोई पर्यावाची शब्द भरवी, तुर्की अथवा फारसी भाषा में नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि संयद जमालुद्दीन अफगानी ने भी विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय ही जाने के लिए नहीं कहा था और यह भी स्वीकार निया नि तुर्की के सुल्तान अब्दुल मजीदवो की इस्लामी राज्यों में एकता की वर्त्तना राजनीतिक शतरंज की एक चाल थी। इस्लामी मिलत की एकता से इकबाल वा अर्थ था कि भारत की मुसलमान कोम अन्य एशियाई मुसलमान कौमों वी भाँति अपने आन्तरिक मतभेदों को समाप्त करके अपने में एकता स्थापित करें।^{४६}

इकबाल ने वक्तव्यित की आलोचना इसलिए की थी कि वहन को कौम का आधार माना जाता था। लेकिन इकबाल भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् कौम कहने में संकोच नहीं करते थे। कौमियत का विचार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् भारत में अधिक चर्चा का विषय बना हुआ था। इकबाल मुसलमानों को भारत की अन्य कौमों से पृथक् बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि “मुसलमानों और विश्व को दूसरी कौमों से मौतिक अन्तर है.....हमारी कौमियत वा वास्तविक सिद्धान्त एक भाषा, एक वर्तन, एक-में आधिक हित नहीं हैं वर्तिक हम नोग उम

४४. बांग-ए-दरा, पृ० २६४।

४५. संयद सुलेमान नदवी वो १८ मार्च १९२४ई० का किया गया पत्र। रईस अहमद जाफरी इकबाल और मिलाफ़त मिली, पृ० १२०।

४६. यह वक्तव्य १९ मिन्हर १९३३ई० को प्रकाशित हुआ था। जामल, पृ० २२८-२२९।

विरादरी में जो हजरत मोहम्मद ने स्थापित की थी इसलिए सम्मिलित है कि हम सबके विश्वासों का स्रोत एक ही है....."इस्लाम भूमि के बन्दनों से मुक्त है....."हमारी कौमियत....."हमारे अस्तित्व में है वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से दिखाई दे।"^{५७}

१६३३ ई० में उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् हिन्दुस्तानी कीम की भाँति अपने पांच पर लड़ा होने का प्रयत्न करने का परामर्श दिया। भारतीय मुसलमान जनसंख्या के हिसाब से शेष समस्त एशियाई देशों की मुस्लिम जनसंख्या से अधिक थे इसलिए उन्हे चाहिए कि वे अपने आप को इस्लाम की सबसे बड़ी पूँजी ममके और अपनी विसरी हुई शक्तियों को संगठित करें।^{५८}

१६३४ ई० में व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्यों के संगठन की दृष्टि से इस्लाम में कोई लचक नहीं थी। वे स्वयं भी किसी ऐसे सिद्धान्त के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे जो इस्लाम से भिन्न हो। उसके अनुमान मुसलमान सामूहिक दृष्टि से एक व्यवस्थित एवं संगठित समुदाय है जिसकी एकता और संगठन का आधार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पैगम्बर होना है।

बतान के स्थान पर मिलत के आधार पर मुसलमानों को पृथक् अस्तित्व प्रदान करके इकबाल मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे। बतनियत और कौमियत के राजनीतिक मिद्दान्यों को उन्होंने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया था कि वे इस्लाम की एकहृष्टा के सिद्धान्त को अस्वीकार करने पर आवारित थे विशेषकर भारत में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक थे।^{५९} उन्होंने एक पत्र में बड़ी स्पष्टता से यह भी व्यक्त किया था कि मुसलमानों का हिन्दुओं के साथ मिलकर अप्रेची साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न इस्लाम के लिए लाभदायक नहीं हो सकता था। "भारत तो भने ही स्वतंत्र हो जाए लेकिन मुसलमान अवीन ही रहेंगे और इस बात पर मुसलमान कभी सहमत नहीं होंगे क्योंके दूनरों की अवीरता तो स्वीकार हो सकती थी लेकिन अवीनों के अवीर बना उन्हें स्वीकृत नहीं था।"^{६०}

मुसलमानों की अपेक्षा समर्थक और हिन्दू विरोधी नीति से भी इकबाल सहमत नहीं थे क्योंकि वे चाहते थे कि मुसलमान अपना एक पृथक् अस्तित्व स्थापित करें। उन्होंने १६३० ई० के मुस्लिम-नीति के समझ आरो अवधीनीय भागण में इस पृथक् अस्तित्व की कल्पना को स्पष्ट किया था। उन्होंने इस्लाम को व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित न रखकर सामूहिक जीवन का आधार घोषित किया था। "भारत में कई कीमे रहती थी। इसलिए परिवर्मी ढग का प्रकारतंत्र भर्तन के लिये उस

५७. मिलत बैंड पर एक उमरानी नवर-शुरुवात-ए-इकबाल, पृ० ६०-६२।

५८. शामलू : हेस्ट-ए-इकबाल, पृ० २२६।

५९. इकबाल का मुस्लिम-लोग के समझ अवधीनीय भाग १६३०, शुरुवात-ए-इकबाल, पृ० ११-१२।

६०. शुरुवात-ए-इकबाल, पृ० ६१।

समय तरु अनुचित था जबतक कि एक 'इस्लामी भारत' न स्थापित कर दिया जाए इसलिए मेरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध और बंगलादेश को एक ही राज्य में मिला दिया जाए जहाँ यह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्ता प्राप्त करे अथवा उसके बाहर..... अस्याला जैसे अधिकार हिन्दू जनतन्त्र्या वाले जितों को पृथक् कर देने से इस राज्य के विस्तृत क्षेत्र तथा शासन प्रबन्ध की कठिनाइयों में कमी हो जायगी।"^{६१}

उपरोक्त विचारों की व्याख्या करते हुए उन्होंने आगे कहा कि "मैं केवल भारत और इस्लाम की भलाई के विचार से एक समर्थित इस्लामी राज्य की स्थापना की माँग कर रहा हूँ। इससे भारत में शक्ति-संनुलभ हो जाने से शान्ति स्थापित रहेगी..... भारत के भूतभेदों को देखते हुए ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर दी जाए जो भाषा, जाति, इतिहास, धर्म और धार्मिक लाभ के आधार पर स्थापित हों।"^{६२}

इकबाल के इस भाषण में जिस इस्लामी राज्य की कल्पना की गई थी वह प्रचलित एकात्मक अथवा संघीय प्रणाली के बाद-विवाद के सन्दर्भ में थी। इकबाल का महत्त्व इस बात में था कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लक्ष्यों को एक निश्चित एवं विशिष्ट उद्देश्य पर केन्द्रित कर दिया एवं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा अंग्रेजी राज्य के अर्धान एक स्वायत्तता प्राप्त राज्य का विकल्प रखा गया था। इस भाषण में सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक् एवं स्वतन्त्र राज्य की कल्पना की गई थी जिसके स्वरूप की आवश्यकता तथा बदली हुई परिस्थिति के अनुमार ढाला जा सकता था। इस माँग को पाकिस्तान की माँग का आधार इसलिए कहा जाता है कि जिन आधारों पर इस राज्य की कल्पना की गई थी तथा जिस मिल्लत के हितों की सुरक्षा के लिए इसका आवित्य बताया गया था वे तक ही आगे चलकर देश-विभाजन के लिये उत्तरदायी हुए। चूंकि १९३० ई० में भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी, इसलिए इकबाल ने अपने स्वतन्त्र राज्य की योजना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि एक ओर तो अंग्रेजी सरकार उससे अमन्तुष्ट न हो और दूसरी ओर यदि आवश्यक हो तो उसे पृथक् एवं स्वतन्त्र राज्य का आधार बनाया जा सके। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इकबाल ने मुसलमानों को मिल्लत के आधार पर एक कौम कहा था। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा था कि "भारत में यदि कोई कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है, हिन्दुओं को वह एकता प्राप्त नहीं हुई जो एक कौम बनने के लिए आवश्यक है।"^{६३} पूर्ण स्वतन्त्रता यदि भारत को

६१. अध्यधीय भाषण खुतबात, पृ० ३६-३७।

६२. खुतबात, पृ० ३८-३९।

६३. वही, पृ० ५५।

न मिने और भारत में केवल एक संघीय सरकार ही स्वाप्ति की जाए तो संघीय सरकार को केवल वे ही अधिकार दिये जाने चाहिए जो विभिन्न स्वास्थ्यता प्राप्त राज्य अपनी इच्छा में उमे सौंप दे ।^{६४}

इकबाल ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत में ऐसा सविवान जो एक कौमियत के आधार पर बना होगा तागू किया गया तो भारत में पश्चिमी ठग के प्रजातन्त्र वी स्पापता का परिणाम शृङ् युद्ध होगा ।^{६५} १० वर्ष पूर्व भी उन्होंने पश्चिमी प्रजातन्त्रीय प्रणाली का मजाक उड़ाया था ।^{६६}

मुसलमानों के समझ लक्ष्य निर्धारित कर देना ही इकबाल ने पर्याप्त नहीं समझा था वल्कि इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए राजनीतिक संगठन की एकता की और भी ध्यान केन्द्रित किया था । इम एकता के विकास में दो कठिनाईयाँ थीं— महान नेताओं का अनाव तथा मुसलमानों में आजाकारिता की मनोवृत्ति का अभाव । राजनीतिक जीवन में मतभेदों को उचित रखना घातक था । उनके अनुगार इतिहास इस बात का साक्षी है कि कठिनाई के समय इस्लाम ही ने मुसलमानों को मुरक्कित रखा था न कि मुसलमानों ने इस्लाम को । वे चाहते थे कि 'पूरी इस्लामी मिलत एक व्यक्ति की माँति संगठित हो जाए और सब मुसलमान एक बचन हो जाए ।'^{६७}

कुछ लोगों ने इकबाल की उपरोक्त कलाना को एक कवि की 'राजनीतिक कविता' कहा था ।^{६८} इकबाल को सदा यह बात खटकती रही कि उनकी बात को लोगों ने बहुत ही कम समझा था । उन्होंने अपनी कवि पर भी एक फारसी पद निखाया था जिसका अर्थ था कि किसी व्यक्ति ने यह नहीं पहचाना कि इस यात्री (इकबाल) ने क्या कहा, वह कहाँ से आया था और किससे क्या कहता था ।

६४. मुन्तवाल, पृ० ४२ ।

६५. वही, पृ० ५४ ।

६६. बांग-ए-दरा, पृ० २८८ ।

६७. मुन्तवाल, पृ० ५८-५९ ।

६८. इकबाल ने स्वयं नई भारत यह कहा था कि वे कवि नहीं थे । उनका उद्देश्य कविता करना नहीं था यह भावना उन्होंने अवधार-ए-नुदी और भूमिका में भी चिह्नी थी और इसी प्रकार वो एक घटना वा कांत बांग-ए-दरा की भूमिका में भी है (१००-०३०) बांग-ए-दरा के दूसरे माग वो कविता के अन्त में कुछ गढ़के द्वी हुई हैं उनमें से एक के अन्त में उन्होंने वहा था कि किरण में प्रणितिशील दीमें दक्षिणां नहीं करती हैं (बांग-ए-दरा, पृ० १३८) । अपनी कविताओं के माध्यम से वे मुसलमानों को जगाकर कियाजीन बनाना चाहते थे । बांग-ए-दरा, पृ० ५८-६२, १३८, २२६-३० । उनकी किंगेर विनिद कविताएँ-किरवा, जवाब किरवा, जमा और जायर-इमारी और अधिक पुष्टि करती हैं ।

इकबाल तत्कालीन मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की आपसी फूट से बहुत असन्तुष्ट थे इसलिए उन्होंने एक नये मुस्लिम संगठन "अपर इन्डिया कॉन्वेन्स" की स्थापना की योजना बनाई यद्यपि किन्हीं कारणों से इस कॉन्वेन्स का कोई अधिवेशन कभी बुलाया नहीं जा सका।^{६६}

इकबाल ने मुस्लिम समुदाय को संगठित करने के लिये कुछ प्रमुख आवश्यक तत्त्वों पर बल दिया। ये तत्त्व थे—पूर्ण संगठन, सदय एवं उद्देश्यों की एकता तथा आज्ञाकारिता।^{६७} १९०४ ई० से ही इकबाल ने कौम की सुरक्षा एवं प्रगति के लिये मनुष्यों के निजी अधिकारों पर ध्यान न देने के लिये कहा था। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के पृथक् अस्तित्व का विचार भी कौम के अस्तित्व के विना नहीं किया जा सकता था। उसका जीवन भी उसका अपना नहीं था बल्कि कौम की मिलित्यत थी।^{६८} 'शमा और शायर' में उन्होंने कहा था—

फर्द कायम रहते मिलत से है तनहा कुछ नहीं,

मौज है दरया में और बैरने दरया कुछ नहीं।^{६९}

व्यक्ति का महत्व केवल समुदाय में है जैसे नदी में लहर महत्वपूर्ण होती है और नदी के बाहर कुछ भी नहीं होती।

१९१६ ई० में रम्ज बेखुदी की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि मिलनी जीवन की पराकार्पा यह है कि कौम के व्यक्ति किसी निश्चित नियम की पावनी से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की सीमाएँ निर्धारित करें जिससे व्यक्तिगत भेद समाप्त होकर समस्त कौम के लिये एक सामान्य भावना पैदा हो जाए।^{७०} इस समस्त मसनदी में व्यक्ति को समुदाय की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण बताया गया था। १९३२ ई० में सन्दर्भ में गोलमेज सम्मेलन से लौट आने के पश्चात् उन्होंने इस बात पर श्रीर अधिक बल दिया था कि सफलता के लिये प्रमुख आवश्यकता यह थी कि समस्त व्यक्तियों की संकल्प शक्ति को किसी एक लक्ष्य पर केन्द्रित कर दिया जाए।^{७१}

अपने एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा कि व्यक्ति समुदाय के जीवन में अस्थाई क्षण के लिये है समुदाय का जीवन अपने सदस्यों के जीवन के अतिरिक्त

६६. १९३१ ई० में गोलमेज-सम्मेलन के कारण १९३२ ई० में कम्युनल एवाइ, १९३३ ई० में मुस्लिम-लीग की योजना की प्रतीक्षा और १९३४ ई० के पश्चात् इकबाल के अस्वस्मय हो जाने के कारण यह योजना सफल नहीं हुई। मराठोंडाने-ए-इकबाल, पृ० ५४, ६२, ६६, ६९।

६७. मुतवाह-ए-इकबाल, पृ० ५६-५७।

६८. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० ३०-३६। यह निवार्य अस्ट्रोवर १९०४ ई० में लिखा गया था।

६९. मजामीन-ए-इकबाल, पृ० १४ (प्रस्तावना, रम्ज-ए-बुहरी)।

७०. बोग-ए-रटा, पृ० २०२।

७१. मुतवाह, पृ० ६३।

होता है यह विचार कि कौम केवल मनुष्यों का एक समूह है मूलतः ही यसतथा।^{७५}

दूसरी मुख्य आवश्यकता संगठन और नेतृत्व की थी। इकबाल आरम्भ से ही “इन्सान-ए-कामिल” (ध्रेष्ठ व्यक्ति) की आवश्यकता पर बल देते थे। इकबाल अन्य मुस्लिम विचारकों की भाँति प्रतियोगिता परीक्षाएं तथा प्रजातन्त्रीय पद्धति के विषय थे। १९२७ ई० में उन्होंने पंजाब विधानसभा में कहा था कि “इस देश में सामान्यता और इस प्रान्त में विशेषत यह पद्धति अनुमरण करने योग्य नहीं है।” वे भारतीय अधिकारियों के स्थान पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति अधिक संस्था में चाहते थे।^{७६} इस कथन पर मीनाना मोहम्मद अनी ने इकबाल की तीँ आलोचना की थी।^{७७} इकबाल ने एक भारतीय कौम की कल्पना को अधिक आवाज़ करने वाली ऐसी मुर्गी दताया था जो अप्टे नहीं देती थी। इसलिए उस मुर्गी की भाँति इस कल्पना में भी कोई लाभ नहीं था।^{७८}

वे प्रजातन्त्रीय परम्परा के विषय तो पहले से ही थे। १९२१ ई० में अपनी वित्ती ‘खिज्ज-ए-राह’ में उन्होंने पश्चिमी प्रजातन्त्रीय पद्धति की वास्तविकता बताते हुए लिखा था कि यह उतनी ही निरकृश है जितनी एकतन्त्रीय प्रणाली हो सकती है। अत्याचारी और निरंकुश प्रशासन का दानव प्रजातन्त्रि को बेंग-भूपा पहने हुए था। उसे स्वतन्त्रता की देवी समझना गलत था।^{७९} १९३१ ई० में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रजातन्त्रीय प्रशासन में उन सब दुर्बलताओं तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति का अवसर उपलब्ध होता है जो अन्य किसी प्रशासन में नहीं होता था।^{८०} १९३२ ई० में फैंचाइज समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इकबाल ने निर्वाचन में विशिष्ट मुख्यालयों की प्रशंसा भी थी। १९३२ ई० में इकबाल ने अपने विभिन्न वक्तव्यों से यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमान कौम में एकता स्थापित रखना कितना आवश्यक था।^{८१}

सिखों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इकबाल का कहना था कि उन्हें मुसलमानों के बहुमत को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि मुसलमान किसी भी ऐसे समझौते से सन्तुष्ट नहीं होंगे जिसके अनुसार उन्हें ५१% प्रतिनिधित्व पंजाब में उपलब्ध न हो।^{८२}

७५. खुम्बान, पृ० ८७-८८।

७६. शामलूः इकबाल के भाषण, पृ० ६५-६६।

७७. मजाहीन मोहम्मदअली, भाग २, पृ० ५०।

७८. शामलू, पृ० ६६।

७९. दौग-ए-दरा, पृ० २८८।

८०. शामलू, पृ० १८६।

८१. वही, पृ० १६४-५ अगस्त, १९३२ को लगा हुआ वक्तव्य।

८२. वही।

साम्राज्यिक निर्णय के प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उन्होंने कहा कि यदि उन्हे निर्णय देना होता तो वे भारतीय मुसलमानों के प्रति इतना अन्याय न करते जितना साम्राज्यिक निर्णय ने किया था। इस निर्णय के दो आधार थे प्रथम किसी बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित न किया जाए और दूसरे अल्पसङ्खयको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हे अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन दोनों आधारों के अनुसार मुसलमानों को घाटा ही रहा।^{५३} बंगाल में मुसलमानों का बहुमत समाप्त हो गया था और पजाब में भी उन्हे यह बहुमत केवल नामात्र के लिये ही मिला था। इस निर्णय में मुसलमानों को दिये गये अधिकारों को हिन्दुओं ने परिवर्तित करने का सुझाव रखा। इकबाल ने उसको मुसलमानों में फूट डालने का प्रयत्न बताया।^{५४} २० मार्च, १९३३ ई० को इकबाल ने अप्रेजी सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र की आलोचना की क्योंकि मुसलमानों को सधीय सदन में २७५ में से केवल ८२ स्थान गारन्टी किये गये थे जो मुसलमानों के साथ सरासर अन्याय था।^{५५}

यहाँ एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि इकबाल तथा अन्य मुसलमान नेताओं ने कई अवसरों पर यह कहा था कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करे और कांग्रेस अथवा कुछ हिन्दू नेताओं का ऐसा समझौता न करना अन्ततः मुसलमानों में कटु भाव पैदा करता रहा। यह विचार उसी समय कुछ ठीक प्रतीत होता है जबकि उसे ऐतिहासिक सन्दर्भ में न देखा जाए और केवल किसी एक घटना पर ही ध्यान केन्द्रित कर दिया जाए क्योंकि मुसलमान नेताओं की मांगें उन परिस्थितियों के साथ-साथ बदलती रही हैं जिनमें भारत को अप्रेजी नियन्त्रण में मुक्ति मिलने की सम्भावना रही। १९३३ ई० में वे जिन मांगों को प्रस्तुत करते थे उन्हे १९४० ई० में अस्वीकार कर चुके थे और १९४६-४७ ई० में केवल १९४० ई० में प्रस्तुत पाकिस्तान की पूर्ति चाही थी। उदाहरणार्थः दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सम्बन्ध में इकबाल का वक्तव्य ही सीजिये।^{५६} इकबाल जहाँ एक और यह कहते थे कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों की कुछ मांगों को रखीकार नहीं किया। दूसरी ओर गांधीजी के हिट्कोए की आलोचना करते हुए वे यह भी बहते थे कि उनके विचार के अनुसार भारत में एक कोमियत का विचार ही आपत्ति-जनक था और मुसलमान कभी भी भारतीय कोमियत में विलीन होना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आशेष लगाया था कि गांधीजी ने भारतीय कोमियत के विचार की अवहेलना की थी क्योंकि उन्होंने अद्यतों को मुसलमानों में विलय हो जाने में रोका था।^{५७}

५३. शास्त्र, पृ० २०४।

५४. वही, पृ० २०८।

५५. वही, पृ० २१३।

५६. इकबाल द्वा वक्तव्य जा ६ नवम्बर, १९३३ ई० का छापा था। शास्त्र, पृ० २३२-३३।

५७. वही, पृ० २३५-३६।

इकबाल ने इसी वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया था कि मुसलमान अपने लिए मुरक्कात्मक व्यवस्था इसलिए नहीं चाहते थे कि वे प्रजातन्त्र से भयभीत थे बल्कि इसलिए कि वे प्रजातन्त्र को आड़ में किसी भी एक धार्मिक सम्प्रदाय के आधिपत्य से बचना चाहते थे। जिम भाषण में इकबाल ने यह आश्वासन दिया था कि वे काग्रेस के साथ समझौते के इच्छुक थे उसी में यह भी कहा था कि बहुमत वाली कौम को या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पूर्व में सदा अंग्रेजी साम्राज्य की प्रतिनिधि बनी रहेगी या फिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सास्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखकर देश को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में निर्वाचन और साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्न ही न रहे।^{५५}

१६३५ ई० का एक लागू हो जाने के पश्चात् इकबाल को इस बात को चिन्ता हुई कि पंजाब में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व हो। मई १६३६ ई० में जिन्ना लाहौर में इकबाल से मिले जो उस समय पंजाब प्रान्तीय मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष थे। पंजाब में मुस्लिम-लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिये इकबाल ने जिन्ना को जनसाधारण के समर्थन का आश्वासन दिलाया तथा पंजाब में मुस्लिम-लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने का आश्वासन दिया।^{५६}

मई १६३६ ई० के पश्चात् ही इकबाल और जिन्ना में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इनमें से केवल इकबाल के पत्र उपलब्ध है। इन पत्रों में इकबाल ने अपने पूर्व प्रसारित विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया था। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव के लिये इकबाल यह आवश्यक समझते थे कि एक अखिल भारतीय नीति तथा योजना होनी चाहिए थी और केवल उन मुसलमानों का ही चुनाव होना चाहिए जो उस नीति से सहमत हो। इकबाल यह अनुभव करते थे कि प्रान्तीय मुस्लिम राजनीतिक दलों ने भारतीय मुसलमानों की एकता को प्राप्त समाप्त कर दिया था। इसलिए एक अखिल भारतीय योजना आवश्यक थी।^{५०} २५ जून १६३६ ई० को अपने पत्र में इकबाल ने जिन्ना को यह मुझाव भी भेज दिया था कि सर सिकन्दर और अहमदयार खाँ दीलताना (यूनियनिस्ट नेता) मुस्लिम-लीग में मिलने को तैयार थे किन्तु १ जुलाई, १६३६ ई० को सरफ़जलहुसैन खी मृत्यु के पश्चात् पंजाब का नेकशा ही बदल गया और सर सिकन्दर हयातखाँ को पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का नेता बना लिया गया। अगले एक वर्ष से अधिक समय तक डॉ० इकबाल इस बात का प्रयत्न करते रहे कि मुस्लिम-लीग का प्रमुख पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी पर स्थापित हो जाए।

५५. बटानवी : इकबाल के आविरी दो गान, पृ० ३०७।

५६. यह मुगाव इकबाल ने इसलिए दिया था कि यह निर्वाचन मेनिक्स्टी में ममिनित किया जा सके। पत्र दि० ६ जून, १६३६। इकबाल के पत्र जिन्ना के नाम, पृ० ६०५।

६०. दही।

दूसरी समस्या जिस पर डॉ. इकबाल ने ग्रत्यधिक ध्यान दिया था वह जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम जनतमर्क प्रोग्राम था वे इसका मूँह-तोड़ जवाब देने के लिये जिन्हा को प्रोत्तमाहित करते रहे।^{११} उन्हे इस बात की चिन्ता थी कि मुसलमानों में कांग्रेस समर्थक भावनाएँ बढ़ रही थीं वे यह भी चाहते थे कि मुस्लिम-लीग भमस्त मुसलमानों की सामान्य प्रतिनिधि सम्पत्ति बन जाए तथा उसे मुसलमानों के केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

१५-१६ अप्रैल १९३७ ई० को जिन्हा-सिकन्दर समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुमार यूनियनिस्ट पार्टी और लीग में आपमी समझौता हुआ। इकबाल इस समझौते के पश्चात् यूनियनिस्ट पार्टी की नीतियों गे अमन्तुष्ट थे और वे जिन्हा को अधिक ठोस अध्यवा कठोर नीति अपनाने के लिए कहते रहे। किन्तु इकबाल अपने विचारों के अनुदूल जिन्हा को न बना सके। जिन्हा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे जो गिकन्दर-जिन्हा पेकड़ के उल्घानों को उपेशा कर देना चाहते थे। मार्च, १९३८ ई० में पंजाब मुस्लिम-लीग को अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग ने मान्यता प्रदान नहीं की और अप्रैल १९३८ ई० में इकबाल ने ग्रत्यन्त दुखी होकर अपने सहयोगियों को मुस्लिम-लीग के कलकत्ता विशेष अधिकेशन में भाग लेने के लिए भेजा। फलस्वरूप इकबाल के कुछ समर्थक पंजाब मुस्लिम-लीग की कार्यकारिणी में सम्मिलित कर लिये गये।

१९३७-३८ ई० में सर तिकन्दर हमातद्दौ के दल के प्रति अपनाई जाने वाली नीति में इकबाल और जिन्हा में मतभेद था। यह मतभेद उसी प्रकार का था जो एक सेंद्रान्तिक विचारों वाले व्यक्ति और एक व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ में हो सकता था। इकबाल यूनियनिस्ट दल से असन्तुष्ट थे क्योंकि वह मुस्लिम-लीग के प्रति निष्ठावान नहीं था। जिन्हा व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ थे जो पंजाब में मुस्लिम लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूनियनिस्ट नेता की प्रत्येक शर्त को पूरा करना चाहते थे। इकबाल समर्थक दल कलकत्ते में से जब लौटकर लाहौर आया तो उसी दिन इकबाल की मृत्यु का समाचार मिला।^{१२}

इकबाल और पाकिस्तान का विचार :

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक “डिस्कवरी ऑफ इण्डिया” में यह विचार अन्तक किया है कि “इकबाल प्रत्यक्ष मेरे यद्यपि पाकिस्तान के विचार के समर्थक थे किन्तु उन्होंने इस विचार को बेमेल और धातक होना स्वीकार कर लिया था।”^{१३} जवाहरलाल ने एक अन्य लेखक एडवर्ड थोमसन के हवाले से यह भी कहा है कि इकबाल ने उन्हे (थोमसन को) यह बताया था कि उन्होंने मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष

११. पत्र दिन २० मार्च १९३७, २२ अप्रैल १९३७, २८ मई १९३७ ई०। इकबाल के पत्र, पृ० ११-१४, पृ० १५।

१२. आशिक हृसेन बटालदी-इकबाल के आधारी दो साल, पृ० ६४४।

१३. नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, पृ० ३७२।

होने के नाते ऐसा किया था जेकिन उन्हें पूर्ण विचास था कि यदि भारत विभाजित हुआ तो मुसलमान नष्ट हो जायेगे ।

एडवर्ड योम्सन ने अपनी दो पुस्तकों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस घटना का वर्णन किया है । पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा है :

“इकबाल मेरे दोस्त थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में मेरे समस्त सन्देहों को दूर कर दिया था पहले उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकृट की थी कि मेरे विस्तृत देश में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई नजर आती थी फिर उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि पाकिस्तान हिन्दुओं, मुसलमानों और ग्रेज़ी साम्राज्य तीनों के लिए विनाशकारक होगा और अन्त में उन्होंने कहा, “किन्तु मैं मुस्लिम नीग का अध्यक्ष हूँ इमनिंग मेरा कर्तव्य है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूँ ।”^{४४}

दूसरी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि :

“इकबाल ने………अपनी मृत्यु से कुछ देर पूर्व जब उन्हें यह मासूम हो गया था कि उनका समय निकट आ गया है मुझे एक पत्र में वडे दुख के साथ लिखा था कि मेरे अव्यवस्थित देश में चारों ओर विनाशकारी घटनाएँ दियाई पड़ती हैं ।”^{४५}

एडवर्ड योम्सन के वर्णन में कुछ अन्तर्विरोधी तत्व हैं और कुछ प्रमाणित तथ्यों के विपरीत तत्व हैं । उन्होंने तीन बातें कही हैं :

(१) इकबाल ने पाकिस्तान का समर्थन इमलिए किया था कि वे मुस्लिम-नीग के अध्यक्ष थे ।

(२) इकबाल जीवन में एक बार ही मुस्लिम-नीग के अध्यक्ष बने थे और उस समय तक लोग का यह लक्षण ही नहीं था । इसके अतिरिक्त इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में रख्ये यह कहा था कि वे अपने चिन्तन के आधार पर यह लक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे ।^{४६}

(३) इकबाल के विचारों में मृत्यु से पूर्व परिवर्तन आ गया था और उन्होंने एक चिट्ठी में यह सब लिखा था ।

योम्सन महोदय का यह तकं तथ्यों के अभाव में शायद स्वीकार भी हो जाता किन्तु इकबाल ने अपने अन्तिम दिनों में अपनी डम योजना का इतना स्पष्ट स्पष्ट प्रस्तुत किया था जितना कि शायद १९३० ई० के अध्यक्षीय भाषण में भी नहीं किया था । अपने २० मार्च, १९३७ ई० के पत्र में उन्होंने जितना पर इस बात के लिए दबाव डालने का प्रयत्न किया था कि वे जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम सम्पर्क योजना का सचित उत्तर दें और एक पृथक् एवं निश्चित राजनीतिक इकाई वे स्पष्ट

४४. एडवर्ड योम्सन : एनिस्ट इंडिया पॉर फ्रीडम, पृ० ५० (१९४०) ।

४५. एडवर्ड योम्सन : एयकल आडियल्म इन इंडिया ट्रूटे, (१९४२) ।

४६. शायद, पृ० १६ ।

मेरे भारतीय मुसलमानों के उद्देश्य को स्पष्ट करें।^{६७} २८ मई, १९३७ ई० को पुनः आपने लिखा……“प्रश्न यह है कि मुस्लिम निर्धनता की समस्या को किस प्रकार हल किया जाय ?……इस्लामी विधि प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि इन नियमों को ठीक प्रकार से समझा जाए तथा लागू किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति (मुसलमान) को जीवन-निवाह के साधन उपलब्ध हो सकते हैं किन्तु इस देश में इस्लामी शरियत (विधि प्रणाली) को उस समय तक लागू नहीं किया जा सकता जबतक कि एक या एक से अधिक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य न हों……भारत में शान्ति स्थापित रखने का यही एक साधन है यदि यह ग्रन्थभव है तब एकमात्र विकल्प गृह-युद्ध है जो वास्तव में कुछ समय से मुस्लिम उपद्रवी के हृप में चल रहा है……यह आवश्यक है कि भारत का नए सिरे से विभाजन हो और एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किये जाएं जहाँ मुसलमानों को पूर्ण वटुमत हो। वया आप ग्रन्थभव नहीं करते हैं कि इस प्रकार की माँग प्रस्तुत करने का समय आ चुका है।”^{६८}

इकबाल ने आपने २१ जून, १९३७ ई० के पत्र में पुनः लिखा था :

“ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भारत में शान्ति स्थापित रखने का एकमात्र उपाय यह है कि देश को धार्मिक, जातीय और भाषाई सिद्धान्तों के अनुसार विभाजित कर दिया जाये। बहुत से अप्रेज राजनीतिज्ञ भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। मुझे याद है कि इंगलैण्ड में लॉर्ड लोयिन ने मुझ से कहा था कि मेरी योजना भारत की समस्याओं का एकमात्र हल थी……उत्तर-पश्चिमी भारत और बंगाल के मुसलमानों को पृथक् कौमे क्षेत्रों में समझा जाय जिन्हे आत्मनिर्णय का उभी प्रकार अधिकार उपलब्ध हो जिस प्रकार भारत में और भारत के बाहर अन्य कौमों को उपलब्ध है।”^{६९}

उपरोक्त पत्रों की उपस्थिति में यह कहना अनुचित है कि इकबाल ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने विचार बदल दिये थे।

६७. इकबाल द्वे पत्र जिनमें नाम, पृ० १३।

६८. वही, पृ० १६-१७।

६९. इकबाल के पत्र, पृ० २१-२२।

अबुल कलाम आजाद

(१८८८-१९५८)

भारतीय मुसलमान नेताओं में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। यद्यपि उन्होंने भी मुसलमानों को इस्लाम और कुरान के प्राधार पर संगठित होने की शिक्षा प्रदान की थी लेकिन जहाँ अन्य नेता (जैसे इकबाल और मोहम्मद अन्नी) मुस्लिम पृथक्कातावादी बन गए वहाँ मौलाना आजाद राष्ट्रवादी बने रहे। उनका राष्ट्रवादी विचारों का समर्यक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम पृथक्कातावादी विचार केवल इन्हाम धर्म पर ही प्राप्तिरित नहीं थे।

मौलाना आजाद का जन्म १८८८ ई० में मकान में हुआ था। उनके पूर्वजों के विषय में बहुत कम जान उपलब्ध है। मौलाना ने अपने पूर्वजों के विषय में लिखा है कि उनके परिवार में तीन प्रमिद परिवारों का मिश्रण था। ये तीनों परिवार भारत और अरब के प्रसिद्ध परिवारों में थे।^१ किन्तु एक आधुनिक शोध ग्रन्थ में उनके इस कथन की परीक्षा की गई है जिसमें मौलाना आजाद का कथन संदिग्ध प्रतीत होता है।^२ श्री मुशीर उलहक के अनुमार मौलाना आजाद उन लोगों की तो आलोचना करते थे जो अपने पूर्वजों की प्रगति किया करते थे किन्तु स्वयं वे इस दोष से मुक्त नहीं थे। मौलाना को यह भी मानूम था कि लोगों में उनके प्रतिक्रिय वंग के बारे में विभिन्न भान्तियाँ प्रचलित थीं और उन्होंने उन्हें कंचने दिया।^३

मौलाना आजाद ने किसी कोनिंज प्रयवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनकी समस्त शिक्षा घर पर ही हुई थी बयोकि उनके पिता का पाश्वात्य शिक्षा प्रणाली में कोई विश्वाग नहीं था। परम्परागत शिक्षा भास्त्वात्यनः २०-२१

१. अबुल कलाम आजाद : तत्त्वज्ञान, पृ० ३ (उर्दू सम्बन्ध)।

२. मुशीर उलहक : मुस्लिम पांचिटिम २३ मोहर्झ इण्डिया, पृ० ४०-६५।

३. बड़ी, पृ० ६५।

वर्ष की आयु तक पूरी हो पाती थी लेकिन मौताना ने यह शिक्षा १६ वर्ष की आयु तक ही पूरी कर ली थी।^४ १६४२ ई० में अहमदनगर जेल से अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो विकास उन्हें प्रारम्भिक जीवन में उपलब्ध हुई थी वह प्रत्येक प्रकार से दोषपूर्ण थी। यद्यपि उनके चारों ओर वातावरण पुरानी परम्परा को प्रोत्साहन देने वाला था किन्तु उनके मन में 'शका' उत्पन्न हो गई थी और वे यह अनुभव करने लगे थे कि ज्ञान और वास्तविकता कुछ और भी थी। पुरानी परम्परा पर आधारित विश्वास डगमगा गये थे उस समय यह शका क्यों उत्पन्न हुई थी इसका स्पष्ट उत्तर वे १६४२ ई० में देने में असमर्थ रहे थे^५ इतना अवश्य है कि अपने १६ सितम्बर १६४३ के पत्र में मौलाना आजाद ने १६०५ ई० की एक घटना का वर्णन किया है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्हे गायन विद्या का शौक पैदा हो गया था और वे घंटों अपने घर से बाहर सितार पर अभ्यास किया करते थे। यह अभ्यास चौरी-छिपे किया जाता था। सम्भवतः गायन कला के प्रति रुद्धिवादी पारिवारिक वातावरण उनके मन में शंका उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी रहा हो।^६ किन्तु १६५६ ई० में लिखवाई गई आत्मकथा में उन्होंने इन शंकाओं का छोत सर संघर्ष अहमदखाँ के लेखों का अध्ययन बताया था।^७

१६०५ ई० में अबुल कलाम आजाद मिस्र, तुर्की, फास आदि देशों की यात्रा पर गये किन्तु अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनकर उन्हें शीघ्र ही लौट आना पड़ा।

मौलाना के बचपन में ही खानदानी धार्मिक प्रतिष्ठा के कारण बहुत से अनुयायी उपलब्ध हो गए थे जो उनकी युवावस्था में ही उनके हाथ पाँव चूमने थे।^८ वे अपने राजनीतिक जीवन में भी इस प्रकार की प्रधानता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। यद्यपि उन्हे इस उद्देश्य में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

^१ मौलाना आजाद ने जुलाई १६१२ ई० में "अलहिलाल" नामक साम्पादिक

^४ मौलाना आजाद, इण्डिया विन्स फ़ीडम, पृ० २।

^५ मौलाना आजाद गुव्वार-ए-यातिर, पृ० १२३-१२५। यह पत्र उन्होंने अहमदनगर दुर्यों वाले जेल से अपने गिल्ड नवाब सदर यार जग मौलाना हृदीब उनरहमानखाँ शेरवानी रईस भोजपुर जिं० अलीगढ़ के नाम १२ अक्टूबर १६४२ ई० को लिया था।

^६ यह पत्र गुव्वार-ए-यातिर में अनितम है। यह सबसे लम्बा पत्र है और इसी में औरंगज़ेब और जीनआबदी के प्रेम का भी वर्णन दिया गया है। पृ० २६७-२६८।

^७ मौलाना आजाद : इण्डिया विन्स फ़ीडम, पृ० २-३। यह बयन रिसवनीय प्रकीर्त नहीं होता बर्यांडि उनके विचार सर संघर्ष अद्वानी द्वारा बताये गये आदोनन हैं प्रति बहुत कठु थे, बर्यांडि आगे बताया थया है।

^८ गुव्वार-ए-यातिर, पृ० १०६।

पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया।^{९६} इस पत्र के प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य तथा वास्तविक अभिप्राय यह था कि मुसलमानों को अपने समस्त कार्यों तथा विश्वासों में केवल कुरान और हजरत मोहम्मद के बताए हुए भाग पर चलना चाहिए। यदि कोई मुसलमान अपने किसी भी कार्य अथवा विश्वास के लिए कुरान के अतिरिक्त किसी अन्य शिक्षा अथवा संस्था को अपना मार्ग-दर्शक बनाएगा तो “वह मुस्लिम नहीं बल्कि मुशर्रिक है”^{९७} अलहिलाल में मुसलमानों के धार्मिक विचारों और विश्वासों से सम्बन्धित टिप्पणी की जाती थी। मौलाना आज़ाद मनुष्य के कार्यों के प्रत्येक अंग को धर्म की दृष्टि से ही देखते थे। उनके अनुसार इस्लाम मनुष्य के लिए एक पूर्ण नियम लेकर आया था और मनुष्य के कार्यों का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिये वह आज्ञा प्रदान न करता हो।^{९८} जब किसी व्यक्ति ने आज़ाद से उनके राजनीतिक सिद्धान्तों के विषय में पूछा तब उन्होंने कहा कि “हमने अपने राजनीतिक विचार भी धर्म से ही सीखे हैं, वे न केवल धार्मिक रग में रगे हैं बल्कि धर्म द्वारा पैदा किये गये हैं”^{९९} “हमारे विश्वास में प्रत्येक ऐसा विचार जो कुरान के अतिरिक्त और किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो कुफ के समान है।”^{१००} राजनीतिक नीतियों के लिये न तो वे सरकार के दरखाजों पर भुक्तने के लिये कहते थे और न हिन्दुओं पर भरोसा करने की आवश्यकता बताते थे। वे मुसलमानों के जीवन के समस्त विभागों के लिये इस्लाम की अत्यन्त उच्चकोटि का नियम मानते थे। उनका तर्क या कि यदि ऐसा न होता तो वह दुनिया का अन्तिम और विश्वव्यापी धर्म न हो सकता था।

वे मुसलमानों को राजनीतिक क्षेत्र में पृथक् और स्वतन्त्र बनाना चाहते थे। उनके अनुसार मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर अपमानजनक और कोई बात नहीं हो सकती थी कि वे दूसरों की राजनीतिक शिक्षाओं के आगे भुक्तकर अपना भाग निश्चित करें। उन्हें किसी दल में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं थी। मुसलमानों को अपने में सम्मान, स्वाभिमान तथा शक्ति पैदा करनी चाहिए।^{१०१}

१६५७ ई० में मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में यह कहा था कि १६०८ में वे दंगाल के आन्तिकारियों के प्रति आकर्षित हुए थे और ईरान, मिस्र तथा तुर्की के आन्तिकारियों से अपनी विदेश यात्रा के समय मिलकर उनके आन्तिकारी

९६. अपनी आत्मकथा लिखते समय शायद उन्हें यत्व घ्यान रहा कि जून १६१२ में यह पत्र प्रकाशित विया गया था। इण्डिया रिस्ट्रीड्रम, पृ० ६।

९७. अलहिलाल, द मित्रावार, १६१२। मज़ामीन अबुल कलाम आज़ाद (सम्पादक : बद्र उल हसन) भाग २, पृ० २५।

९८. मज़ामीन, भाग २, पृ० १६।

९९. वही।

१००. वही, पृ० २५-२६।

विचार परते हो गये थे।^{१४} इन्हुंने दिग्बायर १६१२ के अन्तिमास में उन्होंने इसके विपरीत ही लिखा था। उनका कहना था : 'मुगलमानों के प्रबल वड़वानों से पूरी तरह दूर हैं'.....इगनिए, जो सोग देश में उपद्रव फैलाते हैं ये भराकरतावादी थाहे हिन्दू हों प्राच्या धर्म प्राची गमुदाय, हाताग बत्तंग होना आहिए उनमें दूर रहें। यदि इस गच्छे मुगलमानों हों तो हमारे हाथ में कुरान होगा और जो हाथ कुरान गे उसे हमारी होगा यह यह का गोता या दिवान्वर नहीं परह सरता।'^{१५}

मौलाना आजाद ने १६५७ ई० में शानी आत्मरथा में यह कहा कि ये गर संपद के लोगों एवं विचारों ने ग्रामादिन हुए थे, इन्हुंने १६१२ ई० में उनका राजनीतिक कार्यक्रम अमीरक आन्दोलन के नेताओं के दिल्ली और वे मुस्लिम मीण के नेतृत्व लेता वार्यक्रम से अन्यन्य प्रगतिशील थे। गर संपद के काव्यों एवं आन्दोलन वा गृह्यत्वक वर्तते हुए उन्होंने दिग्बायर १६१२ ई० में लिखा कि जब हिन्दुओं ने द्वारी सामर इतिहासी पी देश के गंभीर के लिए गमरित वर दिया और ये देश की गवर्नरता भी द्वारा गुलगा रहे थे तब मुगलमान निशा वी एक ढंगी साम लिये चैठे थे। उन्होंने ऐक्स घपने ही हाथ पाय नहीं तोड़े बल्कि आहा कि जिनके हाथ पाय ही उनको भी द्वारा नाम सूनानंगदा दिया दें। उनके लानों में जादू का एक मन्त्र पूँक दिया गया था कि 'समय नहीं आया' और वे देश की उभति के मार्ग में एक रोडा बनकर पह गए।^{१६} उन्होंने १६१२ ई० के एक निवन्ध में उन्होंने मौलाना भोहमद अली थी नीनियों थी प्रशंसा करते हुए लिखा था कि अलीगढ़ कानिज के विद्यार्थी होते हुए भी उन्होंने इसीगढ़ के नेताओं का विरोध किया और उन्हें विवर होकर अलीगढ़ से याहर रहना पड़ा। आजाद को यह विश्वाम हो गया था कि गुदा ने भोहमद अली को अलीगढ़ से इगनिए उठा लिया कि इस घर की दीवारों में मूर्ति पूजा के निशान मिटा दिये जावें। आजाद को १६१२ ई० में यह आशा थी कि अलीगढ़ कानिज के प्रागण में जो पीढ़ी संपार हो रही थी उसका प्रत्येक सदस्य अलीगढ़ वी द्वारी हुई दासता की जीरों को अलीगढ़ की भट्टी में डालकर जानगा और उम्मे वह माधन तंथार होगे जो दासता की मूर्तियों को तोड़ेंगे।^{१७} आजाद वा ग्रनुमान गलत निष्ठा।

उस समय तक मुगलमानों को एकमात्र राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग थी। आजाद इस पार्टी में बहुत असन्तुष्ट थे क्योंकि इस दल की राजनीति का वृक्ष अलीगढ़ की भूमि से घोषा गया था। आजाद के अनुसार अलीगढ़ के वृक्ष की जड़ में धुन

१४ आजाद : इण्डिया विन्य पीडीप, पृ० ६।

१५ अनहिलान, ८ दिसंबर, १६१२ मज़ामीन-ए-आजाद, भाग २, पृ० २८-२९।

१६. अनहिलान, १८ दिसंबर, १६१२ मज़ामीन, भाग २, पृ० ११२।

१७. अकील अहमद जाफरी मकालमात अनुल कलाम, पृ० २५०-२५२।

पहले से ही लगा हुआ था। यह पुन मर संयद द्वारा संचालित आन्दोलन ही था।^{१५} उनका पहला आक्षेप तो यह था कि पॉलिटिक्स में न तो कोम की कोई नीति थी न कोई गण। केवल कुछ प्रभावशाली लोग ये जो अपने महलों में बैठकर नीति बना लिया करते थे और फिर समस्त कोम की आंखों पर पट्टी बांध कर उनके हाथों में छड़ी पकड़ा देते थे जिससे वे कोलू के बैल की भाँति उनके बनाए हुए मार्ग पर चलते रहते थे। मौलाना आज़ाद को लीग में दूसरा दोप यह दिल्वाई पड़ा कि लीग ने मुसलमानों को सरकार पर भरोसा करने की नीति सुझाई थी।^{१६} तीसरा दोप यह था कि उसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। मौलाना आज़ाद का कहना था कि मुसलमानों की भव नीतियों की असफलता का कारण ही यह था कि वे इस्लाम धर्म ने दूर थी।^{१७} लीग ने अपने पिछले ६ वर्षों के कार्यों से राजनीति का ऐसा अपमोंग किया जैसा किसी कोम ने कभी नहीं किया था। मौलाना आज़ाद ने लीग को परामर्श दिया था कि वह हिन्दू वहृतंत्यकों का भय दिल से निकाल दे। उनका कहना था कि शक्ति केवल संख्या पर निर्भर नहीं करती। वे चाहते थे कि राजनीति संचालन का नियन्त्रण दौलत के हाथों से निकालकर दिमाग को सौंप दें वर्षों कि सम्पत्ति बाले लोग सिर में लेकर पांव तक जंजीरों में लिपटे हुए होते थे।^{१८}

मौलाना आज़ाद मुसलमानों को पृथक् संगठित करना चाहते थे।^{१९} उनके अनुमार दूसरी कोमों के उदाहरण को अपने समक्ष रखना कुछ विशेष लाभदायक नहीं हो सकता था। उन्हें केवल अपने ऊपर हस्त रखनी चाहिए थी। यदि वे केवल 'कुरान' के बताए हुए मार्ग पर चले तो उन्हें वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। उनका मत था कि यदि मुसलमानों ने अपने निए एक स्वतन्त्र नीति तैयार करली, विरिस से भी उत्तम प्रोग्राम उनके हाथ में हुआ, आपरलैण्ड के नागरिकों से भी बढ़कर उत्ताह और सरगर्मी पैदा करली, एवं उनका प्रत्येक व्यक्ति ग्लेडस्टन और मोले हो गया, लेकिन उन्होंने इसके साथ अपने विश्वासों और कारों में इस्लाम की क्रियाशील आत्मा जागृत न की और स्वर्य को ईश्वरीय धर्म के अधीन नहीं किया तो इसमें मुसलमानों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा।^{२०} आरम्भ में कुछ लोगों ने उन्हें राजनीति को धर्म से अलग रखने के लिये कहा, लेकिन मौलाना आज़ाद का प्रत्युत्तर यह था कि उन्होंने तो अपने राजनीतिक विचार भी धर्म में ही सीधे थे। वे मुसलमानों

१५. शोरिय बाग्धीरी (सम्पादक) : मुतवाल-ए-आज़ाद, पृ० ३१५।

१६. अनहितान, २२ तथा २६ मित्रवर, १६१२, मजामीन, भाग २, पृ० ४२-४३।

२०. अनहितान, ६ अक्टूबर, १६१२, मजामीन, भाग २, पृ० ६१।

२१. अनहितान, १८ दिसंबर, १६१२ मजामीन-ए-आज़ाद, भाग २, पृ० १२८-१२९।

२२. उन्होंने हिन्दुहरा नाम से एवं का गठन भी रिया था 'अपना बर्जन आये रिया शब्द है।

२३. अनहितान, १६ अक्टूबर, १६१२, मजामीन, भाग २, पृ० ३१। आज़ाद अपने इस विचार दो देवकारी कहते थे।

को अलहिलाल के माध्यम से केवल मुसलमान बता देना चाहते थे।^{२४} उनका विश्वास था कि यदि मुसलमान इस्लाम के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो वे एक शक्तिशाली समुदाय बना सकेंगे।

आजाद केवल इतना ही नहीं चाहते थे कि मुसलमान जनता मुस्लिम लीग के नेतृत्व से अलग हो जावे। वे उन्हे कांग्रेस से भी अलग रहने की शिक्षा देते थे।^{२५} उनकी शिक्षा थी कि वे स्वयं को इस्लाम पर छोड़ दें। उनकी नीति केवल कुरान का पालन होनी चाहिए क्योंकि उनकी समस्त आधुनिक बीमारियों का मूल कारण कुरान का पालन न करना था।^{२६} आजाद यह समझते थे कि आधुनिकतम नरिखत्वों के लिये कुरान से साध्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। इस समय वे मुसलमानों की कौमियत को किसी जाति, वंश या पृथ्वी के भौगोलिक विभाजन से सम्बन्धित नहीं समझते थे। उनके समस्त कार्यों का आधार केवल इस्लाम पर्याप्त था। यूरोप में 'नेशन' शब्द के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को सखलता से प्रभावित किया जा सकता था, सेकिन मुसलमानों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन इस्लाम अथवा खुदा का नाम था।

मोलाना आजाद का अप्रेज़ी साइराज़ के प्रति हाप्टिकोण अन्य मुस्लिम नेताओं से गिरज़ था। दिसम्बर १९१२ ई० में उन्होंने लिखा कि भारत एक कृपि प्रधान देश था। इसकी सम्पत्ति इंग्लैण्ड के पेट में भरती जा रही थी और इस प्रकार हज़म हो जाती थी कि 'ओर भूख है' का नारा सुनाई देता था। रेलवे के विस्तार के इंग्लैण्ड को टेके दिये जा रहे थे ताकि वह घन एकत्र करे किन्तु भारतीयों को अन्य दूने की अनुमति न थी क्योंकि 'तुम गढ़ार हो'। देश की समस्त सम्पत्ति ७०,००० गोरे सिपाहियों को सोना और चाँदी खिलाकर लुटाई जा रही थी, किन्तु देश के निवंत काले लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबन्ध से वंचित थे। नमक भी मिलता था तो चुंगी देकर और शिक्षा भी मिलती थी तो घरबार बैचकार।"^{२७} फिर राज्य की गांगड़ोर अपने हाथ में लेते हुए प्यार भरे शब्दों में बादा किया गया कि रंग, भाषा और शासक प्रजा का कोई भेद नहीं है जो मार्ग अपने लिए है वह सबके आगमन के लिये सुरक्षित है, लेकिन जब पांच उठे और चलना आरम्भ किया तो समस्त द्वार बन्द थे और इंग्लैण्ड का प्रत्येक निवासी शासक-प्रजा के भेद से पूर्णतया प्रभावित था।^{२८}

२४. अकोल अहमद जाफरी (सम्पादक) : महानमातृ अबुल बस्ताम, पृ० २१-२३।

२५. अलहिलाल, १६ तथा २३ अक्टूबर, १९२२, मजाहीन, भाग २, पृ० ७८-७९।

२६ चौटी।

२७ अलहिलाल, १८ दिसम्बर, १९१२। लेड वा शीर्ष बधा। मार्ट की स्वतन्त्रता और मुसलमान। मजाहीन अबुल बस्ताम आजाद, भाग २, पृ० १११-११२। यह निवाप्त नमम अनेक से भी छोटे है। इसमें पृ० २, भाग १, पृ० ८-९, ममादा भूसाह नमम, मेरठ।

मौलाना आज़ाद इस समय यह नहीं भानते थे कि मुसलमान अप्रेंटो की कूटनीति के शिकार हुए थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार को अपने हितों को हड़ करने के लिए एक बड़ी बलि चाहिए थी। यह बलि थी कि कोई एक कोई देश को छोड़कर उसके साथ हो जाए और अपने देश के उद्देश्यों के पेड़ों की उमड़ी आशाओं को बसि के रक्त से सिचाई करें। मुसलमानों ने स्वयं अपने-पापको इस बलिदान के लिये प्रस्तुत कर दिया।^{२८} वे इसी समय चाहते थे कि लोग का उद्देश्य इंग्लैण्ड के अधीन भारत को स्वायत्ता उपलब्ध कराना बन जाए।^{२९} १९२३ ई० में काप्रेस के विशेष अधिवेशन में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविकता के विषय में उन्होंने कहा था कि “वह अपने स्वरूप में ही अन्याय पर आधारित था। वह इसलिए स्थापित नहीं था कि उसमें आन्तरिक शक्ति थी बलि के बल इसलिए कि हमने अपनी सापरखाही से उसका समर्थन किया था। अन्याय उसकी आदत थी इसलिए उसकी शिकायत से कोई सामने नहीं होगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वह समाप्त हो जाए।”^{३०} आज़ाद अन्य मुसलमान नेताओं से भिन्न यह भी कहते थे कि देश की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करना हिन्दुओं के लिये देश भक्ति में सम्मिलित हो सकता था, लेकिन मुसलमानों के लिये तो एक धार्मिक कार्य है और जिहाद में सम्मिलित था।^{३१}

अलहिलाल के माध्यम से मौलाना आज़ाद ने अपने लिए मुसलमानों में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। अप्रैल १९१३ ई० में मौलाना ने अलहिलाल में एक नये दल के गठन का विज्ञापन दिया। इस दल का नाम था “हिन्दुलाह” (ईश्वर का दल)। मौलाना ने इस संगठन की योजना को गुप्त रखा था इसके सदस्यों से सम्बन्धित एक रजिस्टर मौलाना के पास था; लेकिन १९१६ ई० में यन्दी बना लिये जाने के अवाकृष्ण यह रजिस्टर उनसे ले निया गया था। मौलाना के बन्दी रहने के समय उन सब सदस्यों के यहाँ खुफिया पुलिस द्वारा तलाशी ली गई जिनके नाम और पते इस रजिस्टर में थे।^{३२} सम्भवतः इन सदस्यों की संख्या अधिक नहीं थी।^{३३}

१९१५ ई० में अलहिलाल पत्र को मरकारी आदेशों के अनुमार बन्द करना पड़ा। अलहिलाल के बन्द हो जाने पर मौलाना आज़ाद ने “अलबलाग” नामी साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र में भी उसी प्रकार के विषयों पर निवन्ध होते

२८. मजामीन, भाग २, पृ० ११६।

२९. वही, पृ० १२३-१२४।

३०. चुतबात, पृ० २२०।

३१. अलहिलाल, १८ दिसंबर, १९१२, मजामीन भाग २, पृ० १३२।

३२. गुलाम रसूल महरू . नक्शे-आज़ाद, पृ० ३।

३३. मुसीर उन्हका का अनुमान है कि सदस्यों की संख्या आरम्भ में ८०० के लगभग थी।

अन्तिम चरण के बारे में मुख निरिदृत वह पाला बढ़िया था। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मौहर्न इच्छिया, पृ० ८८-९।

थे जैने अलहिलाल में। मौलाना का यह हड़ विश्वास था कि कुरान ने विश्व की ममस्त सच्चाइयों के गाय राजनीति तो भी आने मन्दिर समेट रखा है।^{३४} तब्बे घमं का प्रमुख उद्देश्य मज़बी राजनीति को स्थापना था। प्रत्येक विदेशी मना जब इसी देश अपेक्षा सम्प्रदाय की शक्ति निवेदन करना चाहती है तो वह उसमें पहने पूर्ण दाल देती है।

एक भव्य निवन्ध में अग्रामक झौमी में उन्होंने मुसलमानों में वहा कि वे पंगम्बर के प्रति थ्रढ़ा व्यक्त करने के लिये सम्मेलन मादि का आयोजन तो अवश्य करते थे, किन्तु उनके बताए हुए भाग पर विस्तृत नहीं चलते थे। वे मुसलमानों के पतन का प्रमुख कारण यही भागते थे कि एक ईश्वर, एक पंगम्बर और एक पवित्र पुस्तक में विश्वास रखने वाले विभिन्न वर्गों और मंगठों में विभक्त हो गए थे।^{३५} अलीगढ़ कॉलेज में शिया विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा के अनुचित प्रवन्ध का परिणाम यह हुआ कि एक शिया कॉलेज की ओज़ना बनाई गई। मौलाना का इस पर यह पहना था कि शिया अल्लाहयों की शिरायत तो उनित ही थी पर अलीगढ़ में किसी भी धार्मिक शिक्षा का कोई मन्तोपकरण प्रवन्ध ही नहीं था। मौलाना के शब्दों में वहाँ धर्म के नाम पर कुफ की शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ कॉलेज के प्रवन्धकों का प्रस्तावित शिया कॉलेज की स्थापना का विरोध अनुचित था। मौलाना विभिन्न इस्लामी कॉलेजों के पथ में थे। वे यह चाहते थे कि इन कॉलेजों के पहले "शिया" अथवा "मुझी" न लगाया जाए।^{३६} १६१६ ई० में मौलाना आजाद को बगाल थोड़कर आना पड़ा और उन्होंने विहार में राचि मंरहना आरम्भ किया। शीघ्र ही उन्हे राचि में कैद कर लिया गया। १६२० ई० तक वे जेल में ही रहे। और १६२० ई० में जेल से छूटने के पश्चात् वे खिलाफत आन्दोलन के समर्थन में लग गए। किर भारत में राजनीतिक घटनाओं का कम कुछ इतनी धीम गति से चला कि उन्हे हिज्बुल्लाह को पुन जीवित करने का भवसर ही न मिला।

मौलाना आजाद अलहिलाल के माध्यम से मुसलमानों को केवल कुरान द्वारा बताए हुए भाग पर चलाना चाहते थे और मुसलमानों को आपसी हमदर्दी और सहानुभूति का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था कि मुसलमान इस बात का स्मरण रखे कि वे भारत में हो या चीत में उनके "मिल्नी" (धार्मिक तथा कौसी) गम्मान की सुरक्षा केवल तुर्की खिलाफत के राजनीतिक अस्तित्व का ही परिणाम था। जिस दिन वह केन्द्र अपने स्थान से हटा तो मुसलमान भी यहूदियों की भाँति हो जायेगे। इस्लाम की ओर में प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य था कि जिस

३४. मज़ामीन अस्तवलाय, पृ० १२।

३५. वही, पृ० २२१-२४७।

३६. मज़ामीन अस्तवलाय, पृ० २७४-२७६।

समय किसी इस्लामी दंग पर आक्रमण हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, अपनी बाणी तथा अपने जीवन को वलिदान करने के लिये तैयार रहे। इस समय मौलाना आज़ाद ने 'अलीगढ़ आन्दोलन' के दोष स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों ने ओटोमन तुर्कों से सम्बन्ध विच्छेद करके तुक (अंग्रेज सरकार) को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था।^{३७}

मगाने दो वर्षों तक इस प्रकार के विभिन्न निवन्ध लिखने के पश्चात् भी मौलाना आज़ाद को मुसलमानों में जागरण का अभाव दिखाई पड़ा। कलकत्ते में अक्टूबर १९१४ ई० में भापण देते हुए उन्होंने बहा कि इस्लाम के समक्ष बतन, स्थान, भाषा आदि के भेद वास्तविक नहीं थे। मुसलमानों के लिए समस्त विश्व उनका था।^{३८} उन्होंने मराको और तुर्कों के मुसलमानों के कप्टां के प्रति भारतीय मुसलमानों में सहानुभूति पैदा करनी चाही। तुकों के प्रशासन के सम्बन्ध में उनकी मान्यताएँ बड़ी उदार थी। उनका कहना था कि तुकों ने जिस उदारता के साथ पांच सदियों तक यूरोप में राज्य किया था उसका प्रमाण इससे बढ़कर क्या हो सकता था कि अधीन इसाईयों की धार्मिक और कौमी भावनाएँ उनकी ही प्रयत्न रही थिनों किसी धर्मान्ध ईसाई राज्य के अवीन रह सकती थी। भारत में अंग्रेजों का अधिकार सीधे वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया था और इतने ही समय में कौमी महानता और कौम परस्ती को भावनाएँ इन लोगों के दिल से समाप्त हो गयी थी। यही एकमात्र अन्तर तुकों और ईसाई प्रशासन के भेद को समझने के लिए पर्याप्त था।^{३९} वे समझते थे कि इस्लाम के लिए मुसलमानों का कोई प्रयत्न जो स्थानीय अद्यवा देशीय आधार पर होगा, लाभदायक नहीं हो सकता था। वे यूरोपीय लेखकों और आलोचकों द्वारा प्रस्तुत सर्व इस्लामवाद (पैन इस्लामिज्म) को उनके मस्तिष्क के बाहर नहीं पाते थे। यदि पैन इस्लामिज्म का वास्तविक अस्तित्व होता तो वह सम्भव था कि ईरान मराकों, ट्रिपोली में मुसलमानों की वह स्थिति होती और मुसलमानों के हृदय में सहानुभूति के भाव न उमड़ते।^{४०} उनका कहना था कि यूरोप के राजनीतिज्ञ इस पैन इस्लामिज्म का भयावह चित्र प्रस्तुत करके मुसलमानों के दिलों से वास्तविक इस्लाम प्रेम को समाप्त करना चाहते थे। वे अलीगढ़ आन्दोलन द्वारा प्रस्तुत अलीगढ़ विश्वविद्यालय की योजना को वास्तविक सर्व इस्लामवाद के मार्ग में एक बाधा समझते थे। उनका कहना था कि यदि भारत के मुसलमानों में से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और धनवान भी हो गया, किन्तु

३७. अलहिनाल, ६ नवम्बर, १९१२, चिन्हिता मन्त्रीन अबुल कलाम आज़ाद, नं० ३,
पृ० २८-२९।

३८. शुन्हात, पृ० ११।

३९. फारकलील : अफ्फार-ए-आज़ाद, पृ० ८६-८८।

४०. शुन्हात, पृ० २०-२१।

इस्लाम की राजनीतिक शक्ति पर छुरी चल गई तो किर भारत के मुगलमान किस वस्तु पर गोरव करेगे।^{४१}

अप्रैल १९१३ ई० के एक विवरण में मुगलमानों को तुकीं की प्रशंसन से हताश होने से रोकने के लिये उन्होंने कहा था कि इस्लाम की शक्ति तथा अस्तित्व तुकीं के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। यदि तुकीं की शक्ति समाप्त हो भी गयी तो क्या अपने सुदा की शक्ति पर मुगलमानों को विश्वास नहीं रहा।^{४२} उनके उत्तेजनात्मक लेखों के सम्भावित परिणामों से चिन्तित होकर सरकार ने उन्हे १९१६ ई० में बन्दी बना लिये और प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् जनवरी १९२० में उन्हे मुक्त कर दिया गया। फरवरी १९२० ई० में उन्हे बगात प्रान्त की विलाकृत ममा की अध्यक्षता का सम्मान प्राप्त हुआ। इस भाषण में मौलाना ने इस्लामी व्यवस्था में विलाकृत के स्वरूप तथा महत्व को स्पष्ट किया था। इस्लामी खलीफा का अस्तित्व ईसाइयों के पोर से किम प्रकार भिन्न था। ईसाइयों के पोर की भाँति वह एक दैवी और धार्मिक नेता नहीं था। वह केवल राजनीतिक कार्यों में प्रधान का दर था।^{४३} खलीफा केवल शरियत और उम्मत की गुरुशा करने वाला और शरियत के नियमों को लागू करने वाला था। यदि पार्मिक मतभेद की ओर्ड स्थिति पैदा हो तो खलीफा वह आदेश अन्तिम निर्णय के समान नहीं था, बल्कि कुरान और मुक्का वा वर्णन अन्तिम निर्णय के समान था।^{४४} उन्होंने विलाकृत के तीन घरणे बताए थे। पहला घरण हजरत मोहम्मद की मुत्तु पर और दूसरा प्रथम चार खलीफाओं के पश्चात् समाप्त हो गया। उसके पश्चात् समस्त खलीफा केवल राजनीतिक भूमिकारी ही थे।

इस प्रकार खलीफा का सीमित अर्थ निर्धारित कर देने के पश्चात् उस पद का महत्व इस बात में था कि वह सामूहिक जीवन के लिये एक केन्द्र मात्र था। उन्होंने इस्लामी व्यवस्था में “जमामत” पर प्रत्यधिक बल दिया। “जमामत” (समूह) से उनका अभिप्राय एक संगठित व्यवस्था से था जिसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति अथवा नेता को उपलब्ध हो। इस व्यवस्था का विवर जाना ही अज्ञान का सूचक था। इस “जमामत” के महत्व को उन्होंने बहुत प्रथिक विस्तार से बताया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति “जमामत” से अलग हो गया वह इस्लाम से बाहर हो गया।^{४५} इस सामूहिक व्यवस्था पर बन देने में मौलाना माज़बाद काफी भाग लेकर बढ़ गए। उनका कहना था कि सब मुगलमान कुरान की आज्ञायों का पालन करें। मुमलमानों को अपनी बाणी तथा बुद्धि को बन्द रखना चाहिए। उनका काम-

^{४१.} बही, पृ० २३।

^{४२.} मज़ारीन अबुल इसाम आज़ाद, न० २, भाग १, पृ० ५३।

^{४३.} सुनबात, पृ० ११७।

^{४४.} बही, पृ० १६२, फारदसीत : अक्तार-ए-ज़ादा, पृ० १५-१६।

^{४५.} सुनबात, पृ० ११८, १४८-१४९।

केवल आज्ञापालन ही होना चाहिए। आजाद यह नहीं चाहते थे कि प्रत्येक मुसलमान व्यक्तिगत रूप से यह सोचे कि वह खिलाफत के लिए बया करे। वे यह उत्तरदायित्व केवल एक योग्य व्यक्ति को ही सौंपना चाहते थे।^{४६} इस्लाम की कौमियत एक शरीर की भाँति थी और इसके अनुयाइयों की तुलना एक दीवार से की जा सकती थी। इस्लाम की कौमियत दीवार का नाम है विभिन्न इंटों का नहीं।^{४७} इसीलिए वे एक नेता के नेतृत्व की बात अधिक कहते थे।

बगाल खिलाफत कॉन्फेन्स के अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आजाद ने उस परिवर्तन और निराशा की घोषणा की जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कुछ कटु और स्पष्ट बातें भी मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहीं :

“अफसोस कि तुम वास्तविक और सच्ची बात कहने वालों को पसन्द नहीं करते। तुम, दिल्ली के पुजारी, तात्कालिक भावनाओं और अस्थायी तथ्यों से प्रमावित हो जाते हो। तुम में न परत है, न भेद जानने की क्षमता। न सुन जानते ही न पहचानते हो। तुम जिनता तेज दोड़कर निकट आते हो उतनी ही तेजी के साथ भाग भी जाते हो। तुम्हारी आज्ञाकारिता जितनी सरल है और तुम्हारी संकल्प शक्ति जितनी सस्ती है उतना ही तुम्हारा मुँह मोड़कर विरोध करना भी सरल है। इसलिए न तुम्हारी प्रशंसा का कोई मूल्य है न तुम्हारे अपमान का, न तुम्हारे पास दिमाग न दिल। केवल भावनाएँ हैं जिनकी तुम विवार समझते हो। तुम्हारी शंकाएँ हैं जिन्हें तुम संकल्प कहते हो……… अफसोस कि तुम्हें कोई नहीं जो मेरी भाषा समझता हो तुम्हें कोई नहीं जो मेरा मूल्य पहचानता हो। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारे इस पूरे देश में मैं एक विना मित्र हूँ सारे बड़न में एक पराया व्यक्ति जैसा हूँ।”^{४८}

मौलाना आजाद ने १९२० ई० में प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फेन्स की अध्यक्षता की। अक्टूबर १९२१ ई० में उन्होंने यू. पी. की प्रान्तीय खिलाफत सभा की भी अध्यक्षता की थी। उस समय उन्होंने कहा कि खिलाफत आन्दोलन का प्रथम सफलता क्षेत्र भारत के भीतर था।^{४९} इस आन्दोलन को सारे देश का आन्दोलन बनाकर इसका प्रभाव अत्यन्त व्यापक रहा। इस अवसर पर मौलाना आजाद ने मुसलमानों के हिन्दुओं के साथ मैत्री करने के लिये कहा। कुरान की धाराओं का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में दो प्रकार को कोई रहती है।^{५०} वे गंर

४६. वही, पृ० १३६-१३३।

४७. वही, पृ० १४७।

४८. वही, पृ० १८१-१८३।

४९. वही, पृ० ४७।

५०. वही, पृ० ३८।

पड़ा, घरेने ही जाना पड़ा तिथि मार्गे में भी गमण के अनुरूप जग्ने वालों का साप न दे गरा।^{५३}

उन्होंने गायान्य सोयों को भीड़ की गया ही थी। उनका बहुता या ति भीड़ शूली भी ही रहेगी।^{५४} १८२१ ई० में उन्होंने 'पंचाम' के प्रारंभ का प्रश्न दिया। उद्धि कविता द्वारा मुगलमानों के निषाक्षण आन्दोलन का समर्थन दीर्घ था, इन्हुंने भी नाना भावाद १८२१ ई० में भी यह अनुभव करते थे ति मुगलमानों में विशेषतः वाये बरते भी प्रेरणा दंड बरते के निए कविता द्वारा प्रथम्य प्रधार्णित था और कि यह एक राजनीतिक सत्त्वा थी किंगम हिन्दू और मुगलमान दोनों राज्यों का विभिन्न था। इसप्रिय उगरो भावाद मुगलमानों पर प्रधिक प्रभाव नहीं डाल सकती थी।^{५५} उनका विश्वाग था ति शास्त्र वर्मटी तिथि उगर में ५० समाप्तों में पर्द मुगलमानों से यह रहे कि वे चरणा चालाएँ और शूल बाने तो भी उगरा यह प्रभाव नहीं होगा जो गुरुदार के दिन मसिजिद में एक धार्मिक भाषण से हो सकता था।^{५६}

१८२१ ई० में मोहम्मद खसी और प्रथम मुगलमान नेताओं को बन्दी बना लिया गया था। मोनाना को इस बात पर भास्यमय और ऐद भी रहा कि वित्त प्रस्ताव के बाराण मोहम्मद खसी को यद्दी बना लिया गया था उन्हें क्यों बन्दी नहीं बनाया गया।^{५७} १८२३ ई० में १५ दिसम्बर को इंगियन नेशनल कविता का स्पेशल प्रधियेशन दिल्ली में हुआ जिसकी प्रम्यशाना मोनाना अबुल कलाम आजाद को मोरो गई। इस प्रथम्यतीय भाषण में यह साफ्ट हो गया कि मोनाना आजाद प्रथम मुस्लिम नेताओं में मिस्र विचार रखते थे। यह भीमिक धन्तर निमनिमित विचारों में था।

(१) ये अल्ल सत्यक और बहुसाहस्र के सर्के को बहुत कम महसूब देते थे।

(२) उनके प्रेरणी साधारण के इवल्प के विषय में उसी प्रकार के विचार थे जैसे अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के थे।

(३) महात्मा गांधी और धर्महेतुग्र आन्दोलन के सिद्धान्त के प्रति उनका विश्वास प्रधिक गहरा था और मार्ग में भाई ही ही शकावटों को वे धृणिक

५३. गुरुदार-ए-दातिर, पृ० ११६-११७। १२ अक्टूबर, १८४२ ई० का यह। मोनाना को अपने विवित होने का शूल अनुभव था।

५४. गुरुदार, पृ० १७५, एवं रितोक १७ दिसम्बर, १८४२।

५५. मोनाना अबुल कलाम आजाद के लाला मजाहीद, १८२१। अबुल कलाम आजाद के मजाहीद, नं० १४। पृ० १६।

५६. मोनाना अबुल कलाम आजाद के लाला मजाहीद, नं० १४ पृ० १६।

५७. लाला मजाहीद, १८२१, पृ० ४०-४२।

मान लेते थे और नये प्रयत्न करने के लिये तैयार रहते थे ।^{१३}

- (४) प्रजातन्त्र के प्रति अधिक सत्रिय हप्टिकोण था तथा वे यह चाहते थे कि मुसलमान आनंदोलन के बल समझ और सामन्ती नेताओं के हाथों में ही न रहे बल्कि सामान्य जनता उभमें भाग ले । इसलिए वे प्रजातन्त्र के समर्थक थे ।
- (५) मौलाना आज़ाद ने हिन्दुल्लाह दल का घटन तो किया था, किन्तु १९१६ ई० में जब वे रांची जेल में बन्द थे तब उन्होंने यह मुना या कि मुसलमान तेजी से कौशिक में सम्मिलित हो रहे थे । उन्हें इस बात का खेद था कि मुसलमानों ने उनकी बात नहीं मुनी थी ।^{१४} आज़ाद को यह अत्यन्त कष्टदायक लगा और इसीलिए फरवरी १९२० ई० में बंगाल की लिलाकृत कॉन्फ्रेस में उन्होंने मुसलमानों को बहुत बुरा भला कहा । यह उनका स्वभाव था कि जिस ओर वे चल दिये फिर उसमें किसी भोड़ को सम्भावना मरलता से नहीं होती थी ।

इन कारणों से मौलाना आज़ाद यद्यपि धारम्म में लिलाकृत के प्रश्न पर मौलाना मोहम्मद अली जैसे विचार रखते थे, लेकिन वे भारतीय राजनीति में मोहम्मद अली के साथ अधिक दूर तक न जा सके । आज़ाद कुछ मामूली मतभेद रखते हुए भी अनुशासन पर अत्यधिक बल देते थे । उन्होंने १९२१ ई० में जमीयतउलउलमा के अधिवेशन में नेताओं के अनुशासन में रहने की बात कही थी । उनका कहना था “मम्बद्द है कि कमाण्डर ने आदेश देने में गलती की हो । सिपाही उमसे भिन्न मत रख सकता है, किन्तु विशद्द कदम नहीं उठा सकता । यदि हमारे कमाण्डर का आदेश गलत भी हो जब भी हमें उस रेजिमेंट की भाँति, जिसके विनाश पर टेनिसन (अंग्रेजी कवि) ने कविता लिखी, ममाप्त हो जाए, लेकिन आता उल्लंघन न करें”^{१५} उन्होंने कौप्रिस प्रोग्राम का पूरी तरह ममर्यन किया और १९१२ ई० में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको भूल गए और यहीं तक बहने लगे कि उन्होंने मुसलमानों वो पृथक् राजनीतिक दल बनाने से मना किया था ।

समय व्यतीत होने के साथ-साथ मौलाना आज़ाद के स्वभाव में काफी

१२. मोहम्मद अली ने बारतीनी के निर्गम को ‘सम्बन्ध विच्छेद विन्दु’ मान लिया था । आज़ाद इस घटना को अपनी समीक्षा यात्रा की एक साधारण शकावट मान देते थे । जो कुछ सोर्जी को पहने और दूसरों को बाइ में देग आती थी । तुलवार, पृ० २३३ । आज़ाद को उम निर्गम पर देंद तो अस्त्रय था, लेकिन उन्होंने इसे एक नये समर्पण के निवे भूविका दैवार रखने के लिये सम्मानित घात माना था (पृ० २५) । इसके सम्बन्ध में यत्नभेद ही एक छोटा मतभेद माना था जो संदानिक नहीं था (पृ० २५३-२५४) ।

१३. अध्यादीय भारत, १८२३ : तुलवार पृ० २६३ ।

१४. तुलवार, पृ० २५६ ।

परिवर्तन था गया था। १९३७ई० में जब उनके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में कुछ अधिक टिप्पणियाँ और आलोचना हुई तो उन्होंने स्वर्ण यह स्वीकार किया।

"यदि मेरे स्वभाव की वही स्थिति होती जो उम ममष थी जब अलहिनाल निकलता था तो यह (उनमें सम्बन्धित पत्रों में प्रकाशित थर्णुं) इतना स्वप्न भूत है कि न मालूम दिसी बतौर्य में मेरी बतम से किस सीमा तक कटोर वाष्य उम व्यक्ति के विषय में निकल जाते, किन्तु अब मेरी स्थिति दूसरी है। कोई व्यक्ति कितना ही बुरा कार्य करे मैं उसे जनता के ममश बुरा भला कहना पसन्द नहीं करता।"^{५५}

१९२७-२८ भारतीय राजनीति में एक निरांयक मोड़ है। उस वर्ष लखनऊ में सर्वदलीय मम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के पश्चात् मौलाना शौकत अली ने उस सम्मेलन के निरांयों के विरुद्ध प्रधार आरम्भ किया। मौलाना आजाद भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे उन्होंने हिन्दू मुस्लिम गमभौति की बठिनाइयों के एक पक्ष पर प्रकाश ढालते हुए कहा कि "कुछ नेताओं का यह मिदान्त है कि जहाँ किसी घोड़ी-सी बात पर मनमेद हुआ और हमारी (शौकत अली की) बात न मानी गई तुरन्त कलम उठाया और कौम के विनाश और विरोधी मन बालों (मुसलमानों) के इमान बेचने की घोषणा करदी"^{५६} उनसे सहमोग में एक बड़ी बाधा थी यदि उन नेताओं की बात मान नी जाए तो मुसलमानों का भाग्य उखलवर आकाश से जा टकराए न मानी गई तो तुरन्त झब जाए। भावनाओं की इसी अनियन्त्रित अभियाक्ति ने सार्वजनिक जीवन को नष्ट कर रखा था कुछ नेताओं के भावपूर्ण आवेशात्मक भाषणों ने लोगों को गन्तुनित नीति न अपनाने पर विवश किया था।^{५७}

लखनऊ सम्मेलन में पजाब के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में पास किए हुए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पजाब के नाम पर शौकत अली ने इन्होंने विरोध किया। २६ अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा करदी थी कि जिस विधान पर समझौता हुआ था वह उसके पूर्ण रूप से लागू होने की स्थिति में ही था। यदि उम के किसी सिद्धान्त से परिवर्तन हुआ तो पुनः सहमति नेता आवश्यक हो जायेगा। इस घोषणा को मौलाना आजाद अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते थे क्योंकि इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली की आपत्तियों का उत्तर मिल गया था।

१९३० ई० के पश्चात् भारतीय राजनीति में समाजवाद की विचारधारा प्राकर्यक ही गई थी। मौलाना आजाद ने इस बात के बनाने का प्रयत्न किया कि इस्लामी व्यवस्था में समाजवाद से भी उनमें प्रबन्ध किया गया था। १९३४ के अन्तिम दिनों में मौलाना आजाद ने बालीगंज बताते की मध्यिक में शुक्रवार की नगार का 'इमाम' बनाया स्वीकार किया। उन्होंने याने बहुत से सुतबों में जवात में सम्बन्धित

५५ सहर नवज-आजाद, पृ० १३२।

५६ फारकबीर अरराम-आजाद, पृ० १५-१६।

५७. आजादनीत, पृ० १५-१६।

विचार बत्त किए। एक मुमलमान को अपनी वार्षिक वचत में से २०% कर देना होता था जिसे इस्लाम में ज़कात कहते हैं। इस कर की समस्त आय गरीबों और असहाय लोगों में बाँट दी जानी थी। प्रत्येक मुमलमान ज़कात तो अवश्य देता था, लेकिन वह निजी रूप में उने खर्च कर देता था। मौलाना आज़ाद चाहते थे कि ज़कात की राशि सामूहिक रूप में खर्च की जाए।^{५५} इस सामूहिक व्यवस्था के मार्ग में मध्यसे बड़ी बाधा लोगों के अपने व्यक्तिगत नाम और प्रतिष्ठा की थी वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि ज़कात एक प्रबन्धक के भवीन हो।

वे इस व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में उत्तम मानते थे। उनके अनुसार इस्लाम में सम्पत्ति का संग्रह कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं होना चाहिए। “समाजवाद चाहता था कि सम्पत्ति तथा धन का ममान विभाजन हो, लेकिन इस्लाम यह नहीं कहता, इस्लाम केवल यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन हो। इस्लाम चरावरी का अधिकार तो स्वीकार करता है, लेकिन समान मात्रा स्वीकार नहीं करता।”^{५६} आज़ाद के अनुसार आपने के आर्थिक भेद और ऊंच नीच की समस्या का (जिसने यूरोप और अमरीका के विद्वानों को परेशान कर रखा था) मध्ये मरम्म और प्रभावशाली इलाज इस्लाम के अधीन ज़कात के प्रबन्ध में उपस्थित था। “समाजवादी और कुरान की व्यवस्था दोनों का उद्देश्य यह है कि अधिक धन एकत्र करने की मानवीय इच्छा से उत्तम कठिनाइयों को दूर किया जाए। किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि इस्लाम धन कमाने में सम्बन्धित अन्तर को स्वाभाविक मानता है जबकि समाजवाद इसको ऐसा नहीं मानता।”^{५७} समाजवाद और इस्लाम में एक यह भी अन्तर था कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर कौमी स्वामित्व स्थापित करना चाहता था।^{५८} मौलाना आज़ाद ने कुरान के आधार पर मुमलमानों का गठन करना चाहा। उन्होंने कुरान के पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ बताया, किन्तु वे मुमलमानों में बहुत लोकप्रिय नहीं बन सके। १९२० में १९४२ ई० तक विभिन्न अवमर्णों पर वे यह बात कहने रहे कि उनकी बोई नहीं मुनता था।^{५९} मौलाना अबुल कलाम की दृढ़ता का मुख्य कारण यह ही था कि उनके द्वारा प्रतिपादित कुरान का अर्थ मुमलमानों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका था।

यद्यपि मौलाना आज़ाद ने भारतीय मुमलमानों को कुरान और इस्लाम के आधार पर मंगड़िये होने के लिए कहा था, लेकिन अपने समकालीन अन्य मुमलमान

५८. अनवर आरिफ (समा.) : आज़ाद की तारीरे, पृ० ८।

५९. वही, पृ० १०-११।

६०. फारकलील : अफ़्राइन-आज़ाद, पृ० १६२-१६३।

६१. वही, पृ० १६५।

६२. अनवर आरिफ (समा.) : आज़ाद की तारीरे। यह बात उन्होंने २२ मार्च, १९४२ ई० के जर्मन उन्वन्नया के अधिवेशन में कही। पृ० १४३ (१९४२) तथा पृ० ६६ (१९४२-३५)। मूलवाल, पृ० १६१ (१९२०)।

मैत्रापों की भौति वे एक साम्प्रदायिक मैत्रा नहीं थे। इसका मूल बारण यह था कि अद्वैतात्मक और भलांगव्यक का प्रस्तुत मौताना आजाद भी प्रासादिक मार्ग से नहीं होता सका। उन्होंने १९१२ ई० में ही लिखा था :

‘हिन्दू बहुसंख्या का भय भी गुदा के लिये दिस से निवारण दीजिये; यह सबसे बड़ा शैतानी विचार पा जो मुगलमानों वे दिसों में बिछाया गया था। शक्ति वेष्ट संख्या पर नहीं शक्ति धार्य यातों पर निर्भर है। यास्तविक बस्तु बौद्ध की आन्तरिक शक्ति है जो उसके अटिग, उसकी एकता और अध्ये यादगों से प्रभावित होती है। इस्साम वी शक्ति कभी भी भलांगव्या प्रथवा बहुमन्या के माय जुड़े हुई नहीं है और भय भी जिन सोगों के दिसों में इस्ताम हो यही बहुसंख्या विलुप्त प्रभावहीन है।’^{७३}

मौताना साम्प्रदायिक स्थिति का विवेषण करके इस निष्पर्य पर पढ़ै ये कि आपसी मरमेद इसलिए ये वयोंकि देव के समझ कोई उच्च आदर्श नहीं था। उनका बहुना था कि यदि एक आकर्षक एवं मुन्दर सृष्टि सोगों के समझ हो तो मार्ग से नहीं भटका जा सकता। इसलिए उन्होंने “आजादी” के सद्य वो प्रस्तुत किया। उनका बहुना था कि “मदि जीवन की इच्छा है तो बठिनाइयों से घरराना चेकार है, वयोंकि बठिनाइयाँ जीवित और कियाजील घटियों के लिये ही होती हैं, एक निर्जीव जीव के लिये नहीं होती है। (जिनको) विद्याम की इच्छा है, तो उनके लिये सबसे अच्छा स्थान कश्च है। ये ठेरहोगे तो निरिवय ही टोकर नहीं सोगों पर जब बलोगे तो ठोकरें राना आवश्यक है।”^{७४}

मौताना आजाद इस्तामी पढ़ति को प्रजातात्त्विक मानते थे। मुसलमानों की प्रजातात्व के पक्ष में आन्दोलन करने वालों में सबसे आगे होना चाहिए था क्योंकि कुरान में लिखा था कि उनका राज्य आपसी परामर्श से होना चाहिए।^{७५}

इसलिए हिन्दू मुस्लिम सामूह्य के प्रति भी मौताना आजाद का इटिकोण मिथ्या था। वे हिन्दू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देते थे। वे इस एकता को भारतीय स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिए पहली भूमिका मानते थे। अपने १९२३ ई० के अध्यक्षीय आपण में उन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समझ कहा :

‘आज यदि आकाश से एक फरिश्ता दिल्ली की कुतुबमोना... तो होकर यह घोपणा करे कि स्वराज्य २४ घण्टों में मिल सकता है। यदि भारत में हिन्दू

७३ अलहिलात, १८ दिसम्बर, १९१२ गिलसिला मत्रामीत बहुल कलाम आजाद 'नं० २'

भाग १ (क्षमादेव मुश्ताक हैतेन) प० १८। १९४० ई० में जाने अध्यक्षीय आवण में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। मुग्लात, प० ३०८-३०९।

७४ यदी, प० २१।

७५ इस विषय पर मौताना आजाद ने ६ सप्ताहों तक ‘अलहिलात’ में सेष आदि लिखे थे। जूलाई १९१३ से सितम्बर १९१३ तक मकालात अनिलात प० १८८-२१६।

मुस्तिम एकता ममाप्त कर दी जाय सो मैं स्वराज्य छोड़ दूँगा, लेकिन यह एकता नहीं छोड़ूँगा।^{७६}

इस समय मौलाना आजाद ने १९१२ ई० के प्रोशाम में एक परिवर्तन कर दिया था और वह यह था कि उन्होंने मुसलमानों के लिये पृथक् संगठन की आवश्यकता थोड़ी थी। उनका पीछे यह कहना गलत था कि वे १९१२ ई० से पृथक् संगठन के विरुद्ध थे।^{७७} १९२३ ई० में जब भारत में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दो घटिक हो गये थे तो उस समय मौलाना आजाद वा इटिकोए कही भविन बुद्धिमानी का था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कई स्थानों पर साम्प्रदायिक उपदेव दूए थे जिन्हें भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों घटिक रहते हैं जहाँ अनुवित घर्मान्यता को भड़काना कठिन न हो ऐसी पटनाएँ असंभव नहीं हो सकती थी। इसका उचित उपचार यह ही था कि देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिकता को भड़कने न दिया जाए।^{७८} वे ऐसी स्थिति में 'जुद्दि' और 'तन्जीम' और 'तवलीग' के आनंदोनन 'को स्थगित करने की बात बहुते थे।

१९४० ई० में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में साम्प्रदायिक समस्या को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इमका अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि इसे भारतीय राष्ट्रीय घटिकारों के विरुद्ध एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाए। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों की संख्या ८-९ करोड़ है और इतनी बड़ी संख्या को एक राजनीतिक घटनासंघर्ष कहना उचित नहीं था। उनके अनुमार इतनी बड़ी संख्या प्रजातन्त्रीय भारत में अपने घटिकारों को सुरक्षित रखने में अभमर्य नहीं हो सकती थी। यह ८-९ करोड़ की संख्या अन्य बांगों की भाँति विभिन्न गुटों में बंटी हुई नहीं थी।^{७९} वे मुसलमानों को भारतीय कौम का एक आवश्यक भाग समझते थे। यह संगठित राष्ट्रीयता विभाजित नहीं की जा सकती थी।

७६. मुनवार-ए-बुल कलाम आजाद पृ० २६१। आजाद वा कॉरिय अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण, दिसम्बर १९२३।

७७. वही, पृ० २६३।

७८. वही, पृ० २६४।

७९. वही, पृ० ३१०।

मोहम्मद अली जिन्ना

(१८७६-१९४८)

२०वीं सदी के मुस्लिम विचारकों तथा नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन इस्लामी परम्परा और कुरान के सिद्धान्तों की दुहाई न देकर केवल 'नेशन' के पश्चिमी धर्म को भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय पर चरितार्थ करने में जिन्ना की सफलता अद्वितीय थी। तीव्र विरोध के होते हुए भी जिन्ना ने अपने तर्क को उचित सिद्ध करने के लिए मुस्लिम सम्प्रदाय का गठन भारतवर्षजनक सफलता के साथ किया। यद्यपि मुस्लिम सम्प्रदाय के पृथक् गठन के लिए ऐसा तो शायद ही कोई तर्क था जो उसके पूर्व मुस्लिम नेताओं ने प्रस्तुत न किया हो, किंतु भी जिन्ना का महत्व उन तर्कों को साकार सिद्ध कर देने में था। उद्दृश्य 'कोम' को केवल 'नेशन' के अर्थों में प्रयोग करना और उसके आधार पर भारतीय मुसलमानों के लिए प्रभुत्वसम्पद पृथक् राज्य की माँग करना जिन्ना का ही कार्य था। इस प्रकार की माँग मोहम्मद इकबाल ने भी प्रस्तुत की थी, लेकिन उस समय मुख्य प्रश्न एक भारतीय संघ की स्थापना का था जिसमें विभिन्न प्रांतों धरणों राज्यों को स्वायत्ता मिलने की सभावना थी। इसलिए उस समय पूर्ण प्रभुत्वसम्पद राज्य का तद्देश एक विकल्प के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए भारत में एक प्रभुत्वसम्पद राज्य की माँग प्रस्तुत की और वे उसे प्राप्त करने में सफल रहे।

जिन्ना का जन्म कर्नाटक में १८७६ई० में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया। १८९६ई० में वापस आने पर उन्होंने बम्बई में वकालत भारम्भ थी। तीन वर्षों तक उन्हें इम कार्य में बोई सफलता नहीं मिली। इन समय में वे बम्बई के कार्यवाहक एटोकेट जनरल, जोन मोल्डर्ड भेकहरमन, के कार्यालय में व्यवस्था रहे। १९००ई० में उन्हें कुछ समय के लिए नोकरी मिल गई। उसके पश्चात् जिन्ना ने निया वडान का धारम्भ की। वे एक सफल बड़ीन मिल द्दिए।

इस प्रारंभिक काल में जिन्ना का सम्पर्क विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं से हुआ। बाबरई में अधिकांश वकील हिन्दू तथा पारसी थे। मुसलमान मदस्य बहुत कम थे। उस समय के सफल वकीलों में जिन्ना की गिनती की जाती थी। वे गोखले फिरोजशाह भेहता, दादाभाई नारीजी आदि प्रमुख नेताओं के संपर्क में आए। १६०६ ई० में जिन्ना नेशनल कॉर्प्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने कुछ समय तक दादाभाई नारीजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया था।

मिन्टो मोले सुधारों के ग्रन्थीन १६१० ई० में नई कौसिलो के गठन में वाय-सराय ने जिन्ना को इण्डियन लेजिस्लेटिव कौसिल का सदस्य नियुक्त किया। अप्रैल १६१३ ई० में जिन्ना कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड चले गए। वहाँ उन्होंने एक केन्द्रीय विद्यार्थी संघ की स्थापना की जिससे भारतीय विद्यार्थी परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। वही पर मुस्लिम लीग के दो प्रमुख सदस्यों (मौलाना मोहम्मद अली और संयद बज़ीर हसन) ने जिन्ना को मुस्लिम लीग का सदस्य बना लिया।^१ दिसम्बर १६१३ में कॉर्प्रेस के कर्तव्यों अधिवेशन में जिन्ना ने भाग लिया था इस प्रकार जिन्ना अन्य मुस्लिम सदस्यों को भौति इस समय कॉर्प्रेस तथा लीग दोनों संस्थाओं के सदस्य थे।

१६१४ ई० में कॉर्प्रेस द्वारा इण्डिया कौसिल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए इंग्लैण्ड भेजे गये शिप्ट मण्डल में जिन्ना सम्मिलित थे। १६१६ ई० में उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया था और लखनऊ समझौता सम्पन्न हुआ था। वे उन १६ सदस्यों में सम्मिलित थे जिन्होंने एक स्मरण पत्र अंग्रेज सरकार को सुधारों के सम्बन्ध में दिया था।

जिन्ना इस समय बम्बई के एक सफल वकील थे और अन्य नेताओं की भाँति वे भी उत्तरदायी प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विकास पर बल दे रहे थे। १६१८ ई० में वे मॉटफोर्ड प्रस्तावों को पर्याप्त सुधार नहीं समझते थे। उन्होंने उत्तरदायित्व प्रशासन को केन्द्र में भी स्थापित करने के लिये कहा था।^२ १६१८-१९ ई० में विभिन्न अवसरों पर जिन्ना ने केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौसिल में सरकार की निरकुश नीति, प्रेम पर प्रतिबन्ध, रीलेट एक्ट आदि की आलोचना की थी। मार्च १६१९ के तीसरे सप्ताह में रीलेट एक्ट पास हो गया था और जिन्ना ने इसके विरोध में केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौसिल से अपना त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र में उन्होंने कहा था :

१. सैप्ट गतलूब हमन 'मोहम्मद अली जिन्ना', पृ० ५४। जिन्ना के इस समय के विचारों के जानने के लिए उनके भावणों आदि वा कोई वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमनी नायडू ने अपनी पुस्तक 'मोहम्मद अली जिन्ना' (पृ० ११) में सम्बन्ध अपनी अल्पताएँ निश्ची हैं। बौद्धिक जिन्ना, पृ० ४७-४८।

२. जिन्ना का सितम्बर १६१७ ई० में दिया गया भाषण। (रफीउ अफवाल) 'स्त्रीवेद एवं स्ट्रेटमेंट्स ऑफ जिन्ना', पृ० ७३।

अपने आत्मसम्पादन के भाषण में ऐसो सरकार के साथ सहयोग सम्भव 'नहीं समझता जो कौंसिल में लोगों के प्रतिनिधियों की बात स्वीकार नहीं करती।'^३

१९१८-२० के मध्य जिन्होंने जीवन में कई प्रकार के नए अनुभव हुए। मर्फ़िल १९१८ ई० में उन्होंने एक गुन्दर पारसी मुवती में विवाह किया। जिन्होंने आयु मुवती की आयु से ढाई गुनी थी। दिसम्बर १९१८ ई० में जिन्होंने बम्बई के अवकाश प्राप्त गवर्नर विलिंगटन को दिये जाने वाले विदाई समारोह को असहज कर दिया था। १९१९ ई० में खिलाफ़त आन्दोलन आरम्भ हो गया था जिसने अपने दो वर्षों में अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त की थी। यहाँ तक कि १९२०-२३ के मध्य मुस्लिम लीग का कोई अधिवेशन ही नहीं हो सका था क्योंकि यह अंग्रेज़ सर्वेक्षण संस्था समझी जाती थी। १९२० ई० में उन्होंने खिलाफ़त आन्दोलन में भाग नहीं लिया था। अक्टूबर १९२० ई० में उन्होंने होमलूल लीग में त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आन्दोलन में भाग नहीं लिया। दिसम्बर १९२० ई० में जिन्होंने कॉर्प्रेस के वापिक अधिवेशन में उपस्थित थे और उन्होंने कॉर्प्रेस के असहयोग प्रोग्राम से अपनी असहमति प्रकट की थी।

सितम्बर १९२३ में जिन्होंने स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। मई १९२४ ई० में उन्हें मुस्लिम लीग अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। १९२५ ई० में वे सर्वदलीय समिति के सदस्य थे जो भारत में साम्प्रदायिक मद्भाव बढ़ाने के लिये नियुक्त की गई थी। १९२७-२८ ई० के मध्य भारतीय राजनीतिक रणनीति पर घटनाएँ कुछ अधिक वेग से घटी, लेकिन इस समय जिन्होंने को सबसे अधिक निराशा मुसलमानों की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति से पैदा हुई। इस सम्प्रदाय के विभिन्न संगठनों में विलुप्त भी एकता नहीं थी। कोई एक ऐसा दल नहीं था जो समस्त भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हो। १९२९ ई० में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वे इन्हें अधिक निराश हुए कि वे कुछ वर्षों के लिए इंग्लैण्ड चले गए।

इंग्लैण्ड में उन्हें प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। १९३४ ई० में वे कुछ समय के लिये भारत आए, और फिर अक्टूबर १९३५ ई० में भारतीय राजनीति में भाग लेने के लिए वे स्थायी रूप से भारत लौट आए।

१९३६ ई० के पश्चात् मुसलमानों को राजनीतिक हृष्टि से संगठित करना जिन्होंने का गद्दे बड़ा कार्य था। पहली बार १९३७ ई० के निवाचिनी में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। १९३७-३८ ई० के मध्य उन्होंने अन्य प्रान्तीय मुस्लिम मंगठों में राजनीतिक समझौते करके मद्दको मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर लिया। १९४० ई० लातौर प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक् प्रमुखमण्डल गण्य की

१. जिन्होंने २५ मार्च, १९१८ का वक्त। रसीद बफरान, पृ० ११२-११।

3826

माँग प्रस्तुत की गई। १९४०-४७ ई० के मध्य उम माँग के लिए विभिन्न ज़रूरी शास्त्रीय संस्कृत विद्यारथी यह हुआ कि भारत की स्वतन्त्रता के साथ-साथ पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। १९४८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

यह विचारधारा सामान्यतः प्रचलित है कि जिन्ना आरम्भ में हिन्दू-मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे और उनके प्रयत्नों द्वारा ही १९११ ई० में कॉन्फ्रेस लीग समझौता हुआ था। यदि यह विचारधारा ठीक भाव से जाए तो उन कारणों की सूज आवश्यक होंगी जो जिन्ना को साम्प्रदायिक तथा केवल मुसलमानों के हितों के समर्थक बना देने के लिए उत्तरदायी हुए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह उचित होगा कि पहली मान्यता का परीक्षण कर लिया जाए।

जिन्ना ने अपनी चिन्तन प्रणाली को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। १९११ ई० में मुसलमानों को व्यक्तिगत विविध प्रणाली में इग्लैण्ड की प्रियो कौसिल के निरंय से बुछ बाधा उत्पन्न हो गयी थी। उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक 'वक़फ़ अविनियम' का प्रस्ताव रखा। इसे प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था—

"इस्लामी विविध प्रणाली में सोकनीति का कोई स्थान नहीं था"....."मैं किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हूँ जो मुसलमानों के व्यक्तिगत नियमों का उल्लंघन करे"....."मेरे हिन्दू मित्र मुझ से इस बात में सहानुभूति करेंगे कि मैं अपनी विविध प्रणाली से इस सीमा तक बंधा हुआ हूँ कि मैं उसे बदलने में असमर्थ हूँ"।^४ १९१२ ई० में जिन्ना ने गोड़ने द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक शिक्षा विल का समर्थन किया था जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना देने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा था, "मैं यह नहीं सोचता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिये यह कहना आवश्यक है कि वह इस कौसिल में अवधार इसके बाहर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसके समुदाय के हितों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाए। इस दिशा में मैं अपने-आपको किसी से भी पीछे नहीं भानता।"^५ जिन्ना ने यह पूर्व चेतना वनी अवश्य दी थी कि 'सिलेक्ट कमेटी' की रिपोर्ट के पश्चात् जब यह प्रस्ताव सदन में पुनः प्रस्तुत किया जाए तो इसमें मुसलमानों के विशिष्ट हितों की रक्षा से सम्बन्धित प्रस्ताव आवश्यक हृषि से होने चाहिए।

१९१३ ई० में जिन्ना ने मुस्लिम लोग में सक्रिय भाग लेना आरम्भ कर दिया था। इस समय गोलने ने यह संभावना प्रकट की थी कि माम्प्रदायिक भावना के कम होने के कारण जिन्ना भविष्य में हिन्दू-मुस्लिम एकता का मर्वोत्तम दून हो सकेगा जिन्ना की महत्वाकांक्षा 'मुस्लिम गोलने' बनने की थी।^६

४. रपोर्ट अर्कृत, पृ० २१-२२।

५. वही, पृ० १६।

६. हेट्टर लोलियो : जिन्ना, पृ० १५।

दिसम्बर १९१५ई० में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होने वाला था। जिन्हा ने अपने अन्य मित्रों के साथ मुस्लिम लीग को भी अपना वार्षिक अधिवेशन बम्बई में करने के लिए आमन्त्रित किया। इस अधिवेशन के आमन्त्रण से जिन्हा का लक्ष्य यह था कि कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर कार्य करें ताकि अंग्रेजों से अधिक मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके।^७ अक्टूबर १९१६ई० में जिन्हा ने बम्बई प्रान्तीय कान्सरेन्स का अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था : “हिन्दू मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में सहयोग, मैत्री, वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक है………मुसलमान देश की व्यवस्थापिक सभाओं में उचित, पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व चाहते हैं किन्तु मुसलमान यह प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चाहते हैं………सही या गलत मुस्लिम सम्प्रदाय पृथक् प्रतिनिधित्व पर हड़ सकल्प है………यह प्रश्न अब बाद-विवाद अथवा विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध नहीं है। यह नीति का प्रश्न न होकर आवश्यकता का प्रश्न बन गया है।………यह प्रश्न केवल कुछ स्थानों का ही नहीं है। यह वास्तव में नौकरशाही से प्रजातन्त्र को शक्ति हस्तान्तरण का है।”^८

दो महीने पश्चात् मुस्लिम लीग के अधीवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था :

“मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू मुस्लिम प्रश्न सम्मिलित भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में एक जटिल पहली की भाँति पड़ा हुआ है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था।” उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के पृथक् राजनीतिक संगठन और न्यायोचित बताया था क्योंकि वह उनके लिए एकमात्र विकल्प था विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें अपने भूतकाल की परम्पराओं पर गौरव हो और उसके सदस्यों की सह्या कम हो।^९ अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन का मुख्य सिद्धान्त यह था कि भारत के भावी राजनीतिक विकास में मुसलमानों के (पृथक्) साम्प्रदायिक व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाए रखा जा सके।^{१०}

उन्होंने आगे कहा : “राष्ट्रीय समस्याओं में सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने के लिए एक अल्पसंखक समुदाय की विस्तृत राजनीतिक भावनाओं को उसी समय बढ़ाया जा सकता है जबकि उसे अपनी मुरक्का के विषय में पूर्ण विश्वास हो जाए। यह मुरक्का मुसलमानों को उसी समय उपलब्ध हो सकती थी जबकि उनके सम्प्रदाय के राजनीतिक अस्तित्व को पर्याप्त और प्रभावशाली मुरक्कात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए।”^{१०}

^७ यह अन्तीम ११ नवम्बर, १९१५ ई० की प्रशासित री रही थी। बही, पृ० १३-१४।

^८ रवीश कदरप १० ४२-४४।

^९ दिसम्बर, १९१६ में दिया गया मुस्लिम नीति अध्यात्म भाषण। बही, पृ० १९-२०।

^{१०} बही, पृ० २३।

जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण के प्रन्त में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा : "हमें इंग्लैण्ड और भारत में अपने शुभचिन्तकों की सहानुभूति यह घारणा पेंदा करके नहीं सोनी चाहिए कि एक सम्प्रदाय की भाँति हम केवल अपने रखाये और सीमित लाभों के प्राप्त करने में ही लगे हुए थे....."^{११} इन बाब्यों में जिन्ना ने वे कारण स्पष्ट कर दिये थे जिनके आधार पर वे लीग कॉन्सेस समझौता चाहते थे । १६१६ ई० में उन तकों के प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो १६३० ई० के पश्चात् प्रस्तुत किए गये थे क्योंकि इस समय कॉन्सेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही अंग्रेजी सरकार से कुछ सुविधायें प्राप्त करना चाहती थी । उन मुविधाओं तथा अधिकारों का बैटवारा हो सकता था जो वास्तव में किया भी गया था । प्रायः सभी मुस्लिम नेता इस समय हिन्दू मुस्लिम एकता की बात करते थे और साथ ही मुसलमानों के विशिष्ट हितों की सुरक्षा की भी मांग करते थे जो इस समय केवल साम्प्रदायिक आधार पर अधिक प्रतिनिधित्व तक सीमित थी । इन दोनों बातों में उस समय अन्तरविरोध नहीं था ।

लखनऊ समझौते के आधार पर जिन्ना को हिन्दू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था । यह राष्ट्रीय नेताओं का अपना विचार था । जिन्ना ने लखनऊ समझौते के विषय में १६२६ ई० में यह बताया कि यह समझौता मुसलमानों की ओर से नहीं हुआ । इसका आरम्भ कॉन्सेस की ओर से हुआ था । उन्होंने इस समझौते को कठिनाइयों का मब्द से अच्छा क्षणिक हृल कहा ।^{१२} बाद में जब जिन्ना पर नेताओं ने यह आक्षेप लगाया कि वे अपने पिछले मिलान्टों से बदल गए थे तब उन्होंने इस समझौते की व्याख्या करते हुए बताया था कि १६१६ ई० के ममता अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा जावेगा ।^{१३} ६ मार्च, १६४० ई० को उन्होंने कहा कि लखनऊ समझौते का भौतिक सिद्धान्त यह था कि दो सम्मानपूर्ण और पृथक् बगं एक आपसी समझौता कर रहे थे । मुसलमान एक अल्पसंख्यक बगं नहीं थे, बल्कि एक पृथक् कीम थे ।^{१४} इसी प्रकार केन्द्रीय सेजिस्लेटिव कौसिल में उन्होंने कहा कि १६१६ ई० का लखनऊ समझौता दो पृथक् अस्तित्वों (कौमों ?) के आधार पर स्थापित था ।^{१५}

जिन्ना ने १६१६ ई० में ही मुसलमानों को यह परामर्श दिया था कि वे मपनी स्थिति की सुरक्षा के लिए केवल अपने प्रबलों पर ही निर्भर रह सकते थे । इसलिए उन्हें अपने ममाज में एकता और संगठन पर अधिक बन देना चाहिए ।^{१६}

११. रफीक अफ़्रिन, पृ० ६३ ।

१२. वही, पृ० २४६ ।

१३. उममान सहराई जिन्ना द्वारा तकरीर, पृ० ११ । यह भाषण १६३०-३१ में दिया गया था ।

१४. वही, पृ० १३६-१४० ।

१५. वही, पृ० ८६ ।

१६. रफीक अफ़्रिन, पृ० ६२ ।

इसी प्रकार उन्होंने १६३८ ई० में घर्तीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष बोलते हुए यह विचार प्रस्तुत किया था कि घर्तीगढ़ को घर्ती-प्राप्ति संगठित करके घर्ती अधिकारों को मनवा देना चाहिए। यह कार्य वे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही करना चाहता था ।^{१७} इसी प्रभार मात्र १६४० ई० में उन्होंने मुसलमानों को घर्ती ऊपर भरोसा करने का वरामण दिया था। उनका कहना था कि "मैं प्रत्रेक व्यक्ति का मिश्व बनने की तैयार हूँ, लेकिन निम्न घर्ती ही शक्ति पर कहेगा।"^{१८} १६४५ में भी वे यह कहते थे 'हमारा कोई मिश्व नहीं है। हमें न घर्ती पर भरोसा है न हिन्दू यत्निए पर।'^{१९} १६२५ ई० में भी सर्वदलीय कमेटी वी एक उपसमिति के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरानऊ रामभौते था यह लक्ष्य कभी नहीं था कि वह स्थायी होगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते पर पुनः हट्टि ढातने के लिये पंजाब और यगाल से आवाज उठी थी। यही के बहुतंश्यक मुसलमान लेजिस्लेटिव कॉमिटी में बहुमत प्राप्त करना चाहते थे। यास्त्रिक बारण इसका यह था कि दोनों सम्प्रदायों को एक-दूसरे पर विश्वाम नहीं था ।^{२०} प्रथमि परस्तार व्यापक सन्देह के दबावल में कौसो हुई थी।^{२१}

मुसलमानों के लिए पृथक् निर्बाचन, अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सुख्या थो बात करते हुए भी जिम्मा यह कहते थे कि स्वराज्य प्राप्ति में हिन्दू मुसलमानों की राजनीतिक एकता आवश्यक थी। १६१६-२६ ई० के मध्य मुख्य प्रश्न घर्तीजों से कुछ विशेष सुविधाओं—उत्तरदायी प्रशासन और सेवाओं का भारतीयकरण—का था। इसलिए किसी भी मुस्लिम नेता के लिए एक ही तकं था कि हिन्दू मुसलमान मिलकर घर्तीजों से वे सुविधायें प्राप्त कर ले। भीजाना आवाद ही ऐसे प्रभावशाली नेता थे जो १६२० के पश्चात् पृथक् सुविधाओं पर अधिक बल नहीं देते थे।

जैसे ही १६२५-२६ ई० में यह स्पष्ट हुआ कि आगामी बैंधानिक सुधारों में प्रान्तों को स्वामतता उपलब्ध हो जायेगी, जिम्मा ने यह विचार रखा कि सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया जाए तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की भाँति उत्तरदायी प्रशासन स्थापित किया जाए। १६२६-२७ ई० के मध्य यह प्रश्न ही मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का लक्ष्य बना रहा। १६२६ ई० में उन्होंने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त को पजाब से पृथक् करने के लिए कहा व्योकि भाषा, भूगोल और जाति के आधार पर वह पंजाब से भिन्न था।^{२२}

दिसम्बर १६२६ ई० में जिम्मा ने मुस्लिम लोग अधिवेशन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत

१७ तकरीर, पृ० ११३।

१८. वही, पृ० १४५-१४६।

१९ मूली गुलाम जाफर : इतिहास-ए-जिम्मा, पृ० २२६।

२० रफीक अफ़ज़ल, पृ० १५३-१५५।

२१ १६२६ ई० का अध्यायी भाषण, रफीक अफ़ज़ल, पृ० १३२-१३३।

२२. रफीक अफ़ज़ल, पृ० २४१।

किया कि अंग्रेजी सरकार को अब शीघ्रता से कुछ सुधार स्थापित करने चाहिए जिससे भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन स्थापित हो सके। इन सुवारों को लागू करते समय निम्न वातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक था।

- (१) देश को प्रत्येक निर्वाचित सभा में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी भी बहुमत को अल्पमत अथवा समानता में नहीं बदला जाना चाहिए।
- (२) साम्प्रदायिक पृथक् प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित रहनी चाहिए।
- (३) देश में प्रान्तीय पुनर्गठन करते समय पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत कम नहीं होना चाहिए।
- (४) सब सम्प्रदायों को घर्मं तथा शिक्षा की स्वतन्त्रता उपलब्ध होंगी।
- (५) किमी एक सम्प्रदाय के $\frac{3}{4}$ निर्वाचित सदस्यों के विरोध के पश्चात् कोई विधेयक पास नहीं किया जायेगा यदि इस विधेयक से उनके साम्प्रदायिक हितों को हानि पहुँचती हो।^३

उस समय उनका एक आक्षेप कांग्रेस अथवा हिन्दू समाजों पर यह था कि उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के भविष्य के विषय में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखा था। उनके अनुसार साम्प्रदायिकता का अस्तित्व वास्तविक था। उन्होंने चेतावनी के रूप में यह भी कहा कि यदि कोई सम्मिलित समझौता नहीं हो सकता था तब मुस्लिम लीग अपना मुकुदमा रोयल कमीशन के समक्ष स्वर्ण प्रस्तुत करेगी और लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इस समय पृथक् राष्ट्रीयता की बात वे प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

२० मार्च, १९२७ ई० को विभिन्न विचारों के मुसलमान नेताओं ने दिल्ली में विचार-विमर्श किया और 'दिल्ली प्रस्ताव' प्रस्तुत किए जिनके अनुसार पाँच मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में पृथक् उत्तरदायी प्रशासन पद्धति स्थापित करने की बात कही गई। इन प्रान्तों में यदि मुस्लिम बहुमत को सुरक्षित कर दिया जाए तब मुस्लिम नेता पृथक् निर्वाचन पद्धति को छोड़ने को लंगार थे। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए जिन्ना ने कहा था कि इनमें मुसलमान संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमत हो गए यदि उनकी अन्य जातों को स्वीकार कर लिया गया। ये पूर्व जतें थी। सिन्ध का बम्बई से अलग किया जाना और उत्तर-पश्चिमी सीमा और बंगाल-सिंगापुर प्रान्तों में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना। यदि ऐसा हुआ तब मुसलमान नेता भी हिन्दू अल्पसंख्यकों के लिए उपरोक्त तीनों प्रान्तों में उसी प्रकार की सुविधायें देंगे जो हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तों में उन्हें उपलब्ध होंगी। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व जनसंस्था के अनुसार ही होगा और केन्द्र में मुसलमानों को $\frac{1}{3}$ स्थान प्राप्त होने चाहिए।

यह सब प्रस्ताव एक योजना के अधीन ही थे। इस समय पृथक् निर्वाचन

प्रणाली को छोड़ने के लिए जिन्हा तंयार थे व्योकि यह निर्वाचन प्रणाली प्राप्ति में एक सद्य नहीं थी बल्कि सद्य वी प्राप्ति के लिए गाधन मात्र थी।^{२४} सद्य मुसलमानों में बहुसंस्थकों के सम्भावित भव्याचारों से सुरक्षा पूर्ण करना था। वे दोनों समुदायों में रानुलन स्थापित रखना आवश्यक समझते थे।

दिसम्बर १९२६ ई० में नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। मुस्लिम सीग की ओर से जिन्हा ने इस रिपोर्ट से अपनी असहमति प्रकट की। अपने भाषण में भव्य मुस्लिम पृथकतावादी नेताओं की भाँति वे सदा यह कहते थे कि "हमारी प्रगति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता प्रत्यन्त प्रावश्यक है।" साप ही वह यह कहते थे कि "बहुमत प्रत्याचारी तथा निरकुश होते हैं और अल्पमत अपने हितों और अधिकारों को बेधानिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं"^{२५} इसी अवसर पर जिन्हा ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अल्पसंस्थक किसी भी भारतीय संविधान का समर्थन उसी समय करें जबकि इकाई के रूप में उनका पृथक् अस्तित्व सुरक्षित हो। इसके समाव में देश में यृह्युद और विप्लव उत्तम होगा।^{२६} देश के लिए उत्त समय तक संविधान निर्माण की धारा व्यर्थ थी जबतक कि हिन्दू मुस्लिम सभस्या का हल न हो जाए।

जिन्हा कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन से निराश लीटे थे। इस निराश का कारण यह था कि वे अपनी मीगों को भारत के सात करोड़ मुसलमानों की मीग कहते थे जबकि कई मुस्लिम सगठन सर्वदलीय सम्मेलन में सम्मिलित थे, तथा नेहरू समिति की किपारिशों से सहमत थे। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कई संस्थाएं तथा सगठन करते थे और मुस्लिम लीग स्वयं दो दलों में विभक्त थी। जमीयत उनउम्मा, खिलाफत समिति आदि नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं थी। जिन्हा के प्रस्तावों को स्वीकार करने से यह आशका थी कि भव्य मुस्लिम दल जो उस समय सहमत थे बाद में असहमत हो सकते थे।^{२७} इस समय बड़ा सन्देह यह था कि जिन्हा के पक्ष में किनास समर्थन था। यह कहना अनुचित है कि सर्वदलीय सम्मेलन ने मुसलमानों के हितों के प्रति अनदेखी कर दी थी।

कलकत्ता से लैटने के पश्चात् जिन्हा ने मुस्लिम लीग कौसिल का बंधक में १४ सूत्रीय कार्यक्रम तयार किया। यह कार्यक्रम किसी भी समझौते के लिए पूर्व आवश्यकता घोषित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रस्ताव थे :

(१) भावी संविधान संघातक होना चाहिए जिसमें अवशिष्ट अधिकार प्राप्तों के पास रहने चाहिए।

२४. वही, पृ० २५२।

२५ वही, पृ० २५८, २६५।

२६ वही, पृ० २६४।

२७ महान्, पृ० १६३-१६४।

- (२) समस्त प्रान्तों को समान स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए ।
- (३) देश की समस्त व्यवस्थापिका और निर्वाचित समाजों का गठन इस आधार पर होना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी भी प्रान्त में बहुमत को अल्पमत अथवा समानता में परिवर्तित नहीं करना चाहिए ।
- (४) केन्द्रीय सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए ।
- (५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अधीन ही होना चाहिए यद्यपि किसी भी वर्ग को यह अधिकार उपलब्ध होगा कि वह इस प्रणाली को छोड़कर सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली अपना सके ।
- (६) किसी भी भावी क्षेत्रीय परिवर्तन में बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत को कम नहीं किया जाए ।
- (७) सब सम्प्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होनी चाहिए ।
- (८) किसी भी सम्प्रदाय के ३/४ सदस्यों के विरोध के पश्चात् कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जायेगा यदि वह उस सम्प्रदाय के हितों के विरुद्ध हो ।
- (९) सिन्ध प्रान्त को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया जाए ।
- (१०) उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की भाँति सुधार स्थापित किये जाएँ ।
- (११) संविधान में इस बात का निश्चित मायोजन किया जाना चाहिए कि राज्य-सेवाओं में तथा स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों को उचित मात्रा में स्थान मिलने चाहिए ।
- (१२) संविधान में मुस्लिम सकृति, शिक्षा, भाषा, धर्म व्यक्तिगत नियमों और राज्य से उपलब्ध भ्रन्दावन को मुरक्खित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (१३) केन्द्रीय अधिकार प्रान्तीय कोई भी मन्त्रिमण्डल एक तिहाई मुस्लिम मन्त्रियों के बिना नहीं बनाया जाना चाहिए ।
- (१४) केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संविधान में बिना राज्यों की स्वीकृति के कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

जिन्ना ने यह चौदह सूत्रीय कार्यक्रम इसलिए तैयार किया था कि विभिन्न मुस्लिम संगठन उनके साथ हो जाएँ । दिसम्बर १९२६ ई० कॉर्पस ने पूर्ण स्वतन्त्रता और प्राप्ति के सद्य को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था । इससे जिन्ना भव्यता चिन्तित हो उठे थे । उन्होंने जून १९२६ ई० में एक पत्र इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री

रेन्जे मेकडोनल्ड को जिसमें वे चाहते थे कि स्वतन्त्रता आनंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए अप्रेज़ सरकार को भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित कर देनी चाहिए, और डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा "भारत का इंग्लैण्ड के कायन पर में विश्वास उठ गया है..... भारत और इंग्लैण्ड को सरकारों ने १६२४ ई० से समस्त न्यायोचित मौर्गों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल इस निराण्य पर पहुँच गया है कि न्याय और उचित कार्य की कोई आशा नहीं है। इसलिए भारत में एक वर्ग पूर्ण स्वतन्त्रता..... के पथ में है और विना अतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूँ कि स्वतन्त्रता आनंदोलन जोर पकड़ रहा है क्योंकि इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस इसका समर्थन कर रही है।"^{२८}

इस पत्र में जिन्ना ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। लेकिन मतलूब का यह कहना गलत है कि इसी माध्यार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। जिन्ना के बल यह चाहते थे कि १५ के लाभग भारतीय सदस्यों को आमन्त्रित किया जाए, किन्तु सम्मेलन में इससे कही अधिक सदस्य बुलाये गये थे। केवल अप्रेजों के अधीन भारत के ही ५८ सदस्य भाग ले रहे थे। भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि इसके अतिरिक्त थे जिन्ना ने उनके विषय में वर्णन तक भी नहीं किया था।

१६२६ ई० में जिन्ना भारत में मुसलमानों से पूरी तरह आ चुके थे क्योंकि वे संगठित नहीं थे। कुछ मुसलमान कॉंग्रेस के पक्ष में थे और कुछ अप्रेज़ सरकार के पक्ष में। इस पूर्ण और असमित व्यवस्था से दुखी होकर जिन्ना ने इंग्लैण्ड में रहने का निश्चय किया।^{२९}

गोलमेज सम्मेलन के प्रयत्न अविवेशन में जिन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय समस्या का हल चार पक्षों के सन्दर्भ में ही सभव था। अप्रेज़, भारतीय नरेश, हिन्दू तथा मुसलमान। भारतीय संघ के स्वरूप पर काफी बाद-विवाद हो गा रहा था और जिन्ना अप्रेजी प्रान्तों और भारतीय राज्यों को समान स्तर पर समझते थे। यदि अखिल भारतीय संघ सभव न हो तब अप्रेजी प्रान्तों का ही संघ बनाया जाना चाहिए। इस सम्मेलन के समक्ष भी भुल्य समस्या हिन्दू मुस्लिम बाद-विवाद की थी। जिन्ना ने अपनी यह घारणा स्टॉट की कि भारतीय सरकार के लिए किसी भी सविधान वीरचना उस समय तक सभव नहीं थी जबतक कि हिन्दू मुस्लिम समस्या का ऐसा हल न हो जाए,^{३०} जिसमें मुसलमानों को पूरी तरह सुखा अनुभव हो। उनका सहयोग और सहमति उपलब्ध हुए विना कोई सविधान भारत में

२८. रक्षीक अफजल, पृ० ३०८-३१०।

२९. यह जिन्ना ने स्वर्य ५ फरवरी, १६३८ ई० के अन्तिम में भारत देते हुए कहा था।
तक्तीर्दृ पृ० १११-११२।

३०. रक्षीक अफजल, पृ० ३४४-४०७।

२४ घटे भी नहीं चल सकता था। कोई भी संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकृत नहीं होगा जबतक उनकी माँगें स्वीकृत न हो जाएँ। बिना अत्यसंरूपकों की समस्या के हैं क्यों हुए संविधान की समस्या का हल बेकार था।^{३१} इस प्रकार गोलमेज़ सम्मेलन में यह स्पष्ट हो जुका था कि जिना किसी भी प्रकार के संविधानिक विकास को उस समय तक अमरभव भवने थे जबतक कि माम्प्रदायिक समस्या का हल न निकल जाए।

जिना इस सम्मेलन में मुसलमानों के विभिन्न हितों तथा कांग्रेस और प्रवय पक्षों के तर्कों से अत्यन्त निराश हो गये थे। बोलियो के अनुसार जिना भारत के किसी प्रभावशाली पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे इसलिए उन्हें तीसरे गोलमेज़ सम्मेलन में सम्मिलित नहीं किया गया था। निराशा की अवस्था में उन्होंने इंग्लैण्ड में ही ठहरकर बकालत करने का निश्चय किया।^{३२} १६३०-३४ ई० के मध्य जिना भारतीय राजनीति से अलग-अलग पड़ गए। इस बीच साम्प्रदायिक निर्णय अंग्रेज मरकार द्वारा घोषित किया गया जिसे मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया था। १६३५ ई० में जिना भारत लौट गए।

जिना ने १६३५ ई० के एकट की संघीय व्यवस्था को केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौसिल द्वारा अस्वीकृत करवा दिया था। लेकिन जब १६३६ ई० में उन्हें यह जात हुआ कि १६३५ ई० का एकट लागू होगा, और उन्हें यह भी जात हुआ कि मुस्लिम राजनीति उसी प्रकार से प्रान्तीयता के बन्धनों में जकड़ी हुई थी जैसी १६२६-३० ई० में, तब उन्हें 'निराशाओं ने अधिक निडर बना दिया'।^{३३} अप्रैल, १६३६ ई० में उन्होंने मुस्लिम लोग को अविल भारतीय स्प देने और नए निर्वाचनों में भाग नेने का निश्चय किया। अक्तूबर १६३७ ई० में ही जबकि 'कांग्रेस के मन्त्रिमण्डली' को बने हुए कुछ सप्ताह में अधिक नहीं हुए थे जिना ने यह आक्षेप लगाना आरम्भ कर दिया था कि मुसलमान कांग्रेस सरकार में किसी व्याय की आशा नहीं कर सकते थे। जिना ने बन्दे मातरम्, हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन तथा कांग्रेसी ध्वज को सम्मान देने के विषय में शिकायत की थी।^{३४} अप्रैल १६३८ ई० में नेहरू जिना के मध्य हुए पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों नेताओं में कई मौलिक अन्तर थे। जिना चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया जाए। नेहरू उसे केवल एक साम्प्रदायिक संगठन मानने को तैयार थे जिस प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन विभिन्न थे। जिना ने यह आक्षेप भी लगाया था कि कांग्रेस का व्यवहार एकाधिकारी तथा प्रभुत्वमध्यन संस्थां रु सा था। कांग्रेसी

^{३१} बड़ी, पृ० ४०६।

^{३२} बोलियो, पृ० ८८।

^{३३} बड़ी।

^{३४}, जिना दो मुस्लिम लीग अध्यक्षीय भाषण। डिविसन दी इवोल्यूशन ऑफ इण्डिया 'एड पारिस्लान, पृ० ३४३।

ओं के पत्र में उन्हें महंभाव स्पष्ट होता था। १२ अप्रैल, १९३८ ई० के पत्र में गा ने समस्त भगडे की बुनियाद स्पष्ट करदी थी। उन्होंने कहा था : “जबतक मुस्लिम लीग को कांग्रेस पूर्ण समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं करती एक हिन्दू मुस्लिम समझौते के विषय में बातचीत नहीं करती तबतक हमें आ करनी पड़ेगी और अपनी आन्तरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। वह हमारे महत्व और प्रतिष्ठा का सूचक होगा”।^{३५} अपने अध्यक्षीय भाषण में अक्टूबर १९३८ ई० में उन्होंने कांग्रेस के एक राष्ट्रीय स्वप्न की तीव्र आलोचना की उन्होंने कांग्रेस को केवल एक हिन्दू संगठन बताया था। १९३९ ई० में ही जिन्मा इहां था कि भारत की समस्या को मुसलमानों के लिये चार पक्षों में बातचीत शक्ति थी।^{३६} अंग्रेज सरकार, भारतीय राज्य, मुसलमान और हिन्दू। यह ही उन्होंने १९३८ ई० में भी दोहराया था।^{३७}

१९३७ ई० के निर्वाचनों से यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी भी केन्द्रीय स्थान में हिन्दुओं का बहुमत रहेगा। इसलिए किसी ऐसी योजना को प्रस्तुत ना आवश्यक हो गया था जिसका मुसलमान जनता तथा विभिन्न मुस्लिम दल दर्शन करें और अप्रेज़ी सरकार भी उसे स्वीकार कर से। जिन्मा को कांग्रेस की स्वीकृति इतनी चिन्ता नहीं थी। अक्टूबर १९३८ ई० में भारत से चार मुसलमानों का सदस्य मण्डल मिश्न में हो रहे पलेस्टाइन सम्मेलन में भाग लेने के लिये गया। समय जिन्मा इकबाल द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य भारत विभाजन योजनाओं पर आरकर रहे थे। इसी मण्डल के दो सदस्य लीग की कार्यकारिरणी के सदस्य भी थे। दस्य इंग्लैण्ड में भारत उपसंचिव तथा सचिव से मिले और उनसे भारत विभाजन योजना का वर्णन किया। उन अधिकारियों की परोक्ष रूप से सहमति मिल जाने शबाद, तथा उन लोगों के मई १९३६ ई० में भारत लौट आने के पश्चात् ही जन योजना के सम्बन्ध में कोई कार्य किया जा सका।^{३८} मुस्लिम लीग द्वारा स पर लगाए गए आक्षेप सम्बन्धी ‘पिरखुर रिपोर्ट’ भी इसी समय प्रकाशित की थी। इसी प्रकार विहार में कांग्रेस प्रशासन के दोषों को स्पष्ट करने के लिए ‘फ रिपोर्ट’ प्रकाशित की गई। १९३६ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र जाने के पश्चात् जिन्मा ने देश भर के मुसलमानों को परामर्श दिया कि वे

३५. नेहरू जिन्मा पत्र व्यवहार : किलिस, पृ० ३४०-३५०।

३६. रफीक अफजल, पृ० ३१३।

३७ किलिस, पृ० ३५१। जिन्मा ना मुस्लिम लीग के पटना अधिदेशन का अध्यक्षीय भाषण।

३८ घटीक उज्ज्वलान - पाखवे दू पाकिस्तान, पृ० २०५-२०६। अक्टूबर १९३८ ई० में निष्ठ मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव प्राप्त करके मुस्लिम लीग को एक ऐसे विधान बनाने का उत्तराधित्व सौप दिया था जिससे भारत के मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सके। बाहिर विन सर्फ़ : पाकिस्तान, दी कोर्मेटिव एज़, पृ० १०७।

२२ दिसम्बर, १९३६ ई० को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाएँ क्योंकि कॉर्प्रेस मन्त्र-मण्डल समाप्त हो चुके थे। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार उत्तेजित किया गया कि वे कॉर्प्रेसी प्रशासन के विरुद्ध जिन्हा के कालानिक आक्षेपों को सही समझते रहे।^{३४}

एक और तो कॉर्प्रेसी प्रशासन के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया जा रहा था, दूसरी ओर जिन्हा का यह प्रयत्न रहा कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग का नेतृत्व स्वीकार करने पर बाध्य किया जाए, तथा मुस्लिम लीग को केवल उच्च धर्म का दल न रखकर जनसाधारण का दल बना दिया जाए। पंजाब, बंगाल और सिन्ध के प्रान्तीय मुस्लिम संगठनों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने का पृथक् प्रयत्न जिन्हा ने किया जिसमें कुछ बाधाओं के पश्चात् उन्हे पर्याप्त सफलता उपलब्ध हुई।

इसी अवधि में जिन्हा यह भी कहते रहे कि कॉर्प्रेस को साम्प्रदायिक समस्या को हल करना चाहिए। कॉर्प्रेस यह भली-भाँति जानती थी कि मुस्लिम लीग का मुस्लिम बदूसंघक प्रान्तों में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इसलिए वह लीग की इस चेतावनी पर विशेष ध्यान नहीं देती थी। जिन्हा यह चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम ममझीते का यदि कोई हल हो तो केवल मुस्लिम लीग के भाग्यम में। इसलिए कॉर्प्रेस और लीग के हट्टिकोलों में एक मौलिक अन्तर बना रहा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव बॉर्ड में मुस्लिम लीग के सदस्यों की स्थिति भाहत्वपूर्ण थी क्योंकि कॉर्प्रेस को अधिक सरकारी पक्ष को जिन्हा का नेतृत्व बाले गुट के समर्थन के अभाव में बढ़ुमत मिलने की संभावना नहीं थी। लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्य इंग्लैण्ड में भारत उपमण्डित तथा भारत सचिव से क्रमशः १४ और २० मार्च, १९३६ ई० को मिल चुके थे जिन्होंने भारत विभाजन के प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी।

इसके तुरन्त बाद २२ मार्च, १९३६ ई० को जिन्हा ने अपनी नीति में परिवर्तन की घोषणा की और चेतावनी के रूप में पृथक् मुस्लिम व्यक्तित्व की घोषणा की।

"तुम दोनों (कॉर्प्रेसी और सरकारी पक्ष वाले सदस्य) मिलकर भी हमारी आत्मा को नष्ट करने में कभी सफल न हो सकोगे। तुम उस सम्भता को न मिटा सकोगे उस इस्लामी सम्भता को जो हमें विरासत में मिली है। हमारे धर्म का प्रकार्य जीवित है, जीवित रहा है और रहेगा"....."हम एक निर्णय पर पहुंच चुके हैं और हमने यह हठ निर्णय कर लिया है कि यदि हमें मरना ही है तो लड़ते-नड़ते मर जायेंगे।"

१२ जनवरी, १९४० में जिन्हा ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अप्रेजेंटों को यह ममक लेना चाहिये कि हिन्दू और

इस्ताम पर्यंदो पृथक् और भिन्न सम्यताओं के द्वारा उनमें परस्पर उतना ही अंतर था जितना यूरोप की दो कीमों में होता था। यह घारणा १६३३-३४ ई० में पालियामेट की जोइन्ट सिलेक्ट कमेटी ने भी स्वीकार करली थी। इसलिये भारत में पश्चिमी प्रजातन्त्रीय संविधान ठीक नहीं था। इस लेख के अन्त में जिन्होंने का मुझाव था कि एक ऐसे सविधान का निर्माण होना चाहिये जो यह स्वीकार करे कि भारत में दो कीमें हैं और उन दोनों को मातृ-भूमि के नियन्त्रण का विधिकार होना चाहिये।^{४०}

जिन्होंने मार्च १६४० ई० में मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास करवाया था। किन्तु इस योजना के निर्माण में जिन्होंने का योगदान बहुत कम था। १६३० ई० में डॉ० इकबाल के मुस्लिम प्रान्तों को पृथक् राज्यों में बना देने की माँग के पश्चात् इस प्रकार की विभिन्न योजनाएँ बन रही थी। १६३०-३८ के मध्य की योजनाएँ काल्पनिक अधिक इखाई पड़ती थी।^{४१} इसके अतिरिक्त इन सब योजनाओं में यह आवश्यक मान रखा गया था कि किसी प्रकार का सम्बन्ध अखिल भारतीय संघ के साथ रखा जाए। जिन्होंने इस प्रकार की कोई योजना नहीं चाहती थे।^{४२} पाकिस्तान योजना को मार्च १६४० ई० में प्रस्तुत करते समय जिन्होंने कहा था कि एक अच्छा सेना संचालक उस समय तक 'माकमण करो' का आदेश नहीं देता जबतक उसे विजय का विश्वास न हो अथवा उसे सम्मानपूर्ण पराजय का विश्वास तो निश्चित रूप से होना ही चाहिये।^{४३}

मार्च, १६४० ई० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्होंने कोप्रेस पर यह आझोप पुनः लगाया कि कोप्रेस एक हिन्दू समठन था और मुमलमानों के लिये उसको बोलते का अधिकार नहीं पा, क्योंकि जबतक मुस्लिम लीग अपना यह दावा स्वीकार न करा तो, उस समय तक उसकी कोई भी माँग स्वीकृत होने की संभावना नहीं थी।

१६३७-४० ई० में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को अखिल भारतीय समठन में परिवर्तित कर दिया तथा विभिन्न प्रान्तीय मुस्लिम लीग व योगठनों के स्थान पर मुस्लिम लीग का प्रभुत्व स्थापित कर दिया।

४०. यह तेज़ 'टाइम और टाइड' में प्रकाशित हुआ था और मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित 'इंडियाज़ ग्रोवलम और हरपूरवर कॉर्निस्टट्ड्यूशन' में पृ० २२-२३ पर प्रकाशित है।

४१. इन योजनाओं पर विस्तृत विवरण इस पुस्तक की सीमाओं से बाहर है। इसलिये यहीं पर नहीं दिया गया है। देविल लार्विड विन मैर्ड लार्विस्तान, दी पोर्सोटिव फेज, पृ० १०७-११६।

४२. १६४४ ई० में जिन्होंने गौधी वार्ड इमी आपार पर बलपूल हो गई थी कि गौधी एवं मव दो स्थानों के लिये सूमड़ थे जिनमें मुस्लिम ईरा स्वामय हो जाएं तेजिन हुए गामान्य द्वितीये के लिये एक संघ के अधीन रहें।

४३. २१ नवम्बर, १६४५ ई० को जिन्होंने वा पेशावर में भाषण इरानाशाह, पृ० २०५।

उन्होंने मार्च, १९४० ई० में परामर्श दिया था :

“मैं चाहता हूँ कि आप अपने आपको संगठित करने का महत्व समझ लें…… आप अपनी आन्तरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने आप पर निर्भर रहो। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये अपने में शक्ति पैदा करो।” उन्होंने आगे कहा : “अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के भविष्य के सविधान के सन्दर्भ में कोई घोषणा बिना हमारी महमति नहीं की जानी चाहिये…… यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है और बिना हमारी स्वीकृति और सहमति के कोई अन्तरिम समझौता किया जाता है तो भारत के मुसलमान इसका विरोध करेंगे।”^{४४}

जिन्ना ने एक अन्य कार्य यह किया कि मुसलमानों को एक अल्प संख्यक वर्ग के स्थान पर एक कोम बताया और भारत के भावी संविधान का प्रजातन्त्रीय आधारों पर गठन असम्भव तथा अव्यवहारिक बताया। उन्होंने उसी प्रकार के तर्क दोहराए जो डा० इकबाल ने अपने १९३० ई० के भाषण में दिए थे। जिन्ना ने कहा कि “एक हजार वर्षों के सम्पर्क के चावजूद ऐसी राष्ट्रीयताएँ जो सदा की भाँति भिन्न और अलग-अलग हैं, केवल प्रजातन्त्रीय प्रणाली की त्यापना से किस प्रकार एक राष्ट्र बन सकती है?……भारत की समस्या अन्तर्जातीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय है। यदि अंग्रेजी सरकार इस उप-महाद्वीप के लोगों की मुख और समृद्धि की इच्छुक है तब एक मात्र विकल्प यही है कि भारत को कई राज्यों में विभक्त करके यहाँ की बड़ी कोमों को पृथक्-पृथक् भाग दे दिये जाएं……यह एक स्वप्न है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान एक सम्मिलित राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकें।” हिन्दू और मुसलमानों की भिन्नताएँ बताते हुए जिन्ना इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “ये दोनों सम्प्रदाय बिल्कुल भिन्न थे……वर्तमान कृत्रिम एकता केवल अंग्रेजी राज्य की देत है……भारत के मुसलमान किसी भी ऐसे सविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार स्थापित हो सके।”

“मुसलमान एक अस्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं……वे प्रत्येक परिभाषा के अनुसार एक कोम (नेशन) हैं और उन्हें अपना बतन, राज्य तथा क्षेत्रफल मिलता चाहिये……हम अपने लक्ष्य से ढारा घमकाकर विचलित नहीं किये जा सकते……”^{४५} उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से सामान्य मुस्लिम वर्गों को उत्तेजित करने के लिए कहा।

१९४० ई० के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पारित पहले प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कोई भी भावी संवैधानिक योजना उम समय तक भारत के मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जबतक वह उनकी स्वीकृति और सहमति से न बनाई गई हो। इस भावी योजना का आधार भी स्पष्ट कर दिया गया था कि

४४. जिन्ना का अध्यक्षीय भाषण : पृ० १०८। इंग्रिज प्रोवेन्यू बॉक हर पूर्वर कॉम्पनी, दम्भूल (मुस्लिम लीग द्वारा प्रशायित) १९४०।

४५. जिन्ना का अध्यक्षीय भाषण : बड़ी, पृ० १२-१५।

भौगोलिक हिट से माथ लगने वाले हीरों को बुध केर बदल के परवाद इस प्रकार बैट दिया जाए कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हीरों को पृथक् राज्यों में परिवर्तित कर दिया जाए जिसमें प्रत्येक इकाई पूर्ण रूप से प्रमुख सम्पद हो।^{४३}

मई, १९४० ई० में मुस्लिम लीग के अध्यर्ह प्रादेशिक अधिवेशन को अपने सदेश में जिम्मा ने बहा : “इमिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को सही दिशा दिया दी है। उसने उन्हें एक उत्तम कार्यक्रम, एक नीति, एक मंच और एक इज़ज़ प्रदान किया है…… भारतीय राष्ट्र बेवल आंप्रेस हाई कमान्ड के मस्तिष्क में ही विद्यमान है।”^{४४}

जिम्मा ने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा प्रस्ताव यह था कि हिन्दू और मुसलमान दो सम्मानपूर्ण कौमों की भाँति साथ-साथ अच्छे पढ़ोसियों की भाँति रहें, न कि हिन्दू उच्च और मुसलमान निम्न कौम की भाँति रहें जिसमें हिन्दू बहुमत मुसलमानों पर नियन्त्रण करे। वे भारत विभाजन की इस योजना को साम्राज्यिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक समस्याओं का हल समझते थे यद्योंकि इस योजना के अधीन हिन्दू और मुसलमान समान अधिकार और स्थान प्राप्त कर सकें।^{४५}

जिम्मा ने पाकिस्तान का झौचित्य संदर्भान्तिक रूप में तो यह बताया था कि चूंकि मुसलमान एक कौम (लेशन) हैं इसलिए उन्हें पृथक् राज्य चाहिए। यह तर्क इसलिए प्रत्युत किया गया था क्योंकि इसी राष्ट्रीयता (कौमिमत) के भावार पर यहूदियों को दैलेस्टाइन में रथान मिलने की बात हो रही थी। किन्तु बास्तव में उन्होंने “पाकिस्तान की माँग प्रत्युत करके भारतीय मुसलमानों के दिलों में जो भावनाएँ थीं उनकी निहरता से इकट्ठ कर दिया था।”^{४६} यह भावना थी कि मुसलमान हिन्दुओं के अधीन न रहें। पाकिस्तान के लिए संघर्ष आंप्रेजों से नहीं बल्कि कार्येत से (जिसे वे बेवल एक हिन्दू संगठन बहते थे) था। नवम्बर १९४० में उन्होंने कहा कि “हम इंगलैण्ड से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने आरम्भ से ही इंगलैण्ड के भाग में रकाबठें नहीं ढाली। उदाहरणार्थ दर्शायि पाकिस्तान ही हमारी नौका का लद्य है फिर भी हमने इंगलैण्ड सरकार के समर्थन के लिये पाकिस्तान की माँग को पूर्व भर्ते के रूप में नहीं रखा। हमने केवल यह आश्वासन चाहा कि इंगलैण्ड सरकार कार्येत से कोई स्थायी या अस्थायी समझौता करके हमारा साथ न छोड़ दे।”^{४७} यदि किमी

४३. मुस्लिम लीग अधिवेशन (१९४० ई०) में पास किया हुआ प्रस्ताव नं० १
वही, पृ० १६-१७।

४४. वही, पृ० १८-१९।

४५. वही, पृ० २०।

४६. जिम्मा वा १० मार्च १९४१ का भाषण तकरीबे, पृ० १६।

४७. जिम्मा का नवम्बर १९४० का भाषण तकरीबे, पृ० १५६।

समय ऐसा प्रतीत भी होता था कि जिन्ना अप्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे तो उसका केवल कारण यह था कि अप्रेज सरकार कांग्रेस को अधिक महत्वपूर्ण समझती थी।^{५१}

१६४०-४६ ई० के मध्य घटनाओं का क्रम बड़े बेग से चला। लेकिन इन सबमें जिन्ना का लद्य हिन्दू मुसलमानों में समानता प्राप्त करना था। उन्होंने यह बात अपते विभिन्न भाषणों में कही थी। ६ मार्च १६४० ई० को अलीगढ़ में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू मुस्लिम समझौता 'केवल समानता के आधार पर सम्भव था' न कि गांधीजी की शर्तों पर।^{५२} चूंकि यह समानता पश्चिमी प्रजातन्त्रीय प्रणाली से उपलब्ध नहीं हो सकती थी इसलिए वे प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विरुद्ध थे। उनका तर्क या कि इस्लाम ऐसे प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं रखता जिसमें निर्णय का अधिकार गैर मुसलमानों को हो।^{५३} उन्होंने हिन्दू मुस्लिम समझौते के सम्भव न होने के लिए मुख्य कारण यही बताया कि मुसलमान भारत के भावी प्रशासन में बरावर के सामीदार होना चाहते थे।^{५४} यह मांग किसी भी प्रजातान्त्रिक आधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती थी। इसलिए किसी समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता था।

भारत में एक केन्द्रीय अधिकार संघीय व्यवस्था को स्थापना को जिन्ना ने "हिन्दू राज्य का स्वप्न" कहना आरम्भ किया। मुस्लिम भावनाओं को उत्तेजित करके अपने साथ रखने के लिए उन्होंने कहा था कि "आज हम केवल एक चौथाई भारत चाहते हैं और तीन चौथाई उनके लिए छोड़ देने को तैयार हैं। यदि उन्होंने अधिक जिद की तो शायद उन्हें यह भी न मिले!"^{५५} एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा कि "हिन्दुओं ने पिछले एक हजार वर्षों से भारत पर राज्य नहीं किया था। हम उन्हें ३/४ भारत राज्य करने के लिए दे रहे हैं। हमारे १/४ भारत पर लालच की हप्टि न रखो।"^{५६} उनके अनुसार भारत के मुसलमान कभी हिन्दू राज्य स्वीकार न करेंगे और परिणाम यह होगा कि देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी।^{५७} १६३६ ई० में मौलाना शौकत अली की मृत्ति का अनावरण करते हुए जिन्ना ने कहा था कि बत्तमान राजनीतिक समस्या यह थी कि इंगलैण्ड सारे भारत पर राज्य करने का इच्छुक था और गांधीजी इस्लामी भारत के शासक बनना चाहते थे और वे दोनों में किसी एक को या समान रूप से दोनों को मुसलमानों पर

^{५१.} जिन्ना की १३ सितम्बर, १६४२ की प्रेस कॉफरेंस, तकरीबं, पृ० २०७।

^{५२.} तकरीबं, पृ० १४१-१४२।

^{५३.} वही।

^{५४.} वही, पृ० १६२, १६५, १७०।

^{५५.} वही।

^{५६.} वही, पृ० २३०।

^{५७.} वही, पृ० २३३, २४६।

नियन्त्रण स्थापित करने नहीं देंगे।^{५८} १६४५ ई० में भारत में एक राज्य बने रहने के गुम्भाव को ऐ मुसलमानों की दासता का गुम्भाव कहते थे।^{५९}

पाकिस्तान योजना के प्रोग्रामिक हृषि प्रस्तुत करने के पूर्व ही जिन्होंने अंग्रेज सरकार के समक्ष यह माँग रखी थी कि कोई भी भागाभी सुधार योजना उस समय तक लागू न की जाए जबतक उसके लिए सीमा की पूर्व धनुमति न प्राप्त हो जाए।^{६०} भगवत् १६४० ई० में अंग्रेजों ने सीमा के हटिकोण को स्वीकार कर लिया था। इससे जिन्होंने यह दृष्टि योजना को घटूत बल मिला था।^{६१} त्रिप्पुरा योजना ने पाकिस्तान को परोक्ष हृषि में स्वीकार कर लिया था जिन्होंने अनुसार इस योजना का महत्व ही यह था।^{६२} मुसलमानों थी पृथक्कता को स्पष्ट करने के लिये जिन्होंने मुसलमानों को गांधीजी के 'भारत छोड़ो' आनंदोलन से अलग रहने का परामर्श दिया था। उन्होंने न केवल 'भारत छोड़ो' आनंदोलन को ही मुसलमानों के विशद बताया बल्कि यह भी कहा कि यदि मुसलमान इसमें सम्मिलित हो गए तो फिर कांग्रेस समस्त देश का प्रतिनिधित्व कर सकेगी और मुस्लिम लीग का अस्तित्व ही सतरे में पड़ जायगा।^{६३}

१६४५ ई० में घनूचिस्तान में बोलते हुए जिन्होंने इस बात में गोरख अनुभव किया था कि मुस्लिम लीग के परामर्श के अनुसार मुसलमान १६४२ ई० के मान्दोलन से बिल्कुल अताग रहे।^{६४} शिमला कॉन्फरेन्स द्वारा कार्य-कारिणी में हिन्दू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया था और केबिनेट मिशन प्लान ने प्रान्तों के समक्ष केन्द्र के नियन्त्रण से अलग रहने का विकल्प प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् जिन्होंने केवल इतना कार्य करना चाहे रह गया था कि वह संयुक्त भारत में शान्ति व्यवस्था असम्भव कर दे। ऐसा कर देने पर पाकिस्तान की उपलब्धि अधिक भारत विभाजन नियित-सा प्रतीत होता था।

जिन्होंने राजनीति में मैदान दिया था उसके अनुसार राजनीति में कोई निश्चित सिद्धान्त कभी नहीं होता।^{६५} जिन्होंने सिद्धान्तों को परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते थे। आरम्भ में वे पृथक् निर्वाचन प्रणाली को मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये आवश्यक समझते थे। बाद में कुछ प्रान्तों (सिंध और सीमाप्रान्त) को अलग कर देने पर बल देते थे और केन्द्र में एक तिहाई स्थान प्राप्त कर लेना चाहते थे और अन्त में वे भारत विभाजन के समर्थक थे। इसका उज्ज्वल

५८. इरादात, पृ० ७६।

५९. वही, पृ० २२५।

६०. जिन्होंने द्वारा मुस्लिम लीग को दिया गया मुम्भाव : तारीख, पृ० १३५। यह घटना करवरी १६४० की थी।

६१. तारीख, पृ० १८४।

६२. वही, पृ० १६७-१६८।

६३. वही, पृ० २२७, २३६-२३७ (नवम्बर १६४२)।

६४. इरादात-ए-जिन्होंना, पृ० २२२।

६५. तारीख, पृ० १०७।

उदाहरण इस बात से मिल सकता है कि दिसम्बर १९४० ई० में जिन्हा ने पाकिस्तान योजना के पश्च में यह तर्क दिया था कि जिस प्रकार एक सम्मिलित परिवार में दो भाइयों के लिए मिलकर रहना असम्भव हो जाने की स्थिति में सम्पत्ति विभाजन के परचार वे शान्तिपूर्वक रह सकते थे उसी प्रकार भारत विभाजन भी लाभदायक होगा ।^{१६} लेकिन जब १९४४ ई० में महात्मा गांधी ने यही तर्क प्रस्तुत किया तो जिन्हा ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें एक केन्द्रीय व्यवस्था के अधीन रहना पड़ता ।^{१७} मितम्बर १९४४ ई० में गांधीजी भारत को दो राष्ट्रों का देश तो स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे । वे इसे एक संयुक्त परिवार मान सकते थे जिसके बे मुसलमान सदस्य जो उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-भूर्बाँ भागों में वहुभत में थे, अतग रहना चाहते थे । गांधीजी मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को निम्न शर्तों पर स्वीकार करने के लिये तैयार थे :

- (१) निर्धारित क्षेत्रों के निवासियों की इच्छा किसी निर्वाचन अथवा अन्य पद्धति द्वारा जान निया जाए ।
- (२) यदि उनका 'हाँ' में उत्तर हो तो भारत की स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् उन्हें अतग स्वतन्त्र राज्यों में संगठित कर दिया जाए ।
- (३) एक संघि द्वारा वाह्य सुरक्षा, आन्तरिक संचार साधन, आयात-निर्यात आदि विषयों का संचालन किया जाए ।

लाहौर प्रस्ताव के परिणामस्वरूप जो व्यवस्था उत्पन्न हो सकती थी उसे गांधीजी ने स्वीकार किया किन्तु दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । जिन्हा ने गांधीजी के पत्र को स्वीकृत नहीं किया तथा इस समय तक उनके लाहौर प्रस्ताव में एक परिवर्तन आ चुका था । वे अब उत्तर-भूर्बाँ और उत्तर-पश्चिमी भागों को पाकिस्तान के दो क्षेत्र मानने लगे थे । दोनों को दो पृथक् राज्यों में परिवर्तन के विरुद्ध हो चुके थे । जिन्हा उपरोक्त विभाजन के पश्चात् एक केन्द्रीय व्यवस्था के भी विरुद्ध थे क्योंकि वे इस प्रकार के सम्मिलित प्रबन्धों का उत्तरदायित्व दोनों देशों की संदेशानिक सभाओं को प्रदान करना चाहते थे ।

जिन्हा एक कुशल वार्ताकार थे । उन्होंने गांधीजी या राजनीतिकारी के प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार किया कि ये व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे । यदि ये प्रस्ताव ही कायेस द्वारा प्रस्तुत होते तब उनका बहना था कि वे उस पर विवार विमर्श कर सकते थे । वे लाहौर प्रस्ताव में निहित सिद्धान्त के लिये सहमति चाहते थे जिसमें बाकी व्यवस्था पर विवार बाद में हो सके ।

यदि हम जिन्हा के सझ्य को ध्यान में रखें और १९३६ ई० के पूर्व के कायों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जिन्हा के विचारों में कोई भौतिक परिवर्तन

१६. लक्खीरें, पृ० १६२-१६३ ।

१७. सो. एच. डिलिप्स : दो इकोल्यूशन और इण्डिया एम्प पाकिस्तान (१९४८-१९४९), पृ० १११-११२ ।

१९३६-३८ ई० के मध्य नहीं आया था। जिन्होंने विभिन्न भाषणों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन्होंने १९४०-४१ ई० के मध्य भी बहुधा यह कहते थे कि कांग्रेस और सीग को भाषण में कोई समझौता कर लेना चाहिये था लेकिन वे समझौता इसी आधार पर चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम समानता केन्द्र में स्थापित हो जाए और मुसलमान केन्द्रीय प्रशासन में जनसंघ्या में एक चौथाई होते हुए भी समानता प्राप्त कर लें। यह किसी भी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त पर सम्भव नहीं था इसलिए कोई समझौता भी सम्भव नहीं हुआ।

बहुधा यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या भारत विभाजन अवश्यं भावी था? संद्वान्तिक स्तर पर इसका उत्तर 'नहीं' में ही दिया जा सकता है। लेकिन मुसलमान नेताओं की 'समानता' की माँग किसी भव्य आधार पर पूरी नहीं हो सकती थी।

आधुनिक मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु

आधुनिक भारत के विभिन्न मुह्य मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध में जागरूक बनाया। इन विचारकों में मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर शेष सब व्यक्ति इस्लाम और इस्लामी सम्यता से भलिभावित परिचित थे। शाह बली उल्लाह, अजीज अहमद, सर संयद अहमद खाँ, भौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद इकबाल, प्रत्येक ने कुरान के अर्थ बताने का प्रयत्न किया और प्रत्येक ने कुरान को एक नई व्याख्या दी। प्रत्येक नेता ने इस व्याख्या को अपने राजनीतिक कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग माना था। इन नेताओं ने अपने विभिन्न विचारों और नीतियों को कुरान पर आधारित किया था। इस कार्य के पीछे यह भावना कार्य कर रही थी कि मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए 'कुरान' के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्रोत इतना अधिक सहायक नहीं हो सकता था। यदि सर संयद मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे तो उन्होंने कुरान और हजरत मोहम्मद के जीवन से उदाहरण देकर अपनी नीति को पुष्ट किया था। यदि अबुल कलाम आजाद मुसलमानों को आत्मनिर्भर तथा अंग्रेजों पर आश्रित रहने से मुक्त करना चाहते थे और एक पृथक् दल के रूप में गठित करना चाहते थे तब उन्होंने भी कुरान से प्रेरणा ली थी। मोहम्मद अली ने १९१५-१९१६ ई० के मध्य कुरान और हड्डीस का अध्ययन किया था और अपने विभिन्न भाषणों में खलीफा के धार्मिक नेता होने पर बल दिया था। इकबाल भी इस्लामी दर्शन के अध्ययन करने के पश्चात् ही मुसलमानों को अधिक प्रभावित कर सके थे। जिन्ना ही ऐसे व्यक्ति थे जो आरम्भ में इस्लामी रंग में रोहे हुए नहीं थे लेकिन मुसलमानों का एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए स्वयं उन्हें भी इस्लामी रंग में रगना पड़ा। इकबाल, आजाद और मोहम्मद अली ने मिलत की एकता का विचार भी कुरान के आधार पर उचित ठहराया था। यही कारण था कि मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन घर्म से जुड़ा रहा और विभिन्न भर्याएँ परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के

लिए भी एक ही प्रेरणा योत ढूँढ़ा जाता रहा। इसीका परिणाम यह हुआ कि इस राजनीतिक चिन्तन में सामाजिक और आर्थिक तत्वों का प्रभाव कम रहा। चर्तवान समय में इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मुसलमानों की पददलित आर्थिक स्थिति अथवा हिन्दू समाज की संकीर्णता की मुस्लिम पृथक्ता के लिए दोषी ठहराया जाए। यह तर्क किसी एक निश्चित तथा सीमित क्षेत्र के अध्ययन जैसे बगाल में सामान्यतः मुसलमानों को कृपक वर्ग में होना अथवा मोपला विद्रोह के लिए वहाँ के हिन्दू जमीदारों को दोषी ठहराना या अन्य प्रदेशों में सामाजिक बहिकार आदि से संभवतः उचित सिद्ध हो सकता है। किन्तु इसमें तुरन्त यह प्रत्यनि पंदा होता है कि मुस्लिम राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व किस प्रकार निर्धारित होता था? इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे मुस्लिम वर्ग जो आर्थिक हृष्टि से पिछे हुए थे मुस्लिम आन्दोलन का नेतृत्व कर सके थे। पचास वर्षों तक चल रहे मुस्लिम राजनीतिक आन्दोलन में किसी समय आर्थिक तत्व नेतृत्व निर्धारण में निर्णयिक सिद्ध नहीं हुए थे।

एक अन्य कठिनाई इस सन्दर्भ में और उत्पन्न हो जाती है, और वह यह है कि मुसलमान कृपकों के साथ हिन्दू कृपक भी होते थे और कृपकों की स्थिति सामान्यतः एक-सी ही थी तब मुसलमान कृपक हिन्दू कृपकों के साथ मिलकर आर्थिक आधारों पर एक आन्दोलन बयो नहीं आरम्भ कर सके? मुसलमान जमीदार हिन्दू जमीदारों के साथ वर्ग हितों की सुरक्षा के लिए वयों नहीं मिलकर कार्य कर सके। मर संघर्ष अहमद ने १८८८ ई० में पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने में इस बात का प्रयत्न किया था किन्तु उन्होंने भी इस प्रयत्न को शीघ्र ही खोड़ दिया था। यहाँ यह और ध्यान रखने योग्य बात है कि मुस्लिम विचारक एवं नेता मुस्लिम सम्प्रदाय की एकता को बनाए रखना चाहते थे और आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रभावित आन्दोलन मुस्लिम सम्प्रदाय को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकता था। इसीलिए मुसलमान नेताओं ने इन तत्वों की ओर ध्यान कम दिया और मुस्लिम सम्प्रदाय की एकता को बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया था। यह लक्ष्य केवल “मिलत वी एकता” पर बल देने से ही प्राप्त हो सकता था। इसीलिए मिलत की एकता का विचार अधिकार राजनीतिक विचारकों के चिन्तन में प्रमुख बना रहा।

‘मिलत की एकता’ को विभिन्न लेखकों ने सर्वइस्लामवाद (वैन इस्लामिम) बहा है उन्होंने अपने पश्च के समयन में रिलाक्ष मान्दोलन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि इन राजनीतिक विचारकों की यह ध्यान्या ठीक मान सी जाय तब यह बात समझ में नहीं आनी कि वे विचारक एक पृथक् राज्य के निर्माता किस प्रकार यने और यदि ‘मिलत वी एकता’ वा अर्थ सर्वइस्लामवाद या तब किसी भी विचारक ने विचार के इस्लामी देशों का एक संघ बनाने अथवा विभिन्न देशों द्वा एक इस्लामी साम्राज्य के अधीन रहने के लिए वयों नहीं कहा था।

यहाँ यह बनाना भी उचित सगता है कि मौलाना मोहम्मद घनी के अतिरिक्त

मौलाना आजाद और मोहम्मद इकबास ने भी मिल्लत की एकता पर अत्यधिक बल दिया था और इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। किन्तु उन्होंने प्रचलित अर्थ में "पैन-स्तामिज्म" स्वीकार नहीं किया था। मौलाना आजाद ने कहा था कि "जिस पैन इस्लामिज्म को यूरोप प्रस्तुत कर रहा है उसका कोई प्रस्तित्व यूरोपवासियों के शंकानु मस्तिष्क के बाहर कही नहीं है।"^१ इसी भाषण में उन्होंने कहा था, "यदि पैन इस्लामिज्म का प्रस्तित्व होता तो क्या यह सम्भव था कि हमारे सामने ईरान पर क्यामत बीत जाती, मरझो समाप्त हो जाता, ट्रिपोली में मुसलमानों के शब पड़े तड़पने और हमारे हृदय में कोई बास्तविक हलचल न होती?"^२ मोहम्मद इकबास ने भी मिल्लत की एकता का गुणगान किया था और अपनी विभिन्न कविताओं तथा लेखों में इस्लाम के प्रनुयाद्यों को एक ही जाने के लिए कहा था लेकिन साथ ही उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन भी नहीं किया था। 'पैन इस्लामिज्म' के विवार की निरर्थकता को यह कहकर स्पष्ट किया था कि इम शब्द का कोई भी पर्यायवाची शब्द भरवी, तुर्की अथवा फारसी भाषा में नहीं था इसलिए यह भावना मूल रूप में इस्लाम के प्रनुयाद्यों को नहीं हो सकती थी। १६वीं शताब्दी में जमालुद्दीन अफगानी इस्लामी मिल्लत की एकता के विचार के पहले समर्थक कहे जाते हैं।^३ उन्होंने भी विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय हो जाने के लिए नहीं कहा था। इसलिए मिल्लत की एकता का अर्थ सर्व-इस्लामवाद अथवा पैन इस्लामिज्म लगाना गलत है।

मिल्लत की एकता का भी अर्थ समझने के लिए उन कारणों को समझना आवश्यक है जिनमें प्रभावित होकर यह विचार प्रस्तुत किया गया था। भाष ही यह भी देख रोना चाहिए कि मिल्लत की एकता की दुहाई देकर वे नेता मुसलमानों को किस मार्ग पर चलाने की बात कहते थे। मौलाना आजाद ने इस विचार को १६१२ ई० में अलहिलाल के माध्यम से फैलाया था। उनका मुख्य अभिन्नाय अलीगढ़ विचार पढ़ति के विशद मुसलमानों को संगठित करना था। अलीगढ़ पढ़ति के नेता मुसलमानों में मग्रेजों के प्रति निष्ठा और भक्ति भाव पैदा करने के लिए कहते थे। मौलाना आजाद इस पढ़ति के विशद मुसलमानों को ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के समक्ष उन मुस्लिम देशों की स्थिति का वर्णन किया जहाँ पर इंग्लैण्ड अथवा अन्य यूरोपीय ईसाई भक्तियों मुसलमान

१. आजाद का २७ अक्टूबर, १६१४ वा भाषण, लुक्कात-ए-जवाह कलाम आजाद, पृ० २०।

२. वही पृ० २१।

३. जमालुद्दीन अफगानी (१८३८-८७) विभिन्न देशों में घूमे हुए थे। वे मुस्लिम देशों की यात्राव विवित देशकर बहुत विनित हुए थे। परिवर्ती सांभाग्यवाद से यथने का उन्होंने एक उपाय "पैन इस्लामिज्म" बताया था। वे अधिकागता इस्लामी देशों की समस्या से परिविव थे और उन देशों को एक-दूसरे की सहायता के लिए तत्त्व रहने की सचाह देने थे।

आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक

राज्यों पर अत्याचार कर रही थी। वे चाहते थे कि यदि भारतीय मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की स्थिति को समझ लेतो वे अप्रेज़ों के प्रति भक्ति-भाव से सन्तुष्ट नहीं रह सकते थे और इस प्रकार अलीगढ़ पर्याति का प्रभाव कम हो जायेगा।

मौलाना मोहम्मद अलीगढ़ी आरम्भ में अलीगढ़ विचारधारा से प्रेरित थे किन्तु १९११-१३ की घटनाओं से वे अप्रेज़ विरोधी बन गए थे। अप्रेज़ों के विष्ट और अलीगढ़ विचारधारा से मिस्र मुसलमानों को समर्थित करने के लिये उन्होंने मिलत को एकता का समर्थन किया था और इस कार्य के लिए 'खलीफा' और उसके समर्थक को आनंदोलन को अपना लक्ष्य बना लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने खलीफा को 'यामिक नेता' बताया था किन्तु मौलाना आजाद ने सलीफा को राजनीतिक अधिकारी तथा इस्लामी 'जमाइत' का केन्द्र बिन्दु बताया था। मोहम्मद इकबाल ने खिलाफत आनंदोलन का समर्थन करने से ही इनकार कर दिया था क्योंकि वे इस आनंदोलन को मिलत की 'दरवीज़ागिरी' (भिला माँगना) मानते थे। वे तो इस आनंदोलन को मिलत की एकता को नष्ट करने वाला समझते थे क्योंकि इससे हिन्दू और मुसलमान एक ही मध्य पर एकत्र हो गये थे। इस प्रकार मिलत की एकता के समर्थक उस मिलत के प्रध्यक्ष के प्रति तीन अलग-प्रलग हिट्कोण अपनाए हुए थे। ऐसी स्थिति में मिलत की एकता को सर्वेइस्लामवाद की सज्जा देने वालों के समझ एक नई ममत्या पैदा हो जाती है कि मिलत की एकता के प्रतिपादक इस सर्वेइस्लामवाद के प्रतीक के लिये खिलुल मिस्र-भिल हिट्कोण क्यों रखते थे? क्या मिलत की एकता का वह अर्थ जो सामान्यतः समझा जाता है ठीक है?

इसी प्रकार अप्रेज़ों सरकार के प्रति इन तीनों मिलत की एकता के समर्थकों वा भिल हिट्कोण था। मौलाना मोहम्मद अली १९१० ई० में अप्रेज़ों से 'तुझ' चाहते थे जिसके लिए वे भारत की अन्य कौमों से लड़ सकें।^४ वे मिलत की एकता में विश्वास रखते हुए मुसलमानों को अल्लाह्यक मानते थे और उनके अधिकारों के लिये विजिष्ट मुविधाओं तथा अधिकारों को माँग करते थे। मौलाना आजाद अलग-प्रलग और वट्टमाल्यक वर्णों के हिताव से नहीं सोचते थे। वे भारत के मुसलमानों को एक दोबार की भाँति समर्पित करना चाहते थे और राष्ट्रीय निलत के साथ मिलतार अप्रेज़ों से भारत की स्वतन्त्रता चाहते थे। मोहम्मद इंग्राम निलत की एकता की दुहाई देवार उत्तर-परिवर्ती भारतीय मुसलमानों को एक २४८ राज्य में समर्पित करना चाहते थे क्योंकि वे मुसलमानों को धारिक, सामाजिक और राजनीतिक योगारों पर हिंदुओं में भवग मानते थे इन्हिएं वे बिदा को यह परामर्श देते थे कि एक २४८ राज्य स्थापित बिदा जाए। मिलत को एकता के दिवार के एक प्रतुर सवारंग द्वारा भारत के उत्तर-परिवर्ती भाग के मुसलमानों के

४. बेहमर वाली छा दोरदेह कम्पेन दे भारत।

लिये एक पृथक् राज्य बनाए जाने की मांग प्रस्तुत करना विचित्र लगता है। मिल्लत की एकता को यदि सबं इस्लामवाद के ग्रंथोंमें लिया जाए तब उत्तर-पश्चिमी भारत के लिये मुसलमानों के लिए अन्य इस्लामी राज्यों में विलय होने की बात कही जानी चाहिए थी। यह ध्यान देने की बात है कि मिल्लत की एकता और भौगोलिक आधार पर एक पृथक् इस्लामी राज्य की स्थापना बाह्य रूप से परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते हैं और दोनों एक ही विचारक 'इकावाल' के चिन्तन में मिलते हैं। यदि मिल्लत की एकता का ठीक अर्थ समझ लिया जाय तब उपरोक्त परस्पर विरोधी विचारों की बठिनाई दूर हो सकती है।

मिल्लत की एकता का अर्थ सर्व इस्लामवाद कदापि नहीं या क्योंकि किसी भी नेता ने समस्त इस्लामी जगत के लिये एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर कभी बल नहीं दिया था। मिल्लत की एकता का लक्ष्य मुख्यतः भारतीय मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने की हीन भावना से बचाना था इसलिये उन्हें विश्व के समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्धित करना था। मौलाना आजाद संघ्या पर कोई महत्व नहीं देते थे लेकिन वे भारत के समस्त मुसलमानों को संगठित अवश्य करना चाहते थे। मिल्लत की एकता पर बल देने का अभिप्राय था कि सामाजिक और आर्थिक तत्व कम महत्वपूर्ण हो जाये और भारतीय मुसलमान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मिल्लत पर अधिक आधारित मान ले। यही कारण था कि इण्डियन नेशनल कॉंप्रेस का आर्थिक और राजनीतिक प्रोग्राम मुसलमानों में कम लोकप्रिय रहा। नेशनलिस्ट मुसलमान नेता भी मुसलमानों में इतने लोकप्रिय नहीं हो सके थे। इसीलिए जिन्हा बाद में यह चेतावनी दे सके थे कि नेशनलिस्ट मुसलमानों को मुस्लिम बहुसंघक प्रान्तों में अपनी लोकप्रियता को स्थापित करके देखना चाहिए। कोई भी मुसलमान नेता मिल्लत की एकता का विरोध नहीं कर सकता या इसलिए जब साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी मुसलमान नेता मुसलमानों को संगठित करने के लिये निकले तो राष्ट्रवादी नेता इस दौड़ में बहुत ही पीछे रह गये। इस बात की परीक्षा का अवसर १९३७ ई० के पश्चात् ही उत्पन्न हुआ जब मताधिकार अपेक्षाकृत अधिक लोगों को उपलब्ध हो गया था। मिल्लत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता का नारा १९३८-१९३९ ई० के पश्चात् जिन्हा हारा प्रस्तुत किया गया और इसकी सफलता भी आश्वर्यजनक रही क्योंकि पिछले ३० वर्षों में सब प्रभावशाली नेता मिल्लत की एकता पर बल देते थे।

इकावाल ने मिल्लत की एकता की बात इमलिए कही थी कि अन्य किसी आधार पर मुस्लिम समुदाय को संगठित नहीं किया जा सकता था। वे जानते थे कि भारतीय मुसलमानों में जातीय और वशीय भेद काफी प्रभावशाली थे इसलिए उन्होंने मुसलमानों को तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिन्दुस्तानी का भेद भूल जाने के लिए कहा था। इसके प्रतिरक्त मिल्लत की एकता का विचार उस समय अधिक प्रतिपादित किया गया था जबकि 'वर्तन' (देश) के आधार पर एकता के सिद्धान्त

का प्रचार किया जा रहा था। मौलाना धार्जाद और इकबाल दोनों ने 'वतन' के प्राधार पर एकता का घण्टन किया था। दद्दारि दोनों के एंसा करने में मुख्य कार्यों का अन्तर था और दोनों के उद्देश्य भिन्न थे। मौलाना धार्जाद 'वतनियत' के विचार को पश्चिमी नेताओं द्वारा प्रमुख तथा पड़यन्द्रिहारी गिरावंत मानते थे जिसके आधार पर पश्चिमी शक्तियाँ द्वारा एक-एक करके इस्तामी राज्यों को समाप्त किया जा रहा था।^५ १६१२ ई० में उन्होंने भगवान्नाल में लिखा था।

"तुकों की प्रतिष्ठा का समाप्त होना समस्त इस्लामी जगत की शब्दावाके समान होगा"....."जब कभी किसी इस्लामी देश पर कोई भ्रान्ता भावण ले उम समय प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य "जिहाद" हो जाता है।"^६

१६१४ ई० गे कलकत्ते में भावण करते हुए उन्होंने कहा था—'इस्लाम के निकट, वतन, स्थान, रग व भाषा का बटवारा कोई वस्तु नहीं'....."मुस्लिम का धराना किसी विणिष्ट वतन और स्थान से सम्बन्ध नहीं रखता"....."यदि युद्ध स्थल में किसी तुके के पाव में एक बांटा चुभ जाए तो"....."भारत का मुगलमान मुसलमान नहीं हो सकता जबतक वह उस पांच की पीड़ा को घपने हृदय में भनुभव न करे क्योंकि इस्लामी मिल्लत एक शरीर है और मुसलमान किसी भी स्थान पर हो उस शरीर के अग है।"^७

इकबाल ने मिल्लत की एकता के विचार को इस दावे के उत्तर में प्रस्तुत किया था कि भारतवासी एक कौम के सदस्य थे। एक कौम के विचार के प्रस्तुत कर्तामों का कथन था कि कौम का आधार वतन (देश) होता है और भारत देश के समस्त रहने वाले एक कौम के सदस्य थे। इसके विपरीत इकबाल का कथन था कि 'वतन का आधार कौम होता है'। इकबाल का तर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं दूरगामी था। इन शब्दों के हेर-फेर से यहुत अन्तर पड़ गया था। इकबाल भी मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की कल्पना करते थे लेकिन वे पहले मुसलमानों को एक कौम बनाना चाहते थे। उनके मनुषार पहले मुसलमानों को मिल्लत के आधार पर एक कौम बन जाना चाहिए उसके बाद ही वे एक वतन की कल्पना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मिल्लत की एकता के सिद्धान्त पर मुसलमानों को भारतीय कौम के सदस्य बनने से अलग कर दिया और फिर इसी मिल्ली एकता के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र (उत्तर पश्चिमी भारत) के रहने वालों के लिये एक पृथक राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया।

इस प्रकार मिल्लत की एकता बास्तव में भारतीय मुसलमानों के पृथक संघठन का आधार बनी। इसे सर्व इस्लामजाद का प्रतीक समझना ठीक नहीं है।

५. मुव्वात-ए-आज़ाद, पृ० १३।

६. चिलमिला मजामीन मौलाना जाज़ाद, न० ३, पृ० २६-३१। यह निबाव ६ नवम्बर, १६१२ के अलहिनाल में छारा था।

७. मुतवान, पृ० ११-१४।

यह मिलत की एकता ही भारतीय मुसलमानों के पृथक्कीरण और अपने पड़ोसियों के साथ सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों की अनदेखी करने में सहायक हुई।

एक दूसरा तत्व जो इन विवारकों के चिन्तन में प्रमुख रहा है वह है मुसलमानों की उच्चता में विश्वास। यह तत्व तर्क शून्य एवं विवेकरहित था, किन्तु इसका विशेष प्रभाव शाहवली उल्लाह से लेकर भौलाना आजाद और इकबाल तक सब नेताओं पर पड़ा है। शाहवली उल्लाह ने मुसलमानों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिये अहमदशाह अब्दली को भारत पर आक्रमण के लिये आमन्त्रित किया था। इस पत्र में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उस स्थिति में मुसलमानों की स्थौर हुई प्रधानता को पुनः स्थापित कराने वाला और कोई अन्य शासक नहीं हो सकता था। १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब मुसलमानों की स्थिति मुशारने के सम्बन्ध में आन्दोलन आरम्भ हुआ तब यह बहुधा कहा जाता था कि भारतीय मुसलमान भारत पर शताब्दियों तक राज्य कर चुके थे और शासकों का रक्त उनकी नसों में दौड़ता था। सर सैयद ने यह बात अपने उन विभिन्न भाषणों में कही थी जिनमें उन्होंने कंग्रेस का विरोध किया था अथवा मुसलमानों में इस आन्दोलन में घलग रहने को कहा था।

सर सैयद ने लोक भेवाओं में भर्ती को सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन कहा था इसलिए वे केवल अंग्रेजी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नौकरियों में स्थान नहीं चाहते थे। वे कलम के स्थान पर तलवार की प्रतियोगिता परीक्षा चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के आधार पर ही मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किये थे। भारतीय मुसलमानों को शासकों के बंशज बनाकर उनके लिए विशिष्ट मुविधाओं की कल्पना करना बहुत सरल था। यह विशिष्ट हितों की कल्पना एक दोधारी तलवार सिद्ध हुई। एक और तो इस कल्पना ने मुसलमान नेताओं को राष्ट्रीय आन्दोलन से अनग रखा। राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य अंग्रेजी से स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता के लिये भंघवं करना था। इम आन्दोलन में सब वर्गों का सहयोग केवल जनतान्त्रिक परम्परा के अनुसार ही हो सकता था जिसका अर्थ या कि प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सब नागरिक कार्य करें। इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी वर्ग को उसके इतिहास के आधार पर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों की उच्चता को अन्य आधारों पर भी ठीक ठहराया गया था। भौलाना आजाद के अनुसार विश्व का अनिम धर्म केवल मुसलमानों की ही सम्पत्ति थी। वे ही ईश्वर की ओर से विशेष स्प से इम धर्म प्रचार के लिये चुने गये थे। दूसरी ओर इस कल्पना ने मुसलमानों को बहुधा अंग्रेजों के कृपा-प्राप्त बनाने की ओर प्रेरित किया। अंग्रेज साम्भाज्यवादी भी राष्ट्रीय आन्दोलन को दुर्बल बनाने के लिये 'विभाजन और फूट' की नीति का प्रयोग करते थे किन्तु मुसलमान स्वयं भी राष्ट्रीय आन्दोलन से अनग रहने के लिए इच्छुक थे। सर सैयद ने अंग्रेजी माध्यम के स्थापित वी बल्पना वो लामदायक ममझा था क्योंकि मह विदेशी

नियन्त्रण ही मुसलमानों के विशिष्ट हितों का समर्थक हो सकता था। इसमें सन्देह नहीं है कि १६११ ई० के बंगाल विभाजन के समाप्ति विद्येय जाने से मुसलमानों वी अंग्रेजी साम्राज्य पर भास्तव्य रखने की नीति दो दैश पट्टृची थी और फलस्वदम्य वे कुछ वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भान्दोलन में मायर हो रहे किन्तु यह वायं एक प्रबार से अंग्रेजों की नीति के प्रति रोप अभिव्यक्ति के समान था। मुसलमानों की इस नीति ने अंग्रेजों को उनके विशिष्ट महत्व को स्वीकार करने पर वायं किया था। यह ध्यान रखने मोय बात है कि हिन्दुओं के माय 'सहयोग' के समय में भी उन्होंने अपने पृथक हितों दो नहीं द्योडा था। इस समय में जाम यह अवश्य हुमा कि शुक्लमान नेता सामान्य मुसलमानों को राजनीति वी घोर आकृष्ट कर सके।

मुसलमानों के राजनीतिक विन्तन वी घोर ध्यान न देकर राष्ट्रीय भान्दोलन के विभिन्न इतिहासकार उन तात्कालिक कारणों वी सोज करते रहे हैं जो १६२३ ई० के पश्चात् मुसलमानों दो कांग्रेस से असत्य करने के लिए उत्तरदायी हुए थे। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्न लोग घलग-घलग उत्तर प्रस्तुत करते। गाँधीजी के खिलापत समर्थन में दोष देखना, हिन्दू महासभा तथा उप हिन्दूवाद अथवा अंग्रेजों वी भेदनीति अथवा असहयोग भान्दोलन को भ्रान्तक ही बन्द कर देना अथवा शुद्धि संगठन, तबलीग, तज़ीय को दोषी ठहराना केवल वाह्य कारणों दो खोज करना है। यह सब बारण विसी न विसी मात्रा में अवश्य उत्तरदायी रहे थे किन्तु इनका योगदान गीण था। मुख्य उत्तरदायित्व राजनीतिक अधिकारों की उस मौलिक कल्पना का था जिसके अनुसार मुसलमान अपने लिए विशिष्ट अधिकारों की आवश्यकता समझते थे। १६११ ई० में बंगाल विभाजन के समाप्त करने से मुसलमानों की अंग्रेजों पर आश्रित रहने की नीति को घक्का लगा? १६१२-२३ ई० के मध्य कांग्रेस के साथ सहयोग करके उससे पृथक् साम्राज्यिक निर्वाचन प्रणाली और अधिप्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों को स्वीकार करवा लेना मुसलमान राजनीतिज्ञों की बड़ी भारी सफलता थी। १६२३ ई० के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति तक किर कभी कांग्रेस के साथ मुसलमानों का उतना व्यापक सहयोग नहीं हुआ योकि मूलभूत सिद्धान्त कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत हो चुके थे। अब तो केवल उनके त्रियांवित कराने का प्रश्न शेष रह गया था। इसीलिए १६१६ ई० से १६४० ई० तक निरन्तर मुसलमान माँगों की सूची में वृद्धि होती रही। यह वृद्धि परिस्थितियों के अनुकूल बढ़ती रही जैसे-जैसे अंग्रेज सरकार पर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय भान्दोलन द्वारा अधिक बढ़ता गया और अंग्रेज सरकार अधिक सुविधायें देने पर वायं होती दियाई पड़ी वैसे-वैसे मुसलमानों वी माँग बढ़ती गयी।

मुस्लिम राजनीतिक विन्तन का अध्ययन करते समय एक प्रश्न निरन्तर उत्पन्न हो जाता है—यथा बारण था कि मुसलमानों की माँगें निरन्तर बढ़ती गईं? १६०६ ई० में पृथक् साम्राज्यिक निर्वाचन और अधिप्रतिनिधित्व की माँग प्रस्तुत की गई जो १६१६ ई० में सुरक्षित स्थान देकर और निर्वाचन पद्धति पर समझौता करके

पूरी कर दी गयी। १९२७-२८ ई० में सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को पृथक करना और बंगाल तथा पंजाब में मुस्लिम बहुमत स्थापित करना, लेख निर्धारित किया गया जो १९३५ ई० के मुख्यारों द्वारा पूरा कर दिया गया। प्रान्तीय स्वापत्त प्रशासन मुख्यतः मुसलमानों की माँगों को स्थान में रखकर ही स्थापित किया गया था। इससे भी सन्तुष्ट न होकर १९४० ई० में लाहौर प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की माँग की गई। १९४०-४४ ई० के मध्य ऐसा प्रतीत होता था कि शायद कोई समझौता निकल आए, किन्तु १९४७ ई० में अनन्तः भारत विभाजन हुआ।

बहुधा यह कहा जाता है कि मुसलमानों की इस निरन्तर बढ़ी हुई माँग के पीछे अपेक्ष साम्राज्यवादी सरकार का हाथ था। इतिहास की अच्छ प्रमुख घटनाओं की भाँति मुस्लिम पृथक्कीकरण की मम्म्या का एक सरल उत्तर संभव नहीं है किर भी मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन का प्रमुख मन्त्र भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि में हिन्दुओं के अधीन रहने से बचाना था। इस चिन्तन में मुसलमानों के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त करने की कल्पना थी जिसमें मुसलमान उम स्थिति को न पहुँचे जो एक प्रजातन्त्र में 20% वाले अल्प संख्यक वर्ग की नियति हो सकती थी। इन राजनीतिक विचारकों की यह मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान किमी प्रकार से हिन्दुओं के जिन पर उन्होंने शासन दिया था अधीन न रहें। प्रत्येक विचारक के विचारों से उद्धरण प्रत्येक पाठ में दिये गये हैं। इन विचारों की योजनाएँ प्रतिस्थितियों के अनुमार बदलती रहीं। ऐतिहासिक मन्दभूमि भे ही उनका औचित्य उपलब्ध होता है। १९२७ ई० में सर संयद अहमद के समय में केवल प्रश्न इस बात का था कि भारत में कुछ प्रतिनिधित्व प्रशासन की स्थापना की जाए तथा भारतवासियों को लोकमेवाओं में अधिक स्थान उपलब्ध हो। सर संयद ने कायेस का विरोध यह सोचकर दिया था कि उन माँगों की पूर्ति को रोकने में यह विरोध पर्याप्त होगा। यह उनके राजनीतिक कार्यक्रम को पूरा करने में केवल नकारात्मक कार्य था। सकारात्मक रूप में मुसलमानों के लिये स्थानों का आरक्षण, अधिक प्रतिनिधित्व और साम्राज्यिक निर्वाचित पद्धति की माँग प्रस्तुत की गई थी। यह माँगें २०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों तक पर्याप्त रहीं।

असहमोग आन्दोलन, स्वराज्य पार्टी का मरकार के निए वाधाएँ उत्पन्न करना और साइमन कमीशन नियुक्ति की घोषणा के पश्चात् यह आवश्यक हुआ कि मुसलमानों की माँगों को नए सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जाए। इसलिए मार्च १९२७ ई० के दिल्ली प्रस्ताव पास किये गये जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में मुसलमानों के लिये पूर्ण अधिकारों की माँग की गयी थी। इससे मुसलमानों को उन प्रान्तों में हिन्दुओं के प्रति वही नीति अपना सकने का अवमर मिला जो उनके प्रति हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में अपनाई जायगी। इस प्रकार वे हिन्दुओं के माथ समानता बनाए रख सकेंगे।

१९३०-३२ की योनमेज मम्मेलन तथा १९३५ द्वारा स्थापित प्रान्तीय

स्वायत्त प्रशासन से यह स्पष्ट हो गया था कि निकट भविष्य में केन्द्रीय स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकार भारतवासियों को हस्तान्तरित होंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की हुई कि कोई योजना इस प्रकार वी प्रस्तुत की जाए जिसमें मुसलमान एक अल्प-संख्यक वर्ग की भाँति न रह जाए। यह एक असंगत लक्ष्य था कि प्रजातन्त्रीय पदनि में एक अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग के 'समान' अधिकारों की माँग रखे यह माँग किसी भी विशिष्ट प्रतिनिधित्व घटवा भारक्षित पदति पर त्रियान्वित नहीं हो सकती थी। इसलिए १९४० ई० में पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था।

१९४० ई० के पश्चात् (विशेषकर १९४५ ई० की शिमला कान्फरेंस में) यह प्रतीत होता था कि जिन्हा इस बात पर शायद जिद न करें कि पाकिस्तान स्थापित ही किया जावे। संदान्तिक स्प में शायद यह बात टीक हो किन्तु जिन्हा पाकिस्तान की माँग को केवल उस समय छोड़ने के लिये तंयार थे जबकि केन्द्रीय सरकार में मुसलमानों को हिन्दुओं के समान स्थान उपलब्ध हो। इससे कम पर कोई समझौता न तो हुआ था और न समव हो था।

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक नेता प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में एक अल्पसंख्यक वर्ग को जिसे धार्मिक और मिलत के आधार पर गठित किया गया था, बहुसंख्यक वर्ग के समान अधिकार दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। मिलत की एकता का अर्थ भारतीय मुसलमानों को संगठित करना और फिर उस आधार पर एक पृथक राज्य की माँग करना था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(केवल मुख्य स्रोतों तथा पुस्तकों का ही वर्णन किया गया है)

अध्याय-१

१. मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी : शाहवली उल्लाह और उनकी मियासी तहसीक (लाहौर, १९४४)
२. मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी : शाहवली उल्लाह और उनका फलमफा (लाहौर, १९४४)
३. शेख मोहम्मद इकराम : रोदे कौसर (लाहौर)
४. अन्नीक अहमद निजामी : शाहवली उल्लाह के मियासी मकतूबत (द्वितीय संस्करण, देहली, १९६६)

अध्याय-२-३

१. सैयद अहमद खाँ (सर) : असदाब बगावत-ए-हिन्द (१९५८)
२. " : लोयल मोहम्मद आँफ इण्डिया, भाग १-३ (१९६०-६१)
३. " : रिकीब आँन डॉ हम्टर्स इण्डियन मुसलमान्स (१९७२)
४. " : प्रेजेन्ट स्टेट आँफ इण्डियन पॉलिटिक्स (१९६८)
५. " : मुसलमानों की किसिमत का फैमला (१९६४)
६. " : यामिरी मजामीन (१९६८)
७. सैयद राम मसूद (सम्प०) : मतूत-ए-मर सैयद (१९३१)
८. मुश्ती सिराजुद्दीन (सम्प०) मजमुए लेवधार्स सर सैयद (१९६०)
९. मौलवी मैयद इकबालप्रली : मफरनामा-ए-यंजाव (१९८४) (सम्प०)
१०. मोहम्मद मनुल्ला खाँ : मवानात-ए-मर सैयद (१९५२) (सम्प०)

११. अमराक द्वयन हासी : हयात-ए-जालीः (१९३६)
१२. मौलाना मोहम्मद इस्माइल : मराज़ा-ए-नगर दंपद, भाग १-१२
१३. गोहमिन उम्मुक्ता : पुर्वेनित, एड रीनिड रिलेटिंग द्वी प्र. ए. ए. थो. रिति (१९८५)
१४. मौलवी मोहम्मद घमीन जुरेगी : हयात-ए-मोहमिन (१९३४)
१५. मौलवी मोहम्मद घमीन जुरेगी : मराज़ा-ए
१६. मोहम्मद हवीचुर्मान : मरार-ए-हयात (१९३५)
१७. फतहउरीग : मोहमिन उम्मुक्ता द्वी सीबॉ और गोरखां का मद्दूया (१९०४)
१८. गुफ़ेस घहमद : मुमनमानों का गोनन मुस्लिमित (१९३८)
१९. मौलवी पनवर घहमद जुरेगी : गुबाज़ा-ए-प्रानिया, भाग १-२
२०. मोहम्मद घमीन जुरेगी : मुमनमान-ए-हिन्द द्वी मियामत यन्नी (१९३८)
२१. मोहम्मद घमीन जुरेगी : मियामत-ए-मिलिया
२२. मशहर घमारी : सारीग-ए-मुस्लिम सीग (१९४०)
२३. मिर्ज़ा घमवर हुमेन : तारीग-ए-मुस्लिम सीग
२४. उद्दूँ छिलग एगोमियामन की १६०० का नायंवाही (१६०१)
२५. मरानात-ए-हासी, भाग १-२ : सारीग-ए-मदरभतुन उसूग, मनीग़ढ़
२६. इफ्तिखार घानम : सारीग-ए-मदरभतुन उसूग, मनीग़ढ़

झलीग़ढ़ इन्स्टीट्यूट गजट (१८६६ से १६०७); झलीग़ढ़ कॉलेज मैग्जीन; झलीग़ढ़ मन्यसी (१८६६-१८५५); मोहम्मद ए-जुकेशनल कॉर्सेस की वापिक रिपोर्ट-स (१८८६-१६०७); प्रिमियल एम. ए. थो. कॉलेज झलीग़ढ़ की वापिक रिपोर्ट-ग (१६००-१६०८); एम. ए. थो. कॉलेज झलीग़ढ़ की प्रबन्ध समिति रिपोर्ट-ग (१८६५-१६०६); दुमिटो की रिपोर्ट-स (१८६०-१६०८); ताड़ मिट्टी और वर्जन के निजी पत्र आदि मर्याद महत्वपूर्ण मीलिक सोते हैं।

अध्याय-४

१. अशरत रहमानी (मम०) : हयात-ए-जोहर (देहली, १९३१)
२. रईस अहमद जाफ़री (मम०) : मताईबात-ए-मोहम्मद झली (हैदराबाद, १९४५)
३. मोहम्मद अली : हिन्दुस्तान की मियासी उल्लेख (हैदराबाद, १९४७)

४. मोहम्मद सर्हर (सम्प०) : मजामीन-ए-मोहम्मद अली, भाग १-२
(दिल्ली, १६४०)
५. मोहम्मद सर्हर : तकारीर मौलाना मोहम्मद अली, भाग १-२
(लखनऊ)
६. रईस अहमद जाफरी (सम्प०) : इफादात-ए-मोहम्मद अली
७. रईस अहमद जाफरी (सम्प०) : निगारिशात-ए-मोहम्मद अली, भाग-१
(हैदराबाद, १६४४)
८. " " : मकालात-ए-मोहम्मद अली, भाग १-२
(हैदराबाद, १६४३)

अध्याय-५

१. रजिया करहत बानु (सम्प०) : खुतबात-ए-इकबाल (देल्ली, १६४६)
२. तसहूँ क हुसैन ताज (सम्प०) : मजामीन-ए-इकबाल (हैदराबाद, १३६२ हि.)
३. शामलू (सम्प०) : हर्फ-ए-इकबाल (लाहौर, १६४५)
४. संयद अब्दुल वाहिद मईनी : वाकियात-ए-इकबाल (कराची, १६५८)
५. शेख अताउल्ला : (सम्प०) : इन्तजाव मकातीब (लाहौर, १६५८)
६. संयद नजीर नियाजी (सम्प०) : मकतूवात-ए-इकबाल (कराची, १६५७)
७. शेख अताउल्ला : (सम्प०) : इकबाल नामा, भाग १ (लाहौर)
८. मोहम्मद इकबाल : बांग-ए-दरा
९. " " : असारार-ए-खुदी
१०. " " : रमूज-ए-बेखुदी
११. प्रो० युसूफ मनीम चिश्ती : शरह बाग-ए-दरा (देल्ली)

अध्याय-६

१. महमूद अलहमन मिट्टीकी मजामीन अलबलाग (देल्ली, १६४४)
(सम्प०)
२. मोहम्मद रफीक मुहम्मद मकालात अलहिनाल (लाहौर)
३. मुश्ताक हुसैन (सम्प०) मिलमिला मजामीन मौलाना अबुल कलाम
आजाद, नं० १-१४
४. घनबर आरिफ (सम्प०) : आजाद की तकरीर (देल्ली, १६६१)
५. अब्दुल्ला भट (सम्प०) : मकालात-ए-आजाद (लाहौर, १६४४)
६. संयद सिफारिश हुसैन (सम्प०) : मजामीन अबुल कलाम आजाद भाग-१
(देल्ली, १६४४)
७. बद्र-उल-हसन (सम्प०) : मजामीन अबुल कलाम आजाद भाग-२
(देल्ली, १६४४)

८. परीक्षण घटमद जाफरी : मरानियात घुरुन बनाम आवाद !
 (गणा०)
९. नगरलता श्री घजीब (गणा०) : गुरायात-ए-घुरुन बनाम आवाद (गाहोर,
 ११४४)
१०. शोरिय बागमीरी (गणा०) : गुरायात-ए-आवाद (गाहोर, ११४४)
११. मोनाना घुरुन बनाम आवाद . गाहीरात-ए-आवाद (गाहोर)
- १२.
१३. गुलाम " रशूय मेहर " : गुरगर-ए-जिम्मा (गाहोर, ११४५)
१४. मोहम्मद उममान पारखनीत : नैश-ए-आवाद, (गाहोर, ११५८)
१५. मोहम्मद उममान पारखनीत : गुरायात-ए-आवाद (गाहोर, ११५९)

प्रध्याय-७

१. मुफ्ती गुलाम जाफर
२. उममान गहराई
३. रफीक जकारिया
४. गतदूष हमन गंगद
५. हेवटर बोनियो
६. रफीक घफ़ज़ल
७. गी एच विनियम
८. रफीक उममान
९. मुस्लिम भीग
१०. तालिद विन सहृद
- इरामादात-ए-जिम्मा (गाहोर)
- जिम्मा की तकरीरे (हैदराबाद, ११४५)
- स्पीशीज घोंक मोहम्मद घली जिम्मा (कराची)
- मोहम्मद घली जिम्मा (गाहोर, १११२)
- जिम्मा (संदन, ११५४)
- स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स घोंक जिम्मा
 (गाहोर, ११११)
- दी इबोन्युगन घोंक इन्डिया एण्ड पाकिस्तान
 (११५६-११४७) (मोनसफोड प्रेस, १११५)
- पाप वे द्व पाकिस्तान (गाहोर, ११११)
- इन्डियाज प्रोवेन्यम घोंक हर पश्चिम कानिटट्यून,
- (११४०)
- पाकिस्तान-दी फोर्मेटिव फैज (संदन, १११८)

अनुक्रमणिका

अफगानिस्तान, मर मंथद और,
३६-३७.

अब्दाली, अहमदशाह, ३.

अब्दुल अजीज, ४; वली उल्लाह
के आनंदोलन को अधिक
व्यापक बनाना, ५; कुरान का
नया अनुवाद, ५; शिर्यों का
नया दल, ५; केन्द्रीय समिति का
पठन, ७; जिहाद का मंचालन,
७, ८, १०.

अमीर खाँ, ६, ७, ८.

अरस्तू, २.

अतबलाग, प्रकाशित होना, १३३;
इसके विषय, १३४.

अतहिताल, प्रकाशित करने
वा उद्देश्य, १२८, १२९; इसके
विषय, १२९, १६६; इसका
प्रभाव, १२६; बद होना,
१३३.

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये—
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारधारा का विवर,
मुसलमानों वा पृथक् अस्तित्व
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली
और, ६८; आजाद और, १३०,
१३५.

अलीगढ़ कॉलेज, स्थापना और
उद्देश्य, १४, १६; आजाद और,
१३५

असदाबद बगावत-ए-हिन्द, १४.

अहमद, संयद (वरेलबी), ५,
मैनिक प्रशिक्षण, ६, यथा वे अप्रेज
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का
उद्देश्य, ८, ९; अमीरखाँ की सेना
में लौटने का कारण, ८; जिहाद
की असफलता के कारण, ९, १०;
जिहाद संचालन का उत्तरदायित्व,
१०.

अहमद, सरसंयद, १; संयद अहमद
वरेलबी के आनंदोलन के विषय
में विचार, ६; प्रारम्भिक जीवन,
१३, १४; मुश्य लक्ष्य, १५;
चिन्तन के आधार, १५;
अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना, १४;
अप्रेजी माझाज्य के प्रति दृष्टि-
कोण, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग
और, १५, १६; भारतीय मुसल-
मानों के भूतपूर्व शासक होने का
मिदान, १५; कांग्रेस विरोध,
१५, १६; प्रतिनिधित्व सिद्धान्त
और प्रजातंत्रीय प्रणाली का
विशेष, १६, २०-२२, २६-२७;
अप्रेजी मरकार के प्रति दृष्टिकोण.

८. अबील अहमद जाफरी : मकालिमात अबुल कलाम आजाद !
(सम्प०) (हैदराबाद, १९४४)
९. नसरल्ला सौ धर्जीज(सम्प०) : खुतबात-ए-अबुल कलाम आजाद (साहीर)
१०. शोरिश काशमीरी (सम्प०) : खुतबात-ए-आजाद (लाहौर, १९४४)
११. मीलाना अबुल कलाम आजाद : तसरीहात-ए-आजाद (लाहौर)
१२. " " : गुब्बार-ए-खातिर (लाहौर, १९४६)
१३. गुलाम रम्जूल मेहर : नक्श-ए-आजाद, (लाहौर, १९५८)
१४. मोहम्मद उसमान फारकलीत : अफकार-ए-आजाद (लाहौर, १९४५)

अध्याय-७

१. मुपती गुलाम जाफर : इरशादात-ए-जिन्ना (लाहौर)
२. उसमान सहराई : जिन्ना की तकरीर (हैदराबाद, १९४५)
३. रफीक जकारिया : स्पीचीज आँफ मोहम्मद अली जिन्ना (कराची)
४. मतलूब हसन सैयद : मोहम्मद अली जिन्ना (लाहौर, १९६२)
५. हेवटर बोलियो : जिन्ना (लंदन, १९५४)
६. रफीक अफगल : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स आँफ जिन्ना (लाहौर, १९६६)
७. सी. एच. फिलिप्स : दी इबोल्यूशन आँफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (१९५८-१९४७) (ओवसफोर्ड प्रेस, १९६५)
८. खलीक उमरमान : पाथ वे दू पाकिस्तान (लाहौर, १९६१)
९. मुस्लिम लीग : इण्डियाज प्रोबलम आँक हर प्यूवर काम्पिटेट्यूशन, (१९४०)
१०. खालिद विन सड़द : पाकिस्तान-दी पोर्टेटिव केज (लंदन, १९६८)

अनुक्रमणिका

अफगानिस्तान, मर भेयद और,
३६-३७.

अस्त्राली, अहमदशाह, ३.

अस्त्रुल अजीज़, ४; यतो उल्लाह
के आनंदोलन को अधिक
व्यापक बनाना, ५; कुरान का
नया अनुवाद, ५; शिर्खों का
नया दम, ५; केन्द्रीय समिति का
गठन, ७; जिहाद का संचालन,
७, ८, १०.

अमीर खी, ६, ७, ८.

अरस्तू, २.

अतबलाग, प्रवासित होना, १३३;
इसके विषय, १३४.

अतहिसास, प्रकाशित परने
का उद्देश्य, १२८, १२९; इसके
विषय, १२९, १६६; इसका
प्रभाव, १३१; बदल होना,
१३३.

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये—
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारथारा का विस्तार,
मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली
और, ६८; आजाद और, १३०,
१३५.

अलीगढ़ कालेज, स्थापना और
उद्देश्य, १४, १६; आजाद और,
१३५.

असदाय बागायत-ए-हिन्द, १४.
अहमद, सेयद (बरेलवी), ५;
सेनिक प्रशिक्षण, ६; क्या वे अपेक्ष
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का
उद्देश्य, ८, ९; अमीरखी की सेना
से लौटने का कारण, ८; जिहाद
की असफलता के कारण, ९, १०;
जिहाद मंचानन का उभरदायित्व,
१०.

अहमद, सरसेयद, १; सेयद अहमद
बरेलवी के आनंदोलन के विषय
में विचार, ६; प्रारम्भिक जीवन,
१३, १४; मुख्य लक्ष्य, १५;
चिन्तन के आधार, १५;
अलीगढ़ वालेज की स्थापना, १४;
अपेक्षी भास्त्राय के प्रति हिट-
कोण, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग
और, १५, १६; भारतीय मुसल-
मानों के भूतपूर्व शासक होने का
मिठान्त, १५; काषेस विरोध,
१५, १६; प्रतिनियित्व मिठान्त
और प्रजातंत्रीय प्रणाली का
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७;
अपेक्षी सरकार के प्रति हिटकोण,

८. अकील अहमद जाफरी : मकालिमात अबुल कलाम आज़ाद !
 (सम्प०) (हैदराबाद, १९४४)
९. नसरुल्लाह खाँ अजीज (सम्प०) : खुतबात-ए-अबुल कलाम आज़ाद (लाहौर)
१०. शोरिश काशमीरी (सम्प०) . खुतबात-ए-आज़ाद (लाहौर, १९४४)
११. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तसरीहात-ए-आज़ाद (लाहौर)
१२. " " : गुब्बार-ए-खातिर (लाहौर, १९४६)
१३. गुलाम रसूल मेहर : नक्श-ए-आज़ाद, (लाहौर, १९५८)
१४. मोहम्मद उममान फारकनीत : अफकार-ए-आज़ाद (लाहौर, १९४५)

अध्याय-७

१०. मुफ्ती गुलाम जाफर : इरणादात-ए-जिम्मा (लाहौर)
१. उसमान सहराई : जिम्मा की तकरीर (हैदराबाद, १९४५).
३. रफीक जकारिया : स्पीचोंज आँफ मोहम्मद अली जिम्मा (कराची)
४. मतदूब हमन मैयद : मोहम्मद अली जिम्मा (लाहौर, १९६२)
५. हेक्टर बोलिथो : जिम्मा (लंदन, १९५४)
६. रफीक अफग्नल : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स आँफ जिम्मा
 (लाहौर, १९६६)
७. सी. एच फिलिप्स : दी इवोल्यूशन आँफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान
 (१९५८-१९४७) (थोवसफोड प्रेस, १९६५)
८. खलीक उममान : पाथ वे द्वा पाकिस्तान (लाहौर, १९६१)
९. मुस्लिम लीग : इण्डियाज प्रोजेक्ट आँफ हर पश्चिम कान्स्टिट्यूशन,
 (१९४०)
१०. खालिद विन मदूद : पाकिस्तान-दी फोर्मेटिव केज (लंदन, १९६८)

अनुक्रमणिका

अक्षगानिस्तान, मर संयद और,

३६-३७.

अन्दासी, अहमदशाह, ३.

अब्दुल अजीज़, ४; वली उल्लाह के आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाना, ५; कुरान का नया अनुवाद, ५; शियों का नया दल, ५; केन्द्रीय समिति का गठन, ७; जिहाद का मंचालन, ७, ८, १०.

अमीर खाँ, ६, ७, ८.

परस्तू, २.

अत्तबलाग, प्रकाशित होना, १३३;
इसके विषय, १३४.

अत्तहिलास, प्रकाशित वरने का उद्देश्य, १२८, १२९; इसके विषय, १२९, १६६; इसका प्रभाव, १३६; वाद होना, १३३.

अली, मौलाना मोहम्मद, देखिये-
मोहम्मद अली, मौलाना.

अलीगढ़ विचारधारा का विस्तार, मुसलमानों का पृथक् अस्तित्व-
और, ७०; मौलाना मोहम्मद अली
और, ८८; आजाद और, १२०,
१३५.

अलीगढ़ कालेज, स्थापना और
उद्देश्य, १४, १६; आजाद और,
१३५.

असदाब बगावत-ए-हिन्द, १४.

अहमद, संयद (बरेलवी), ५;
मैतिक प्रशिक्षण, ६, यथा वे अंग्रेज विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का उद्देश्य, ८, ९; अमीरखाँ की सेना से लौटने का कारण, ८; जिहाद की असफलता के कारण, ९, १०;
जिहाद मंचालन का उत्तरदायित्व, १०.

अहमद, सरसंयद, १; संयद अहमद बरेलवी के आन्दोलन के विषय में विचार, ८; प्रारम्भिक जीवन, १३, १४; मुख्य लक्ष्य, १५; चिन्तन के आवार, १५; अलीगढ़ कालेज की स्थापना, १५; अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति हिट-
वोग, १५, २२, ५१; कुलीन वर्ग और, १५, १६; भारतीय मुसलमानों के भूतपूर्व जासक होने का मिदान्त, १५; कायेस विनेध, १५, १६; प्रतिनिधित्व मिदान्त और प्रजानंत्रीय प्रणाली का विरोध, १६, २०-२२, २६-२७; अंग्रेजी सरकार के प्रति हिटवोग.

१७, १८, १९; दाखल हवं और दाखल इस्लाम, १८; जिहाद का श्रीचित्य, १८; कुरान की नई व्याख्या, १८; अलीगढ़ कॉलेज का सम्बन्ध, १८; सरकार का स्वरूप, १८; कुरान के आधार पर राजनीतिक सिद्धान्त, २२; अपनी सहायता स्वर्य, २०; भारतीय अमर्भय थे, १८; प्रतियोगिता परीक्षाएँ, २३, २४, २५; घर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, २८; घट्संस्क्यो से भय, २९; राजनीतिक संगठन, २६-२४; मुसलमान एक कौम, ४२-४४, ६३; कौम शब्द की व्याख्या, ४६; पृथक्तावादी विचार, ४६; हिन्दुओं के प्रति हिटिकोण, ४६-५१.

आगाला॑, सुल्तान मोहम्मद शाह, ७०.
आर्चेंबोल्ड और शिमला शिष्ट-मण्डल, ६५, ६६, ६७.

आज़ाद, अब्दुल कलाम, प्रारम्भिक जीवन, १२७, १२८; अलहि-लाल प्रकाशन के उद्देश्य, १२८, १२९, राजनीति और इस्लाम का सम्बन्ध, १२९, १३१, १३२, १३३, १३४, १४२, १४३, प्रान्तिकारी और, १२६, १३०; अलीगढ़ विचारधारा और, १३०, १३५; मुस्लिम लीग और, १३०, १३१, राजनीति में नेतृत्व, १३१, अपेज़ों के प्रति नीति, १३२, १३३; अलहिलाल का प्रभाव, १३३, अलीगढ़ कॉलेज और, १३४, १३५; नमनऊँ शिया कॉलेज, १३४, सर्व-

इस्लामवाद और विलाफ़त, १३५, १३६; मिल्लत की एकता, १६८-१७०; 'जमायत' तथा सामुहिक नेतृत्व, १३६, १३७, १६६, १७०; इमाम का महत्व, १३८; असहयोग और, १३८; भारतीय स्वतंत्रता और, १३६, १४४; हिन्दू-मुस्लिम एकता, १३६, १४४, १४५; अहितीय' नीति और अकेलापन, १३६, १४०; कौप्रेस का मुसलमानों पर प्रभाव, १४०; अन्य नेताओं से मतभेद, १४०-४१; शौकतप्रली, मोहम्मद अली और, १४०-१४१, १४२; अनुशासन और, १४१, उनका स्वभाव, १४१-१४२; समाजवाद और, १४२, १४३; जकात, १४३; साम्राज्यिकता से मुक्त, १४४; अल्पमंस्यक और बहु-संस्क्यक का प्रश्न, १४४; भारतीय राष्ट्रीयता और, १४५; बतन और कौम और, १७२.

इकावाल, शेख मोहम्मद, प्रारम्भिक जीवन, १०१, १०२; कौमियत का आधार, १०२-१०८, बतन परस्ती का विरोध, १०५-१०७, ११४, ११६, ११७; भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् कौम बताना, १०६-११२; मिल्लत के अधीं की व्याख्या, १०८-११०; सामुहिक संगठन पर बल, ११०-११२; मुसलमानों में जागरण पैदा करना, ११३, ११५; मिल्लत की एकता, १०४, १०८-११०, ११४, १६६-७०; सर्व इस्लाम-वाद और, ११४-११३; विनापन

आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक

- ५०, ८८, १७४; इकबाल और
 खिलाफत आनंदोलन, ११५, ११६,
 ११७
 खिलाफत कांगड़े-स और भारतीय
 स्वतन्त्रता, १३८.
 खिलाफत संगठन ७५
 गांधी-जिन्हा वार्ता, १६५, गांधी
 और मोहम्मद अली, ८१; गांधी
 और इकबाल, १२२
 गोलमेज सम्मेलन, १५५, १५६,
 १७५, मोहम्मद अली और, ७६, ८१
 घौवह सूचीय कार्यक्रम, १५४, १५५
 ज़फ़ात, १४३
 जमीयत उल उलमा, १५४
 जमीयत खिलाफत, ७५
 जिन्हा, मोहम्मद अली, प्रारम्भिक
 जीवन, १४६, १४७; विवाह,
 १४८, पत्नी की मृत्यु, १४८,
 कार्यों का सक्षिप्त वर्णन, १४८-
 १४९, मुसलमानों को एक कोम
 बताना, १४६, १६१, इंगलैण्ड
 पाया, १४६, १४७, १४८, दादा
 भाई नौरोजी और, १४७, कांग्रेस
 गदस्यता, १४७, मुस्लिम लीग
 और, १४७, १५०, इण्डियन सेजि-
 स्टेटिक कॉर्सिल और, १४७, १४८,
 १४९; रोलेट विल और, १४७,
 खिलाफत और ममहयोग आनंदोलन,
 १८८, साम्प्रदायिक सद्भाव ममिति
 के सदस्य, १४८; निराशा, १४८,
 १४९, १५०; मुस्लिम हितों की
 मुरदाता, १४८, नेहरू-स्टोर्ट और,
 १५०, गोलमेज सम्मेलन का मुभाव,
 १५५, १५६; हिन्दू मुस्लिम एकता
 का बारगा, १५०, १५१, कांग्रेस

लीग समझौते में उनका लक्ष्य, १५०,
 १५१, १५२; मुसलमानों के पृथक्
 अस्तित्व का समर्थन, १५६, १५७;
 संगठन पर बल, १५१; मुसलमानों
 को आत्मनिर्भर होने का परामर्श,
 १५१, १५२, १६१; प्रान्तों को
 स्वायत्तता, १५२; हिन्दुओं पर
 सन्देह, १५२; दिल्ली प्रस्ताव,
 १५३; संयुक्त निर्वाचन प्रणाली,
 १५३, पृथक् निर्वाचन प्रणाली,
 १५४, चौदह सूचीय कार्यक्रम,
 १५४, १५५; गोलमेज सम्मेलन
 और, १५५, १५६; कांग्रेस प्रशासन
 पर आझेप, १५७, १५८; मुक्ति-
 दिवस, १५६; लाहौर-प्रस्ताव, १६०-
 १६६; हिन्दू और इस्लाम धर्म का
 मन्तर, १६०; अखिल भारतीय सघ
 योजना का विरोध, १६०; प्रजातन्त्रीय
 पद्धति का विरोध, १६१, १६३;
 भावी संविधान का स्वरूप, १६१,
 १६२; अंग्रेजों के प्रति नीति, १६२,
 १६३, जिन्हा का लक्ष्य-हिन्दू-
 मुस्लिम समानता, १६२, १६३,
 मंक्यावेली के शिष्य, १६४; कुण्ठन
 वानकार, १६५, इकबाल का
 प्रभाव, १२३, १२४.
 जिहाद, संयद अहमद बरेलवी और,
 ८-१०; अब्दुल भजीज और, ८७;
 सर संयद और, ८८
 डिक्सेन्स एसोसिएशन, ज़हू, ४०,
 ५७, ५८.
 डिक्सेन्स एसोसिएशन, मोहम्मद एंगलो
 ओरियन्टल, १४, ६०, ६४, उद्देश्य तथा
 कार्य, ३२-३४
 तर्मोम, १७४.

तबतीम, १७४.
संवेदन-उल्ल-कलाम, १४, १७
तहजीब-उल्ल-ग़लाम, १४.
तात्राम अहल-ए-किताब, १४, १७
तुर्कों (ओटोमन) खिलाफ़त, १३५,
मोहम्मद अली और, ३३-३८.
तुर्कों, सर संयद और, ३४-३६.
दाख्ल इस्लाम, ११, १८
दाख्ल हर्ब, ११, १८.
दिल्ली प्रस्ताव (१६२७), मोहम्मद,
मोहम्मद अली और, ६४-६६,
जिन्ना और, १५३-१५४, १७५,
देहस्ती, १
धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों
का गठन, सर संयद और, २८
नज़ीब उधौला, १, ३
नदवत उल उलेमा, मोहम्मिन उल-
मुल्क और, ५५
निज़ामी, तौफ़ीक, ६
निर्वाचन प्रणाली, साम्प्रदायिक
तथा पूर्यक, सर संयद और, ३३,
३४; मोहम्मिन उल मुल्क और,
६६; मिठों की सहमति, ६६-७०,
मोलाना मोहम्मद अली और, ६२-
६६; इकबाल और, १२१, १२२,
जिन्ना और, १५०, १५१, १५८,
१५९.
निर्वाचन प्रणाली, सम्मिलित एवं
सेन्ट्रीय, मोहम्मद अली और, ७५,
जिन्ना और, १५३, १५४
नेहरू, जवाहरलाल, इकबाल के
विचार और, १२४; मुस्लिम लीग
और, १५७; अंग्रेजों का योगदान,
१५८; पाकिस्तान की माँग, १६२;
जिन्ना और, १६०-१६६.

नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली और,
८८, जिन्ना और, १५४.
प्लेटो, २
पिरपुर रिपोर्ट, १५८.
पंडियोटिक एसोसिएशन, १४, १६८
पोप और खलीफा, १३६.
प्रजातंत्रीय पद्धति, सर संयद और,
२०-२२, २६-२७, मोहसिन उल-
मुल्क और, ६८, ६९, मोहम्मद
इकबाल और, १२१; जिन्ना और,
१६१, १६३
प्रतियोगिता परीक्षाएं, सर संयद
और, २३, २४, २५.
फतह उल अज़ीज़, ५.
फतह उल रहमान, २.
फरंगी महल, ७२, ७४.
फरायज़ी आम्बोलन, ११, १२
घंगाल-विभाजन, मोहसिन-उल
मुल्क और, ५७, मोहम्मद अली
और, ७५, ७६; मुगलमानों पर
प्रभाव, ७६, १७४.
बन्दुचिस्तान में उत्तरदायी प्रशा-
सन, १५२, १५३, १५५, १६४.
बहूसंल्पकों का भव, मर मंयद
और, २८.
भारत-विभाजन की माँग, १६१-
१६६; इकबाल और, ११८, ११६,
१२४, १२५, १२६; अंग्रेजों का
योगदान, १५८; क्या यह यक्षयं-
भावी था? १६६.
भारतीय स्वतंत्रता, मोहम्मद अली
और, ८०; आजाद और, १३८.
महा, ६, ११, ८७.
मदीना, ६, ११, ८७.

मदरसे और हीमिया, ७.

महसूद, संयद, ४३.

मुक्ति दिवस, १५६.

मिन्टो और शिमला शिष्ट मण्डल
६५, ७०

मिल्लत की एकता का विचार,
१६७-१७६, इसका प्रमुख कारण,
६४, १६८, सर्व इस्लामवाद से
भिन्न, १६८-१७०, १७१; आजाद
और, १६८-६९, १७०; इकबाल
और, १६९, १७०, १७१, मोहम्मद
अली और, ८०-८८, १७०, वास्त-
विक उद्देश्य, १७२, १७३

मुसलमान एक कोम (नेशन),
सर संयद और, ४१-४८; मोहसिन
और, ६३, इकबाल और, १०६,
१०७, जिन्ना और, १४५

मुसलमानों के राजनीतिक हित,
मोरिसन और, ६१; मोहसिन उल
मुक्त और, ६२, ६३, ६८; मीलाना
मोहम्मद अली और, ७५; इकबाल
और, ११७, ११८, आजाद और,
१३६; निरन्तर बढ़ते रहना, १७४,
१७५

मुसलमानों का राजनीय सेवाओं
में भाग, ६४

मुसलमान, एक भल्य संहयक वर्ग,
सर संयद और, २८, २६; मोहि-
सिन उल मुक्त और, ५८, ६२, ६३,
६४; मोहम्मद अली और, ६२,
६३, ६४, ६५, ६६; इकबाल
और, १२१, १२२, १२३, १२४;
आजाद और, १४४, जिन्ना और,
१५०, १५१

मुसलमान - कोम का आधार,

३१५

मुसलमानों का राजनीति में पृथक्
प्रस्तत्व, इकबाल और, ११७;
आजाद और, १२६, १३१, १३२,
१४५; जिन्ना और, १५०; आर्थिक
कारणों का योगदान, १६८
मुस्लिम लोग, स्थापना, ७०; आजाद
और, १३०, १३१; मुसलमानों की
एकमात्र प्रतिनिधि, १५७; कांग्रेस से
समानता, १५८

मोते और शिमला शिष्ट-मण्डल,
६५, ६६, ६७, ६८

मोहम्मद ऐकुकेशनल कान्क्षा,
स्थापना और स्वरूप, ३१ ३२,
मोहम्मिन उल मुक्त और, ५२, ५३,
५६

मोहम्मद पोलिटिकल एसोसिएशन,
३०

मोहम्मद अली, मीलाना, कीर्ति
की अभिलाषा, ७१; लडाकू
स्वभाव, ७२; उनके कुछ प्रमुख
राष्ट्रवादी, ७२-७४, व्यग करने की
आदत, ७३; असीगढ़ कांसेज और,
७४; शिमला शिष्ट-मण्डल और,
७५; लखनऊ-समझौता और, ७६;
मुस्लिम लोग और, ७६, ८७; जेन
में रहना, ७६, ७७, विनाकात
आन्दोलन योर, ७७, ८०, ८२,
हिन्दुओं से मैंशी करने के कारण,
७७, ७८, १६२४ का उनके जीवन
में महत्व, ७८, ७९; प्रस्तवस्थ ७५,
इंग्लैण्ड यात्रा, ७८, उनके प्रेरणा
योग, ८०, ८१; मिल्लत के हित, ८०,
१६-१८; लक्ष्य की स्पष्टता, ८१;
इस्लाम वेम और, ८१; तुर्की के

प्रति हिटिकोण, ८२-८८; मिथ के प्रति हिटिकोण, ८५; हिन्दुओं के प्रति हिटिकोण, ८८-९१; मुसलमानों के राजनीतिक हित और, ६२-६६; दिल्ली प्रस्ताव और, ६४-६५; जिन्ना और, ६५; वे प्रवतरवादी थे, ६८-१००.

* मोहम्मद मोहसिन उर्फ़ इब्राहीम, १२. मोहसिन उस मुल्क, मुगलमान कीम और, ५३; मुगलमानों को उत्तराहित बरता, ५३-५४; नदवत उन उलमा और, ५५; मर संयद और, ५६; अंग्रेजी साम्राज्य और, ५७, ५८-६५; मुसलमानों के उचित अधिकार, ५८; अंग्रेज अध्यापक और, ५८, ५९; शिमला गिरट मण्डल और, ६५-७०

रणजीतसिंह, ८, ६, १०.

राजनीति का धार्मिक आधार, मर संयद और, २८, ४०, ४१; याजाद और, १३०, १३१, १३४

राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र विन्दु-१६७-१७६, — और घर्म, १६७; चिन्तन का मुद्द्य आधार, १२

राजनीतिक संगठन की आवश्यकता, ६२, ६३, ६४.

लखनऊ समझौता, मोहम्मद अली और, ७६; जिन्ना और, १५०, १५१

लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन, याजाद और, १४२

लायल मोहम्मदस ओफ इंडिया, १४, १७

लाहौर प्रस्ताव, १६०; १६६

चतन और कोम, १७०, १७१, १७२;

मोहम्मद अली और, ६६-६८; इवाल और, १०२-१०५, ११४, ११६, ११७; याजाद और, १७२. यर्नास्त्रूलर प्रेस एवंट, २१.

पती उल्लाह, शाह, प्रारम्भिक जीवन, १; बुगन के ध्वन्यन पर बत, २, ५; मुसलमानों के आपाती भेद बता, २; गलीफा के प्रश्न पर विचार, ३; भद्राली को आश्रमण का निर्मलण, ३, ४; अंग्रेज और, ४; मुसलमानों की प्रधानता को स्पाइन बरने वा प्रयत्न, ४; उनका महय, ४.

शरीफ रिपोर्ट, १५८.

शिमला कॉन्फरेन्स, १६४

शिमला शिष्ट मण्डल, १४, ६५, ७०, ७५, अंग्रेजों का उत्तरदायित्व, ६८. शुद्धि आन्दोलन, १७४

शौकत अली, १६३, याजाद और, १४०-४२.

अद्वानन्द, स्वामी को हत्या, ६१

साम्प्रदायिक समस्या, भावी भारतीय गविधान और, १५७

संगठन, १७४

समाजवाद और इत्ताम, १४२, १४३.

समुदायों में सञ्चुलन, मर संयद और; जिन्ना और, १५४

सर्व इस्लामवाद, मर संयद और, ३४-३७, मोहम्मद अली और, ८०-८८; इवाल और, ११४; याजाद और, १३५.

स्टेट्यूरी सिविल सर्विस, २४.

स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, २१.

ग. जैन का जन्म १६२६ में हुआ ।
उ विश्वविद्यालय से आधुनिक
में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम थीं
। करके पास की । १६५० ई०
में समाज कॉन्विंज, ग्रालीगढ़ में
रीदे विभागाध्यक्ष को भीति
१६२ ई० में आगरा विश्व-
विद्यालय 'मूवर्मेट' शोध-प्रबन्ध पर
ध प्रदान की गई । १६६२ ई०
। चार वर्षों के लिए त्रिभुवन
उर पद पर नियुक्ति की ।
न्य प्रकाशित हुआ । १६६६
चालय में इतिहास विभाग
गयं कर रहे हैं । १६७२
। 'दी एमजॉन्स आफ ए न्यू
प्रकाशित हुआ ।